एन एस आई सी
NSIC

# 66वीं वार्षिक रिपोर्ट
# 2020 - 2021

एनएसआईसी बोर्ड के निदेशकों के द्वारा सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा एवं सुश्री मर्सी इपाओ का स्वागत करते हुए

# विषय सूची

## राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड


| | | |
|---|---|---|
| 1. | कॉरपोरेट सूचना | 02 |
| 2. | निदेशक मंडल | 04 |
| 3. | अध्यक्ष महोदय का संदेश | 05 |
| 4. | बोर्ड की रिपोर्ट | 10 |
| 5. | एकल वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 55 |
| 6. | एकल वित्तीय विवरण | 95 |
| 7. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एकल वित्तीय विवरण | 169 |
| 8. | समेकित वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 170 |
| 9. | समेकित वित्तीय विवरण | 201 |
| 10. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण | 271 |
| 11. | वार्षिक आम बैठक की सूचना | 272 |


## एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड


| | | |
|---|---|---|
| 1. | कॉरपोरेट सूचना | 275 |
| 2. | निदेशक मंडल | 276 |
| 3. | बोर्ड की रिपोर्ट | 277 |
| 4. | स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 294 |
| 5. | वित्तीय विवरण | 312 |
| 6. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां | 325 |
| 7. | वार्षिक आम बैठक की सूचना | 326 |

एन एस आई सी
N S I C

# सीआईएन नं. यू74140डीएल1955जीओआई002481

**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**श्री विजयेन्द्र (14 सिंतबर, 2021 तक)**
**सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (14 सिंतबर, 2021 से)**

**निदेशक मंडल**

- श्री राजीब कुमार सेन, सरकारी नामित निदेशक (22 मई, 2020 से)
- सुश्री मर्सी इपाओ, सरकारी नामित निदेशक (22 सितंबर, 2021 से)
- श्री पी. उदयकुमार, निदेशक (यो. एवं वि.)
- श्री गौरांग दीक्षित निदेशक (वित्त)

**कंपनी सचिव**
श्रीमती निष्ठा गोयल

**सांविधिक लेखापरीक्षक**
मैसर्स गोयल पारूल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार

**शाखा लेखापरीक्षक**

| क्र.सं | लेखापरीक्षक का नाम |
|---|---|
| 1 | मैसर्स सुरेन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली |
| 2 | मैसर्स एच.एस. आहूजा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली |
| 3 | मैसर्स सुशील जीतपुरिया एण्ड कं., नई दिल्ली |
| 4 | मैसर्स विपिन ओम एण्ड एसोसिएट्स, देहरादून |
| 5 | मैसर्स वेद मित्तल एण्ड कंपनी, आगरा |
| 6 | मैसर्स अतुल कुमार अग्रवाल एण्ड कं., अलीगढ़ |
| 7 | मैसर्स टंडन सेठ एण्ड कं. कानपुर |
| 8 | मैसर्स गोयल विनय एण्ड एसोसिएट्स, इलाहाबाद |
| 9 | मैसर्स रजनीश राजेश एण्ड कंपनी, चंडीगढ़ |
| 10 | मैसर्स राजेश महाजन एण्ड कंपनी, लुधियाना |
| 11 | मैसर्स रवि पुनीत एण्ड कं, जालंधर |
| 12 | मैसर्स बी.एल. दुसाद एण्ड कंपनी, जयपुर |
| 13 | मैसर्स रामास्वामी एण्ड मुरली एसोसिएट्स, चैन्नई |
| 14 | मैसर्स सी. जगतईश एण्ड कंपनी, पुडुचेरी |
| 15 | मैसर्स वी. एन पुरोहित एण्ड कंपनी, कोलकाता |
| 16 | मैसर्स एच.के. चाण्डक एण्ड कंपनी, कटक |
| 17 | मैसर्स कदमवाला एण्ड कंपनी, राउरकेला |
| 18 | मैसर्स केकेएम एण्ड कंपनी, जमशेदपुर |
| 19 | मैसर्स ए दिवान एण्ड कंपनी, राची |
| 20 | मैसर्स जग एण्ड एसोसिएट्स, पटना |
| 21 | मैसर्स अशोक बुधिया एण्ड कंपनी, गुवाहाटी |
| 22 | मैसर्स पीएचडी एण्ड एसोसिएट्स, मुम्बई |
| 23 | मैसर्स एसएसके एण्ड कंपनी, नासिक |

| क्र.सं | लेखापरीक्षक का नाम |
|---|---|
| 24 | मैसर्स हेमन्त साह एण्ड एसोसिएट्स, पुणे |
| 25 | मैसर्स पटनी एण्ड पटनी, औरांगाबाद |
| 26 | मैसर्स सुनील जोहरी एण्ड एसोसिएटस, रायपुर |
| 27 | मैसर्स के.वी. मेहता एण्ड कंपनी, अहमदाबाद |
| 28 | मैसर्स आर.के. दोषी एण्ड कंपनी, राजकोट |
| 29 | मैसर्स लक्ष्मीपति एण्ड कंपनी, हैदराबाद |
| 30 | मैसर्स बी.वी. स्वामी एण्ड कंपनी, बैंगलुरू |
| 31 | मैसर्स सुबाचर एण्ड श्रीनिवासन, कोयम्बटूर |
| 32 | मैसर्स एचएमपीएस एण्ड एसोसिएट्स, मुदरै |
| 33 | मैसर्स एलक्स एण्ड कंपनी, कोच्चि |
| 34 | मैसर्स गांधी एण्ड गांधी, हैदराबाद |
| 35 | मैसर्स नरेन्द्र जैन एण्ड कंपनी, इंदौर |
| 36 | मैसर्स परिहार एण्ड सोनपर, भोपाल |
| 37 | मैसर्स विनोद विशाल एण्ड एसोसिएट्स, नागपुर |
| 38 | मैसर्स उपेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिट्स, विजयवाड़ा |
| 39 | मैसर्स एसजी बालेकन्दुरी एण्ड कंपनी, बेलागेवी |

**सचिवीय लेखापरीक्षक**

मैसर्स सपना जी एण्ड एसोसिट्स
395/396, तृतीय तल,
पॉकेट 11–बी, रोहिणी
सेक्टर–23,
दिल्ली – 110085

**मुख्य बैंकर्स**

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- एचएसबीसी बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- चाइना ट्रस्ट बैंकिंग कार्पोरेशन लि.
- पंजाब नैशनल बैंक
- विजया बैंक
- इंडसइंड बैंक लि.
- आईसीआईसीआई बैंक

**पंजीकृत कार्यालय**

एनएसआईसी भवन
ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110 020

# निदेशक मंडल

**श्री विजयेन्द्र**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(14 सितंबर, 2021 तक)

**श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(14 सितंबर, 2021 से)

**श्री राजीव कुमार सेन**
सरकारी नामित निदेशक

**श्रीमती मर्सी इपाओ**
सरकारी नामित निदेशक
(22 सितंबर, 2021 से)

**श्री पी. उदयकुमार**
निदेशक (योजना एवं विपणन)

**श्री गौरांग दीक्षित**
निदेशक (वित्त)

# अध्यक्ष महोदय का संदेश

## प्रिय शेयरधारकगण,

मैं निदेशक मंडल की ओर से, ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (रा.ल.उ.नि.)'' की 66वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस अवसर पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा रहा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों को कार्यान्वित किया है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ वार्षिक लेखें आपके समक्ष है। मेरे द्वारा इन्हें पढ़ लिए गए के रूप में मानने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

## कार्य–निष्पादन का पर्यावलोकन

इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने 2,101.29 करोड़ रूपये के प्रचालनों से राजस्व प्राप्त किया है। उक्त अवधि में आपकी कंपनी का कर पूर्व लाभ 139.65 करोड रुपए रहा है। निदेशक मंडल ने भारत सरकार से 31.78 करोड़ रूपये के लाभांश की सिफारिश की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसआईसी पात्र उधारकर्ताओं को दिनांक 01.03.2020 और 31.08.2020 की अवधि में ऋण का भुगतान स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था और इसके अलावा सभी उधारकर्ताओं से वसूल किए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस कर दिया था। इनमें वे उधारकर्ता भी शामिल थे जिन्होंने ऋण स्थगन की अवधि के दौरान क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाया था, भले ही ऋण स्थगन का लाभ पूर्णतः या आंशिक उठाया गया हो अथवा नहीं उठाया गया हो

एमएसएमई की यूनिटों को क्रेडिट की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएसआईसी ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है एनएसआईसी के पोर्टल और बीच वेब लिकेंज स्थापित किया गया है, जिसके लिए एमएसएमई से कोई लागत नहीं ली गई है वर्ष 2020–2021 के दौरान एनएसआईसी ने क्रेडिट सुविधा स्कीम के अधीन केनरा बैंक और कर्नाटका बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्चुल निरीक्षण सहित एसपीआरएस के अधीन एमएसएमई का पंजीकरण, ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा कोविड–19 महामारी फैलने के कारण एनएसआईसी के बी2बी एमएसएमई मार्ट पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूर्णतः ऑनलाइन और कागज पत्र रहित कर दी गई है। एमएसएमई ग्लोबल मार्ट एमएसएमई खंड से भारत में प्रथम सेवा है, इसे यूएमएएनजी प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा। एनएसआईसी ने एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पंजीकृत सदस्यों और उनके आश्रितों को विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं पर आकर्षक छूट प्रदान करने के लिए अपोलो, मैक्स, फोर्टिज और मेट्रो नामक चार बड़े अस्पताल समूह के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं।

इस वर्ष के दौरान अलीगढ़ में स्थिति एनएसआईसी के तकनीकी सेवा केंद्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षुता के माध्यम से विद्यार्थियों को कौशल सिखाने के लिए जी एल ए यूनिवर्सिटी, मथुरा और शारदा ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पूरे भारत में इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करके ''लघु उद्यम विकास के लिए इनक्यूबेशन कार्यक्रम'' की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने ''नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता और कृषि उद्योग (एएसपीआईआरई) के प्रोन्नयन संबंधी स्कीम'' शुरू की है। इस स्कीम के अधीन, एनएसआईसी ने देवरिया (उत्तर प्रदेश), राजकोट (गुजरात), काशीपुर (उत्तराखंड), नैनी (उत्तर प्रदेश), नवादा (बिहार), चैन्नई (तमिलनाडु) और नीमका (हरियाणा) में छहः जीवनयापन कारोबार इंक्यूबेटर स्थापित किए हैं।

इस पहल के माध्यम से एनएसआईसी का उद्देश्य बेरोजगार लोगों सहित युवाओं को बेकरी, सोया मिल्क बनाने, जुराब की बुनाई, बुक बाइडिंग, पेपर कप बनाने, कलर प्रिंटिंग आदि जैसी कार्यचालन परियोजनाओं से संबंधित कार्यरत प्रशिक्षण देकर उनमें उद्यमशीलता कौशल की भावना को पैदा करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शुरू करने से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों में क्षमता निर्माण और बाजार संपर्क करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर से परामर्श करके एनएसएसएच के अधीन विभिन्न हस्तक्षेप/उप स्कीम चालू की गई है। वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान एनएसएसएच स्कीम के अधीन कुल 16692 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सहायता और मार्गदर्शी सहायता प्रदान की गई है।

## कॉर्पोरेट सुशासन

एनएसआईसी, सभी स्टेकहोल्डर के साथ पारदर्शी तरीके से कंपनी का प्रबंधन करने, मूल्यांवन संबंध और विश्वास बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। यह कंपनी, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के सिवाय कंपनी अधिनियम, 2013, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यम, 2010 में कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी दिशा–निर्देशों और इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेट्रीज आफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालय मानकों का पालन करती है। यह कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मुद्दे पर सतत कार्रवाई कर रही है और यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र शीघ्र नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा एनएसआईसी यथा अपेक्षित "कारपोरेट सोशल संबंधी रिपोर्ट" तिमाही और वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करता है और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्र सरकारी क्षेत्र उद्यम 2010 में कौन परीक्षा से संबंधित दिशा–निर्देश के खंड 8.2 के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में कार्पोरेट सुशासन के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि संबंधी प्रमाण–पत्र, व्यवसायी कंपनी सचिवों से प्राप्त किया है और वह इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

## कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

इस वर्ष के दौरान पीएम केयर्स फंड में एक करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया था। इसके अलावा एनएसआईसी ने कोविड–19 से प्रभावित विभिन्न स्थानों में ग्लब्स, मास्क, सेनिटाइजर आदि जैसे पीपीई किट मुहैया किए हैं और सक्षस्त्र–सेना बल के झंडा दिवस क्लीन गंगा फंड और स्वच्छ भारत कोष में भी अशंदान दिया है।

एनएसआईसी को, 14 अक्टूबर 2020 की पीएसयू (सीएसआर पहलों–सामाजिक विकास) में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठत पुरस्कार, कोविड–19 महामारी से एकीकृत रुप में लड़ने में सीएसआर संबंधी पहलुओं के अधीन एनएसआईसी के द्वारा योगदान देने और महामारी के दौरान सभी संभव तरीकों से एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के कार्य को मान्यता देने के लिए दिया गया है।

वर्ष 2020–2021 के दौरान एनएसआईसी ने भारत सरकार के 'आत्म निर्भर भारत' मिशन को पूरा करने के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) का निगमन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) की पहली योजना है। इस योजना का उद्देश्य विकास पूंजी के रूप में डॉटर फंड के माध्यम से एमएसएमई को फडिंग सहायता प्रदान करता है। यह विकास पूंजी इक्विटी के रूप में होगी, ताकि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके, स्टॉक एकसचेंज में एमएसमएई के कारोबार के तेजी से विकास करने में सहायता दी जा सके और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके।

## आभार

हममें अपना विश्वास रखने और निरंतर मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करने के लिए, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी, माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री जी, सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य अधिकारियों का मैं, हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी।

कंपनी के निरंतर विकास और विस्तार के लिए उनकी सर्वसम्मत सहायता और अपार प्रोत्साहन में निगम के निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों के प्रति मैं, धन्यवाद व्यक्त करती हूं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को प्रदान की गई निरंतर सहायता के लिए मैं, अपने सभी शेयरधारकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी।

अंत में मैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और योगदान को स्वीकार करना और सदैव उनके समर्थन और सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करना नहीं भूल सकती।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 नवंबर, 2021

ह./–
**(अलका नांगिया अरोड़ा))**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

# निदेशक मंडल

**सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा** ने दिनांक 14 सितम्बर, 2021 से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। आप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एआरआई प्रभाग) हैं। इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य भार ग्रहण करने से पहले आपने जुलाई, 2017 से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। संयुक्त सचिव (एसएमई), सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में कार्यरत रहते हुए आप खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड, एनआईएमएसएमई, एमजीआईआरआई, एनएसआईसी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब का कार्य देख रहीं थी।

आपने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी नीति तैयार करने और उसे घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप महिला उद्यमियों की समर्थक रही हैं और इस प्रयोजन के लिए आप कई संगठनों और संस्थाओं के साथ कार्य कर रही हैं। आप आईआईटी–रुड़की से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) –1991 के बैच में कार्यभार ग्रहण किया था।

परिवीक्षा और विभागीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपने आयुध फैक्ट्री बोर्ड, कोलकता में कार्यभार ग्रहण किया और आयुध फैक्ट्री डमडम और कोसिपोर में कार्य किया। आप 5वें वेतन आयोग की टीम की सदस्य थी, ताकि उसे नौसेना के लिए लागू किया जा सके। आपने नौसेना डाकयार्ड में वित्त सलाहकार के रूप में कार्य किया। आपने सेना के पूर्वी कमान में भी कार्य किया और हाल ही में आप पश्चिम हवाई कमान और आर और आर (सेना) अस्पताल में स्वीकृत वित्त सलाहकार भी, आपको रक्षा खरीद नीति और वेतन संबंधी मामलों की बहुत अच्छा अनुभव है तथा आपने सक्षस्त्र सेना बलों के सभी विंगों में कार्य किया है।

वर्ष 2006 से 2009 तक आपने निदेशक (वित्त), एनटीआरओ में नियुक्त किया गया था। यह संगठन कारगिल युद्ध के बाद एनएसए के कार्यालय के अधीन त्वरित खरीद करने के लिए गठित किया गया था। आपने वर्ष 2009 से 2014 तक अपर आयुक्त हस्तशिल्प के रूप में कार्य किया और बाद में प्रबंध निदेशक के रूप में आपने कॉटेज इम्पोरियम, वस्त्र मंत्रालय में सेवा की है। आपने कॉटेज इम्पोरियम को लाभ अर्जित करने वाले संगठन के रूप में बदल दिया। अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में शिल्पकारों और बुनकरों को जोड़ने का कार्य किया।

सुश्री अरोड़ा आईटीपीओ के निदेशक मंडल मे भी सदस्य हैं और एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) की पदेन अध्यक्ष हैं।

**सुश्री मर्सी इपाओ, सरकारी नामिती निदेशक,** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, में संयुक्त सचिव हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने पिछले 25 वर्ष से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्य करते हुए आपने कृषि और विविध क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र की वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, प्रचार व प्रसार स्कीम संबंधी कार्य किया, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की तुलनात्मक शक्तियों को विशिष्टता प्राप्त हुई। इसके अलावा आपने एनईएचएचडीसी और एनईडीएफआई जो संबद्ध संगठन हैं, से संबंधित कार्य किया है। आपने व्यय विभाग में सेवारत रहते हुए वेतन आयोग, एआईएस के सवर्ग की समीक्षा और अन्य समन्वय कार्य विषयों से संबंधित कार्य किया है, शहरी कार्य मंत्रालय में रहते हुए आपने महानिदेशक संपदा और प्रशासन सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय के मामलों से संबंधित कार्य भी किया है। सुश्री इपाओं दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं और आपने महिलाओं/अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति / सीमांत उद्यमियों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है। वर्तमान में संयुक्त सचिव के रूप में आप अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मीडिया, अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति हबस्कीम से संबंधित कार्य कर रही हैं। यह स्कीम अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों वर्तमान और भावी को सहायता देने, कौशल और आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी प्रशिक्षण संस्थानों, महिला प्रकोष्ठ और समन्वय अनुभाग की सहायता देने को समर्पित है। आप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आने वाले संगठन एनएसआईसी और एनआईएमएसएमई का कार्य भी देख रही हैं।

सुश्री मर्सी इपाओ को दिनांक 22 सितंबर, 2021 से एनएसआईसी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

**श्री राजीब कुमार सेन, सरकारी नामिती निदेशक,** भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी (वर्ष 1993 बैच) के पास वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार का प्रभार है। उनके पास कलकत्ता से विज्ञान की मास्टर डिग्री है।

उन्होंने भारत सरकार और गोआ सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने लोक वित्त, बजट, रक्षा और उद्योगों से संबंधित विषयों पर कार्य किया है। डीआईपीएएम, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश संबंधी कार्रवाई करता है, में कार्यरत रहते हुए, उन्हें पूंजी जुटाने संबंधी सलाह देने और उसका प्रबंधन करने तथा इन कंपनियों की प्रतिभूतियों के क्रय, विक्रय और लेन–देन के कारोबार का अनुभव है।

श्री राजीब कुमार सेन को 22 मई, 2020 से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आप एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के निदेशक भी हैं।

**श्री पी उदयकुमार, निदेशक (योजना एवं विपणन)** भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर से स्नातकोत्तर हैं और आप बी.ई. (मेकेनिकल) में एक डिग्रीधारक हैं। आपके पास एमएसएमई सेक्टर, पेट्रोलियम और उर्वरक सेक्टरों से संबंधित नीति बनाने और विपणन के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है और 2010 से निदेशक मंडल में एक सदस्य हैं।

आप पेट्रोरसायन उत्पादों के वितरण के लिए प्रतिरक्षा खरीद, मशीनों की बिक्री, बीमा, अपशिष्ट से ऊर्जा सॉफ्टवेयर की बिक्री और ई–वाणिज्य में भावी वर्टीकलों के लिए कंटूर्स विकसित करने के लिए एक अलग व्यवसाय वर्टीकल आरंभ करने में कारक हैं। आपने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पहली बार एनएसआईसी लॉयल्टी कार्ड का शुभारंभ करने और स्टेक होल्डरों की सहमति से नया कार्पोरेट लोगों तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। आप एसपीवी अर्थात एसआरआई फंड के लिए एनएसआईसी में एनवीसीएफएल के सृजन में भी सम्मिलित थे।

आपने डॉ. प्रभात कुमार, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एमएसएमई सेक्टर का पुनरुद्धार करने के लिए बनाई गई एक सदस्यीय समिति को इनपुट प्रदान करने में योगदान किया है। आपने विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व भी किया है और गोंगझू, चीन में अक्तूबर, 2016 में "वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एसएमई भाग का प्रभाव" विषय पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। आप रा.ल.उ.नि. के व्यवसाय और प्रशिक्षण क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करने में कारक रहे हैं।

आपको एमएसएमई सैक्टर के विकास के प्रति आपके योगदान की मान्यता स्वरूप **राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार** और एमएसएमई में आईसीटी के इस्तेमाल के लिए सीएमएआई द्वारा **नेतृत्व पुरस्कार** प्रदान किया गया है।

**श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त)** भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक एसोसिएट सदस्य हैं और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी हैं। आपके पास वित्त एवं लेखा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कॉरपोरेट प्लानिंग, सतर्कता और सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के वाणिज्यिक विभाग के क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपने वर्ष 2000 में क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में प्रबंधक के रूप में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में कार्यभार ग्रहण किया था और तब से फील्ड कार्यालयों और कॉरपोरेट कार्यालय में भिन्न–भिन्न पदों पर कार्य किया। आपने वित्त एवं लेखा, कॉरपोरेट प्लानिंग, आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रशासन प्रभाग प्रमुख के रूप में कार्य किया। आप नई स्कीमों के लिए नीति निर्धारण/दिशानिर्देश तैयार करने तथा मौजूदा स्कीमों को सशक्त बनाने में भी शामिल रहे हैं। आपने निगम की निधि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से निधियां/संसाधन जुटाने से संबंधित कार्य भी किया है।

श्री दीक्षित 10 जुलाई, 2019 से निगम के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किए गए।

आपने विशेष प्रयोजन वाहन एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) का गठन करने मे सक्रिय भूमिका निभाई थी, ताकि आत्मनिर्भर भारत फंड (सूक्ष्म, लघु एवं मध्मय उद्यम के लिए भारत सरकार की फंड स्कीम की फंड) का कार्यान्वयन किया जा सके। आप एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के निदेशक भी हैं।

# बोर्ड की रिपोर्ट

**प्रिय शेयरधारीगण,**

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2020–2021 के कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ–साथ लेखापरिक्षित अकेले और समेकित कंपनी की बोर्ड की 66 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

## 1) वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2020–2021 में कंपनी का प्रचालन राजस्व 2,101.29 करोड़ रूपये था, जबकि वित्त वर्ष 2019–2020 में 1,904.11 करोड़ रूपये था।

कंपनी ने वर्ष 2020–21 में कर पूर्व लाभ 139.65 करोड़ रूपये कमाया है, जब कि पिछले वर्ष 132.33 करोड़ रूपये कमाया था। वर्ष 2020–21 के दौरान कर पश्चात लाभ 101.59 करोड़ है, जब कि पिछले वर्ष 99.19 करोड़ रूपये था।

वर्ष 2020–21 में एनएसआईसी का 'स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण' के आधार पर वित्तीय कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के सहित नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

| 31 मार्च तक | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| प्रचालनों से राजस्व | 2,101.29 | 1,904.11 |
| सकल आय | 428.69 | 469.20 |
| कर–पूर्व लाभ | 139.65 | 132.33 |
| निवल मूल्य | 928.34 | 876.26* |
| उधार | 1,432.20 | 1,618.42 |
| प्रति शेयर आय (रुपयों में) | 19.06 | 18.61 |
| लाभांश | 31.78 | 34.09 |

* जिसमें आरक्षित और सांविधिक आरक्षित की कमी शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के कार्मिक, 08 अक्टूबर, 2021 को कोविड–19 में समुचित व्यवहार अभियान के अवसर पर कोविड–19 संबंधी शपथ लेते हुए। यह शपथ सतर्क रहने की प्रतिबद्धता दर्शाती है और अभियान के प्रमुख संदेश का पालन करें–मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें।

## 2) कंपनी पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव

i) कोविड–19 महामारी ने भारत, सहित पूरे निगम के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अभूतपूर्व चुनौती पैदा की है। कंपनी का विश्वास है कि वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम तत्परता से चलाए जाने के कारण करोबार और वाणिज्यिक क्रियाकला पुनः शुरू किए जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी के ढांचे और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी ने कार्यदल को कारोबार की सतता सुनिश्चित करते हुए रिमोट प्रौद्योगिकी के माध्यम को कार्य करने के लिए सक्षम बनाया।

ii) कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिर्शा–निर्देशों के अनुसार एनएसआईसी ने पांच उधारकर्ताओं को 1 मार्च 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच देय किश्तों को भुगतान करने से छूट देने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा परिसंपत्ति का वर्गीकरण और कोविड–19 विनियामक पैकेज की समाप्ति के बाद आय की गणना संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार सभी उधारकर्ताओं से किया जाने वाला 'ब्याज पर ब्याज' को भी वापस/समायोजित कर दिया है, इनमें वे उधारकर्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने ऋण–स्थगन अवधि के दौरान क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाया था, भले ही उन्होंने ऋण स्थान का पूर्ण अथवा आंशिक लाभ उठाया था या नहीं उठाया था। 'ब्याज पर ब्याज' के संबंध में 1368 एमएसएमई की कुल 116.68 लाख रूपये की रकम वापस/समायोजित की गई थी।

iii) भारत सरकार ने उधारकर्ताओं के विनिर्दिष्ट ऋण लेखों पर छः माह (1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020) के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुग्रही भुगतान किए जाने की योजना के अधीन 153 एमएसएमई को कुल 2.83 लाख ब्याज रूपये का लाभ दिया गया था।

iv) कोविड–19 महामारी और अन्य विभिन्न कारकों के कारण एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बावजूद, वर्ष 2020–21 में कंपनी का कुल कारोबार 14,976 करोड़ रूपये का था।

v) कंपनी का विश्वास है कि इस प्रकोप का कंपनी के कारोबार के प्रचालनों को जारी रखने वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और चालू कार्यों को जारी रखने की उसकी क्षमता पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपनी पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ–साथ कोविड–19 की अवधि से संबंधित आगे की घटनाओं और एनबीएफसी पर इसके प्रभाव के संबंध में भारत सरकार और विनियामक निकायों द्वारा आगे की जाने वाली कार्रवाई पर निर्भर करता रहेगा।

एनएसआईसी, कोविड–19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में एमएसएमई को सुविधा प्रदान करते हुए।

## 3) लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 31.78 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। बशर्ते कि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाए।

## 4) प्रचालन संबंधी कार्य–निष्पादन

### (क) कच्चे माल का विवरण

एमएसएमई द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतियोगी कीमत पर और मात्रा में कच्चा माल खरीदने में उनकी सहायता के लिए एनएसआईसी ने औद्योगिक कच्चा माल के थोक विनिर्माताओं के साथ करार निष्पादित करता है। यह उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चा माल वितरण केन्द्र मिलने पर भी सुविधा प्रदान करता है, ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आसानी से कच्चा माल ले सकें। अपनी माल सूची की लागत कम कर सकें और अपने निर्माण कार्य के समीप उनकी व्यवस्था कर सके।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने मैसर्स नेशनल एल्मूनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) से लौह और इस्पात और ऐलुमिनियम मैसर्स चेन्नै पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (सीपीसीएल) से पैराफिन, मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयले, मैसर्स इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड (आईओसीएल) से पॉलिमर उत्पाद अर्थात् पी.पी., एचडीपीई, और एलएलडीपीई, के माध्यम से एमएसएमई की कच्चे माल की आवश्यकता पूरी की है।

31 मार्च, 2021 को, वर्ष 2020–21 में किए गए बिक्री–खरीद के अधीन आरएमडी की मात्रा 2,33,199 एमटी टन है और आरएमडी का मूल्य 1543.17 करोड़ रूपये हैं, जबकि पिछले वर्ष, अर्थात 31 मार्च, 2020 को आरएमडी की मात्रा 2,43,422 एमटी टन थी और आरएमडी का मूल्य 1235.49 करोड़ था।

- **एनएसआईसी ने डन एण्ड ब्राडस्ट्रीट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए**

  एनएसआईसी ने 04 नवम्बर, 2020 को एन एण्ड ब्राडस्ट्रीट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन से एमएसएमई को भारत में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने, निर्यात के अवसरों के माध्यम से वैश्विक तक अपनी पहुंच बढ़ाने, डी और बी के नेटवर्क के माध्यम से संभावित ग्राहकों का पता लगाने, नये आपूर्तिकर्ताओं और चैनल भागीदारों का पता लगाने, जोखिम पर नियंत्रण रखने और विकास के अवसरों की पहचान करने में सुविधा रहेगी।

  **एनएसआईसी, स्लेम इस्पात संयत्र के साथ नये कारोबार अवसरों का पता लग रहा है।**

  एनएसआईसी और स्लेम स्टील प्लांट अथोर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएसपी–सेल) के बीच 21 सितंबर, 2020 को, पैन इंडिया आधार पर एनएसआईसी के माध्यम से एमएसएमई के लिए ''सेल इस्पात संयंत्र से सभी स्टेनलेस स्टील'' के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

**ख) एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस)**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सरकारी खरीददारियों में भाग लेने के लिए एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां, दिनांक 23.03.2012 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा यथा अधिसूचित और दिनांक 09 नवंबर, 2018 के आदेश संख्या एसओ 5670(ई) के अंतर्गत संशोधित, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए लोक खरीद नीति आदेश, 2012 के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं:

(i) निविदा सेटों का निःशुल्क जारी किया जाना;

(ii) बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट;

(iii) निविदा में भाग लेने में एल1+ 15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के अंदर मूल्य उद्धृत करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को, एल 1 मूल्य तक उनके मूल्य कम करके, जहां एल1, गैर–सूक्ष्म एवं लघु उद्यम है, आवश्यकता के 25 प्रतिशत तक के भाग की आपूर्ति करने की भी अनुमति दी जाएगी;

वर्ष 2020–21 में एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) से अर्जित राजस्व 13.67 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष 14.40 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020–21 के दौरान 2,677 नई इकाईयां जोड़ी गई हैं और 6,353 यूनिटों का नवीकरण किया गया है।

<u>कोविड–19 महामारी के कारण एमएसएमई के हित के लिए एसपीआरएस के अधीन लिए गए क्रियाकलाप और उठाए गए कदमः</u>

1. कोविड–19 महामारी के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एसपीआरएस के अधीन पंजीकरण पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है।
2. सूची में शामिल निरीक्षण एजेंसियों द्वारा आवेदक एमएसएमई का वर्चुअल निरीक्षण किया गया है।
3. ऐसी एमएसई यूनिटों को, बिना किसी विलंब शुल्क के अपने पंजीकरण का नवीकरण की अनुमति दी गई थी, जो महामारी के कारण मार्च, 2020 से जून, 2020 तक एकल बिन्दू पंजीकरण योजना के अधीन पंजीकरण के लिए ओवदन पत्र नहीं दे पाए थे।

**ग) कंसोर्टियम और निविदा विपणन**

एनएसआईसी ने समान/एक ही प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण करने वाली छोटी यूनिटों (एमएसई) के कंसोर्टियम का गठन किया है, जिससे वे उच्चतर आदेशों के लिए बोली लगाने की उनकी क्षमता का पूल बनाया जा सके और सरकारी बड़े आदेशों का निष्पादन करने में एमएसई द्वारा सामना की जा रही समस्या से निपटा जा सके, जिससे वे बड़े उद्योगों की तुलना में लेवल–प्लेइंग फील्ड से वंचित हो जाते हैं। एनएसआईसी एमएसई के कंसोर्टियम की ओर से निविदाओं के लिए आवेदन पत्र देता है और बड़ी मात्रा में आदेश प्राप्त करता है। इन आदेशाों को बाद में एमएसएमई की उत्पादन क्षमता के आधार पर एमएसई में वितरित किया जाता है।

सरकारी खरीद नीति के वर्ष 2015–16 से अनिवार्य है, में पीएसयू/है कि कम से कम 20 प्रतिशत खरीद एमएसएमई की जाए। सरकार द्वारा यह नीति लागू किए जाने से जो सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए वरदान है, उनसे ऐसी क्षमता बनाने की अपेक्षा की गई है, जिससे उन्हें सरकारी विभाग/पीएसयू के विक्रेता के रूप में स्वीकार किया जा सके। एनएसआईसी द्वारा एमएसई के कंसोर्टियमों का गठन करना विक्रेताओं के क्षमता निर्माण में एक बड़ा कदम है। एनएसआईसी, एमएसई की ओर से निविदाओं में भाग लेता है और एमएसएमई में निविदा संबंधी सूचना का प्रसार करने में सुविधा प्रदान करता है और आदेशों की खरीद में भी सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 580 निविदाओं में भाग लिया है जिनका मूल्य 304.74 करोड़ रुपए था और 141.14 करोड़ रुपये की रकम की निविदाओं का कार्य–निष्पादन किया है।

**घ) एमएसएमई को क्रेडिट सहायता**

- **कच्चे माल की खरीद के लिए क्रेडिट सहायता:**

  क्रेडिट पर कच्चे माल की खरीद करने में एमएसएमई को सहायता देने के लिए एनएसआईसी, एमएसमएई को अत्यधिक प्रतियोगी दरों पर अल्पकालिक क्रेडिट सहायता का लाभ उठाने का विकल्प उपलब्ध करता है। बैंक गारंटी की प्रतिभूति पर वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस व्यवस्था में आवेदक एमएसएमई कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान किया जाता है।

  वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एनएसआईसी ने आरएमए के अधीन 2700 से अधिक एमएसएमई को 4300 करोड़ रूपये की क्रेडिट सहायता दी थी।

- **बैंक ऋण के माध्यम से क्रेडिट की सुविधा**

  विभिन्न बैकों के माध्यम से एमएसएमई की क्रेडिट संबंधी आवश्यकता को पूरी करने की सुविधा देने के लिए एनएसआईसी ने बैकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ टाइ–अप व्यवस्थाएं की हैं। एनएसआईसी, विभिन्न बैकों से एमएसएमई को यह सुविधा प्रदान करने के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लेता है। एनएसआईसी ने ऑनलाइन फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर भी शुरू किया है, जिससे एनएसआईसी के पोर्टल और बैंक के पोर्टल के बीच वेब लिंकेज के माध्यम से एमएसएमई को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी।

  वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक टाई–अप के माध्यम से एमएसएमई को 236 करोड़ रूपये का ऋण मंजूर किया गया था।

एनएसआईसी ने कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई को कोविड संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता करते हुए।

### ङ) रा.ल.उ.नि. तकनीकी सेवा केन्द्र (एनटीएससी)

रा.ल.उ.नि., ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद (तेलगांना), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), राजकोट (गुजरात), चैन्नई (तलिनाडु), राजपुरा (पंजाब) और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) तथा नीमका (हरियाणा) में स्थित अपने आठ ''रा.ल.उ.नि. तकनीकी सेवा केन्द्रों (एनटीएससी)'' के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रौद्योगिकी संबंधी निम्नलिखित सहायता सेवाएं उपलब्ध करता है:

**I. प्रौद्योगिकी प्रभाग के अधीन बड़े क्रियाकलापः**

रा.ल.उ.नि. अपने तकनीकी सेवा केन्द्रों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करता है:

i. निम्नलिखित क्षेत्रों में डिमांड ड्राइवन – इंडस्ट्रीज सेंट्रिक प्रशिक्षणः

- ➢ उच्च–कौशल
- ➢ पारंपरिक ट्रेड

ii. एनएबीएल प्रस्तावित और बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से उच्च तकनीकी मशीनों और प्रशिक्षण सुविधा तकनीकी परामर्शी और पारंपारिक आधार पर जॉब कार्य के लिए सामान्य सुविधाएं सेवाएं प्रदान की जाती है।

**II. कौशल विकास (क्षमता विकास)**

एनएसआईसी का तकनीकी सेवा केंद्र वर्तमान में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषयों में कार्योन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दे रहा है। इन केंद्रों में उन्नत टूल रूम, सीएनसी मिलिंग एवं टर्निंग मशीन, ईडीएम, रोबोटिक्स लैब, सौर ऊर्जा अनुप्रयोग लैब, एससीएडीए और प्रक्रिया नियंत्रण लैब और एसएपी, मल्टीमीडिया, मैकेनिकल और विद्युत डिजाइन सॉफ्टवेयर, एआर/वीआर आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सॉफ्टवेयर लैब जैसी पारंपरिक और उन्नत, उच्च तकनीकी मशीन और उपस्कर हैं।

इन केंद्रों में चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

**(क) डिजाइनः** कैड/कैम, कम्प्यूटर ऐडड इंजीनियरिंग (सीएई), सीएनसी प्रोग्रामिंग और प्रचालन, कंप्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स (सीएफडी), मोल्ड डिजाइन, सॉलिड वर्क्स, 3डी प्रिंटिंग, इंटीरियर डिजाइन और एसटीएडी प्रो और रिवाइट के जरिए प्रशिक्षण।

**(ख) अभियांत्रिकी** : टूल डिजाइन और उन्नत विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण, एचवीएसी डिजाइन, मशीनिस्ट एवं वेल्डिंग आदि।

**(ग) इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स** : इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, पीएलसी–एससीएडीए के साथ आटोमेशन, एम्बेडेड सिस्टम, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रीकल सर्किट और सब–स्टेशन अनुरक्षण, मोटर वाइडिंग और मरम्मत, मेकाट्रोनिक्स आदि।

**(घ) सूचना प्रौद्योगिकी** : उन्नत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, 'ओ' लेवल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंगुएजज, वेबसाइट डिजाइनिंग एवं तैयार करना, बिग डाटा एवं हडूप, पायथन, एसक्यूएल सर्वर, कोर जावा, एमसीपी–सीसीएनए, एंड्रायड अनुप्रयोग, उन्नत जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सी++ और ओओपीएस, कंप्यूटरीकृत लेखांकन एवं टेली ईआरपी आदि।

**(ङ) एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत पोलीटेकनिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एनसीवीटी पाठ्यक्रमः** एनटीएसई नीमका में पांच विभिन्न विषयों में एआईसीटीई अनुमोदित डिप्लोमा इंजीनियरी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ–साथ एनटीएसई ओखला, राजपुरा और हाबड़ा में एनसीवीटी से संबद्ध आईटीआई स्तर के पाठ्यक्रम संचारित किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों के लिए व्यावसायिक और शैक्षिक पाठ्यक्रम उपलब्ध किए जा सकें।

**च) आजिविका कारोबार इंक्यूबेशनः** इस पहल के माध्यम से एनएसआईसी बेकरी, सोया दूध उत्पादन, जुराबों की बुनाई, बुक बाइडिंग, पेपर कप पैकिंग, कलर प्रिंट आदि जैसी कार्य

श्री नारायण तातू राणे, केबिनेट मंत्री, एमएसएमई और श्री भानू प्रताप सिंह, राज्यमंत्री एमएसएमई, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ओखला का दौरा किया। उन्हें केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया।

परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर युवाओं को जिनमें बेरोजगार भी शामिल हैं। उद्यमशीलता कौशल सिखाने के उद्देश्य से उन्हें कार्यरत रखता है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न तकनीकी केन्द्रों के माध्यम से कुल 33,527 प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

**III. एनएसआईसी तकनीकी सेवाओं का आधुनिकरण और उच्चीकरणः** वर्ष 2020–21 के दौरान राजपुरा, चैन्नई और ओखला में स्थित तकनीकी सेवा केन्द्रों का सफलतापर्वूक उच्चीकरण किया गया था।

**IV. प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट सहायता**

एनएसआईसी जॉब मेला आयोजित करके प्रशिक्षार्थियों का चयन करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित कर अपने प्रशिक्षार्थियों के प्लसमेंट में सहायता करता है। एनएसआईसी प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए कोई जॉब मेलों का आयोजन करता है, जिनमें अब तक 300 से अधिक कंपनियां भाग ले चुकी है। प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट देने के लिए एनएसआईसी के तकनीकी सेवा केन्द्र (केन्द्रों) के साथ फार्म करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां, हेवल्स, केल्मन्स इंजनियरिंग, मुजाल शोवा, डैकिन, एलएनएम आटो इंडस्ट्रीज, एक्यूरेट इंजीनियरिंग हुमिडीन प्रिजन टेक, ट्रेकर टैक्नोलॉजी, मगना रिको पावरट्रेन, स्टारवायर, कोनेट इन्फ्रीटेक, मैटीरियल मोवल, न्यू एल्लेनवरी वर्कस आदि हैं।

**V. प्रशिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं और सीपीएसई के साथ संबंध**

शैक्षिक संस्थाओं के साथ एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्रों का संपर्क बढ़ाना ताकि एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्रों की प्रौद्योगिकों के संबंध में विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके। अमेटी विश्वविद्यालय, थापर विश्वविद्यालय वेल्टेक विश्वविद्यालय, वायएमसीए साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जीएलए विश्वविद्यालय, एनटीपीसी, एनएचएआई आदि जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कोविड–19 महामारी फैलने पर सभी एनटीएससी

ने, समय–समय पर प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल और दिशा–निर्देशों का उचित अनुपालन करके पूरी सावधानियां बरती हैं। केन्द्रों ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन/वर्चुअल प्रशिक्षण देकर लॉकडाउन के दौरान कारोबार सततता योजना के प्रयास भी किए हैं।

- **सामान्य सुविधा सेवाएं:**

  तकनीकी केंद्र, केंद्र में स्थित एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं के जरिए परीक्षण सेवाएं प्रदान करते हैं। उद्योगों को लौह और अलौह सामग्रियों, पाइपों, इस्पात तारों, निर्माण सामग्रियों, लकड़ी एवं मृदा और बिटुमन परीक्षण, डीजल इंजन परीक्षण, पंप परीक्षण, प्लास्टिक परीक्षण, सामग्री परीक्षण, इलेक्ट्रीकल कंडक्टर, वायर और केबल्स, इंसुलेटर्स, विद्युतीय उपकरण परीक्षण, अंशशोधन प्रयोगशाला आदि जैसी उत्पादों के परीक्षण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

  कोविड–19 महामारी फैलने से एमएसएमई द्वारा विनिर्मित किए जाने वाली पीपीई किट्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनएसआईसी ने एनटीएससी–राजपुरा और ओखला (नई दिल्ली) में पीपीई किट परीक्षण सुविधा सृजित की थी।

एनएसआईसी ने मोजाम्बिक में भारत–अफ्रीका व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कारोबार इंक्युबेशन केन्द्र (वीटीसी/आईसी) की स्थापना की है। महामहिम मिस्टर एंडसन मकुआकुआ, सेकेट्री ऑफ स्टेट फॉर दि मानिक प्रावेन्स ऑफ मोजाम्बिक ने दिनांक 23 अप्रैल, 2020 को इसका उदघाटन करते हुए। इस अवसर पर मि. क्लेयर ज़िम्बा, डायरेक्टर जनरल, इंस्टीट्यूट फॉर प्रोमोशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज भी उपस्थित थे।

  सामान्य सुविधा सेवाओं के अधीन वर्ष के दौरान 8906 यूनिटों को यह सुविधा प्रदान की गई है।

- **इंक्यूबेशन केंद्र:**

  पूरे भारत में इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करके 'लघु उद्यम विकास के लिए इंक्यूबेशन कार्यक्रम' की अवधारणा को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने "अभिनव परिवर्तन, उद्यमिता एवं कृषि उद्योग संवर्धन योजना (एस्पायर)" नामक एक योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने, देवरिया (उत्तर प्रदेश), राजकोट (गुजरात), काशीपुर (उत्तराखंड), नैनी (उत्तर प्रदेश), नवादा (बिहार), चेन्नई (तमिलनाडु) और नीमका (हरियाणा) में 6 आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर स्थापित किए।

  इस पहल के माध्यम से एनएसआईसी बेकरी, सोया दूध उत्पादन, जुराबों की बुनाई, बुक बाइडिंग, पेपर कप पैकिंग, कलर प्रिंट आदि जैसी कार्य परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर युवाओं को जिनमें बेरोजगार भी शामिल हैं। उद्यमशीलता कौशल सिखाने के उद्देश्य से उन्हें कार्यरत रखता है।

- **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना**

  1. **एनटीएससी (अलीगढ़) ने जीएलए विश्वविद्यालय (मथुरा) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।**

     एनटीएससी, अलीगढ़ और जीएलए विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षुता के माध्यम

से विद्यार्थियों को कौशल सिखाने के लिए साथ–साथ कार्य करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जीएलए पॉलिटेकनिक, मथुरा के 25 विद्यार्थियों के एक बैच को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये विद्यार्थी अक्तूबर, 2020 में एनटीएससी, अलीगढ़ में संस्थापित सीएनसी लेब अधीन पर जांच कार्य करने लायक हो जाते हैं।

2. **एनटीएससी (अलीगढ़) ने शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।**

एनएसआईसी ने 31 दिसंबर, 2020 को आनंद इंजनियरिंग कॉलेज, आगरा शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि व्याहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के कौशल का उच्चीकरण किया जा सके, इस समझौता ज्ञापन से एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, अलीगढ़ एलबीआई नैनी (प्रयागराज) और एलबीआई, देवरिया से एसजीआई द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रक्षेत्र का विस्तार किया गया है।

**च) एमएसएमई वैश्विक आर्ट**

कंपनी अपने बी2बी पोर्टल http://www.msmemart.com के माध्यम से सूचना संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जो सहायता का एक स्थल, एक पहल बकेट है जो कारोबार, प्रौद्योगिकी और वित्त संबंधी सूचना प्रदान करता है और संपेक्षण और संवृद्धि के लिए भारतीय एसएमई की डिजिटल उपस्थिति को सक्षम बनाकर उनकी मूल क्षमता का प्रदर्शन भी करता है। इस पोर्टल के भारत के 1,78,000 से अधिक सदस्य हैं और इसमें 77,000 से अधिक उत्पाद हैं। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताओं और सेवाओं में असीमित निविदा सूचना, ट्रेड लीड्स, सदस्यों के होमपेज, विशिष्ट उत्पाद सूची दरों की मांग आदि भी शामिल है। ये सेवाएं एमएसएमई वैश्विक मार्ट एप के माध्यम से भी ली जी सकती है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। एमएसएमई वैश्विक मार्ट की सेवाएं उमंग मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है, जो नेजीडी मैटी की एक डिजीटल पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाएं ऑनलाइन आम जनता को उपलब्ध करना है। एमएसएमई वैश्विक मार्ट, एमएसएमई क्षेत्र की भारत में पहली सेवा है। जिसे यूएमए एनजी प्लेटफार्म पर डाला जाएगा। इस प्रकार उमंग पर हमारे ऐप को सूचीबद्ध करके, हमारा उददेश्य एमजीएम पोर्ट की जागरूकता बढ़ाना है और पोर्टल की आनलाइन विपणन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक एमएसएमई की सहायता करना है।

कोविड–19 महामारी के दौरान पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन और पेपरलेस कर दिया गया था। एनएसआईसी बी2बी पोर्टल एमएसएमई वैश्विक मार्ट

एनएसआईसी ने एमएसएमई की सुविधा के लिए और एम–कॉमर्स को लोकप्रिय बनाने के लिए 12 नवम्बर, 2020 को एमएसएमई के ग्लोबल मार्ट के मोबाइल अनुप्रयोग की शुरूआत की थी।

की सदस्यता शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट का विशेष प्रस्ताव अभिमान शुरू किया गया था, ताकि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा सके और अधिक से अधिक एमएसएमई को ऑनलाइन विपणन सहायता प्रदान की जा सके, इसके अलावा नवीकरण छूट अवधि भी 30 से 90 दिन तक बढ़ाई गई थी, ताकि इस अवधि के दौरान निःशुल्क और समाप्त यूनिटों को उच्चीकरण किया जा सके और उनकी सदस्यता को नवीकरण किया जा सके।

वर्ष 2020–21 अवधि के दौरान बी2बी पोर्टल के अधीन 4,6043 यूनिटों का पंजीकरण किया गया था, जब कि वित्त वर्ष 2019–20 में 25,156 यूनिटों का पंजीकरण किया गया था, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 8.81 करोड़ रूपये का कुल राजस्व अर्जित किया गया था।

- **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना**

  i) एनएसआईसी ने ट्राइफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि आदिवासी शिल्पकारों उद्यमियों को ऑनलाइन प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान करके उन्हें अति आवश्यक विपणन सहायता दी जा सके, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक उनकी व्यापक पहुंच हो सके और वे उसे देख सकें। महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री विजयेन्द्र, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी और श्री प्रवीर कृष्णा, आईएएस, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर वर्चुअली हस्ताक्षर किए गए थे।

  ii) कोविड–19 महामारी की अवधि के दौरान, उनकी कारोबार की आवश्यकताएं और उन्हें पूरा करने के अलावा एनएसआईसी ने आपोलो, मैक्स, फोर्टीज और मैट्रो नामक चार प्रमुख हॉस्पिटल समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि एमएसएमई वैश्विक मार्ट में पंजीकृत सदस्यों और उनके आश्रितों को, जांच, अंतरंग–रोगी सेवाओं, निवारक स्वास्थ्य जांच आदि पर आकर्षक छूट दी जा सके।

  iii) **एनएसआईसी ने एमएसएमई एकीकरण सेवा शुरू की है।**

  एनएसआईसी ने आईसीटी सक्षम डिजिटल सेवाओं में एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए एमएसएमई एकीकरण सेवाएं शुरू की है। इस संबंध में एनएसआईसी ने 30 जून 2020 को मैसर्स एडड्क्वायर इनफो प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, ताकि एमएसएमई को उचित कीमत पर आईसीटी के अंगीकरण के रूप में सुविधा प्रदान की जा सके।

## 5) सरकारी स्कीमों का कार्यान्वयन

निगम भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है।

### (क) प्रापण और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस)

विपणन, जो व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास और बने रहने के लिए महत्त्वपूर्ण है। सूचना के अभाव, संसाधनों की कमी और विक्रय/विपणन के अव्यवस्थित तरीकों के कारण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर अक्सर, नये बाज़ारों का पता लगाने और मौजूदा बाज़ारों को बनाए रखने की समस्या का सामना करते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर में उत्पादों और सेवाओं की विपणनीयता में वृद्धि करने के लिए प्रापण और विपणन समर्थन स्कीम आरंभ की गई थी।

इस स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एक्सपो आदि आयोजित करने/उनमें भाग लेने जैसी नई बाज़ार पहुंच पहलों को बढ़ावा देना।

2) विपणन में पैकेजिंग के महत्व/पद्धतियों/प्रक्रिया, अद्यतन पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात–निर्यात नीति और प्रापण, जीईएम पोर्टल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कनक्लेव, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में अद्यतन प्रगतियों और बाज़ार पहुंच प्रगतियों के लिए सुसंगत अन्य विषयों के बारे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें जानकारी देना।

3) व्यापार मेलों, बार कोड, डिजिटल विज्ञापन, ई–विपणन, जीएसटी, जीईएम पोर्टल, लोक प्रापण

नीति और अन्य संबंधित विषयों आदि के बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करना।

उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर पंजीकृत विनिर्माण/सेवा क्षेत्र की एमएसई, स्कीम के अधीन आवेदन पत्र देने के पात्र हैं।

**ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच)**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) की स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसाहिक सहायता देने के लिए की गई है, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सरकारी खरीद नीति आदेश, 2012 के अधीन इन दायित्वों को निभाया जा सके, लागू कारोबार परिपाटियों को अपनाया जा सके और स्टैंड–अप इंडिया के कदमों को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे सरकारी खरीद में अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इस हब को माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में शुरू किया था। एनएसएसएच स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा किया जा रहा है जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियत्रंण के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके एमएसएमई मंत्रालय ने एनएसएसएच स्कीम के अधीन कई प्रयास किए हैं।

कोविड–19 महामारी के कारण सामाना की जा रही चुनौतियों के बावजूद भी वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एनएसएसएच द्वारा किए गए क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- एमएसएमई मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार एनएसएसएच की स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) के अधीन 537 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एमएसई को 51.33 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी।
- पूरे भारत में विभिन्न स्वायत संस्थाओं के माध्यम से 5235 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया गया था।
- सरकारी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब के कार्यालयों (एनएसएसएच) द्वारा कुल 65 ई–टेंडरिंग प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1365 उम्मीदवारों ने भाग लिया है।
- कुल 91 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपीएस) आयोजित किए गए जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल 2743 उम्मीदवारों ने भाग लिया था।
- लक्ष्य लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए 76 जागरूकता अभियान आयोजित किए गए जिनमें

महामहिम मैडम टौरे फाटौमटा बाल्डे, गुनिया गणतंत्र के राजदूत ने एनएसआईसी लिमिटेड का दौरा किया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 2087 उम्मीदवारों ने भाग लिया था।

- पूरे देश में स्थापित एनएसएसएच के 15 कार्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को मार्गदर्शन संबंधी सहायता प्रदान की गई थी। इन एनएसएसएचओ के माध्यम से 584.52 करोड़ रू. की रकम के सरकारी टेण्डरों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई थी, जिनके आधार पर 135.57 करोड़ रू. की रकम के आदेश दिए गए थे।

इसके अलावा 166.37 करोड़ रू. मूल्य की क्रेडिट सुविधा प्रस्ताव, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत किए गए थे और 26.05 करोड़ रू. की रकम के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे।

- एकल बिन्दू पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) के अधीन 819 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसई को पंजीकरण के लिए सब्सिडी दी गई थी।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 7246 उम्मीदवारों को 'एमएसएमई वैश्विक मार्ट पोर्टल' पर नामांकन शुल्क के संबंध में एनएसएसएच स्कीम के अधीन सब्सिडी दी गई थी।

- परीक्षण शुल्क, पीबीज पर बैंक प्रभारों, बैंक ऋणों पर प्रक्रिया शुल्क, ईपीसी की सदस्यता शुल्क और उच्च 50 एनआईएफएफ दर प्रबंधन संस्थाओं में अल्पकालिक प्रशिक्षण के रूप में कुल 75 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसई को एनएसएसएच स्कीम के अधीन सब्सिडी दी गई थी।

- कोविड–19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सीमित समारोह आयोजित किए गए थे। घरेलू प्रदर्शनियों में सहभागिता के माध्यम से 34 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसएमईज को सुविधा प्रदान की गई थी।

### ग) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मुख्य उद्देश्य, भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच अन्य देशों के साथ तकनीकी या कारोबारी साझेदारी विकसित करने के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। कोविड–19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अधीन अधिकांश क्रियाकलाप वर्चुअली किए गए, लेकिन फिर भी अपने–अपने देशों में एमएसएमई के विकास के लिए एनएसआईसी के साथ सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों ने एनएसआईसी का दौरा किया। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

**i) ईरान का प्रतिनिधित्व मंडल**

ईरान के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने, एमएसएमई के क्षेत्र में विशेष ज्ञान आधारित कंपनियों और स्टार्ट–अप में सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 2 फरवरी, 2021 को एनएसआईसी का दौरा किया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महामहिम डॉ. सिरौस वेंटखाह मोघटम, सेंटर फॉर प्रोग्रेस एण्ड डिवलपमेंट ऑफ इंडिया (सीपीडीआई)–प्रेसिडेंसी ऑफ ईरान ने किया था, इस प्रतिनिधि मंडल ने बेरोजगार लोगों के लिए स्व–रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास और विभिन्न अवसरों के संबंध में एनएसआईसी की सुविधाओं का पता लगाने के लिए एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र और रेपिड इंक्यूबेशन केन्द्र का भी दौरा किया। महामहिम डॉ. सिरौस वेंटखाह मोघटम, ने एनएसआईसी के इंक्यूबेशन केन्द्र के मॉडल की सराहना की और इस क्षेत्र में सहयोग की संभावना व्यक्त की।

**ii) भारत में रिपब्लिक ऑफ गुनिया के महामहिम राजदूत ने एनएसआईसी का दौरा किया।**

भारत में रिपब्लिक ऑफ गुनिया के महामहिम मैडम टॉरे फॉटोमॉटा बाडले, राजदूत ने एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने क लिए 24 मार्च 2021 को एनएसआईसी का दौरा किया। उन्होंने नई दिल्ली में स्थित एनएसआईसी के तकनीकी सेवा केन्द्र और रेपिड इंक्यूबेशन केन्द्र का भी दौरा किया और बेरोजगार लोगों के लिए स्व–रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और विभिन्न अवसरों की जानकारी ली है। उन्होंने एनएसआईसी के इंक्यूबेशन केन्द्र के मॉडल की सराहना की है और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एनएसआईसी के साथ कार्य करने में गहरी रूचि दिखाई है।

**iii) साउथ कोरिया के साथ विशेषज्ञ सूत्र**

एनएसआईसी ने साउथ कोरिया में अपनी सहयोगी एजेंसी अर्थात ओएसएमई के सहयोग से दिसंबर, 2020 में ब्लॉक चेन और बिग डेटा पर मि. यंगबाय मून नामक कोरिया के विशेषज्ञ के दो वर्चुअल व्याख्याओं का आयोजन किया है। सभी एनटीएससी के लगभग 120 प्रशिक्षार्थियों और संबंधित अधिकारियों ने इन सत्रों में भाग लिया।

6) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सेवाएं:

पूर्वोत्तर क्षेत्र के गुवाहाटी में एनएसआईसी का शाखा कार्यालय और इम्फाल (मणिपुर) में उप–कार्यालय है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एनएसआईसी के पूर्वी जोन द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए हैं:

क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसई के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए, एनएसआईसी का शाखा कार्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तकनीकी इंक्यूबेशन सेंटर के अधीन विभिन्न ट्रेडों में कुल 866 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

ख) एनएसआईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वच्छता कार्मिकों के लिए कार्यशाला और कोविड–19 संबंधी रेपिड एन्टीजन परीक्षण पर कोरोना–योद्धाओं के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।

ग) पीओएसआसीओ सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम और मजुली, कामरूप और असम के कामरूप मेट्रों जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की यूनिटों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम।

घ) लोवर और अपर असम, मिज़ोरम, और मणिपुर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की यूनिटों के लिए जेम पंजीकरण प्रशिक्षण।

ड) एनएसआईसी–बी2बी पोर्टल www.msmemart.com पर बड़ी संख्या अर्थात लगभग 1000 एमएसएमई का पंजीकरण किया गया था।

7) एनएसआईसी की पीएसयू में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

एनएसआईसी की पीएसयू (सीएसआर संबंधी कार्यों सामाजिक विकास) में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उसे विश्व सीएसआर कांग्रेस द्वारा किया गया। यह पुरस्कार उसे कोविड–19 महामारी से एकीकृत रूप में लड़ने में सीएसआर के अधीन योगदान देने और महामारी के फैलने के दौरान

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के निदेशक मंडल की पहली बैठक।

सभी संभव तरीकों से एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के कार्य को मान्यता देने के लिए दिया गया है।

## 8) एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी–एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फण्ड लिमिटेड का निगमन

सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई निधि) संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया है। अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार मूल निधि को ऐसी एसपीवी से जोड़ा जाएगा, जिनके पास एनएसआईसी की 100 प्रतिशत इक्विटी है।

तदनुसार एसआरआई फंड के एंकर के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त, 2020 को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विशेष प्रयोजन व्हीकल के रूप में एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड नामक पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लिमिटेड का निगमन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) को, सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमावली, 2012 के अधीन श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे बाद में, वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में, दिनांक 1 सितंबर, 2021 के प्रमाण पत्र के जरिए अनुमोदित कर दिया गया है। भारत सरकार इसका एकमात्र एकंर निवेशक है, जिसने चरणबद्ध तरीके से मदर फंड को 10,000 करोड़ रूपये की बजट सहायता दी है।

इसे डॉटर फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रू. तक बढ़ाया जाएगा, एसआरआई फंड का उद्देश्य विकास पूंजी के रूप में डॉटर फंड के माध्यम से एमएसएमई को फंडिंग सहायता प्रदान करना है। यह विकास पूंजी इक्विटी या अर्ध–इक्विटी के रूप में होगी, ताकि एमएसएमई की इक्विटी/अर्ध–इक्विटी जैसा वित्त व्यवस्था को बढ़ाया जा सके और स्टॉक एक्सचेंज में एमएसएमई का सूचीकरण किया जा सके और एमएसएमई के कारोबार के तेजी से विकास करने में सहायता दी जा सके और इससे अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

## 9) प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण

सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण संबंधी एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 10) निवेश

31 मार्च, 2021 को कंपनी के पास मैसर्स सिंगर इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक 2–2 रुपए के 4,70,230 इक्विटी शेयर थे।

## 11) लोक जमा

इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कोई लोक जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने संगत संकल्प पारित किया है।

## 12) मानव संसाधन प्रबंधन

**(क)** 31 मार्च, 2021 को कंपनी की कुल जन–शक्ति 686 थी, जन–शक्ति का विवरण इस प्रकार है:

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2021 को | 31.03.2020 को |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रबंधकीय | **502** | 518 |
| 2. | पर्यवेक्षीय | **87** | 110 |
| 3. | गैर–पर्यवेक्षीय | **97** | 110 |
| | **जोड़** | **686** | **738** |

राष्ट्रीय उद्योग निगम अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक कल्याण क्रियाकलाप करता है। इन क्रियाकलापों में यूनियन के सदस्य कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, कर्मचारी भविष्य निधि, कल्याण निधि योजना, सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए एनएसआईसी छात्रवृत्ति योजना, सेवारत कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर राष्ट्रीय उद्योग निगम परिवार पेंशन योजना, मृतक कर्मचारी के आश्रितों को उनकी इच्छा अनुसार राष्ट्रीय उद्योग निगम तकनीकी सेवा केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण, कंपनी में सेवा के 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उपहार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा–निवृत्त होने पर उपहार, सेवा में रहते हए और सेवा–निवृत्ति आदि के समय भी अर्जित छुट्टी का नकदीकरण। इसके अलावा, आईडीए कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय उद्योग निगम कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन स्कीम भी मौजूद है।

2020–21 वर्ष के दौरान कंपनी के विभिन्न एनएसआईसी कर्मचारी यूनियनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे गये। इस दौरान कोई गेट मीटिंग और हड़ताल भी नहीं हुई थी, पर चर्चा करने और उनका भिन्नतापूर्ण समाधान करने के लिए समय–समय पर यूनियनों के साथ बैठकें आयोजित की गई। इसके परिणामतः सद्भावपूर्ण संबंध बने रहे।

इस वर्ष के दौरान 116 समूह के अधिकारियों सहित कुल 139 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

**(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व**

कंपनी द्वारा, आरक्षित श्रेणियों जैसेकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पालन किया गया। सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पद आधारित आरक्षण रोस्टर रखा जा रहा है, जिसका निरीक्षण निगम के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के निगम के संपर्क अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से किया जाता है और इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के इंटरनेट पर दर्शाया गया है। समूह ग और घ पदों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को समयमान पदोन्नति (टाइम स्केल प्रमोशन) में पात्रता अवधि में एक वर्ष की ढील दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांग उम्मीदवारों को सीधी भर्ती पर चयन के मामले में सरकार के निर्देशों के अनुसार अंकों में छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को, बाहर के रोज़गार के लिए उचित माध्यम से आवेदन करने के असंख्य अवसर दिए जाते हैं, जबकि अनारक्षित श्रेणी के कर्मचारी, बाहर के रोज़गार के लिए केवल दो बार आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को सीधी भर्ती में, सरकार की आरक्षर नीति के अनुसार आयु में ढील दी जाती है।

31 मार्च, 2021 को कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अल्पसंख्याओं का प्रतिनिधित्व इस प्रकार हैः

| क्र. सं. | विवरण | दिनांक 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति | 109 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति | 14 |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 126 |
| 4. | दिव्यांग | 22 |
| 5. | अल्प संख्यक | 68 |
| | **जोड़** | **339** |

## 13) एनएसआईसी द्वारा ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' मनाया गया।

एनएसआईसी ने 31 अक्तूबर, 2020 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' के रूप में मनाया।

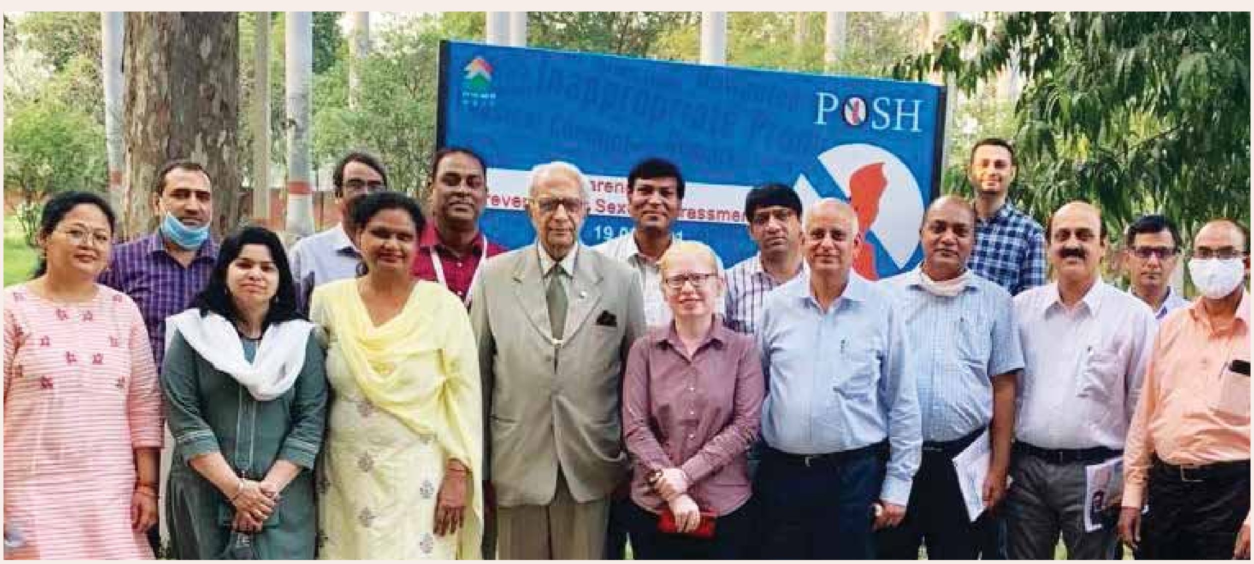


एनएसआईसी ने यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) संबंधी जागरूकता प्रशिक्षण आयोजत किया।

## 14) एनएसआईसी द्वारा ''संविधान दिवस'' मनाया गया।

''संविधान दिवस'' की स्मृति में 26 नवंबर, 2020 को श्री विजयेन्द्र (आईएएस), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी ने, एनएसआईसी के सभी कर्मचारियों के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया, इस अवसर पर एनएसआईसी के निदेशक (योजना एवं विपणन) श्री पी. उदयकुमार और निदेशक (वित्त), श्री गौरांग दीक्षित भी उपस्थित थे। इस दिन को ''संविधान दिवस'' के रूप में मनाया जाता है, ताकि देश के नागरिकों में संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

## 15) यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति

कंपनी में, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। इस नीति के अंतर्गत सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा पर कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारी और प्रशिक्षणार्थी) आते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान इस कंपनी को, यौन उत्पीड़न की एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## 16) कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी ने किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के निमय 5(2) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

## 17) सतर्कता क्रियाकलाप

सतर्कता प्रबंधकीय वर्ग का एक अभिन्न अंग है और प्रशासन की निष्ठा, सत्यता और कुशलता बनाए रखने में सहायक है। सतर्कता विभाग, सभी स्तरों पर अन्य प्रभागों/इकाइयों के साथ सहयोग सें कार्य करता है। इसके अलावा, सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ समन्वय से भी कार्य करता है। सतर्कता, चौकरी और सावधानी को दर्शाता है, जो किसी संगठन के विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि उपलब्ध संसाधनों का अपव्यय, दुरुपयोग या चोरी न हो और उद्देश्य पूरा करने के लिए इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो। आंतरिक सतर्कता संगठनात्मक संसाधनों के क्षय से संगठन की रक्षा करने के लिए और सदाशयता के लिए प्रबंधन का एक अनिवार्य साधन है।

कोविड–19 के विरूद्ध राष्ट्रीय युद्ध के क्रम में, एनएसआईसी ने फेस मास्क और दस्तानों का वितरण किया।

सतर्कता विभाग, कदाचार के उनके कृत्यों के लिए अनैतिक कर्मचारियों को दंडित करने में केवल प्रबंधन की सहायता ही नहीं करता बल्कि व्यक्तिगत वैमनस्य से मिथ्या और अभिप्रेरित शिकायतों द्वारा उत्पीड़न से ईमानदार और दक्ष पदाधिकारियों को संरक्षित करने में भी सहायता करता है। मामलों में लिप्त गलती करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियां चलाई गईं और कार्यवाही पूरी होने के पश्चात कुछ मामलों में बड़ी शास्तियां लगाई गईं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने और कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य स्टेकहोल्डरों में सतर्कता संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए 27 अक्तूबर, 2020 से 02 नवंबर, 2020 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम, – "सतर्क भारत, समृद्ध भारत (विजलेंट इंडिया, प्रोस्पर इंडिया)" था, पूरे देश के विभिन्न स्थानों में स्थित कंपनी के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा लाने और भ्रष्टाचार समाप्त करने की शपथ दिलाई गई। कंपनी के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ ऑनलाइन भी दिलाई गई थी।

कंपनी के सभी कर्मचारियों से अचल संपत्ति की विवरणी प्राप्त की गई और उसकी जांच की गई।

## (18) कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्य

कंपनी द्वारा किए गए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यों की एक पृथक रिपोर्ट, इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 19) समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 का समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिसमें पूर्ण स्वामिता की सहायक कंपनी अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के विषय भी शामिल हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ 66वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

## 20) लेखापरीक्षक

### (क) सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स गोयल पारूल एण्ड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने अपनी में कोई शर्त आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, या अदाकरण नहीं किया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टें) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

### ख) सचिवालयी लेखापरीक्षा

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स सपना जी एण्ड एसोसिएटस व्यवसायी कंपनी सचिवों को निगम की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 की सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

### (ग) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

## 21) वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2020–21 के फार्म **एमजीटी–9** में वार्षिक विवरणी का सार, इस रिपोर्ट का भाग है।

## 22) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों का पालन करने, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, लेखांकन रिकार्डों की यथार्थता और पूर्णता, और समय पर तैयार करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटन सहित अपना व्यवसाय व्यवस्थित और दक्षतापूर्ण ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के लिए, नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

## 23) राजभाषा

कंपनी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन तथा राजभाषा विभाग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना वर्ष 2020–21 के दौरान जारी रहा। इसके अलावा, हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विशेष क्रियाकलाप किए गए:

- कंपनी में 07 सितंबर, 2020 से 20 सितंबर, 2020 तक के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया और कंपनी में 04 विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य ध्यान केंद्र, कर्मचारियों को दिन–प्रति दिन के सरकारी कार्य में हिंदी के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रेरित करना था।
- निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2020 को 'हिंदी दिवस' मनाया गया। इस दिन माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के हिन्दी दिवस संदेश पढ़े गए।
- कंपनी के मुख्य कार्यालय के विभिन्न प्रभागों और फील्ड कार्यालयों के लिए राजभाषा वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया और उसका कार्यान्वयन किया गया।
- हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गईं, जिनमें उनके दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कंपनी द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी सत्र भी शामिल किए गए, जिनमें हिन्दी में यूनिकोड स्पीच टू टैक्स्ट जैसे हिंदी टूल्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ–साथ राजभाषा नीति और हिंदी टिप्पण एवं आलेखन के लिए व्यवहार सत्र आयोजित किए गए।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–2) दिल्ली के मार्गदर्शन में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में निगम की ओर से कार्मिक नामित किए गए, जिनमें से दो अधिकारी विजेता घोषित किए गए।
- पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित कुल धनराशि में से 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई।
- फील्ड कार्यालयों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टूल्स का अभ्यास करवाया गया, यथा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में स्पीच टू टैक्स्ट का अभ्यास करवाया गया।

## 24) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अंतर्लयन के ब्यौरे

कंपनी में काई विनिर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा के संरक्षण और प्रोद्योगिकी अंतर से संबंधि कोई महत्वपूर्ण ब्यौरे नहीं हैं। लेकिन नवीकरणीय संसाधनों ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के एनटीएससी–राजकोट, हावड़ा, ओखला, हैदराबाद और चैन्नई में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की। हैदराबाद, हावड़ा और पश्चिम ओखला में स्थित एनएसआईसी के तकनीकी सेवा केन्द्रों ने अपने परिसर में पूर्णतः स्वाचलित वेस्ट टू कंपोस्ट बनाने की मशीनें संस्थापित की हैं। यह अधीन परिस्थितियों के अनुरूप है, कि इस मशीन के द्वारा वेजिटेबल के कचरे को खाद में बदला जाना है, जिससे इनआर्गेनिक फर्टिलाइजन का उपयोग किए बिना इसका प्रयोग करके सब्जियां उगाई जा सकती हैं। यह खाद स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है और इनआर्गेनिक रयासन उर्वरक की भांति इसके कोई अनुषंगी प्रभाव भी नहीं होते हैं।

## 25) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए खरीद नीति आदेश, 2012

इस कंपनी ने एमएसई से खरीद के लिए भारत सरकार की लोक खरीद नीति को पूर्णतः कार्यान्वित किया है। वर्ष 2020–21 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदे गए माल और सेवाओं का मूल्य 23.14 करोड़ रू. का हालांकि एमएसई से खरीद का लक्ष्य 25 प्रतिशत था, लेकिन एमएसई से की गई यह खरीद, इस कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद का 64.96 प्रतिशत था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई के संबंध में खरीद की प्रतिशतता, 2.52 प्रतिशत थी और महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसई के संबंध में 0.65 प्रतिशत थी।

**व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली** (टीआरईडीएस) पोर्टल पर

पंजीकृत कंपनी की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित की गई।

## 26) विदेशी मुद्रा

वर्ष 2020–21 के दौरान कुल विदेशी मुद्रा में कुल व्यय 3.44 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2019–20 में 3.66 करोड़ रुपए था।

## 27) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के मानकों के माध्यम से अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने और अपने सभी स्टेकहोल्डरों की सुरक्षा के लिए अपनी इस प्रणालियों की सतत समीक्षा, की है, और उसका उच्चीकरण किया है, अद्यतन वर्जन आईएसओ 9001:2015 के अनुसार उसे संशोधित और अद्यतन किय गया था। एनएसआईसी में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001:2015 का आवश्यक अनुपालन और सततता सुनिश्चित करने के लिए, पूरे भारत में स्थित 53 कार्यालयों (जिनमें कार्पोरेट कार्यालय भी शामिल हैं) के आईएसओ का पुनः पंजीकरण कार्य कर दिया गया है। क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 की पुनः प्रभावीकरण लेखापरीक्षा, कुछ फील्ड कार्यालयों में सफलतापूर्वक की गई थी। कोविड–19 प्रोटोकोल का ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से यह लेखापरीक्षा की गई है और प्रभावी तरीके से इसका समन्वय किया गया है।

## 28) निदेशक मंडल

वर्ष 2020–21 के दौरान और आज तक कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:–

क) श्री राजीब कुमार सेन, आर्थिक सलाहकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, को, मंत्रालय के पत्र संख्या 11(8)/2001–एसएमई, दिनांक 22 मई, 2020 के जरिए श्री डी.पी. एस नेगी, पूर्व आर्थिक सलाहकार (एमएसएमई) के स्थान पर, एनएसआईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक नियुक्त किए गए थे।

ख) श्री विजयेन्द्र को, एमएसएमई मंत्रालय के पत्र संख्या के–01/(11)/2021–एसएमई, दिनांक 14 सितंबर, 2021 के जरिए एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से कार्यभार मुक्त किया गया है और एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा, संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय को सौंपा गया है।

ग) श्रीमती मर्सी इपाओ, संयुक्त सचिव (एमएसई), सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को, इस मंत्रालय के पत्र सं. के–01/15/2021–एसएमई, दिनांक 22 सितंबर, 2021 के जरिए, श्रीमती अलका अरोड़ा, संयुक्त सचिव (एआरआई), एमएसएमई मंत्रालय के स्थान पर एनएसआईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गई थी। इसके अलावा, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठक, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक और अन्य उप–समितियों की बैठकें आयोजित की गई थी।

## 29) निदेशकों का दायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(ग) के अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

- 2020–21 वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सारवान विपथनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ–साथ लागू होने वाले लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कारपोरेशन की अद्यतन तथा उस अवधि में निगम के लाभ या हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

- निदेशक मंडल ने निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रख–रखाव के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती है।

- वित्तीय विवरण, सतत कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की और यह प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

## 30) कारपोरेट सुशासन

कंपनी को वर्ष 2019–20 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई है।

कार्पोरेट सुशासन प्रणाली के संबंध में एक पृथक रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

## 31) आभार

निदेशक मंडल माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उप मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक मंडल माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्रियों द्वारा दिए गए सतत् मार्गदर्शन के लिए इस अवसर पर उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता है।

निदेशक मंडल, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, संयुक्त सचिव और आर्थिक सलाहकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए उनके प्रति भी आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल, कंपनी के बैंकरों, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सकारात्मक सहयोग के लिए उनकी हार्दिक सहराहना करता है और हमारी कंपनी में आस्था, विश्वास और भरोसा व्यक्त करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों का धन्यवाद करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड से प्राप्त निरंतर समर्थन और सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रयासों के लिए उनकी तह दिल से प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

**ह./–**

**(अलका नांगिया अरोड़ा)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 नवंबर, 2021

# प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

## i. उद्योग संरचना और विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम **("एमएसएमई")** क्षेत्र, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देने और रोजगार पैदा करने की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 6 (छः) करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं, जिनमें 11 (ग्यारह) करोड़ से अधिक लोग काम पर लगे हुए हैं। एमएसएमई देश से किए जाने वाले नियति में भी बहुत योगदान देते हैं। एमएसएमई देश के कोने–कोने तक फैले हुए हैं। एमएसएमई द्वारा अपर्याप्त वित्तपोषण, विलंबित कार्यचालन पूंजी प्रबंधन, सांविधिक नीतियों, सरकारी योजनाओं, की जानकारी का अभाव, कुशल कर्मकार उपलब्ध न होने आदि जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत की एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौती, पूंजी की अपर्याप्ता है।

कोविड के कारण लागू किया गया लॉकडाउन, यातयात संबंधी व्यवधान, आपूर्ति श्रृखंलाओं के टूटने, फुटकर, व्यापार और सेवाओं जैसे आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक दूरी बरती जाने के कारण एमएसएमई पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनके समिति वित्तीय स्रोतों और उधार लेने की क्षमता के कारण इन व्यवधानों का प्रभाव और भी बढ़ गया है। भारत सरकार ने एमएसएमई को सहायता देने के लिए कई विधायी, विनियामक और वित्तीय उपाय किए हैं, ताकि इस महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व संकर से छुटकारा पाया जा सके।

इस दिशा में किया गया बड़ा ढांचागत सुधार, 1 जुलाई, 2020 से एमएसएमई क्षेत्र की विनिर्माण और सेवा यूनिटों के लिए वर्गीकरण का नया संयुक्त फार्मुला अपनाना है। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए कई क्षेत्रों में विभिन्न पहलें की हैं।

## ii. प्रचालन और वित्त संबंधी कार्य–निष्पादन

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने, एकीकृत सहायता सेवाओं के जरिए, जिनमें विपणन, ऋण, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाएं शामिल हैं, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान भी एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं।

कोविड–19 महामारी और अन्य विभिन्न कारकों के कारण एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बावजूद, वर्ष 2020–21 में कंपनी का कुल कारोबार 14,976 करोड़ रूपये का था।

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व 2,101.29 करोड़ रूपये रहा, जबकि पिछले वर्ष 1,904.11 करोड़ रूपये था। वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने कर पूर्व लाभ 139.65 करोड़ रूपये अर्जित किया।

कंपनी ने, विपणन सहायता–कच्चा माल वितरण (1543.17 करोड़ रुपये), ऋण सहायता (33527 करोड़ रुपये), प्रौद्योगिकी सहायता–प्रशिक्षण क्रियाकलाप (4300 प्रशिक्षार्थी) पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ उन्हें एकीकृत सहायता में सुविधा प्रदान करके एमएसएमई को सुविधा प्रदाता की अपनी भूमिका जारी रखी है।

## iii. खंड–वार कार्य–निष्पादन

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्रिया–कलाप मोटे तौर पर "संवर्धनात्मक" और "वाणिज्यिक" के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता, सरकार और/या इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता' और 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब 'उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रमों', 'खरीद और विपणन सहायता योजना', 'राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार योजना', आदि को 'संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के अधीन दर्शाया जाता है, जिनके लिए निगम को बजट संबंधी सहायता प्रदान की जाती है और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित दिशा–निर्देशों के रूप में जहां कही लागू है। प्रशासनिक व्यय का प्रावधान किया जाता है। संगठन/प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों), क्रेता–विक्रेताओं की बैठक, गहन अभियान, अन्य विपणन सहायता सेवा (विज्ञान, प्रचार आदि) का व्यय और प्रशिक्षण व्यय, उपर्युक्त योजनाओं के लिए प्रदान किए जाने वाली बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

अन्य बातों के साथ–साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप भी शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन' (जिसमें टेंडर विपणन और कच्चे माल का वितरण भी शामिल है), 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता सेवाएं' उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा इन 'समेकित' सहायता सेवाओं के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलापों, परंतु जो संवर्धनात्मक प्रकृति के हैं (जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता करने के उद्देश्य से किए जाते हैं), का विलय वाणिज्यिक क्रियाकलापों में कर दिया गया है, क्योंकि निगम द्वारा ऐसे क्रियाकलापों के व्यय को वहन किया जाता है। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों यथा 'वाणिज्यिक' और 'संवर्धनात्मक' में विभाजित किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) द्वारा जारी किए गए 'खंड रिपोर्टिंग' संबंधी भारतीय लेखाकरण मानक–108 के अनुसार अपेक्षित नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के कारोबार खंड में राजस्व, लाभ, परिसंपत्तियों और देयताओं संबंधी सूचना दर्शाई गई हैः

(लाख रूपये में)

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्राथमिक खंड – कारोबार खंड** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्यिक** | **जोड़** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्यिक** | **जोड़** |
| **I. खंड राजस्व (अनुदान सहित)** | | | | | | |
| – वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान | 7,915.96 | – | 7,915.96 | 10259.98 | – | 10259.98 |
| – उत्पादों की बिक्री | – | 1,68,430.76 | 1,68,430.76 | – | 144412.97 | 144412.97 |
| – सेवाओं की बिक्री | 2.58 | 8,826.69 | 8,829.27 | – | 8648.19 | 8648.19 |
| – अन्य | – | 32,964.63 | 32,964.63 | – | 37606.55 | 37606.55 |
| **जोड़** | **7,918.54** | **2,10,222.08** | **2,18,140.62** | **10259.98** | **190667.71** | **200927.69** |
| **II. खंड व्यय (अनुदान के अनुसार व्यय सहित)** | | | | | | |
| – वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान से किया गया खर्च | 7,915.96 | – | 7,915.96 | 10259.98 | – | 10259.98 |
| – अन्य | 2.58 | 2,00,062.78 | 2,00,065.36 | – | 180748.49 | 180748.49 |
| **– जोड़** | **7,918.54** | **2,00,062.78** | **2,07,981.32** | **10259.98** | **180748.49** | **191008.47** |
| **III. परिणाम** | | | | | | |
| क. खंड परिणाम | – | 10,159.30 | 10,159.30 | – | 9919.22 | 9919.22 |
| ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ | – | 21,741.29 | 21,741.29 | – | 25847.45 | 25847.45 |
| ग. अदा किया गया ब्याज | – | 7,772.34 | 7,772.34 | – | 12616.01 | 12616.01 |
| घ. विशिष्ट मदें | – | 4.22 | 4.22 | – | (1.30) | (1.30) |
| ङ. कर–पूर्व लाभ | – | 13,964.73 | 13,964.73 | – | 13232.74 | 13232.74 |
| च. कर व्यय | – | 3,805.43 | 3,805.43 | – | 3313.52 | 3313.52 |
| छ. कर–पश्चात निवल लाभ | – | 10,159.30 | 10,159.30 | – | 9919.22 | 9919.22 |
| ज. अन्य व्यापक आय | – | 170.37 | 170.37 | – | (393.90) | (393.90) |
| झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है} | – | 10,329.67 | 10,329.67 | – | 9525.32 | 9525.32 |
| **IV. परिसंपत्तियां और देयताएं** | | | | | | |
| क. खंड परिसंपत्तियां | 3,831.32 | 2,70,606.38 | 2,74,437.70 | 4956.28 | 285942.40 | 290898.68 |
| ख. अनाबंटित परिसंपत्तियां | – | – | 26,826.16 | – | – | 25829.92 |
| **ग. कुल परिसंपत्तियां** | **3,831.32** | **2,70,606.38** | **3,01,263.86** | **4956.28** | **285942.40** | **316728.60** |

(लाख रूपये में)

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्राथमिक खंड – कारोबार खंड** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्यिक** | **जोड़** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्यिक** | **जोड़** |
| घ. खंड देयताएं | 5,435.31 | 1,73,347.69 | 1,78,783.00 | 3587.47 | 195800.28 | 199387.75 |
| ङ. अनाबंटित देयताएं | – | – | 1,22,480.86 | – | – | 117340.85 |
| **च. कुल देयताएं** | **5,435.31** | **1,73,347.69** | **3,01,263.86** | **3587.47** | **195800.28** | **316728.60** |
| **V. अन्य सूचना** | | | | | | |
| (क) अचल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए इस अवधि के दौरान खर्च की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित) | 614.97 | 1,389.27 | 2,004.24 | 689.78 | 387.50 | 1077.28 |
| (ख) मूल्यह्रास | 347.70 | 841.51 | 1,189.21 | 386.83 | 732.86 | 1119.69 |
| (ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकद व्यय | – | 682.87 | 682.87 | – | 123.65 | 123.65 |

# संवर्धनात्मक खंड का मूल्यह्रास पूंजीगत आरक्षित राशि में प्रभारित किया जाता है।

## iv. सामर्थ्य एवं चुनौतियों का विश्लेषण

**(क) सामर्थ्य:**

- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसके पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के कार्यचालन के बारे में व्यापक जानकारी आधार है और इसकी मौजूदगी पूरे देश में है।
- कंपनी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तीय सहायता, विपणन, प्रौद्योगिकी और सूचना सहायता जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का एक समेकित पैकेज देता है।
- कंपनी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए देश और विदेशों में कुछ साझेदार संगठनों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग संगठनों/संघों के साथ मजबूत संबंध हैं।
- कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है।
- कंपनी का पर्याप्त परिसंपत्ति आधार, इसे अपने क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।

**(ख) चुनौतियां:**

- कोविड–19 महामारी के कारण व्यवधान:
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अन्य संस्थानों की तुलना में एक लघु संसाधन आधार वाला संगठन।
- सरकारी खरीद में सूक्ष्म व लघु उद्यमों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए अधिप्राप्ति वरीयता नीति की अधिसूचना और कार्यान्वयन करना। कंपनी के अलावा, कुछ अन्य एजेंसियों को भी सरकारी खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

**(ग) अवसर और जोखिम विश्लेषण**

**अवसर:**

- एनएसआईसी द्वारा देश और विदेश में एमएसएमई इकाइयों को दी जा रही सेवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय परामर्श।

**(घ) खतरे:**

- विपणन, प्रौद्योगिकी सहायता और वित्त पोषण के क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों से होने वाली प्रतिस्पर्धा से निगम के मुख्य क्रियाकलापों को खतरा उत्पन्न होना।
- राज्य सरकारों द्वारा कच्चे माल के वितरण के लिए

रा.ल.उ.नि. की तुलना में राज्य सरकार की एजेंसियों को वरीयता देना।

- वैश्वीकरण के कारण बड़ी कंपनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करना।
- वाणिज्यिक बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को, विशेष रूप से नए और उदीयमान उद्यमों को अपर्याप्त ऋण प्रवाह।

## v. दृष्टिकोण

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पिछले छः दशकों से निगम के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता देने और उनका पोषण करने के अपने मिशन पूरा करने का काम कर रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने और निगम की प्रगति और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापन किए हैं। अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने के लिए रा.ल.उ.नि. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंचने के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है और इसके लिए परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि जैसे क्षेत्रों की पहचान अधिक ध्यान देने वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है।

एनएसआईसी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और संवृद्धि तथा लाभकारिता को बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी विपणन के क्षेत्र में नये कारोबार के अवसरों का और पता लगाने और नई शीर्ष संस्थाएं (वर्टिकल) और केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बेरोजगार युवकों के लिए ज्ञान के स्तर को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके। कंपनी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने प्रचालन प्रणालियों को भी सुदृढ़ कर रही है।

## (vi) जोखिम और चिंताएं

कंपनी ऐसे जोखिमों की निरंतर पहचान और समीक्षा करती है, जो नियमित कारोबारी क्रियाकलापों का परिणाम हो सकते हैं और कंपनी इन जोखिमों को कम करने के लिए समय–समय पर उपयुक्त कदम उठाती है। प्रबंधन स्टेकहोल्डरों के मूल्य की रक्षा और उसमें वृद्धि करने की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी में कंपनी के जोखिमों की समीक्षा और आकलन करने के लिए बोर्ड के स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति है।

## (vii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी ने अपने कारोबार की मॉनीटरिंग करने और प्रभावी आचरण को सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ मैनुअल के अनुसार अपनी सभी योजनाओं की नीतियों और प्रक्रियाओं का अंगीकरण किया है और उन्हें सुदृढ़ किया है। स्कीमों का बेहतर कार्यान्वयन करने और कई एमएसएमई में स्कीमों के हितों का प्रसार करने के लिए आंतरिक दिशानिर्देशों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कंपनी में कंपनी के फील्ड कार्यालयों सहित प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों से प्राप्त टेंडरों की जांच करने के लिए प्रधान कार्यालय के स्तर पर एक अलग प्रभाग है। एनटीएससी केंद्रों में प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलापों को एनसीवीटी, एआईसीटीई और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जो भी लागू हों, जैसे अलग–अलग निकायों के अनुमोदन के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। सभी विवरणों को एसएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ठीक है, विभिन्न शाखा कार्यालयों की नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। यह लेखापरीक्षा अपने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/बाह्य लेखापरीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा की जाती है। इसके अलावा निर्धारित किए गए अनुसार आवधिक आधार पर अपने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, जो शाखा कार्यालयों और एनटीएससी कार्यालयों के आकार और प्रचालन के अनुसार होते हैं। लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की आपत्तियों और टिप्पणियों की समीक्षा करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर यथाअपेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ भी बैठकें आयोजित करती हैं।

## (viii) नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में प्रगति

31 मार्च, 2021 को, कंपनी की कुल जनशक्ति, 686

कर्मचारी थी, जिनमें 502 प्रबंधकीय स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। कंपनी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्योंकि प्रशिक्षण सीखने की एक प्रक्रिया है। एनएसआईसी का एक विशिष्ट प्रशिक्षण प्रभाग है, जो पूरे देश के एनएसआईसी के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2020–21 में, कोविड–19 महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण समय में भी, कंपनी के 139 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, वेबिनारों, कार्यशालाओं, राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में भाग लिया।

### (ix) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दिया गया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

### (x) संचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के विवरण, जिनमें कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, प्रत्याशाओं, आकलनों का उल्लेख किया गया है, वर्तमान कारोबार परिदृश्य पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम सरकार की नीति से संबंधित निर्णयों और भावी आर्थिक परिदृश्य के आधार पर अभिव्यक्त किए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

# कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की रिपोर्ट वित वर्ष 2020-21

## 1.0 कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति का संक्षिप्त विवरण

कंपनी हमारे समाज के विभिन्न घटकों के स्थायी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए नैतिक तरीके से अपने व्यावसायिक मूल्यों और प्रचालनों को जोड़ने को सदैव तत्पर रहता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता, अपने सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जागरूकता को अपनी व्यावसायिक योजना का अभिन्न अंग मानती है और इस दिशा में एक कदम के रूप में समाज के साधनहीन वर्गों के जीवन की गुणवत्ता को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

## 2.0 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति का गठन

| क्र. सं | निदेशक का नाम | पदनाम/ निदेशक का प्रकार | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान आयोजित उन सीएसआर बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री विजयेन्द्र | अध्यक्ष | 2 | 2 |
| 2 | श्री पी. उदयकुमार | निदेशक | 2 | 2 |
| 3 | श्री गौरांग दीक्षित | निदेशक | 2 | 2 |

## 3.0 उन मामलों में वेब लिंक का उल्लेख करें, जहां निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर सीमिति के गठन सीएसआर नीति और सीएमआर परियोजनाओं को, कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

सीएसआर के संबंध में की गई पहलों सहित कंपनी की सीएसआर नीति, कंपनी की वेबसइट www.nsic.co.in. पर उपलब्ध है।

**4.0** कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3), यदि लागू होता है, के अनुसरण में कार्यान्वित की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के विवरणों का उल्लेख करें (रिपोर्ट संलग्न करें): **लागू नहीं**।

**5.0** कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में उपयोग के लिए उपलब्ध रकम और इस वित्त वर्ष में उपयोग के लिए अपेक्षित रकम, यदि कोई, के विवरण:

| क्र. सं. | वित्त वर्ष | पिछले वित्त वर्ष से उपयोग के लिए उपलब्ध रकम | इस वित्त वर्ष में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित रकम, यदि कोई हो, (रू. में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | शून्य | शून्य |

**6.0 धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभः** 11,544.49 लाख रूपये

**7.0** (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशतः

कंपनी को अपने सीएसआर क्रियाकलापों पर 231 लाख रूपये खर्च करने हैं।

(ख) पिछले वित्त वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों में से अधिशेष रकमः **शून्य**

(ग) इस वित्त वर्ष उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित रकम, यदि कोई होः **शून्य**

(घ) इस वित्त वर्ष में कुल सीएसआर संबंधी कुल दायित्व (7क+7ख–7ग): **231 लाख रूपये**

**8.0** (क) इस वित्त वर्ष खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर रकमः

| इस वित्त वर्ष में खर्च की गई कुल रकम | खर्च नहीं की गई रकम (रूपयों में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135 (6) के अनुसार खर्च नहीं की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल रकम | | धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित रकम | | |
| | रकम | अंतरण की तारीख | निधि का नाम | रकम | अंतरण की तारीख |
| 2,24,58,220 | 6,30,770 | लागू नहीं | स्वच्छ भारत कोष | 6,50,000 | 25 नवम्बर, 2021 |

(ख) इस वित्त वर्ष में चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर रकम के विवरण

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित क्रियाकलापों की सूची की मद | स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं) | परियोजना का स्थल | | परियोजना की अवधि | परियोजना के लिए आबंटित रकम | चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई रकम | धारा 35(6) के अनुसार परियोजना के लिए खर्च नहीं की गई सीएसआर खाते में अंतरित रकम | कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नही) | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| 1 | लागू नहीं | | | | | | | | | | | |

(ग) इस वित्त वर्ष में चालू परियोजनाओ से भिन्न परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर रकम का विवरण:

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VIII उल्लिखित क्रियाकलापों की सूची की मद संख्या | स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं) | परियोजना का स्थल | | परियोजना के संबंध में खर्च की गई रकम | कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नही) | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | "प्रधानमंत्री केयर फंड" में अंशदान | (viii) | नहीं | पैन इंडिया | | 1,00,00,000/– | हां | . | . |
| 2 | कोविड–19 प्रभावित ऐसे विभिन्न स्थानों में ग्लोबस, मास्क, सेनिटाइजर आदि जैसे पीपीई (वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर) फिट उपलब्ध करना, जहां ऐसे पीपीई की अत्यन्त आवश्यकता थी। | (i) | हां | संपूर्ण भारत | | 5,24,220/– | हां | . | . |
| 3 | "स्वच्छ भारत कोष" में अंशदान | (i) | नहीं | पैन इंडिया | | 40,00,000/– | हां | . | . |
| 4 | "स्वच्छ गंगा फंड" में अंशदान | (iv) | नहीं | पैन इंडिया | | 50,00,000/– | हां | . | . |
| 5 | "सक्षस्थ बल झंडा दिवस फंड" में अंशदान | (vi) | नहीं | पैन इंडिया | | 29,34,000/– | हां | . | . |
| | जोड़ | | | | | 2,24,58,220/– | | | |

(घ) प्रशासनिक उपरिकय में खर्च की गई रकम: **शून्य**

(ड़) प्रभावी मूल्याकंन पर खर्च की गई रकम: **शून्य**

(च) वित्त वर्ष में खर्च की गई कुल रकम (8ख+8ग+घ+8ड़): 231 लाख रूपये

(छ) स्थापना के लिए अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो:

| क्र. सं. | ब्यौरे | रकम (रू.) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत | **शून्य** |
| (ii) | इस वित्त वर्ष में खर्च की गई कुल रकम | **शून्य** |
| (iii) | इस वित्त वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त रकम [(ii)-(i)] | **शून्य** |
| (iv) | पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों मे से अधिशेष, यदि कोई हो, | **शून्य** |
| (v) | अनवुर्ती वित्त वर्षों में स्थापना के लिए उपलब्ध रकम [(iii)-(iv)] | **शून्य** |

**9.0** **(क)** पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई सीएसआर रकम का विवरणः

| क्र. सं. | पिछला वित्त वर्ष | खर्च नहीं की गई सीएसआर रकम में अंतरित रकम | धारा 135(6) के अधीन रकम (रूपयों में) | धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी फंड में रकम यदि कोई हो | | | अनवुर्ती वित्त वर्षों में खर्च करने के लिए शेष रकम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | फंड का नाम | रकम (रूपयों में) | अंतरण की तारीख | |
| लागू नहीं | | | | | | | |

**(ख)** पिछले वित्त वर्ष (वर्षों) की **चालू परियोजनाओं** पर इस वित्त वर्ष में खर्च की गई सीएसआर रकम का विवरणः

| क्र. सं. | परियोजना आईटी | परियोजना का नाम | वित्त वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी | परियोजना की अवधि | परियोजना के लिए आबंटित कुल रकम | रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई रकम (रूपयों में) | रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के अंत में खर्च की गई संबंधी रकम | परियोजना की स्थिति अर्थात पूरी हो गई है/ चल रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| शून्य | | | | | | | | |

**10.0** यदि पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अर्जन किया गया हो, तो उस सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें, जिसे इस वित्त वर्ष में खर्च किया गया हो,

**(परिसंपत्ति–वार विवरण)**

**(क)** पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन या अर्जन की तारीखः **लागू नहीं**

**(ख)** पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन के लिए खर्च की गई सीएसआर की रकमः **लागू नहीं**

**(ग)** उस प्रतिष्ठान या सरकारी प्राधिकरण या लाभार्थी के विवरण, जिनके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति, पंजीकृत है और उनका पता आदिः **लागू नहीं**

**(घ)** सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) : **लागू नहीं**

**11.0** उस कारण (कारणों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी, धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल रही होंः **लागू नहीं**

**फार्म सं. एमआर–3**

# सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में}

**सदस्यगण**

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड**

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली – 110 020

हमने **मैसर्स राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** जिसकी कार्पोरेट पहचान संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481 है। (जिसे इसमें आगे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियां के अनुपालन और लागू होने वाले सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसे तरीके से किया गया है, जिसमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों और इन पर अपनी राय व्यक्त करने का मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होता है।

कंपनी की खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल की गई विवरणियों तथा निगम द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, जिसमें **31 मार्च, 2021** को समाप्त वित्तीय वर्ष, शामिल किया गया है, इसने सूचीबद्ध सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया है और कि कंपनी के पास इस तरीके से और इसमें आगे की गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन उचित विस्तृत प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं;

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार, **31 मार्च, 2021** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम द्वारा रखी गई खाता बहियों, कागजातों, कार्य–विवरण पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल की गई विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप–विधि **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेवा अधिनियमों) के अंतर्गत विनिर्धारित निम्नलिखित विनिमय और दिशानिर्देश (जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं):

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियमावली, 2011 **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) नियमावली, 1992 **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं शर्तें प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशा–निर्देश 1999, **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमावली, 2008 **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निगम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमावली, 1993, जो कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार के बारे में है **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमावली, 2009 **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);** और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियमावली, 1998 **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(vi) कंपनी पर लागू होने वाले अन्य कानूनों सहित अनुपालन/प्रक्रियाएं/प्रणालियां कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित की जा रही हैं।

(vii) कंपनी पर लागू अन्य विधियां इस प्रकार हैं:

(i) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश;

(ii) कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

हमने लागू होने वाले निम्नलिखित खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) लागू होने की सीमा तक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक;

(ii) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करार/सेबी (सूचीकरण एवं विगोपन शर्तें विनियमावली, 2015 **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं)**।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है।

**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:**

- कंपनी का निदेशक बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीमएडी) 2 कार्यकारी निदेशक और 2 नामित निदेशक हैं। कंपनी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए पत्र लिखे हैं।
- समीक्षापधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन किए गए हैं, वे अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के अनुसार किए गए हैं।
- बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां अग्रिम रूप से कम से कम 7 दिन पहले भेजी गई थीं और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने और बैठक में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- संकल्प सभी बैठकों में अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किए गए और असहमति के कोई ऐसे उदाहरण नहीं थे जिन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में लिखे और दर्ज किए जाने की आवश्यकता थी।

**मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि** लागू होने वाली विधियों, नियमों, अधिनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और अनुवर्तन करने के लिए निगम के आकार और प्रचालनों के अनुरूप निगम में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

**कृते सपना जी और एसोसिएटस**
कंपनी सचिव

**ह./–**
**(सपना गुप्ता)**
एसीएस नं. : 43389
सी.पी. सं. : 15943
यूडीआईएन : ए043389सी001063716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 नवंबर, 2021

**टिप्पणी :** यह रिपोर्ट हमारे समतारीख के पत्र, जोकि **अनुबंध 'क'** में संलग्न है, के साथ पढ़ी जाए और यह उस रिपोर्ट को आंतरिक भाग को निरूपित करती है।

# 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
# सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–''क''

सेवा में,
सदस्यगण,
**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,**
एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली – 110 020

**सम तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।**

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकार्ड की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थीं। सत्यापन परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य दर्शाए जाते हैं। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा–बहियों की परिशुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। हमने खाता बहियों, कागज–पत्रों और संगत वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के रख–रखाव से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है, जिसमें कंपनी के कारोबार की सत्य और उचित स्थिति बताई गई है।

4. हमने, आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे वित्तीय कानूनों के पालन के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं।

5. जहां कहीं अपेक्षित था, हमने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

6. कार्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन–वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी संभाव्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन–वर्ग ने निगम का कारोबार किया।

**कृते सपना जी और एसोसिएटस**
कंपनी सचिव

**ह./–**
**(सपना गुप्ता)**
एसीएस नं. : 43389
सी.पी. सं. : 15943
यूडीआईएन : ए043389सी001063716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 नवंबर, 2021

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध - IV

## फार्म सं. एमजीटी–9

# वार्षिक विवरणी का सार

## 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

### I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सीआईएन | यू74140डीएल1955जीओआई002481 |
| 2. | पंजीकरण की तारीख | 4 फरवरी, 1955 |
| 3. | कंपनी का नाम | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| 4. | कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी | सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम मिनि रत्न श्रेणी – I |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्योरा | एनएसआईसी भवन,<br>ओखला औद्योगिक क्षेत्र,<br>नई दिल्ली–110020 |
| 6. | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | नहीं |
| 7. | रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई है, | लागू नहीं |

### II. कंपनी के प्रधान व्यवसाय क्रियाकलाप

कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या इससे अधिक योगदान करने वाले सभी व्यावसायिक क्रियाकलाप आरंभ किए जाएंगे

| क्रम सं. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कच्चा माल सहायता | ... | 66.07% |
| 2 | कच्चा माल अधिप्राप्ति के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण सहायता | ... | 28.60% |

### III. कंपनी के पास कोई होल्डिंग सहायकंन सहयोगी कंपनी नहीं है।

| क्र. सं. | कंपनी का नाम और पता | सीआईएन/ जीएलएन | धारिता/ सहायक/संबद्ध | धारित शेयरों का प्रतिशत | लागू होने वाली धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड<br>एनएसआईसी भवन,<br>ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट | यू65990डीएल2020जीओआई368828 | सहायक | 100% | 2(46) |

## IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

**i) श्रेणी–वार शेयरधारिताः**

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2020 को यथास्थिति) | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2021 को यथास्थिति) | | वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | |
| **क. प्रमोटर्स** | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | |
| (क) व्यक्ति/ अविभक्त हिंदू परिवार | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ख) केंद्र सरकार | 53298800 | 100% | 53298800 | 100% | ... |
| (ग) राज्य सरकार (सरकारें) | ... | ... | ... | ... | ... |
| (घ) निगमित निकाय | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ङ) बैंक/वित्तीय संस्था | ... | ... | ... | ... | ... |
| (च) कोई अन्य | ... | ... | ... | ... | ... |
| **उप जोड़ (क) (1)** | **53298800** | **100%** | **53298800** | **100%** | ... |
| **(2) विदेशी** | | | | | |
| (क) अनिवासी भारतीय – व्यक्ति | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ख) अन्य – व्यक्ति | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ग) निगमित निकाय | ... | ... | ... | ... | ... |
| (घ) बैंक/वित्तीय संस्था | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ड़) कोई अन्य | ... | ... | ... | ... | ... |
| उप–जोड़ (क) (2) | ... | ... | ... | ... | ... |
| **प्रोमोटर्स की शेयरधारिता का जोड़ (क)= (क)(1)+(क)(2)** | **53298800** | **100%** | **53298800** | **100%** | ... |
| **(ख) पब्लिक शेयरधारिता** | | | | | |
| **1. संस्थाएं** | ... | ... | ... | ... | ... |
| क. म्यूचुअल फंड | ... | ... | ... | ... | ... |
| ख. बैंक/वित्तीय संस्थाएं | ... | ... | ... | ... | ... |
| ग. केंद्रीय सरकार | | | | | |
| घ. राज्य सरकार(सरकारें) | ... | ... | ... | ... | ... |
| च. उद्यम पूंजी निधियां | ... | ... | ... | ... | ... |
| छ. बीमा कंपनियां | ... | ... | ... | ... | ... |
| ज. विदेशी संस्थागत निवेशक | ... | ... | ... | ... | ... |
| झ. विदेशी उद्यम पूंजी निधियां | ... | ... | ... | ... | ... |
| ज. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | ... | ... | ... | ... | ... |
| **उप–जोड़ (ख)(1):–** | ... | ... | ... | ... | ... |
| **2. गैर–संस्थाएं** | | | | | |
| (क) निगमित निकाय | ... | ... | ... | ... | ... |

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2020 को यथास्थिति) | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2021 को यथास्थिति) | | वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | |
| (i) भारतीय | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ii) विदेशी | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ख) व्यक्ति | ... | ... | ... | ... | ... |
| (i) 1 लाख रुपए तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | ... | ... | ... | ... | ... |
| (ii) 1 लाख रुपए से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | ... | ... | ... | ... | ... |
| क) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | ... | ... | ... | ... | ... |
| **उप–जोड़ (ख)(2):** | ... | ... | ... | ... | ... |
| कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2) | ... | ... | ... | ... | ... |
| **ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर** | ... | ... | ... | ... | ... |
| **कुल जोड़ (क+ख+ग)** | **53298800** | **100%** | **53298800** | **100%** | |

**ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता:**

| क्रम सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का % | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 53297500 | 99.99% | ... | 53297500 | 99.99% | ... | ... |
| 2 | सचिव*, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम | 400 | नगण्य | ... | 400 | नगण्य | ... | ... |
| 3 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*, रा.ल.उ.नि | 400 | नगण्य | ... | 400 | नगण्य | ... | ... |
| 4 | अपर सचिव एवं वि.आ.*, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम | 200 | नगण्य | ... | 200 | नगण्य | ... | ... |
| 5 | संयुक्त सचिव*, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम | 100 | नगण्य | ... | 100 | नगण्य | ... | ... |
| 6 | आर्थिक सलाहकार*, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम | 100 | नगण्य | ... | 100 | नगण्य | ... | ... |
| 7 | निदेशक*, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम | 100 | नगण्य | ... | 100 | नगण्य | ... | ... |
| | | | 100% | ... | | 100% | | |

* राष्ट्रपति के प्रतिनिधि/नामिती के रूप में

**iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)**

दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2021 तक के बीच पिछले वर्ष के शेयरहोल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

| क्र. सं. | विवरण | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 1 | वर्ष के आरंभ में | ... | ... | ... | ... |
| 2 | वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी, जिसमें वृद्धि/कमी के कारण दर्शाए गए हों (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि): | ... | ... | ... | ... |
| 3 | वर्ष के आरंभ में | ... | ... | ... | ... |

**iv) शीर्षस्थ 10 शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न**

(निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अलावा)

| क्र. सं. | विवरण | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रत्येक शीर्षस्थ 10 शेयरधारकों के लिए | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या |
| 1 | वर्ष के आरंभ में | ... | ... | ... | ... |
| 2 | वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी, जिसमें वृद्धि/कमी के कारण दर्शाए गए हों (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि): | ... | ... | ... | ... |
| 3 | वर्ष के अंत में | ... | ... | ... | ... |

**v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

| क्र. सं. | प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 1. | **वर्ष के आरंभ में**<br>श्री विजयेन्द्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 400 | | 400 | |
| | श्रीमती अलका अरोड़ा,<br>सरकारी नामिती निदेशक | 100 | | 100 | |
| | श्री डी.पी.एस. नेगी<br>सरकारी नामिती निदेशक | 100 | | .. | |

| क्र. सं. | प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 2. | **शेयरधारिता में परिवर्तन**<br>क) श्री डी.पी.एस. नेगी एवं श्री राजीब कुमार सेन, सरकारी नामिती निदेशक को 100 शेयरों का अंतरण | .. | | 100 | |
| 3. | **वर्ष के अंत में**<br>क) श्री विजयेन्द्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 400 | | 400 | |
| | ख) श्रीमती अलका अरोड़ा, सरकारी नामिती निदेशक | 100 | | 100 | |
| | ग) श्री राजीब कुमार सेन, सरकारी नामिती निदेशक | 100 | | 100 | |

## V) ऋणग्रस्तता – बकाया/उपचित, परंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन जो भुगतान के लिए देय नहीं है।

(करोड़ रू. में)

| | जमा धनराशियों को छोड़कर, प्रतिभूत ऋण | अप्रतिभूत ऋण | जमा धनराशियां | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| **वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूलधन | 1565.00 | 53.42 | ... | 1618.42 |
| ii) देय, परंतु भुगतान न किया गया ब्याज | ... | ... | ... | ... |
| iii) उपचित, परंतु अदेय ब्याज | ... | ... | ... | ... |
| **जोड़ (i+ii+iii)** | **1565.00** | **53.42** | ... | **1618.42** |
| वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | | | | |
| * परिवर्धन | ... | ... | ... | ... |
| * कमी | 185.00 | 1.22 | ... | 186.22 |
| निवल परिवर्तन | (185.00) | (1.22) | ... | (186.22) |
| वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता | | | | |
| i) मूलधन | 1380.00 | 52.20 | ... | 1432.20 |
| ii) देय, परंतु भुगतान न किया गया ब्याज | ... | ... | ... | ... |
| iii) उपचित, परंतु अदेय ब्याज | 4.13 | 0.10 | ... | 4.23 |
| **जोड़ (i+ii+iii)** | **1384.13** | **52.3** | **...** | **1436.43** |

## VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

### (क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध का पारिश्रमिक

| क्रम सं. | पारिश्रमिक के विवरण | प्रबंध निदेशक का नाम | पूर्णकालिक निदेशकों के नाम | | कुल रकम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | श्री विजयेन्द्र 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | श्री पी. उदयकुमार 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | श्री गौरांग दीक्षित 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | |
| 1 | सकल वेतन | | | | |
| | (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए उपबंधों के अनुसार वेतन | 3791772 | 5920741 | 3965053 | 13677566 |
| | (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य | ... | 32400 | 32400 | 64800 |
| | (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ | ... | ... | ... | ... |
| 2 | स्टॉक विकल्प | ... | ... | ... | ... |
| 3 | स्वीट इक्विटी | ... | ... | ... | ... |
| 4 | कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, कृपया उल्लेख करें | ... | ... | ... | ... |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें (भविष्य निधि एवं पेंशन में नियोक्ता का अंशदान) | ... | 695125 | 511690 | 1206815 |
| | **जोड़ (क)** | **3791772** | **6648266** | **4509143** | **14949181** |

### (ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक : शून्य

### (ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से भिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सीएफओ | सीएस | जोड |
| | | श्री गौरांग दीक्षित 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | सुश्री निष्ठा गोयल 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | |
| 1 | सकल वेतन | | | |
| | (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए उपबंधों के अनुसार वेतन | 3965053 | 1631786 | 5596839 |
| | (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य | 32400 | ... | 32400 |
| | (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के वेतन के बदले लाभ | ... | ... | ... |
| 2 | स्टॉक विकल्प | ... | ... | ... |

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सीएफओ | सीएस | जोड |
| | | श्री गौरांग दीक्षित 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | सुश्री निष्ठा गोयल 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | |
| 3 | स्वीट इक्विटी | ... | ... | ... |
| 4 | कमीशन | ... | ... | ... |
| | – लाभ के प्रतिशत के रूप में | ... | ... | ... |
| | – अन्य, कृपया उल्लेख करें | ... | ... | ... |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें (भविष्य निधि एवं पेंशन में नियोक्ता का अंशदान) | 511690 | 227608 | 739298 |
| | **जोड़** | **4509143** | **1859394** | **6368534** |

## VII. शास्तियां/दंड/अपराधों का संयोजनः

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | शास्ति/दंड/लगाए गए संयोजन शुल्क के ब्यौरे | प्राधिकारी (आरडी)/एनसीएलटी/न्यायालय | अपील, यदि की गई है (ब्योरे दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. कंपनी** | | | | | |
| शास्ति | एनएसआईसी ने कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2019–20 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार 65वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में हुए विलंब को माफ करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की संयुक्त आवेदन पत्र दाखिल किया है। | | | | |
| दंड | | | | | |
| संयोजन | | | | | |
| **ख. निदेशक** | | | | | |
| शास्ति | कोई नहीं | | | | |
| दंड | | | | | |
| संयोजन | | | | | |
| **ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी** | | | | | |
| शास्ति | कोई नहीं | | | | |
| दंड | | | | | |
| संयोजन | | | | | |

# कार्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट

कार्पोरेट सुशासन ऐसे नियमों, कार्य–प्रणालियों और प्रक्रियाओं का तंत्र है, जिसके जरिए कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। कंपनी कार्पोरेट की जैविकता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण जवाब देही एवं सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है। कार्पोरेट सुशासन ने कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने शेयरधारकों के धन में वृद्धि करने में कंपनी की सहायता की है। कंपनी कार्पोरेट सुशासन की सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

कार्पोरेट सुशासन संबंधी कंपनी की रिपोर्ट इस प्रकार हैः

## 1. निदेशक मंडल

एनएसआईसी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो कार्यकारी निदेशक, दो सरकारी नामिती निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में निहित है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

## 2. निदेशक मण्डल की बैठकें:

निदेशक मंडल की बैठकें आवधिक अंतराल पर आयोजित की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड की कुल चार बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें 21 जुलाई, 2020, 14 अगस्त, 2020, 20 नवंबर, 2020 और 19 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बोर्ड के गठन और अन्य कंपनियों में पद धारित निदेशकों की संख्या और वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डलों की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया हैः

| क्र. सं. | निदेशक का नाम और डीआईएन संख्या | श्रेणी | बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया | 19 फरवरी, 2021 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति | बाह्य निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री विजयेन्द्र<br>डीआईएन नं.03625565 | कार्यपालक | 04 | हां | 1* |
| 2. | श्रीमती अलका अरोड़ा<br>डीआईएन सं. 03165567 | सरकारी नामिती | 04 | हां | 2 |
| 3. | श्री डी.पी.एस. नेगी<br>डीआईएन सं. 08006217<br>(22 मई, 2020 तक) | सरकारी नामिती | – | – | – |
| 4. | श्री राजीब कुमार सेन<br>डीआईएन सं. 076699981<br>(22 मई, 2020 से) | सरकारी नामिती | 04 | हां | 1* |
| 5. | श्री पी. उदयकुमार<br>डीआईएन सं. 03353625 | कार्यपालक | 03 | हां | – |
| 6. | श्री गौरांग दीक्षित<br>डीआईएन सं. 08535482 | कार्यकारी | 04 | हां | 1* |

* एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) में निदेशक के पद पर कार्यरत।

## 3. निदेशक मंडल की उप–समितियां

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल की निम्नलिखित उप–समिति (समितियां) गठित की गई थीं, जिसमें (जिनमें) कार्यकारी और गैर–कार्यकारी सदस्य थे। निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल द्वारा इस (इन) उप–समिति (समितियों) का पुनर्गठन किया गया था।

## 3.1 लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार किया गया है।

- लेखापरीक्षा समिति के गठन और समिति की बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं. | नाम | आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजीब कुमार सेन | 04 | 04 |
| 2. | श्रीमती अलका अरोड़ा | 04 | 03 |
| 3. | श्री पी. उदयकुमार | 04 | 03 |
| 4. | श्री गौरांग दीक्षित | 04 | 04 |

लेखापरीक्षा समिति, अपनी बैठकों में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन, जैसा यह समुचित समझे (विशेष रूप से वित्त कार्य के प्रमुख) तथा लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करती है।

**लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय :** लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण की निगरानी करना।

(ii) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तों का उल्लेख करना।

(iii) लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश भेजना।

(iv) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई अन्य सेवाओं के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों का भुगतान करने का अनुमोदन करना।

(v) मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना

- ऐसे मामले, जिन्हें बोर्ड की रिपोर्ट के निदेशकों की जिम्मेदारी के कथन में शामिल किया जाना आवश्यक है और लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में कोई परिवर्तन;
- प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने पर आधारित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
- लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरणों में महत्त्वपूर्ण समायोजन करना
- वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करना
- किसी भी संबंधित पक्षकार से किए गए लेन–देनों को प्रकट करना
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में अर्हताओं की समीक्षा करना

(vi) प्रबंधकवर्ग के साथ निम्नलिखित की समीक्षा करना :

(क) तिमाही और छमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना

(ख) कंपनी के वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना

(ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना

(घ) संसदीय सरकारी क्षेत्रक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना

(ङ) कंपनी के सभी संबंधित पक्षकार लेन–देनों की समीक्षा करना। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति किसी सदस्य को नामित कर सकती है, जो संबंधित पार्टी लेन–देनों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(vii) बाह्य और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य–निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधकवर्ग के साथ समीक्षा करना।

(viii) लेखापरीक्षा आरंभ किए जाने से पहले, लेखापरीक्षा के स्वरूप और दायरे पर सांविधिक लेखापीरक्षकों/ एजेंसियों के साथ चर्चा करना और किसी कारोबारी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के पश्चात चर्चा करना।

(ix) लेखापरीक्षा की व्यापकता की पूर्णता सुनिश्चित करने, अनावश्यक प्रयासों को कम करने और लेखापरीक्षा संबंधी सभी संसाधनों के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा के प्रयासों का समन्वय करने के लिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(x) स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और प्रबंधकवर्ग के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :

- आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, जिसमें कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी शामिल है; और
- स्वतंत्र लेखापरीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और सिफारिशों और प्रबंधकवर्ग के उत्तरों से संबंधित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना।

(xi) आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की व्यवस्था और विभाग के प्रमुख अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग की संरचना की व्यापकता और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवर्ती भी शामिल है।

(xii) ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जांच के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे मे आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना, जहां कपट या अनियमितता का संदेह हो या महत्वपूर्ण प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता पाई जाती है और निदेशक मंडल को इसकी सूचना देना तथा इन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(xiii) प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति में और/या के बिना लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों से मिलने के लिए आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना।

(xiv) स्वतंत्र लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संवाद का एक खुला अवसर प्रदान करना।

(xv) प्रबंधकवर्ग, आंतरिक लेखापरीक्षा और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना।

- वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिनमें पिछली लेखापरीक्षा की सिफारिशों की स्थिति भी शामिल है।
- लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आई कोई कठिनाई, जिसमें क्रियाकलापों के विषय–क्षेत्र या अपेक्षित सूचना तक पहुंच संबंधी प्रतिबंध भी शामिल है।

(xvi) शेयरधारकों (यदि घोषित लाभांश का भुगतान न किया गया हो) और ऋणदाताओं को भुगतान करने में महत्वपूर्ण चूक के कारणों पर ध्यान देना।

(xvii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं कार्य–निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता की समीक्षा करना और मानीटर करना।

(xviii) वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना।

(xix) संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेन–देन का अनुमोदन या बाद में किया गया संशोधन।

(xx) अंतर–कारपोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना।

(xxi) कंपनी के वचनबद्धता या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो।

(xxii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना।

(xxiii) पब्लिक ऑफर और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई निधि के अंतिम उपयोग की मानीटरिंग करना।

(xxiv) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

### 3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

हमारी कंपनी, एक सरकारी कंपनी है और इसीलिए, निदेशकों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार था। स्वतंत्र निदेशकों को, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और यह निदेशक मंडल की बैठकों तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार है। सरकारी नामिती निदेशक, निदेशक मंडल/समिति की बैठकों के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते।

निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन के परिणामतः, निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2021 को सरकारी नामिती निदेशक इस समिति के सदस्य थे। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

पारिश्रमिक समिति की मुख्य भूमिका निम्नलिखित के संबंध में निर्णय लेना है:

- कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन;
- निर्धारित सीमाओं के अंदर सभी कार्यपालकों और गैर–यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन और नीति (यदि लागू हो)।

### 3.3 कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

इस वर्ष के दौरान, 14 जुलाई, 2020 और 26 मार्च, 2021 को इस समिति की बैठकें आयोजित की गई थी। 31 मार्च, 2021 को इस समिति के गठन और समिति की बैठकों के विवरण इस प्रकार हैं :

| क्र. सं. | नाम | आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री विजयेन्द्र, सीएमडी | 02 | 02 |
| 2. | श्री पी. उदयकुमार, सदस्य | 02 | 02 |
| 3. | श्री गौरांग दीक्षित, सदस्य | 02 | 02 |

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्वों का पर्यवेक्षण करती है और परियोजना–वार सीएसआर बजट अनुमोदित करती है। कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति लागू है।

### 3.4 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति की बैठक (एएलएमसीओ)

वर्ष 2020–21 के दौरान दिनांक 15 मई, 2020, 15 अक्टूबर, 2020 और 15 जनवरी, 2021 को इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई। श्री विजयेन्द्र, सीएमडी, इस समिति के अध्यक्ष हैं। वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष इस बैठक मे स्थायी आमंत्रिती है।

## 4. प्रकटीकरण

कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

- **सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति :** कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन के अनुसार कदाचार के किसी अप्रत्याशित कार्य और किसी घटना के बारे में कर्मचारियों द्वारा चिंता जताने के उद्देश्य से व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाकर एक सतर्कता तंत्र कार्यान्वित किया है। हम पुष्टि करते हैं कि निगम के किसी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति के पास जाने से मना नहीं किया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- **नैतिकता और कारोबार आचार संहिता :** कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अनुपालन हेतु ''नैतिकता और कारोबार आचार संहिता" जारी की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

## 5. निदेशकों का पारिश्रमिक

निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी ब्यौरे, संलग्न एमजीटी–9 में दिए गए हैं।

## 6. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपीज)

31 मार्च, 2021 को यथास्थिति कंपनी में "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों" के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :

| क्र. सं. | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री विजयेन्द्र | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2. | श्री पी. उदयकुमार | पूर्णकालिक निदेशक |
| 3. | श्री गौरांग दीक्षित | पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| 4. | सुश्री निष्ठा गोयल | कंपनी सचिव |

## 7. संबंधित पक्षकार लेन–देन

स्बंधित पक्षकार के लेन–देन के ब्यौरे वित्त वर्ष 2020–21 में फार्म एओसी–2 में दिए जाने में, जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 8. कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के विवरण:

केंद्र सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है। इस बारे में मैसर्स कुमार वाधवा एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न है, जिसमें कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

## 9. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण यदि कोई हो के अलावा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिनसे से वित्तीय विवरण संबंधित हैं और जिस तारीख की यह रिपोर्ट है, के बीच हुई हों।

# नैगम अभिशासन प्रणाली के संबंध में अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,

**सदस्यगण**

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड**

हमने, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

नैगम अभिशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा है और न ही इन पर राय की कोई अभिव्यक्ति।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में या उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिससे प्रबंधकवर्ग ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

**कृते कुमार वाधवा एण्ड कंपनी**
कंपनी सचिव

**ह./–**
**पी.सी.एस. संजय कुमार**
प्रबंधन साझेदार
सदस्यता सं. : 9211
सी.पी. सं. : 7027
यूडीआईएन नः एफ009211सी000936852

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 13 सिंतबर, 2021

# वार्षिक अनुपालन - संबंधित पक्षकार लेन-देन

1. दूरस्थ आधार पर की गई संविदाओं का व्यवस्थाओं लेन–देनों का विवरणः वित वर्ष 2020–21 के दौरान किसी संबंधित पक्षकार के साथ कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण संविदा या व्यवस्था का लेन–देन नहीं किया गया है।

2. वित वर्ष 2020–21 के दौरान निकट आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देनों का विवरणः

| क्र. सं | पक्षकार (पक्षकारों) का नाम और प्रकार | संविदाओं/व्यवस्थाओं/ लेन–देनों का प्रकार | संविदाओं/ व्यवस्थाओं / लेन–देनों की अवधि | मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देनों की मुख्य शर्तें | बोर्ड द्वारा अनुमोदन यदि कोई हो, की तारीख, तारीखें | अग्रिम के रूप में प्रदत्त रकम, यदि कोई हो, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड 100 प्रतिशत सहायक कंपनी | एनवीसीएफएल की ओर से जनशक्ति सहायता, लागत, प्रिटिंग और लेखन–सामग्री, मात्रा सवारी और वाहन प्रभार तथा अतिथि–सत्कार व्यय का भुगतान जिसमें कर शामिल नहीं हैं। | चालू लेन–देन | जनशक्ति सहायता लागत 15.94 लाख रूपये और लेखन–सामग्री, मात्रा, सवारी और वाहन प्रभार तथा अतिथि सत्कार–0.82 लाख रूपये सभी रकम वास्तविक आधार पर | – | – |
| 2 | एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड 100 प्रतिशत सहायक कंपनी | एनवीसीएफलएल से प्राप्त किराया जिसमें कर शामिल नहीं हैं | 11 माह के लिए करार | किराया 0.07 लाख रूपये अर्थात 100/– रू. प्रतिमाह और कर | – | – |
| 3 | एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड 100 प्रतिशत सहायक कंपनी | विज्ञापन एवं प्रचार का भुगतान और कंपनी के निगमन पर प्रदत्त शुल्क एवं कर जिसमें कर शामिल नहीं हैं | एक बारगी लेन–देन | विज्ञापन एवं प्रचार – 13.67 लाख रूपये कंपनी के निगमन पर प्रदत्त शुल्क एंव कर – 10.83 लाख रूपये (वास्तवीक आधार पर पूर्ण राशि) | – | – |

# फार्म संख्या एओसी-1

## सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य-मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

**(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)**

### भाग "क" : सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के बारे में सूचना रूपये में रकम सहित प्रस्तुत की जाएगी)

1. क्र.सं. – 1
2. सहायक कंपनी का नाम : एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)
3. संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारिती कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो: इस सहायक कंपनी का गठन 28 अगस्त, 2020 इसलिए इस सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि 28 अगस्त 2020 से 31 मार्च, 2021 तक है।
4. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग की मुद्रा और विनिमय दर, लागू नहीं
5. शेयर पूंजी: प्राधिकृत शेयर पूंजी –10 करोड़ रूपये, प्रदत्त शेयर पूंजी 6 करोड़ रूपये
6. आरक्षित और अतिरिक्त पूंजी : (–61.10 लाख रूपये)
7. कुल परिसंपत्तियां : 543.02 लाख रूपये
8. कुल देयताएं : 4.12 लाख रूपये
9. निवेश : शून्य
10. कुल कारोबार : शून्य
11. कराधान पूर्व लाभ : –58.32 लाख रूपये
12. कराधान के लिए प्रावधान : 2.78 लाख रूपये
13. कराधान के बाद लाभ : –61.10 लाख रूपये
14. प्रस्तावित लाभांश : शून्य
15. शेयरधारण की प्रतिशतता : एनवीसीएफएल, एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है।

टिप्पणियां : विवरण के अंत में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जाएगी:

1. ऐसी सहायक कंपनी का नाम, जिसे अभी अपना प्रचालन शुरू करना है : एनवीसीएफएल ने श्रेणी–II एआईएफ के रूप में पंजीकरण के लिए सेबी को आवेदन पत्र दिया है, जिसे 1 सितंबर, 2021 के प्रमाण पत्र के जरिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत के पश्चात बाद में अनुमोदित कर दिया गया है।
2. ऐसी सहायक कंपनियों के नाम, जिन्हें इस वर्ष के दौरान परिसमाप्त कर दिया गया है या बेच दिया गया है : लागू नहीं

### भाग "ख" संबद्ध और संयुक्त उद्यम – शून्य

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों**

**अकेले वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट**

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** की अकेले वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति लेखाओं पर दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को हमारी पिछली लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमय में यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021 के पत्र संख्या एएमजी–।।।/4(21)/वार्षिक लेखा/एनएसआईसी/(2020–21)/63 के अंतर्गत महानिदेशक लेखापरीक्षा उद्योग एवं कारपोरेट कार्य, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा किए गए अवलोकनों को लागू करने के लिए संशोधित की गई है।

**राय**

हमने, **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न अकेलेवित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। इनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मुख्य कार्यालय के वित्तीय विवरण और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित तकनीकी केंद्रों सहित 54 शाखा कार्यालयों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। (जिन्हें इसमें आगे अकेले वित्तीय विवरण कहा गया है)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अकेले वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से,कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ एवं हानि अन्य व्यापक आय, (इक्विटी में परिवर्तन) तथा इसके नकदी प्रवाह की यथा संसोधित कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 (भारतीय लेखाकंन मानक) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित भारतीय लेखाकंन मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

**राय का आधार**

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार अकेले वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के अकेले वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह अकेले वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

**मुख्य लेखापरीक्षा मामले**

हम निश्चित है कि हमारी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए कोई मुख्य लेखा–परीक्षा मामले नहीं है।

**मामलों पर जोर देना**

1. हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी – 34(2) में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

   क) पैरा–1 जिनमें वर्णन किया गया है कि व्यापार प्राप्तव्यों, ऋणों और अग्रिमों, व्यापार भुगतान योग्य राशियों जमा/अर्जित धन, कर्जदार आदि के शेष, निम्नलिखित मामलों में पुष्टि/संराधन और परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, की शर्त के अधीन हैं।

- **डेबिट शेष**

(लाख रूपये में)

| क्र. सं. | विवरण | कुल | पुष्टि प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|
| 1 | व्यापार प्राप्तव्य (विपणन अन्य) (पीआईएस छोडकर निवल) | 19675.53 | 7744.67 |
| 2 | ऋण एवं अग्रिम (पीआईएस छोडकर निवल) | 242251.73 | 8212.16 |
| 3 | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 1833.28 | 706.09 |
| | **जोड़** | **263760.54** | **16662.92** |

- **क्रेडिट शेष**

(लाख रूपये में)

| क्र. सं. | विवरण | कुल | पुष्टि प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|
| 1 | व्यापार प्राप्तव्य | 19408.08 | 11118.99 |
| 2 | अन्य वित्तीय देयताएं | 14247.49 | 5554.27 |
| 3 | अन्य दीर्घकालिक दयेताएं (प्रतिभूति जमा देय, ईएमडी) | 36.21 | 15.82 |
| | **जोड़** | **33691.78** | **16689.08** |

2. हम, वित्तीय विवरणों की टिप्पणी–34 में निम्नलिखित मामले की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. वर्ष 2020–21 के लिए कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी)की बाबत 729.05 लाख रू. (पिछले वर्ष 690.18 लाख रू.) की धनराशि के तदर्थ प्रावधान के संबंध में पैरा –12

ख. पैरा 8 (III) ''मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित दिनांक 02.12.2016 के पत्र में, लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजनाओं के लिए संचित 198.50 लाख रूपये (122 लाख रू.) तथा 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 121. 454 लाख रूपये (122.54 लाख रू.) की चिकित्सा योजनाओं सृजन हेतु किए गए। इन संचयों का उपयोग वर्ष के दौरान बीमा कंपनियों के प्रीमियम के भुगतान हेतु क्रमशः 154.02 लाख रू. (53.67 लाख रू.) तथा 64.98 लाख रू. (33.66 लाख रू.) की सीमा तक किया गया है''

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

**अकेले वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना**

अन्य सूचना के लिए कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडलजिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

अकेले वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, जब यह उपलब्ध हो और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना अकेले वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है। यदि जो कार्य हमने किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना का कोई सारवान मिथ्या विवरण है तो हमारे लिए उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ सूचित नहीं करना है।

**अकेले वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

ये अकेले वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों सहित में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो अकेले वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है। अकेले वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, के चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो निगम के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीयरिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

**अकेले वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां**

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे अकेले वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग यास्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखि तभी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहेवे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और,इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्यनिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगतआंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हमइस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एकचल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।
- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथपत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जोहमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहां लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है

कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

**अन्य मामले**

हमने निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए उन 54 (पिछले वर्ष 60) शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के अकेले वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 2,83,500.59 लाख रू. (31 मार्च, 2020 के अनुसार) (300,559.78 लाख रुपए) की कुल परिसपत्तियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में यथानिर्धारित 2,07,565.06 लाख रुपए (पिछले वर्ष 186,187.50 लाख रुपए) का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसाकि वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों जिनकी नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों का संबंध है, यह पूर्णतः उन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. जैसाकि कम्पनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारीकिए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश केपैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तकइएक विवरण "अनुबंध–क" देते हैं।

2. **(क)** जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक यह सूचित करते हैं किः

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में निगम ने कानून के अधीन अपेक्षित उचित लेखा–बहियांरखी हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए उन शाखाओं और तकनीकी केंद्रों से पर्याप्त उचित विवरण प्राप्त किए गए हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत कंपनी के लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में, इन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

(घ) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण (समेकित),लाभ और हानि विवरण अन्य व्यापक आय सहित इक्विटी में परिवर्तन विवरण नकद प्रवाह विवरण और खाता बहियों तथा हमारे द्वारा दौरान किए गए शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों से प्राप्त विवरणियों से मेल खाते हैं।

(ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीयविवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि.(जीएसआर) 463 (असाधारण) (ई) दिनांक 05–06–2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164 कीउपधारा–2 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में **"अनुबंध–ख"** के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

**(ख)** कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के

प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें;

(ii) निगम के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थीं;?

(iii) कोई ऐसी राशियां नहीं थीं, जिन्हें निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(ग) अधिनियम के 197 (16) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणोंके अनुसार एमसीए की तारीख 05 जून. 2015 की अधिसूचना के अंतर्गत सरकारी कंपनियों प्रबंधकीय वर्ग का पारिश्रमिक के बारे में कंपनी अधिनियम के साथ पठित धारा 197 उपबंधों (अ) के अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

3. हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5)के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में मुख्य कार्यालय के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के खातों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों की लेखापरीक्षा के संबंध में तैयार की गई **"अनुबंध–ग"** के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएएसीएच6485

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अकेले वित्तीय विवरणों पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक विनियामक शर्तें' भाग पर हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ "1" में उल्लिखित अनुबंध

(i) (क) कंपनी ने, अचल परिसंपत्तियों, के मात्रात्मक विवरणों और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया है और सत्यापन करने का निरंतर कार्यक्रम है, जो हमारी राय में निगम के आकार और उसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत है। इस सत्यापन में कोई सारवान विसंगति जानकारी में नहीं आई। जहां तक पट्टे पर दी गई अचल परिसंपत्तियों का संबंध है, हमें सूचित किया गया है कि चूक वाले मामलों में ही प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली रही है और अन्य मामलों के संबंध में सत्यापन तभी किया जाता है जब आवश्यक हो। हमें यह सूचित किया गया है कि ऐसा प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर कोई गंभीर विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर निम्नलिखित अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्वाधिकार विलेख कंपनी के नाम से धारित नहीं हैं:

(लाख रू. में)

| क्र. सं. | संपत्ति के ब्यौरे | क्षेत्रफल | सकल ब्लॉक 31.03.2021 को यथास्थिति | निवल ब्लॉक 31.03.2021 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | तकनीकी केंद्र, हावड़ा में स्थित भूमि | 49.94 एकड़ | 1.60 | 1.60 |
| 2 | मुंबई शाखा कार्यालय में स्थित फ्लैट | 3660.00 वर्ग फुट | 11.52 | 5.30 |

(ii) जैसाकि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान या वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा तैयार माल, कच्चे माल, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में सत्यापन पूरा कर लिया गया है। हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है। ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्त्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया/दिया है। तदनुसार आदेश के, पैराग्राफ 3(iii)(क) और (ख) लागू नहीं हैं।

(iv) लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय में कंपनी के निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के उपबंधों के अधीन कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी या जमानत भी नहीं दी है, इस प्रकार उपर्युक्त धाराओं के उपबंध निगम पर लागू नहीं हाते हैं।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के अभिप्राय से या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अभिप्राय से जनसाधारण से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश का खंड 3(अ) का उपबंध निगम पर लागू नहीं होता।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के किसी उत्पाद के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा लागत रिकार्ड का रखरखाव विनिर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) (क) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और लागू अन्य किसी सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराई जाती हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त सांविधिक देय राशियों के संबंध में उनके देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की

अवधि के लिए 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित राशि देय नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर, उप–कर से संबंधित कोई ऐसी देय राशियां नहीं हैं, जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति निम्नलिखित को छोड़कर, पूरे कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराई गई हैं:

| क्रम सं. | संविधि का नाम | देय राशियों का स्वरूप | धनराशि (लाख रु. में) | अवधि जिससे राशि संबंधित है | मंच, जहां विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर | 2.10 | 1990–91 | सीटीओ, गांधी नगर सर्किल, हैदराबाद |
| 2. | बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर | 4.14 | 1993–94 | सीटीओ, गांधी नगर सर्किल, हैदराबाद |
| 3. | बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर | 15.62 | 2000–01 | सीटीओ, गांधी नगर सर्किल, हैदराबाद |
| 4. | बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर | 2.80 | 1993–94 | सीटीओ, गांधी नगर सर्किल, हैदराबाद |
| 5. | बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर | 6.77 | 2016–17 | सीटीओ, सिकंदराबाद |
| 6. | सीएसटी अधिनियम, 1956 | केंद्रीय बिक्री कर | 0.49 | 2009–10 | अपीलीय उपायुक्त, सीटी (III), चेन्नई |
| 7. | सीएसटी अधिनियम, 1956 | केंद्रीय बिक्री कर | 0.56 | 2011–12 | अपीलीय उपायुक्त, सीटी (III), चेन्नई |
| 8. | सेवा कर | सेवा कर | 3.29 | 2009–10 | सेवा कर उपायुक्त, चेन्नई |
| 9. | वाणिज्यिक कर | वाणिज्यिक कर | 13.97 | 2012–13 व 2013–14 | संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उड़ीसा |
| 10. | सेवा कर | सेवा कर | 9.56 | अक्टूबर 2007 से जून 2012 | अपीलीय न्यायधिकरण, इलाहाबाद |
| 11. | बिक्री कर अधिनियम | अंतरीय कर, ब्याज | 15.88 | 2005–06 | उपायुक्त बिक्री की अपील |
| 12. | बिक्री कर अधिनियम | अंतरीय कर, ब्याज | 23.92 | 2009–10 | उपायुक्त बिक्री कर अपील |
| 13. | बिक्री कर अधिनियम | अंतरीय कर, ब्याज और दंड | 231.24 | 2012–13 | बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील |
| 14. | बिक्री कर अधिनियम | अंतरीय कर, ब्याज और दंड | 18.92 | 2013–14 | बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील |
| 15. | बिक्री कर अधिनियम | अंतरीय कर, ब्याज | 46.97 | 2014–15 | बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील |
| 16. | बिक्री कर अधिनियम | अंतरीय कर, ब्याज | 82.43 | 2015–16 | बिक्री कर संयुक्त आयुक्त, अपील |
| 17. | उड़ीसा वैट अधिनियम | बिक्री कर | 15.67 | 2012–13 से 2013–14 | बिक्री कर संयुक्त आयुक्त, कटक |
| 18. | उड़ीसा वैट अधिनियम | बिक्री कर | 18.15 | 2014–15 | बिक्री कर संयुक्त आयुक्त, कटक |
| 19. | पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम | मूल्य वृद्धित कर | 1.39 | 2014–15 | बिक्री कर वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, पश्चिम बंगाल |
| 20. | बिक्री कर अधिनियम | केन्द्रीय बिक्री कर | 332.95 | 2016–17 | व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली |
| 21. | आय कर अधिनियम | आय कर नियमित | 18.39 | 2016–17 | सीआईटी (अपीलस) IX, नई दिल्ली |
| 22. | आय कर अधिनियम | आय कर नियमित | 1.73 | 2017–18 | डीसीआईटी सर्कल 25(1), नई दिल्ली |
| | **जोड़** | | **866.94** | | |

(viii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि निगम ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक को देय धनराशियों की अदायगी में चूक नहीं की है। निगम ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

(ix) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (जिसमें ऋण लिखत भी शामिल है) के माध्यम से धन नहीं जुटाया गया है और सावधि ऋण का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किसी धोखाधड़ी का पता नहीं चला है या इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है।

(xi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार एमसीए की तारीख 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अंतर्गत सरकारी कंपनियां प्रबंधकीय वर्ग का पारिश्रमिक के बारे में कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के उपबंधों के अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त हैं।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार यह निगम कोई निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 4(xii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xiii) हमारे द्वारा मांगी गई और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखापरीक्षा के दौरान सामान्य रूप से हमारे द्वारा जांच की गई लेखा–बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन अधिनियम, जहां लागू हो, की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और ब्यौरे, लागू लेखांकन मानकों यथा द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखापरीक्षा के दौरान सामान्य रूप से हमारे द्वारा जांच की गई लेख–बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है या शेयरों अथवा पूर्णतः या अंशतः प्रदत्त डिबेंचरों का निजी धारण नहीं किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि निगम ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

(xvi) निगम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अधीन सुव्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, इसलिए निगम को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार करने के लिए दिनांक 29/12/2005 का पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. एन.14.03090 प्रदान किया गया है।

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएएसीएच6485

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

अनुबंध - 'ख'

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अकेले भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

**कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारीः**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधक–वर्ग जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें कंपनी की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

**लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारीः**

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय कंपनी के आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (मार्गदर्शक टिप्पणी) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएं लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्यः**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएंः**

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

**अर्हक रायः**

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31.03.2021 को यथास्थिति निम्नलिखित प्रमुख कमियों का पता चलता हैः

1. ऋणियों के खातों/वित्तीय विवरणों की समीक्षा कुछ मामलों में शेष राशियों की आवधिक पुष्टि और इकाइयों को मंजूर की गई सीमा के नवीकरण की प्रक्रिया का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन/मॉनीटरिंग नहीं की गई। प्रबंधन ने सूचित किया कि समग्र प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और इन कमियों को देखते हुए, प्रबंधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावी प्रयास किए जाते हैं और इनके प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न जांच/नियंत्रणों की व्यवस्था की गई है। हमारी राय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की आवधिक रूप से मॉनीटरिंग करने और उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

2. निगम की जोखिम प्रबंधन नीति और कार्य नीति तथा उसके प्रलेखन, समालोचनात्मक समीक्षा और निरंतर आधार पर नवीकरण प्रक्रिया का निरंतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन और प्रणालियों के संबंध में आंतरिक नयंत्रण को और अधिक सशक्त बनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय आंकड़े तैयार करने और इनकी रिपोर्टिंग में किसी मैनुअल हस्तक्षेप से बचने के लिए एक एकीकृत लेखांकन पैकेज का कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है।

3. बजटीकरण में और सुधार करने की आवश्यकता है। कैडर/पद–वार उपलब्ध रिक्तियों पर आधारित खुले बाज़ार के जरिए भर्तियों के लिए मानव संसाधन प्रभाग द्वारा कोई बजट तैयार नहीं किया गया है, जो वित्तीय वर्ष के आरंभ में शीर्ष प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर दी गई महत्त्वपूर्ण कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी प्रकार से महत्त्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे।

**अन्य मामले**

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत अब तक की 54 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय विवरणों/सूचनाओं से संबंधित है जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने इस तरह की शाखाओं/कार्यालयों के लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है।

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएएसीएच6485

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

# अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएएसीएच6485

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अकेले भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर समतिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ग''

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अकेले भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर सदस्यों को समतिथि की हमारी रिपोर्ट के ''अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाएं'' भाग पर हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ ''3'' में उल्लिखित अनुबंध**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए गए तकनीकी सेवा केन्द्रों सहित 54 शाखा कार्यालयों और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,नई दिल्ली के लेखाओं के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

| क्र. सं. | निर्देश | उत्तर |
|---|---|---|
| I | क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ–साथ लेखांकन के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रोसेसिंग के प्रभावों का उल्लेख किया जाए। | जी, हां, निगम में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। निगम, लेखांकन के लिए टेली (ईआरपी 9) और स्टोव सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। आरएमए वित्तपोषण के लिए आरएमए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। तथापि, टेली अब एकीकृत किया जा रहा है। लेखापरीक्षा की गई शाखाओं की रिपोर्टों, अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेन–देन प्रोसेस नहीं किया गया है/ना ही बाहर लेकर गए हैं। |
| II | क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या निगम को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि के मामलों की कोई पुनर्संरचना नहीं की गई है। |
| III | क्या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य निधियों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है/शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें। | शाखा कार्यालयों की लेखा–परीक्षित रिपोर्टों, अपनाई गई, लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर विशिष्ट योजनाओं के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों की एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधियों का उपयोग सं.बंधित शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया है। |

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन न: 21099172एएएसीएच6485

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 02.11.2021

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110020

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा जारी किए गए गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 द्वारा यथाअपेक्षित और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम निगम पर लागू होने वाली सीमा तक उक्त निदेश के अध्याय II में विनिर्दिष्ट मामलों पर सूचित करते हैं कि:

1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अनुसरण में कंपनी ने दिनांक 29.12.2005 की पंजीकरण संख्या एन–14–03090 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, जिसमें कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2) निदेशक बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भविष्य में सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार न करने के लिए 9 दिसंबर, 1998 का एक संकल्प पारित किया है, जिसकी पुनः पुष्टि 12 दिसंबर, 2005 को पारित बोर्ड के संकल्प में की गई है।

3) कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

4) निगम 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति अपने मुख्य मानदण्ड (वित्तीय परिसंपत्ति/आय ढांचा) के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) निरंतर धारित करने का पात्र है।

5) निगम गैर–बैकिंग वित्तीय कंपनी–सिस्टमीकली इम्पोर्टेंट नॉन–डिपॉजिट टेकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथानिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार निवल स्वामित्व निधि अपेक्षा को पूरा करता है।

6) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170–डीओआर (एनबीएफसी)–सीसी.पीडी. संख्या 109/22. 10.106/2019–20 दिनांक 13–03–2020 के आधार पर कंपनी भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत आने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी) से अपेक्षा की जाती है कि वे वर्ष 2019–20 से और उसके बाद के वर्षों से अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक (इण्डएएस) का पालन करें। अतः वित्त वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएल को वित्तीय लिखतों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी गई है।

7) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपतियों/आरक्षितता और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (डीएनबी एसओ 03 विवरणी) का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुपालन में, सीआरएआर सहित विनिर्धारित अवधि के अदंर दाखिल करने की तारीख को आहरित, तिमाहियों के अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 की सभी तिमाहियों के लिए निगम द्वारा दाखिल कर दिया गया है। इसके अलावा, सीआरएआर 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षितवित्तीय विवरणों के आधार पर सही–सही निकाली गई है और यह अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा/विनिर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है।

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएसीएच6485

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

## सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाण–पत्र (एसएसी)

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है। हमें दी गई जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित विवरणों को प्रमाणित करते हैं:

| क्र. सं. | विवरण | ब्यौरे |
|---|---|---|
| 1. | कंपनी का नाम | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| 2. | पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या | एन.14.03090 |
| 3. | पंजीकृत कार्यालय का पता | एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110020 |
| 4. | कारपोरेट कार्यालय का पता | –वही– |
| 5. | इस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस रूप में वगीकृत किया गया है। (निवेश कंपनी/ ऋण कंपनी/ एएफसी/ एनबीएफसी–एमएफआई/ एनबीएएफसी–एमएफआई / एनबीएफसी–फैक्टर/ आईएफसी/ आईडीएफ–एनबीएफसी) | ऋण कंपनी |
| 6. | निवल स्वामित्व निधि (करोड़ रूपये में) (इसका हिसाब अनुबंध में दिया गया है) | 914.80 रूपये |
| 7. | कुल परिसंपत्तियां (करोड़ रूपये में) | 3012.64 रूपये |
| 8. | परिसंपत्ति–आय पैटनः (आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति 1998–99/1269 दिनांक 08 अप्रैल, 1999 के अनुसार)<br>क) कुल परिसंत्तियों में वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिशतता<br>ख) सकल आय में वित्तीय आय की प्रतिशतता (एनबीएफसी–फैक्टर/ एनबीएफसी/एमएफआई/ एएफसी/ आईएफसी का उल्लेख भी नीचे अलग–अलग करें। | <br>88.50%<br>69.20% |
| 9. | क्या कंपनी के पास 31 मार्च, 2019 को कोई पब्लिक डिपो.जिट है। यदि हां तो रकम का उल्लेख करोड़ रूपयों में करें। | नहीं |
| 10. | क्या कंपनी ने आरक्षित निधि में इस वर्ष अपने निवल लाभ के 20 प्रतिशत से कम धनराशि अंतरित की है। (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा–45–आईसी के अनुसार) | हां |
| 11. | क्या कंपनी ने कोई एफडीआई प्राप्त किया है। यदि हां, तो क्या कंपनी एफडीआई के संबंध में न्यूनतम पूंजीकरण मा.पदंडों का अनुपालन करती है। | नहीं |
| 12. | यदि कंपनी को एनबीएफसी–फैक्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया तो–<br>क) कुल परिसंपत्तियों में फैक्टरिंग परिसपत्तियों की प्रतिशतता<br>ख) सकल आय में फैक्टरिंग आय की प्रतिशतता | लागू नही |
| 13. | यदि कंपनी को एनबीएफसी–एमएफआई के रूप में वर्गीकृत किया गया तो–निवल परिसंपत्तियों में अर्हक परिसंपत्ति की प्रतिशतता (कृपया अधिसूचना डीएनबीएस, पीडी संख्या 234 सीजीएम (यूएस) 2011 दिनांक 02 दिसंबर 2011 देखें | लागू नही |
| 14. | यदि कंपनी को एएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो–<br>क) कुल परिसंपत्तियों में वास्तविक/यथार्थ परिसंपत्ति सहायता संबंधी आर्थिक क्रियाकलापों के सृजन के लिए दिए गए अग्रिमों की प्रतिशतता<br>ख) कुल आय में इन परिसपंत्तियों के उत्पन्न आय की प्रतिशतता | लागू नही |

| क्र. सं. | विवरण | ब्यौरे |
|---|---|---|
| 15. | यदि कंपनी को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो कुल परिसंपित्तयों में बुनियादी ढांचा ऋणों की प्रतिशतता | लागू नही |
| 16. | क्या वर्ष के दौरान शेयर धारण/प्रबंधन के नियंत्रण परिवर्तन को अपने हाथ में लिया गया है/का अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिए आरबीआई का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो। (कृपया विस्तृत जानकारी के लिए इस संबंध में अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 065/03.10.001/2015–16 दिनांक 09 जुलाई, 2015 देखें। | लागू नही |

मास्टर निर्देश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 दिनांक 29 सितंबर, 2016 के अनुसार कपनी के निदेशक मंडल को एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएएसीएच6485

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

| क्र. सं. | पूंजीनिधि – टियर I | रूपये करोड़ों में |
|---|---|---|
| 1 | प्रदत्त इक्विटी पूंजी | 532.99 |
| 2 | इक्विटी में अनिवार्य रूप में परिवर्तित किए जाने वाले तरजीही शेयर | |
| 3 | मुक्त आरक्षित निधि | |
| | सामान्य आरक्षित निधि | |
| | शेयर प्रीमियम | |
| | पूंजीगत आरक्षित निधि | |
| | डिवेंचर उन्मोचन आरक्षित निधि | |
| | पूंजीगत उन्मोचन आरक्षित निधि | |
| | लाभ और हानि लेखें में जमा शेष | 436.06 |
| | अन्य मुक्त आरक्षित निधि (कृपया उल्लेख करें) | |
| 4 | विशेष आरक्षित निधि | 40.16 |
| | 1 से 4 का जोड़ | 1009.21 |
| 5 | **घटायें:** i. संचित शेष हानि | |
| | ii. आस्थगित राजस्व व्यय | |
| | iii. अस्थगित कर परिंसपंत्तियां (निवल) | 40.71 |
| | iv. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां | 53.70 |
| | **स्वामित्व की निधियां** | 914.80 |
| 6 | निम्नलिखित के शेयरों में निवेश<br>i. उसी समूह में कंपनियां | |
| | ii. सहायक कंपनियां | 600.00 |
| | iii. पूर्णस्वामित्व की सहायक कंपनियां | |
| | iv. अन्य एनबीएफसी | |
| 7 | निम्नलिखित को और निम्नलिखित में जमा डिवेंचरों, बांडों, बाकी ऋणों और अग्रिमों, खरीदे गए और हिसाब में लिए गए बिलों का खाता मूल्य (जिनमें एचपी और पट्टा वित्त भी शामिल है): | |
| | i. उसी समूह में कंपनियां | |
| | ii. सहायक कंपनियां | |
| | iii. विदेशों में पूर्णस्वामित्व की सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम | |
| 8 | 6 और 7 का जोड़ | 600.00 |
| 9 | अपने स्वामित्व की निधि के 10 प्रतिशत से अधिक की मद 8 की रकम | – |
| 10 | **निवल स्वामित्व निधि** | **914.80** |

# टिप्पणियां, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

## टिप्पणी–1 : कॉरपोरेट सूचना एवं लेखांकन का आधार

### 1. कॉरपोरेट सूचना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे 'एनएसआईसी' या 'निगम' कहा गया है), वर्ष 1955 में अधिनियमित किया गया था। रा.ल.उ.नि. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विनियमित भारत में स्थित और अधिनिगमित (सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481) है और दिनांक 29.12.2005 के प्रमाण–पत्र सं. एन14.03090 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाले गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। ग्लोबल लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर फाउण्डेशन (जीएलईआईएफ) के पास पंजीकृत विधिक सत्ता अभिनिर्धारक (लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक ''मिनिरत्न श्रेणी–1'' आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, सहायता देने और प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजना के एक सेट के साथ उन्हें सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी, विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और अन्य सहायता सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराता है।

### 2. लेखांकन का आधार

#### i. अनुपालन कथन

निगम के वित्तीय विवरण इण्डएएस के अनुसार होंगे, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान के कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक), नियम 2015 (यथासंशोधित) और अन्य लागू विनियामक मापदंड/दिशानिर्देशों के अधीन अधिसूचित किया गया है।

निगम के वित्तीय विवरण उपार्जित लेखा प्रणाली (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न हो), भारतीय लेखाकरण मानक (जिसका उल्लेख ''इण्डएएस के रूप में किया गया है) का ऐतिहासिक लागत की परंपरा का पालन करने के अधीन चलन के आधार पर तैयार किया गया है। यह निगम कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 और अन्य लागू विनियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 के अधीन अधिसूचित है।

#### ii. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के (अन्य व्यापक आय आदि के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी विलेख) और वित्तीय देयताओं (प्रतिभूति जमा राशियों आदि) के, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों/समय के लिए लगातार लागू किया गया है। ये नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत रूप से लागू की गई हैं।

#### iii. अनुमानों, कल्पनाओं और प्रबंधन निर्णयों का इस्तेमाल

निगम की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों

से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएं।

**iv. महत्त्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय**

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, निगम के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करे, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें सुसंगत माना जाता है।

लेखांकन नीतियां, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई हैः

**क. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)**

पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन, परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट की गई प्रत्येक तारीख को किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यह्रास/मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

**ख. बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियां**

भारतीय लेखाकंन मानक 105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और बंद कर दिए गए प्रचालन'' के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का लेखाकंन लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। अनुप्रयोज्यता का आकलन करने में प्रबंधन ने, तत्काल बिक्री के लिए परिसंपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के अंदर बिक्री की संभावना का मूल्याकंन करने के लिए निर्णय लिया है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए बिक्री लेनदेन के जरिए उनका रखाव मूल्य सिद्धांततः वसूल किया जाएगा।

**ग. आय कर**

भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि/अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

**घ. वित्तीय साधनों की हानि**

वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाज़ार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तारीख के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

**ड़. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई)**

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

**च. सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :**

सुनिश्चित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों की लागत और इस दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र

बीमांकिक मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाने शामिल हैं, जो भविष्य में वास्तविक प्रगतियों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि बट्टा दर, भावी वेतन वृद्धियां, मर्त्यता दरों और संघर्षण दरों के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा लगाए गए अनुमान तर्कसंगत होते हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधिक स्वरूप के कारण इन अनुमानों में कोई परिवर्तन करने के लिए यह दायित्व अत्यधिक संवेदनशील है। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को की जाती है।

**छ. वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन :**

जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहां कहीं संभव हो, अवलोकनयोग्य बाज़ारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का इस्तेमाल किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

**ज. प्रावधान और आकस्मिकताएं :**

अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बर्हिवय की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तारीख को संसाधनों का वास्तविक बर्हिवय, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

**v. कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा :**

ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और निगम की कार्यात्मक मुद्रा है, में तैयार किए जाते हैं। रुपयों में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचना को दो दशमलव के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है, जब तक अन्यथा न दर्शाया गया हो।

## टिप्पणी 2 : महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश, जो नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

**I. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) – मूर्त पीपीईज**

क) आरंभिक मान्यता और मापन

i. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों को आरंभतः लागत आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मूल्यह्रास, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ii. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और 31 मार्च, 2001 तक** अधिगृहीत पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त की गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर मूल्यह्रास के पश्चात निवल संचित शेष, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, के आधार पर किया जाता है।

iii. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों के अलावा, संपत्ति,** संयंत्र और उपस्कर की मदों का उल्लेख उनके अधिग्रहण की मूल लागत के आधार पर किया जाता है, जिसमें कर, ड्यूटियां, मालभाड़ा और संचित मूल्यह्रास

तथा संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर संबंधित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापन से संबंधित अन्य प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं।

iv. जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता दी जाती है।

v. उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विनिर्दिष्ट मद के प्रत्यक्षतः कारण उधार लेने की लागतें (उधार ली गई निधियों, यदि कोई हों, के अस्थायी निवेश पर आय घटाने के पश्चात) उन मदों के प्रति पूंजीकृत की जाती हैं।

vi. इस्तेमाल के लिए/इस्तेमाल में लाने के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के मामले में, जहां अंतिम लेखा विवरण/ठेकेदारों/कार्यान्वयन एजेंसी के साथ बिलों का निपटान अभी किया जाना है, ऐसी स्थिति में पूंजीकरण आवश्यक समायोजनों, जिनमें अंतिम निपटान के वर्ष में मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों के निपटान से उत्पन्न समायोजन शामिल हैं, की शर्त के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है।

ख) उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की वहन धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की दिन–प्रति दिन की सर्विसिंग की लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) विमान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**II. चल रहा पूंजीगत कार्य**

क) चल रहे पूंजीगत कार्य में उन स्थिर परिसंपत्तियों की लागत शामिल है, जो तुलन–पत्र की तारीख को उनके आशयित इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हैं।

ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियां लागत के आधार पर ली जाती हैं, जिनमें इसके आशयित इस्तेमाल के लिए परिसंपत्तियों को स्थान पर तथा आवश्यक कार्यचालन स्थिति में लाने के कारण प्रत्यक्ष लागत (सामग्री की लागत, श्रम और अन्य प्रासंगिक व्यय) तथा संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय (ऊपरी व्यय सहित) शामिल हैं।

ग) निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे ब्याज संबंधी आय, वसूल की गई परिसमापन हानियां आदि को निर्माण अवधि के दौरान हुए खर्च के प्रति समायोजित किया जाता है।

घ) निक्षेप कार्य/लागत जमा संविदा को ठेकेदारों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर लेखे में लिया जाता है। जब तक परिसंपत्तियों को पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है।

ड़) पीपीई के अर्जन/निर्माण के लिए प्रदत्त उन अग्रिमों को 'पंजी अग्रिमों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया है।

III. **अमूर्त परिसंपत्तियां**

क) आरंभिक मान्यता और मापन

ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियां, जो निगम द्वारा अर्जित की गई हैं, जिनका निश्चित उपयोगी जीवनकाल हो, को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मौद्रिकीकरण और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ख) उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को परिसंपत्ति की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

ग) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकंन मानक–38 के अनुसार, किया गया कोई खर्च, विशेष रूप से किसी अमूर्त परिसंपत्ति के विकास के प्रति श्रेय देने योग्य खर्च और मान्यता एवं मापन मानदंड पूरा करने की संभावना वाला खर्च, विकास पूरा हो जाने पर, ''विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां'' के रूप में पूजीकृत किए जाते हैं, जब तक वे उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार हैं।

घ) विमान्यताकरण

अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां अमूर्त परिसंपत्ति की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

IV. **संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का हानिकरण**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो। हानिकृत हानि को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति पुनर्मूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप में दर्शाया जाता है।

V. **बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियां**

गैर वर्तमान परिसंत्तियां, बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, यदि उनकी वहन धनराशि, एक बिक्री लेनेदेन के जरिए (निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए) सिद्धांततः वसूल किए जाने के लिए आशयित हो, जब यह परिसंपत्ति, अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए प्रायिक और प्रथागत हैं और यह बिक्री अत्यधिक संभावना वाली है और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर एक पूरी कर ली गई बिक्री के रूप में मान्यता हेतु अर्हक बनने की आशा वाली है।

बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य तथा उनकी रखाव धनराशि से निम्नतर मूल्य पर मापी जाती हैं, उन परिसंत्तियों को छोड़कर जैसे आस्थगित कर कर्मचारी लाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियां, आर्थिक परिसंपत्तियां और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदात्मक अधिकार, जो विशेष रूप से इस शर्त से छूट प्राप्त हैं। बिक्री लागतें घटाकर निकाले गए उचित मूल्य के निर्धारण में, प्रबंधन के आकलनों और अनुमानों का इस्तेमाल शामिल है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता, जब वे बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, तुलन–पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत की जाती हैं।

VI. **मूर्त परिसंपत्तियों और परिशोधन तथा अमूर्त पीपीईज पर मूल्यह्रास**

**क) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2001 तक अधिगृहीत पट्टााधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई परिसंपत्तियां**

मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार अपलेखित मूल्य पद्धति पर, परिसंपत्तियों के इस्तेमाल में लाने के दिन से अनुपाततः आधार पर किया जाता है।

**ख) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और पट्टााधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मदें**

i) पीपीई पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन यंत्र के।

| क्र. सं. | परिसंपत्तियों के स्वरूप | उपयोगी जीवनकाल | दर (एसएलएम) | अवशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| i. | आरसीसी फ्रेम ढांचा बनाना | 60 वर्ष | 1.58% | मूल लागत का 5% |
| ii. | आरसीसी फ्रेम ढांचे के अलावा अन्य बनाना | 30 वर्ष | 3.17% | मूल लागत का 5% |
| iii. | अस्थायी ढांचा बनाना | 3 वर्ष | 31.67% | मूल लागत का 5% |
| iv. | सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| v | सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी के अलावा | 5 वर्ष | 19.00% | मूल लागत का 5% |
| vi. | सड़कें – गैर–कारपेरेटेड | 3 वर्ष | 31.67% | मूल लागत का 5% |
| vii. | संयंत्र और मशीनरी | 15 वर्ष | 6.33% | मूल लागत का 5% |
| viii. | फर्नीचर और फिटिंग | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| ix. | वाहन दुपहिया | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| x. | वार चारपहिया | 8 वर्ष | 11.88% | मूल लागत का 5% |
| xi. | कार्यालय उपस्कर | 5 वर्ष | 19.00% | मूल लागत का 5% |
| xii. | कंप्यूटर और प्रोसेसिंग इकाइयां | 3 वर्ष | 31.67% | मूल लागत का 5% |
| xiii. | सर्वर और नेटवर्क | 6 वर्ष | 15.83% | मूल लागत का 5% |
| xiv. | विधुत वितरण संयंत्र | 35 वर्ष | 2.71% | मूल लागत का 5% |
| xv. | विद्युतीय संस्थापनाएं और उपस्कर | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| xvi. | अमूर्त परिसंपत्तियां – सॉफ्टवेयर | 5 वर्ष | 20.00% | रु.1/– |
| xvii. | मोबाइल फोन उपकरण | 3 वर्ष | 33.33% | रु. 1/– |

ii) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) से घटावों/अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रास, उस तारीख, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध है, से/तक अनुपाततः आधार पर प्रभारित किया जाता है।

iii) 0.10 लाख रुपए तक की लागत की परिसंपत्तियां, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5: रखने के पश्चात, खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्य ह्रासित की जाती हैं, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण जहां रूपये 1 को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

iv) 0.10 लाख से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरण, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

v) सरकारी अनुदानों से खरीदे गए पीपीई के मामले में मूल्यह्रास, उन परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में 'पूंजीगत आरक्षित' (जो आस्थगित आय के स्वरूप का है) के प्रति प्रभारित किया जाता है। पूंजीगत आरक्षित, खरीद लागत के साथ प्राप्त अनुदानों में से स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद के समय सृजित किया जाता है।

vi) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन, पट्टा अवधि में किया जाता है।

vii) 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में मान्यताप्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, अवशिष्ट मूल्य के रूप में

1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त की गई थी, से आरंभ करके पांच वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर किया जाता है।

**VII. उधार लागतें**

उधार लागतों में ब्याज और अन्य लागतें शामिल हैं, जो निगम निधियां उधार लेने के संबंध में खर्च करता है।

अर्हक परिसंपत्तियों के लिए लगाई गई उधार लागतें, विशेष रूप से परिसपंत्ति के वित्तपोषण के लिए खर्च की गई, उधार लेने के आधार पर, उन निधियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी आय के 'नेटिंग ऑफ' के पश्चात, आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत की जाती हैं। अर्हक परिसंपत्तियां, ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जो उनके आशयित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

अन्य सभी उधार लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में उस रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उपार्जित हुई हैं।

**VIII. मालसूचियां**

क) मालसूची में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:

i. लेखन–सामग्री का स्टॉक और विविध मदें

ii. भंडार, पैटर्न, सांचे, औज़ार, मापन उपकरण और मार्गस्थ सामान।

iii. तैयार माल का भंडार, तैयार संघटक, चल रहा कार्य और रा.ल.उ.नि. के तकनीकी सेवा केंद्रों में भंडार।

iv. वाणिज्यिक क्रियाकलापों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

v. किराया खरीद (एचपी) और संयुक्त सावधि ऋण (सीटीएल) के अधीन पुनः कब्जे में ली गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित मशीनों का भंडार।

vi. जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 को या उसके बाद दी गई हैं, उपस्कर पट्टे के अधीन पुनः कब्जे में ली गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित मशीनों का भंडार।

vii. अप्रचलित और उपयोग में न लाई जाने वाली परिसंपत्तियां।

viii. स्टॉक–इन–ट्रेड के रूप में भूमि, भवन और शेड आदि।

ख) लागत का निर्धारण 'पहले आए पहले जाए' (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है।

ग) मालसूचियों का मूल्यांकन, लागत के निम्नतर और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

लागत में, खरीद की लागत और माल की उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगाई गई अन्य लागतें शामिल हैं। तैयार माल, तैयार संघटकों और रा.ल.उ.नि. तकनीकी सेवा केंद्रों में चल रहे कार्य के स्टॉक के मामले में, प्रत्यक्ष लागतों के अलावा, ऊपरी व्यय, पूर्व निर्धारित मानक दरों पर बाह्य कार्य आदेशों के प्रति प्रभारित ऊपरी व्यय घटाकर उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल ऊपरी व्यय के अनुपात में प्रत्यक्ष श्रम लागत में प्रभारित किए जाते हैं।

घ) खरीदे गए माल की लागतें, छूट और बट्टे घटाने के पश्चात निर्धारित की जाती हैं। वसूलीयोग्य निवल मूल्य, सामान्य व्यवसाय के दौरान अनुमानित विक्रय मूल्य में से बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें और पूर्ण करने की अनुमानित लागतें घटाकर निकाला गया मूल्य है।

**IX. राजस्व मान्यता**

राजस्व, प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/राजस्व (प्रशिक्षण क्रियाकलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व सहित) की सभी मदें और व्यय, प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं, जहां नीचे यथा उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चितता हो:

**क) किराया खरीद, विपणन, कच्चा माल वितरण/सहायता, बिल वित्तपोषण और संयुक्त सावधि ऋण के अंतर्गत वित्तीय क्रियाकलापों से आय**

i. ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज आय को, संविदात्मक अवधियों के संदर्भ में प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii. मास्टर निर्देश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सर्वांगी रूप से महत्त्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के

अनुसार, जिस तारीख से ऋण और अग्रिम एनपीए बन जाते हैं, उस तारीख से कोई ब्याज उपार्जित नहीं होगा।

iii. एनपीए लेखों के मामले में अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं किए गए ब्याज को, रिपोर्टिंग की तारीख को अतिरिक्त सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस) के रूप में प्रत्यावर्जित किया जाता है और तदनुसार उसे कुल बकाया देयताओं में से घटाया जाता है। परंतु ऐसा उन मामलों में नहीं किया जाता है, जहां नई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को रिपोर्टिंग की तारीख तक प्राप्त नहीं किया जाता है।(नीचे IX(क)(ix) देखें)

iv. निगम के भिन्न–भिन्न क्रियाकलापों/ स्कीमों के अंतर्गत दांडिक ब्याज, जहां कहीं इसे वसूली के लिए संदिग्ध समझा जाए, को इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

v. प्रोसेसिंग शुल्क/सेवा प्रभार को समय पर समानुपातिक आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

vi. जहां इकाई के खाते अवरुद्ध कर दिए गए हों, इकाई के खाते में आगे कोई ब्याज डेबिट नहीं किया जा रहा है।

vii. पुनः कब्जे में लेने/जब्त करने/अभ्यर्पण की तारीख को यथास्थिति किराया खरीद और उपकरण पट्टाकरण के मामले में पुनः कब्जे में ली गई/जब्त की गई/ अभ्यर्पित मशीनों की बिक्री से प्राप्त, उनके मूल्य से अधिक धनराशि, चूक वाले किराएदार/पट्टेदार खाते के प्रति समायोजित की जाती है। किराएदार/ पट्टेदार से देय धनराशि से अधिक किसी धनराशि को, बिक्री से प्राप्त धनराशि के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

viii. आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क, जहां कहीं लागू हों, को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

ix. बैंक गारंटी (बीजी) मांगे जाने पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के पास अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से बंद कर दिया जाता है और अर्जित, लेकिन प्राप्त नहीं किया गया ब्याज, जिसमें कुल देयताएं, यदि कोई हों, भी शामिल हैं, को 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उच्चंत (पीआईएस)' के रूप में ब्याज आय से प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि, निगम के नामित बैंक लेखे में मांगी गई बैंक गारंटी से प्राप्त आय नहीं प्राप्त होती है, तो इस रकम को **''बैंक से वसूली योग्य''** के रूप में समझा जाएगा। लेकिन यदि बैंक मांगी गई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को जारी करने में विलंब करता है, तो दावा करने की तारीख से कॉरपोरेशन के नामित बैंक खाते, यदि कोई हो, में बिक्री से प्राप्त आय प्राप्त होने तक की विलंबित अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा, जिसे उसकी प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाएगा।

**ख) एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क**

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को, नए पंजीकरण/नवीकरण/ उसमें संशोधन के लिए प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख को ही आय के रूप में माना जाता है।

**ग) बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट)–(बी2बी स्कीम) का सदस्यता शुल्क**

बी2बी स्कीम के अधीन बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) के सदस्यता शुल्क को यूनिट की सदस्यता सक्रिय होने (एक्टिवेशन) पर ही आय के रूप में समझा जाएगा।

**घ) प्रशिक्षण संबंधी क्रिया–कलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व**

प्रशिक्षण संबंधी क्रिया–कलापों से प्राप्त राजस्व को उपार्जन (समय अनुपात) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जब तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होता है।

सामान्य सुविधाओं (जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ परीक्षण शुल्क, जॉब कार्य प्रभार आदि

शामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब कार्य पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

**ङ) समग्र (टर्नकी) परियोजनाओं/सेवा संविदाओं से प्राप्त आय**

(i) परामर्शी सेवाओं, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण प्रभारों से प्राप्त राजस्व को संविदा की शर्तों के अनुसार रिपोर्टिंग की तारीख को परियोजना संबंधी लेन–देन और परियोजना की सुपुर्दगी के पूरा होने की अवस्था में आनुपातिक रूप में लाभ या हानि विवरण मान्यता दी जाती है।

(ii) परामर्श, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण प्रभारों से प्राप्त राजस्व को, संविदा की शर्तों के अनुसार रिपोर्टिंग तारीख को, लेनदेन पूरे हो जाने/परियोजना सौंप दिए जाने के चरण के अनुपात में लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।

**च) पट्टाकरण से आय**

पट्टे, को प्रचालन पट्टे और वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ऐसे पट्टे, जिनमें निगम, परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल/लाभ पर्याप्त रूप से पट्टेदार को अंतरित नहीं करता, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रचालन पट्टे के अलावा अन्य पट्टे, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

निगम, अपने उपस्कर पट्टाकरण व्यवसाय के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहा था, जिसे 2013 से बंद कर दिया गया है। ऐसी पट्टाधारित परिसंपत्तियों के संबंध में आय की मान्यता और पट्टाधारित परिसंपत्यिों में से जब्त की गई परिसंत्तियां निम्नलिखित हैं:–

**I. दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देनों पर**

i. दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए लेन–देनों के संबंध में पट्टा किरायों को पट्टा समकरण प्रभारों से घटाकर, प्रोद्भूत, आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. पट्टाधारित परिसंपत्तियों में बकाया निवल निवेश से संबंधित पूंजी की लागत को पूंजी की वसूली निकालने के लिए पट्टा किराए से घटा दिया जाता है। पूंजी की वसूली और सांविधिक मूल्यह्रास के अंतर को, पट्टा समकरण प्रभार लेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे पट्टा समकरण लेखे के प्रति प्रभाव को, तुलन–पत्र में पट्टा सीमांत समायोजन लेखा प्रचालित करके प्रदर्शित किया जाता है। पूंजी की वसूली में कमी, यदि कोई हो, को परिसंपत्ति के निपटान के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

**II. दिनांक 01 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देन**

वित्त आय और पट्टा किराया में शामिल की गई निवल निवेश की वसूली का हिसाब, पट्टे में दी गई ब्याज दर पर लगाया जाता है। वित्त आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उसे लाभ व हानि विवरण में क्रेडिट किया जाता है। पट्टाधारित किराया और वित्त आय के अंतर को निवल निवेश के प्रति वसूली माना जाता है।

**III.** कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 30 मार्च 2019 को भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 116, पट्टे अधिसूचित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक 116 के वार्षिक रिपोर्टिंग की अवधि, जो 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होती है, से प्रभावी होगी। भारतीय लेखाकरण मानक 17–पट्टा के स्थान पर उपर्युक्त लेखाकरण मानक प्रतिस्थापित किया गया है।

तद्नुसार, निगम ने भारतीय लेखाकरण मानक 116–पट्टा को 1 अप्रैल 2019 से स्वीकार कर लिया है और उसे पूर्वलक्षी संक्रमण पद्धति का इस्तेमाल करते हुए 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर लागू कर दिया है।

तद्नुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष को यथास्थिति और के लिए तुलनात्मक मानकों को पुनः स्थापित नहीं किया गया है।

इस अधिसूचना के आरंभतः लागू होने की तारीख से निगम ने प्रारम्भिक रूप से लागू होने की तारीख को बढ़ोत्तरी वाली उधार दरों पर बट्टा देते हुए शेष पट्टा अदायगियों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता दर्ज की है और तद्नुरूप उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष पर और से तुलनात्मक पट्टा देयताओं के बराबर रकम को स्वीकार किया है और उसे समायोजित नहीं किया है और इसलिए यह भारतीय लेखाकरण मानक 17 के अनुसार यह दर्ज किया जाता रहेगा। तथापि निगम ने प्रयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा संबंधी देयताओं को स्वीकार न करने के संबंध में छूट के लिए आवेदन–पत्र दिया है। यह छूट आरंभिक आवेदन पत्र की तारीख पर पट्टे की अवधि 12 माह से कम होने वाले पट्टे पर लागू होगी।

भारतीय लेखाकरण मानक 116 पट्टा–पट्टा के महत्वपूर्ण प्रावधानों को नीचे संक्षेप में समझाया गया है–

**(i) पट्टाकर्ता के रूप में निगम**

इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निगम के स्वामित्व और निगम द्वारा पट्टे पर दिए जाने वाले स्थान, गोदाम, आदि भी शामिल होंगे, जिनके संबंध में किराया आय प्राप्त होती है। पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल की जाती हैं और इनके उपयोगी रहने तक इन पर मूल्यह्रास दिया जाता है। 'प्रचालन संबंधी पट्टे से संबंधित पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। निगम द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है।

**(ii) पट्टेदार के रूप में निगम :**

इसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्थान, गोदाम, कर्मचारियों के लिए आवास आदि शामिल है, जिसे निगम ने पट्टे पर लिया है और जिसके संबंध में पट्टा किराये का भुगतान किया जाता है। इन पट्टों की व्यवस्था का सामान्यतः आपस में तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर नवीकरण किया जाता है।

➢ नये मानक इण्डएएस–116 के अधीन पट्टेदार द्वारा इसका लेखाकरण इस प्रकार किया जाता है :–

निगम परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करता है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह माह या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह माह या बारह माह से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है। बारह माह से अधिक की अवधि के निगम द्वारा निष्पादित पट्टा करार को भी अल्पकालिक

पट्टे के रूप में समझा जाएगा, लेकिन इसमें उसे रद्द करने संबंधी एक खंड दिया जाएगा।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियां शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में निगम पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में ''स्ट्रेट लाइन'' आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक रकम शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है, जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तारीख से या उससे पहले अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का आधार इण्डएएस 16–संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अनुसार कम किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान, पट्टे में निहित ब्याज दर का इस्तेमाल करके या यदि तत्काल निर्धारण योग्य नहीं है तो वृद्धित उधार दर का इस्तेमाल करके बंद कर दिए जाते हैं।

वित्तीय पट्टे को निगम द्वारा पट्टेदार के रूप में नहीं लिया जाता है।

➢ तुलनात्मक अवधि में पट्टेदार के रूप में पट्टों का हिसाब प्रति भारतीय लेखाकंन मानक–17 के अनुसार निम्नलिखित रूप में लगाया गया था:–

❖ **वित्तीय पट्टों का लेखाकंन** :– तुलनात्मक अवधि में निगम द्वारा कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया गया है।

❖ **प्रचालन पट्टों का लेखांकन** : प्रचालन पट्टे के अधीन किया गया भुगतान (निवल वसूलियां) को तब तक पट्टा अवधि के दौरान सीधी लाइन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार किया गया था, जब तक किराए में अनुसूचित वृद्धि से संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए पट्टाकर्ता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

**छ) दी गई डिक्री का निरूपण**

जहां निगम के पक्ष में डिक्री दी गई है, देय राशियों की वसूली के समय इकाई के लेखे में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

**ज) लाभांश आय**

निवेश पर लाभांश को, उस आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाता है।

झ) **स्क्रैप बिक्री**

स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखे में लिया जाता है।

**X. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता का लाभ :**

सरकार की ब्याज सहायता स्कीम के अधीन ब्याज सहायता संबंधी लाभ (प्रतिपूर्ति के आधार पर) को निगम द्वारा एसआईडीबीआई से दावाकृत रकम प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाएगा।

**XI. विदेशी मुद्रा लेन–देन और रूपांतरण**

क) विदेशी मुद्राओं में लेन–देन आरंभतः लेन–देन की मान्यता के लिए पहले अर्हता प्राप्त करने की तारीख को कार्यात्मक मुद्रा स्थल दरों पर दर्ज किए जाते हैं।

ख) विदेशी मुद्राओं में रखी गई मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं, रिपोर्टिंग तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा तत्समय दरों पर रूपांतरित की जाती हैं। मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष, जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

ग) गैर–मौद्रिक मदें, लेन–देन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके रूपांतरित की गई विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापी जाती हैं।

**XII. सरकारी अनुदान**

क) विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित अनुदानों को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। अनुमोदित संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के मामले में, वर्ष के लिए खर्च किए गए/प्रतिबद्ध खर्च, परंतु अगले वर्ष में प्राप्त अनुदान, को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्राप्त अनुदानों को, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में माना जाता है और इन्हें भारत सरकार को भुगतान योग्य राशियों के रूप में जाता है। इसके पश्चात, अनुदान को, किए गए खर्च की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) पूंजीगत अनुदान के मामले में, किए गए खर्च को, आरक्षित पूंजी निधि, जो 'आस्थगित आय' के स्वरूप की है, सृजित करके मान्य अनुदान आय में से कम कर दिया जाता है। आरक्षित पूंजी को, उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में सुसंगत परिसंपत्तियों के हर वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ) राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को, उस अवधि में, जिसमें निगम, लगाई गई संबंधित लागतों को मान्यता देता है, जिससे यह संबंधित है/जिसे कवर करने के लिए यह आशयित है, एक व्यवस्थित आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ड़) एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच), 'एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत निरीक्षण प्रभार (एनएसएसएच)', 'बी2बी स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच)', 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)' और 'कार्यालय परिसरों के किराए (एनएसएसएचओ)' (लागू, जहां संपत्ति का स्वामित्व एनएसआईसी के पास है और जहां किराए का भुगतान, बाहरी व्यक्ति को किया जाता है, उसे एनएसएसएचओ के व्यय के रूप में लेखे में लिया जाता है) के प्रति शुल्कों की धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान, **"एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि"** समूह शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाएंगे और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे। इसी प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान भी **"एटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क"** समूह शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाते हैं और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे।

क्योंकि निगम वाणिज्यिक आधार पर उपर्युक्त सभी सेवाएं पहले ही दे रहा है, इसलिए अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति की इकाईयों के मामले में निगम का वाणिज्यिक शुल्क का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एमएसई की इकाईयों के बजाए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त

सभी प्रतिपूर्तियों को ''सेवा की बिक्री'' के अधीन अलग–अलग शीर्षों में **वाणिज्यिक राजस्व** के रूप में भी समझा जाता है।

च) अनुमोदित दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार खर्च की गई रकम पर किसी भी सरकारी प्रोत्साहन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए निगम को दिया जाने वाला प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, (जिसमें मानीटरिंग और रख–रखाव संबंधी सहायता, निगम का वाणिज्यिक राजस्व आदि पर किए गए व्यय की रकम शामिल नहीं होगी) को, **''सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडीज)''** के समूह शीर्ष के अधीन प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और तदनुसार स्वीकृत अनुदान राजस्व से घटाया जाता है। चूंकि यह निगम का वाणिज्यिक राजस्व है, अतः उसे भी ''सेवा की विक्री'' शीर्ष के अधीन **''सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडीज)''** समूह शीर्ष में वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया जाएगा।

छ) यह निगम प्रोत्साहन स्कीम भी चालू कर रही है, यथा खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी), आदि। ये स्कीम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति आधारित स्कीम हैं, जिनमें निगम द्वारा डीसी'–एमएसएमई/मंत्रालय के कार्यालय से निधियों की प्राप्ति होती है और जिनके संबंध में दावाकृत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और उस वर्ष में उसे तदनुरूप अनुदान के रूप में समझा जाता है, जिस वर्ष में यह निधि प्राप्त होती है।

ज) एटीआई और एनएसएसएच स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन प्रशिक्षण के कारण किए गए वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय को संबंधित शीर्ष के सामान्य लेखा शीर्ष के अधीन वाणिज्यिक व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

झ) सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को भुगतान योग्य राशियों के रूप में दर्शाया जाता है।

) यदि विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत निवल परिणाम "घाटा" हो तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्तियोग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है और यदि "अधिशेष" है तो इसे वित्तीय देयताएं शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में अधिशेष के लिए भारत सरकार को भुगतान योग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

**XIII. खर्चों का आबंटन**

वाणिज्यिक और संवर्धनात्मक क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष रूप से किए गए खर्चों को, संबंधित क्रियाकलापों में प्रभारित किया गया है। अप्रत्यक्ष खर्चों के मामले में, इन्हें वर्ष के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक क्रियाकलापों के अंतर्गत सृजित व्यवसाय (प्रचालन से राजस्व) के आधार पर आबंटित किया गया है।

**XIV. कर्मचारी लाभ**

कर्मचारी लाभ में, वेतन और मजदूरियां, भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

**क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ**

अल्पावधि कर्मचारी लाभों में, वेतनों, भत्तों, वार्षिक छुट्टी और रुग्णता छुट्टी जैसी कर्मचारी लागतें शामिल हैं, जो उस वर्ष के दौरान उपार्जित की जाती हैं, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पावधि कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताएं, संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित लाभों की अबट्टाकृत धनराशियों पर मापी जाती हैं।

**ख) नियोजनोपरांत लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ**

(i) परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान, एक ऐसा नियोजनोपरांत लाभ है, जहां निगम, भिन्न–भिन्न संगठनों में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और आगे धनराशियों का भुगतान करने के लिए उसका कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। निगम द्वारा भविष्य

निधि एवं पेंशन निधि में भुगतान किए गए अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/भुगतान योग्य इन अंशदानों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं, के लिए लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भविष्य निधि में अंशदान का भुगतान, किसी अलग न्यास के जरिए संचालित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान का भुगतान, न्यास के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम में किया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा कॉर्पस सृजित किया जाता है, जिसका उपयोग, बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाता है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक अन्य नियोजनोत्तर लाभ योजना है। निगम द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों नामतः रुग्णता छुट्टी, सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते, के प्रति निगम की देयता को परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत माना जाता है।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करके वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनःमापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं, को प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे होती हैं। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दिए गए पुनःमापन को तुरंत अवधारित अर्जनों में दर्शाया जाता है और उसे लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।

**XV. पूर्वावधि व्यय और आय**

पूर्वावधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में प्रचालनों से प्राप्त आय के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

**XVI. पूर्व–प्रदत्त मदें**

उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) से संबंधित खर्चों को, पूर्व–प्रदत्त के रूप में केवल तभी माना जाता है, जहां यह भुगतान, प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक हो।

**XVII. कराधान**

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

**क) चालू कर**

चालू कर, लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम, 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर भुगतान योग्य कर है।

**ख) आस्थगित कर**

i. आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

ii. आस्थगित करदेयताओं को आमतौर पर, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव

धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

ग) अतिरिक्त आय कर, जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होता है, को उस समय मान्यता दी जाती है, जब संबंधित लाभांश भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

**XVIII. नकदी और नकदी समतुल्य**

नकदी में, हस्तगत नकदी, बैंकों में मांग जमा राशियां आदि शामिल होती हैं। निगम, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों (अर्जन की तारीख से तीन महीने या इससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले), अत्याधिक अस्थिर निवेशों, जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानता है।

**XIX. प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

**XX. लाभांश**

निगम के शेयरधारकों को भुगतान योग्य लाभांश को, उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल की बैठक में क्रमशः अनुमोदित/संस्तुत किए जाते हैं।

**XXI. नकदी प्रवाह विवरण**

नकदी प्रवाह, भारतीय लेखांकन मानक–7 'नकदी प्रवाह विवरण' में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

**XXII. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

**क) प्रावधान**

(i) प्रावधानों को, उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप निगम का कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो, बशर्ते कि यह संभाव्य हो कि निगम के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ii) प्रावधान के रूप में मानी गई धनराशि, दायित्व के जोखिमों और उसके इर्द–गिर्द की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब किसी प्रावधान का निपटान करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों के, किसी तृतीय पक्षकार से वसूल किए जाने की आशा हो तो प्राप्तियोग्य धनराशि को, परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि यह वास्तविक रूप से निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्तियोग्य धनराशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(iv) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों, यदि अपेक्षित हों, को लागू किया जाता है, बशर्ते कि प्रबंधकवर्ग द्वारा इसे उचित समझा जाए।

(v) उस सीमा तक नियति और विपणन स्कीम के अधीन ''प्राप्य रकमों'' के संबंध में प्राप्य रकमों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, जब तक वे ''देय'' के अधीन वह रकम दर्शायी जाती है और जिस सीमा तक आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के अधीन उस लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम के अनुसार सेवा प्रभार समायोजित किए जाते हैं।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार

पर ईसीएलएस को भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों व आईआरएसी प्रूडेंशियल मानदंड के संदर्भ में प्राप्य व ऋण एंव अग्रिमों (ब्याज संस्पेंस खाते के निवल) के लिए वर्गीकरण और मानदण्ड की व्याख्या यहां संलग्न किया गया है:–

**ख) आकस्मिक देयताएं**

आकस्मिक देयताएं, पिछले कार्य कार्यक्रमों से उत्पन्न एक संभावित दायित्व है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि, निगम नियंत्रण के पूरी तरह अंदर न होने वाले एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटना के घटित होने या घटित न होने द्वारा की जाएगी। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक या धनराशि का अनुमान, विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता तो दायित्व का प्रकटीकरण, आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता बहुत ही कम न हो।

निगम, आकस्मिक देयताओं के अस्तित्व का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में करता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर करता है और यह निर्धारित करने के लिए क्या आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभाव्य हो गया है, प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को निरंतर इनकी समीक्षा/मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभाव्य हो जाता है तो तुलनात्मक प्रावधान को, प्रबंधन के चालू अनुमान प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

**ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां**

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती बल्कि इनका प्रकटीकरण उन टिप्पणियों में किया जाता है, जो आमतौर पर योजना न बनाई गई या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता को जन्म देता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निरंतर रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों को अंतर्वाह वास्तव में निश्चित हो गया है। इसके पश्चात ऐसी परिसंपत्तियों और तुलनात्मक आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

**XXIII. वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेख, एक ऐसा संविदा है, जिससे एक कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति उत्पन्न होती है और दूसरी कंपनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

**आरंभिक मान्यता और मापन**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्तव्यों के मामलों में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्षतः वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षतः लेन–देन लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

**क. वित्तीय परिसंपत्तियां**

**I. उत्तरवर्ती मापन**

वित्तीय परिसंपत्तियों में, निवेश, ऋण, व्यापार प्राप्तव्य, प्रतिभूति जमा राशियां, नकदी और नकदी समतुल्य आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियां, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

i. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियांः कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई होंः

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती है। यह ईआईआर पद्धति किसी वित्तीय परिसंपत्ति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में ब्याज आय आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर, वह दर है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहां उपयुक्त हो, आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत कम अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागतें और अन्य प्रीमियमों और छूटों का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती हैं।

निगम की नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्तव्य और अन्य ऋण तथा अग्रित वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

ii. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) : कोई वित्तीय परिसंपत्ति, अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैंः

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर प्राप्त किया गया हो।
- वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशिष्ट तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हैं।
- उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और आरक्षित में संचित किया जाता है।

इक्विटी विलेख, एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जिनमें लाभांशों को छोड़कर विलेख पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि में धनराशियों की रिसाइक्लिंग नहीं की जाती। तथापि, कंपनी, संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के अंदर अंतरित कर सकती है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में, वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापार दिवस के भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

iii. लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) : कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एमवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक

यह लाभ एवं हानि विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

**II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण**

निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

❖ वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। जैसें ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष।

❖ इक्विटी निवेश, अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के जरिए उचित मूल्य पर मापे जाते हैं।

❖ ऋण प्रतिबद्धताएं, लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर नहीं मापी जाती।

❖ इण्डएएस–116 के अधीन प्राप्य पट्टा

❖ व्यापार और अन्य प्राप्य सामग्री

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर ईसीएलएस को भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क) कच्चा माल सहायता, बिल बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण और बैंकों से प्राप्त ऋणों के अधीन ग्राहकों को दिया जाने वाला ऋण और अग्रिम।

ख) किराया खरीद, पट्टा, विपणन और अन्य (जिसमें बिक्री सेवा वाले लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है) के अधीन होने वाली देयताओं के संबंध में व्यापार से प्राप्त रकम।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13–03–2020 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार किराया खरीद, पट्टा, कच्चा माल सहायता, बिल पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण बैंकों आदि से प्राप्त होने वाली रकम संबंधी स्कीमों के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली रकम सहित वित्तीय स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम, जिनमें इण्डएएस–109 के अधीन हानि भत्ता आईआरएसीपी के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम हो (जिसमें मानक परिसंपत्तियों का प्रावधान भी शामिल है, निगम ''हानि आरक्षित निधि'' को पृथक करने के लिए कर के बाद अपने निबल लाभ या हानि से इस अंतर को पृथक करता है। इस प्रकार का अंतरण कर के बाद लाभ या हानि के अनुसार पृथक करने के बजाय लाभ के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

**III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण :**

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह

लाभ या हानि उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

**ख. वित्तीय देयता**

निगम की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतान योग्य राशियां, बैंक ड्राफ्टों सहित ऋण और उधार, बयाना राशि जमा और अवधारित धनराशि शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उधारों तथा भुगतान योग्य धनराशियों के मामले में प्रत्यक्षतः निवल लेन–देन लागत पर

**I. उत्तरवर्ती मापन :**

i. **परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएं–** आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों, भुगतान योग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ii. **लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं** में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के रखाव मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

**II. वित्तीय देयताओं का विमान्यकरणः** किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

*********

लेखांकन नीति–XXII (क)(vii) का अनुबंध

# प्राप्तव्य और ऋणों व अग्रिमों का वर्गीकरण और प्रावधान करने के मापदंड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इण्डएएस और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में प्राप्तियों और ऋणों व अग्रिमों (उचंत खाते के ब्याज को घटाकर) के वर्गीकरण और मानदंड निम्नानुसार है।

**1. प्रतिभूत प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम**

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को **''प्रतिभूत''** के रूप में समझा जाएगा (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत समझा जाएगा, जहां तक निगम के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/निगम के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मशीनें, प्रतिफल की धनराशि, अग्रिम की किस्त/ किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मशीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/ संविदा/ अधिकार/ निगम के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया, अग्रिम (जिसकी व्यवस्था निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और / या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, निगम द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्वारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान निगम के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली धनराशियों को **'अप्रतिभूत'** माना जाता है।

**2. वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण :**

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगी।

(i) **व्यापार से प्राप्त होने वाली रकम :** वित्तीय स्कीमों के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली रकम में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य रकम शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय स्कीमों में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली रकम शामिल है।

(ii) **ऋण एवं अग्रिम :** वित्त–व्यवस्था संबंधी स्कीमों के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, बिल–बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त रकम आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली रकम शामिल है।

(iii) **अन्य: गैर :** वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

**3. प्राप्त होने वाली रकमों और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधान संबंधी मापदंड :**

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109 के अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

क) **इण्डएएस–109 के अनुसार प्रावधानों से संबंधित मापदंड :** व्यापार से प्राप्त रकम, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए नीचे दर्शायी गई है :–

(i) **कच्चा माल सहायता, बिल बट्टा, बैंकों से प्राप्त होने वाली रकम और व्यापार एवं अन्य से प्राप्त होने वाली रकम के अधीन ऋण और अग्रिम :**

| चरण | बकाया प्राप्त रकमों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण |
|---|---|
| चरण–1 (निष्पादन) | इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–<br>क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निबल वकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से<br>ख) जहां निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं<br>❖ जहां प्राप्त होने वाली रकम को नकद/ मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/ अग्रिम किस्त/ किराया /यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपार्श्विक प्रतिभूति आदि।<br>❖ प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो<br>❖ उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक।<br>ऐसे मामलों में, क्योंकि यहां ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है। |
| चरण–2 (निष्पादन के अधीन) | चरण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है।<br>इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैं :–<br>क) संपार्श्विक के प्रति आरएमए और बिल डिस्काउटिंगः लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निबल बकाया का 100 प्रतिशत की दर से हानिकरणछूट।<br>ख) बैंक गारंटी के प्रति आरएमए : इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा ऐसे मामले, जिनमें भुगतान के संबंध में बैंक/ प्राधिकारी द्वारा मनाही या इनकार नहीं किया गया हो, परंतु एनसीएलटी /न्यायालय, अन्य प्राधिकारियों आदि द्वारा भुगतान आस्थगित किया गया हो / भुगतान पर रोक लगाई गई हो– निबल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से हानिकरणछूट। तथापि जहां तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई रकम प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है। |

(ii) **किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, आदि के अधीन प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम**

| चरण | बकाया प्राप्तव्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण |
|---|---|
| चरण–3 (गैर निष्पादन) | चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं :–<br>क) ऐसी स्कीम, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है। |

| चरण | बकाया प्राप्तव्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण |
|---|---|
| | ख) स्कीमें यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)<br>ग) ऐसी स्कीम, जिनमें कोई कपट नहीं है।<br>घ) ऐसी स्कीम, जहां दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय निगम के खिलाफ है।<br>ङ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी रकम / अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है।<br>च) निगम छोड़ चुके/ निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली रकम और जहां बकाया के निपटान के लिए रकम उपलब्ध न हो।<br>छ) प्रायोजित प्रशिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों।<br>ज) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य रकम और ऋण एवं अग्रिम<br>ऐसे मामलों में निवल बकाया के 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट। |

ख) **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मापदंडों के आधार पर मापदंडों प्रावधान –** यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त रकमों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :–

**i) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण और संमिश्र मियादी ऋण के अधीन प्राप्य रकमें :–**

| क्रम संख्या | स्कीम | निबल बकाये का प्रावधान प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | किराया खरीद | 100% |
| 2. | पट्टा | |
| 3. | संमिश्र मियादी ऋण | |
| 4. | मियादी ऋण | |

**ii) कच्चा माल सहायता और बिल बट्टा के अधीन प्राप्य रकम**

| क्रम संख्या | बकाया प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण | निबल बकाये का प्रावधान प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | मानक परिसंपत्तियां–270 दिनों तक | 0.40% |
| 2 | घटिया परिसंपत्तियां (जिनका एनपीए एक वर्ष से कम हो) | 10% |
| 3 | संदिग्ध परिसंपत्तियां | |
| | संदिग्ध परिसंपत्तियों का प्रतिभूत अंश | |
| | एक वर्ष से संदिग्ध (अर्थात दो वर्ष से एनपीए) | 20% |
| | एक वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध (अर्थात 2 से 4 वर्ष से एनपीए) | 30% |
| | तीन वर्ष से अधिक अवधि से संदिग्ध (अर्थात 4 वर्ष से अधिक अवधि से एनपीए) | 50% |
| | प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत नहीं की गई जिनके संबंध में निगम के पास विधिमान्य उपाय हों | 100% |
| 4 | हानि वाली परिसंपत्तियां, यदि बट्टे ,खाते में न डाली गई हों | 100% |

iii) **बैंकों से प्राप्तव्य रकम :–**

इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा ऐसे मामले, जिनमें भुगतान के संबंध में बैंक/प्राधिकारी द्वारा मनाही या इनकार नहीं किया गया हो, परंतु एनसीएलटी /न्यायालय, अन्य प्राधिकारियों आदि द्वारा भुगतान आस्थगित किया गया हो/भुगतान पर रोक लगाई गई हो– निबल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से हानि भत्ता।

तथापि जहां तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई रकम प्राप्त होती है,किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग) **अन्य प्राप्तव्यों और ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान संबंधी मापदंड :**

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य रकमों और ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, यदि अपेक्षित हों, किए जाते हैं, जहां प्रबंधक वर्ग द्वारा ऐसा करना उचित समझा जाता है।

(ii) ऐसी प्राप्य रकम, ऋण एवं अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है।

| क्र. सं. | बकाया प्राप्तव्य राशियों और ऋणों एवं अग्रिमों का वर्गीकरण | निवल : बकाया का प्रावधान % |
|---|---|---|
| 1 | निम्नलिखित सभी प्राप्तव्य राशियां और ऋण एवं अग्रिम **'सुरक्षित'** माने जाते हैं (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो):<br>(क) सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों से देय प्राप्तव्य राशियां और ऋण एवं अग्रिम<br>(ख) सभी प्राप्तव्य राशियां, ऋण और अग्रिम, जिनके प्रति निगम के पास मूर्त वसूलीयोग्य प्रतिभूति है<br>(ग) एमएसएमईज से पहले ही प्राप्त कर लिए गए अग्रिम की सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं (जिनका निगम के साथ समझौता ज्ञापन है) को दिए गए अग्रिम और/या बैंक गारंटी के प्रति आरएमए के अंतर्गत मंजूर की गई सीमा में से भुगतान की गई धनराशि<br>(घ) निगम द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशियां और तदनुरूपरी आपूर्तियों के क्रेता भी निगम को प्रतिभूति उपलब्ध कराते हैं (संविदात्मक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिभूति जमा राशियों सहित)<br>(ड़) संविदात्मक वैध करार/संविदा के अंतर्गत निगम द्वारा भुगतान की गई सभी प्राप्तव्य राशियां और ऋण एवं अग्रिम/प्रतिभूति जमा<br>(च) निगम में कार्यरत कर्मचारियों से | शून्य |
| 2 | ''हानिकृत'' के रूप में माने गए प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:<br>(क) बाह्य पक्षकारों के पास धनराशि/अग्रिम और वसूली के लिए संदिग्ध<br>(ख) निगम की सेवा छोड़ देने वाले/त्यागपत्र दे देने वाले कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य धनराशि और जब बकाया राशि को प्रतितुलित करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध हो | 100% |

,,,,,,,,,

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को यथास्थिति एकल तुलन–पत्र

(लाख रुपए में)

| विवरण | | | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| 1 | | **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| | क | नकदी एवं नकदी समतुल्य | 3 | 12357.75 | | 10888.14 | |
| | ख | नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष | 4 | 2801.66 | | 1919.51 | |
| | ग | व्यापार प्राप्य | 5 | 18719.09 | | 21497.46 | |
| | घ | ऋण एवं अग्रिम | 6 | 230674.52 | | 225619.61 | |
| | ड़ | निवेश | 7 | 774.36 | | 81.63 | |
| | च | बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां | 12 | 0.07 | | 0.00 | |
| | छ | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 8 | 1279.45 | 266606.90 | 20967.57 | 280973.92 |
| 2 | | **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| | क | माल–सूचियां | 9 | 40.59 | | 91.95 | |
| | ख | वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) | 10 | 47.80 | | 1015.34 | |
| | ग | आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) | 11 | 4071.07 | | 4561.29 | |
| | घ | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर | 12 | 28634.44 | | 27935.60 | |
| | ड़ | चल रहा पूंजीगत कार्य | 12 | 423.44 | | 291.59 | |
| | च | विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | 12 | 23.39 | | 44.45 | |
| | छ | अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां | 12 | 118.80 | | 140.19 | |
| | ज | परिसंपत्तियो के उपयोग का अधिकार | 12 | 55.83 | | 67.76 | |
| | झ | अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां | 13 | 1241.60 | 34656.96 | 1606.51 | 35754.68 |
| | | **कुल परिसंपत्तियां** | | | **301263.86** | | **316728.60** |
| | | **देयताएं और इक्विटी** | | | | | |
| 1 | | **वित्तीय देयताएं** | | | | | |
| | (क) | **देयताएं** | | | | | |
| | (i) | **व्यापार देयताएं** | | | | | |
| | | एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 19251.54 | | 22992.73 | |
| | | गैर एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 156.54 | | 436.82 | |
| | (ii) | **अन्य देय धनराशियां** | | | | | |
| | | एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | गैर एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (ख) | उधार | 15 | 143219.83 | | 161841.53 | |
| | (ग) | बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों से जुड़ी देयताएं | 16 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (घ) | अन्य वित्तीय देयताएं | 16 | 14247.49 | 176875.40 | 13895.49 | 199166.57 |
| 2 | | **गैर–वित्तीय देयताएं** | | | | | |
| | (क) | वर्तमान कर देयताएं (निवल) | 10 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (ख) | प्रावधान | 17 | 10242.17 | | 10565.40 | |
| | (ग) | आस्थगित कर देयताएं (निवल) | 11 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (घ) | अन्य गैर–वित्तीय देयताएं | 18 | 4681.85 | 14924.02 | 4827.20 | 15392.60 |
| 3 | | **इक्विटी** | | | | | |
| | (क) | इक्विटी शेयर पूंजी | 19 | 53298.80 | | 53298.80 | |
| | (ख) | अन्य इक्विटी | 20 | 56165.64 | 109464.44 | 48870.63 | 102169.43 |
| | | **कुल देयताएं और इक्विटी** | | | **301263.86** | | **316728.60** |
| | | **खाते पर अन्य नोट** | 34 | | | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है।

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

ह./–
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

| | विवरण | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| I | **राजस्व** | | | |
| | क. प्रचालनों से राजस्व | 21 | | |
| | उत्पादों की बिक्री | | 168430.76 | 144412.97 |
| | सेवाओं की बिक्री | | 8829.27 | 8648.19 |
| | ब्याज आय | | 27165.71 | 26744.03 |
| | प्रोसेसिंग शुल्क | | 4580.06 | 4863.66 |
| | [इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 1287396.77 लाख रू. (1401344.08 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 4580.06 लाख रू. (4863.66 लाख रू.) शामिल है।] | | | |
| | उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय लेखों की मान्यता समाप्त करने पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य प्रचालन आय | | 1123.39 | 5742.13 |
| | **प्रचालन से कुल राजस्व** | | **210126.61** | **190410.98** |
| | ख. अन्य आय | 22 | 95.47 | 256.73 |
| | ग. अनुदान और सब्सिडियां | 23 | 7915.96 | 10259.98 |
| | **कुल राजस्व (क + ख + ग)** | | **218140.62** | **200927.69** |
| II | **व्यय** | | | |
| | स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद | 24 | 167355.66 | 143747.81 |
| | माल–सूचियों में परिवर्तन | 25 | 54.96 | –54.96 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 26 | 13301.27 | 13774.45 |
| | वित्त लागतें | 27 | 7772.34 | 12616.01 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 28 | 841.51 | 732.86 |
| | निगमित सामाजिक जिम्मेदारी | 29 | 224.58 | 255.00 |
| | अन्य व्यय | 30 | 14621.35 | 16625.08 |
| | **कुल व्यय** | | **204171.67** | **187696.25** |
| III | **आपवादिक मदों, असाधारण मदें और कर से पूर्व लाभ** | | **13968.95** | **13231.44** |
| | आपवादिक मदें | | 4.22 | –1.30 |
| IV | **असाधारण मदें, और कर से पूर्व लाभ** | | **13964.73** | **13232.74** |
| | असाधारण मदें ' | | 0.00 | 0.00 |
| V | **कर पूर्व लाभ** | | **13964.73** | **13232.74** |
| VI | **कर व्यय** | 31 | | |
| | वर्तमान कर | | 3400.00 | 1900.00 |
| | आस्थगित कर | | 432.91 | 1445.21 |
| | पूर्ववर्ती वर्ष | | –27.48 | –31.69 |
| | **कुल कर व्यय** | | **3805.43** | **3313.52** |
| VII | **चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ** | | **10159.30** | **9919.22** |

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| VIII | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ** | | 0.00 | 0.00 |
| IX | **बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय** | | 0.00 | 0.00 |
| X | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)** | | 0.00 | 0.00 |
| XI | **अवधि का लाभ** | | 10159.30 | 9919.22 |
| XII | **अन्य विस्तृत आय** | | | |
| क. | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश | | 92.73 | –153.06 |
| | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि | | 134.95 | –373.34 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | –57.31 | 132.50 |
| | **उप–जोड़ (क)** | | 170.37 | –393.90 |
| ख. | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | **उप–जोड़ (ख)** | | 0.00 | 0.00 |
| | **अन्य विस्तृत आय (क + ख)** | | 170.37 | –393.90 |
| XIII | **अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (XI + XII) (लाभ/हानि सहित) में शामिल और अवधि के लिए अन्य विस्तृत आय** | | 10329.67 | 9525.32 |
| XIV | **प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)** | 32 | | |
| | मूल (रु.) | | 19.06 | 18.61 |
| | तनुकृत (रु.) | | 19.06 | 18.61 |
| XV | **आकस्मिक देयताएं** | 33 (i) | 1323.36 | 1869.68 |
| XVI | **पूंजीगत प्रतिबद्धताएं** | 33 (ii) | 1758.45 | 742.21 |
| | **लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां** | 34 | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखा विवरण के पश्चात रखा गया है

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

ह./–
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

ह./–
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न एकल नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|
| **कर से पूर्व निवल लाभ/हानि** | | **13,964.73** | **13,232.75** |
| **निम्न के लिए समायोजनः** | | | |
| स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (–)/हानि | | 4.22 | (1.30) |
| अंतरः इकाई समायोजन | | 32.15 | 0 |
| मूल्यह्रास एवं मौद्रिकरण व्यय | | 841.51 | 732.86 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण | | 18.17 | 14.38 |
| पट्टा सीमांत समायोजन | | (0.59) | 0 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | | 1,693.06 | 871.37 |
| निवेशों की बिक्री पर लाभ (–)/हानि | | 0 | 0 |
| विनिमय कर उतार–चढ़ाव पर हानि/(–) | | 22.59 | 42.56 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों पर बट्टाकरण | | (14.68) | (87.53) |
| निवेशों से लाभांश | | (2.35) | (1.88) |
| अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान | | 0 | 0 |
| उधारों पर प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | | 423.23 | 50.92 |
| पुरांकित अधिशेष प्रावधान (अन्य) | | (1,123.39) | (5,742.13) |
| आय कर वापसियों पर ब्याज | | 0 | (54.67) |
| लघु अवधि/सावधि जमा पर ब्याज | | (13.05) | (3.23) |
| **कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकद प्रवाह** | | **15,845.61** | **9,054.10** |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजनः | | | |
| सामान–सूचियां | | 51.36 | (54.20) |
| व्यापार अग्रिम एवं प्राप्तव्य | | 17,578.09 | 13,181.17 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | | (5,527.56) | 5,516.82 |
| **कर एवं असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह** | | **27,947.50** | **27,697.89** |
| कर | | (1,469.11) | (2,163.76) |
| **निवल प्रचालन नकद प्रवाह** | **(क)** | **26,478.39** | **25,534.13** |
| **निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह** | | | |
| निपटान की गई परिसंपत्तियों से बिक्री प्राप्तियां | | 2.85 | 2.85 |
| निवेशों से बिक्री प्राप्तियां | | 0 | 0 |
| एनवीसीएफएल में निवेश | | (600.00) | 0 |
| सावधि जमा में निवेश | | (83.66) | (80.32) |
| अस्थायी परिसंपत्तियों और डब्ल्यूआईपी में वृद्धि | | (2,004.24) | (7,346.11) |
| स्थायी परिसंपत्तियां (अनुदान से) | | 722.37 | 689.78 |
| निवेशों से लाभांश | | 2.35 | 1.88 |
| लघु/सावधि जमाओं पर ब्याज | | 13.05 | 4.40 |
| **निवल निवेश नकद प्रवाह** | **(ख)** | **(1947.28)** | **(6727.52)** |
| **वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | | |
| अन्य उधारों में वृद्धि | | 0 | 0 |
| अन्य उधारों में कमी | | (18,853.68) | (14,777.10) |
| प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) | | (3,409.33) | (766.12) |
| **निवल वित्तीय नकद प्रवाह** | **(ग)** | **(22,263.01)** | **(15,543.22)** |
| **प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह** | **(घ)** | **26,478.39** | **25,534.13** |
| **निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | **(ड़)** | **(1,947.28)** | **(6,647.20)** |
| **निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह** | **(च)** | **(22,263.01)** | **(15,543.22)** |
| **नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल परिवर्तन** | **(घ+ड़+च)** | **2,268.10** | **3,343.71** |
| **जोड़ें: नकद एवं नकद समतुल्य–प्रचालन शेष** | | **12,807.65** | **9,463.93** |
| **टिप्पणी–3 एवं 4 के अनुसार शेष नकद एवं नकद समतुल्य और बैंक शेष** | | **15,075.75** | **12,807.64** |

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।
2. नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक शेष सहित) में नकदी और अन्य बैंक शेष तथा बैंक में जमा राशियां शामिल है।
3. जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहीकृत/व्यवस्थित किए गए हैं।
4. हम एक एनबीएफसी हैं और प्रदत्त ब्याज को प्रचालन व्यय माना गया है।

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

**ह./–**
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

**ह./–**
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

**ह./–**
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

**ह./–**
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को यथास्थिति शेष | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 मार्च 2020 को यथास्थिति शेष | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 मार्च 2021 को यथास्थिति शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 53298.80 | 0 | 53298.80 | 0 | 53298.80 |

ख: अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

| विवरण | अन्य इक्विटी | | | | | | | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रतिधारण अर्जन | | | | | | |
| | पूंजी प्रारक्षित | पूंजी ऋण प्रतिस्थापन | अवधारित अर्जन | अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख | अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाएं | हानिकरण प्रारक्षित | भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित | उप जोड़ | |
| **31 मार्च 2019 को यथास्थिति शेष** | **3147.74** | **73.09** | **36585.66** | **233.09** | **–237.05** | **0.00** | **0.00** | **36581.70** | **39802.53** |
| जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां/क्रेडिट | 695.80 | 0.00 | 9919.22 | 0.00 | 0.00 | 4866.65 | 1983.84 | 16769.71 | 17465.51 |
| जोड़े : जोखिम निधि से अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश | 0.00 | 0.00 | 766.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.12 | 766.12 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन | 0.07 | 0.00 | 6850.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6850.50 | 6850.57 |
| घटाएं : वर्ष के लिए मूल्यह्रास | 386.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.83 |
| घटाएं : परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.34 | 0.00 | 0.00 | 373.34 | 373.34 |
| जोड़े :परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 93.97 | 93.97 |
| घटाएं : उचित मूल्य परिवर्तन के माध्यम से इक्विटी निवेशों पर हानि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.05 | 153.05 |
| जोड़े : इक्विटी निवेशों से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 38.53 |
| **31 मार्च 2020 को यथास्थिति शेष** | **3456.64** | **73.09** | **38888.26** | **118.57** | **–516.42** | **4866.65** | **1983.84** | **45340.90** | **48870.63** |
| जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां/क्रेडिट | 722.75 | 0.00 | 10329.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2031.86 | 12361.53 | 13084.28 |
| जोड़े : जोखिम निधि से अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश | 0.00 | 0.00 | 3409.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3409.33 | 3409.33 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन | 0.38 | –2.56 | 2202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2202.23 | 2200.05 |
| घटाएं : वर्ष के लिए मूल्यह्रास | 347.70 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.26 |
| जोड़ें : परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.95 | 0.00 | 0.00 | 134.95 | 134.95 |
| घटाएं :परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 33.97 |
| जोड़े : उचित मूल्य परिवर्तन के माध्यम से इक्विटी निवेशों पर लाभ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.73 | 92.73 |
| घटाएं : इक्विटी निवेशों से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 23.34 |
| **31 मार्च 2021 को यथास्थिति शेष** | **3831.31** | **73.09** | **43606.37** | **187.96** | **–415.44** | **4866.65** | **4015.70** | **52261.24** | **56165.64** |

ह./–
अजय शर्मा
उप महाप्रबधक, वित्त

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव

## टिप्पणी–3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | | | |
| हस्तगत नकदी | | 0.35 | | 0.66 |
| हस्तगत चेक, ड्राफ्ट | | 21.06 | | 0.00 |
| मार्गस्थ प्रेषण | | 4.21 | | 40.46 |
| **बैकों में शेष** | | | | |
| चालू खाता | 12332.10 | | 10846.99 | |
| अन्य | 0.00 | 12332.10 | 0.00 | 10846.99 |
| हस्तगत स्टाम्प | | 0.03 | | 0.03 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **12357.75** | | **10888.14** |

टिप्पणीः– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

## टिप्पणी–4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **जमा** | | |
| सुनम्य जमा | 2718.00 | 1839.19 |
| मियादी जमा | 83.66 | 80.32 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **2801.66** | **1919.51** |

टिप्पणीः–1. समतुल्य रकम के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाने के संबंध में वर्ष 2020–21 के दौरान 48.70 लाख रूपये की रकम के एफडीआर को ग्रहणाधिकार (लियन) के रूप में चिन्हित किया गया है।

2. 83.66 लाख रू. की धनराशि के सावधि जमा, 3 महीने से अधिक के लिए है।

## टिप्पणी–5 : व्यापार प्राप्तव्य (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्तव्य** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 18720.13 | | 21497.46 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 1516.86 | | 1629.73 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 20236.99 | | 23127.19 | |
| घटाएं : जब्त पट्टा उचंत | 50.72 | | 68.29 | |
| घटाएंः दांडिक ब्याज उचंत | 509.70 | | 511.39 | |
| | 19676.57 | | 22547.51 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 1.04 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 956.44 | | 1050.05 | |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **18719.09** | | **21497.46** |
| **व्यापार प्राप्तव्यों का भोगोलिक वर्गीकरण** | | | | |
| भारत में | | 18719.09 | | 21497.46 |
| भारत के बाहर | | 0.00 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **18719.09** | | **21497.46** |

## टिप्पणी–5क : व्यापार प्राप्तव्यों के ब्योरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्तव्य – किराया खरीद** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 780.30 | | 791.10 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 780.30 | | 791.10 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 246.62 | | 249.04 | |
| | 533.68 | | 542.06 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 533.68 | | 542.06 | |
| **उप–जोड़** | | **0.00** | | **0.00** |
| **व्यापार प्राप्तव्य – पट्टाकरण** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 189.89 | | 218.17 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 189.89 | | 218.17 | |
| घटाएं: जब्त पट्टा उचंत | 50.72 | | 68.29 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 50.26 | | 63.33 | |
| | 88.91 | | 86.55 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 88.91 | | 86.55 | |
| **उप–जोड़** | | **0.00** | | **0.00** |
| **व्यापार प्राप्तव्य – विपणन** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 18187.32 | | 20876.93 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 260.69 | | 237.01 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 18448.01 | | 21113.94 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 18448.01 | | 21113.94 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 260.69 | | 237.01 | |
| **उप–जोड़** | | **18187.32** | | **20876.93** |
| **व्यापार प्राप्तव्य – अन्य** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 532.81 | | 620.53 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 285.98 | | 383.45 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 818.79 | | 1003.98 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 212.82 | | 199.02 | |
| | 605.97 | | 804.96 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 1.04 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 73.16 | | 184.43 | |
| **उप–जोड़** | | **531.77** | | **620.53** |
| **जोड़** | | **18719.09** | | **21497.46** |

## टिप्पणी–6 : ऋण एवं अग्रिम (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 6111.08 | | 6183.54 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ | 228025.54 | | 224459.89 | |
| असुरक्षित | 9913.11 | | 9980.05 | |
| | 244049.73 | | 240623.48 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 1798.00 | | 3988.75 | |
| | 242251.73 | | 236634.73 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 11577.21 | | 11015.12 | |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **230674.52** | | **225619.61** |
| | | | | |
| **ऋणों और अग्रिमों का भौगोलिक वर्गीकरण** | | | | |
| भारत में | | 230674.52 | | 225619.61 |
| भारत से बाहर | | 0.00 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **230674.52** | | **225619.61** |

## टिप्पणी–6क : ऋणों एवं अग्रिमों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 29.73 | | 48.51 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 15.63 | | 49.98 | |
| | 45.36 | | 98.49 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 45.36 | | 98.49 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 0.13 | 45.23 | 0.59 | 97.90 |

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **नकद अथवा वस्तु रूप में या इसके मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 4950.28 | | 5003.96 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 46.65 | | 38.65 | |
| | 4996.93 | | 5042.61 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 4996.93 | | 5042.61 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 43.98 | 4952.95 | 38.65 | 5003.96 |
| | | | | |
| **अन्य ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 1131.07 | | 1131.07 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 228025.54 | | 224459.89 | |
| असुरक्षित | 9850.83 | | 9677.78 | |
| | 239007.44 | | 235268.74 | |
| घटाएं – अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 1798.00 | | 3942.27 | |
| | 237209.44 | | 231326.47 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 11533.10 | 225676.34 | 10810.04 | 220516.43 |
| | | | | |
| **संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम** | | | | |
| परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 0.00 | | 1.32 | |
| | 0.00 | | 1.32 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 0.00 | | 1.32 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| **जोड़** | | **230674.52** | | **225619.61** |

## टिप्पणी–6ख : अन्य ऋणों एवं अग्रिमों के ब्यौरे (परिशोधन लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **कच्चा माल वितरण** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 1003.70 | | 1003.70 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 227508.00 | | 224459.89 | |
| असुरक्षित | 8150.41 | | 8168.49 | |
| | 236662.11 | | 233632.08 | |
| घटाएंः अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 1679.97 | | 3867.40 | |
| | 234982.14 | | 229764.68 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 9821.27 | 225160.87 | 9311.94 | 220452.74 |
| **बट्टाकृत गए विनिमय बिल** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 127.37 | | 127.37 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 517.54 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 1509.29 | | 1509.29 | |
| | 2154.20 | | 1636.66 | |
| घटाएंः अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 74.87 | | 74.87 | |
| | 2079.33 | | 1561.79 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 1563.86 | 515.47 | 1498.10 | 63.69 |
| **संयुक्त मियादी ऋण** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 175.69 | | 196.88 | |
| | 175.69 | | 196.88 | |
| घटाएंः अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 38.91 | | 42.23 | |
| | 136.78 | | 154.65 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 136.78 | 0.00 | 154.65 | 0.00 |
| **मियादी ऋण** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 15.44 | | 15.44 | |
| | 15.44 | | 15.44 | |
| घटाएंः अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 4.25 | | 4.25 | |
| | 11.19 | | 11.19 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
| **जोड़** | | **225676.34** | | **220516.43** |

टिप्पणी–6ग: निगम के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम (कर्मचारियों को ऋणों एवं अग्रिमों के अंतर्गत सहित)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| निदेशकगण | 0.00 | 1.32 |
| कंपनी के अन्य अधिकारी | 45.23 | 97.90 |
| फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो | 0.00 | 0.00 |
| निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **45.23** | **99.22** |

## टिप्पणी–7: निवेश

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **परिशोधित लागत** | | | | |
| **इक्विटी विलेख** | | | | |
| **सहायक कंपनी में निवेश** | | | | |
| एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) रालउनि की पूर्ण स्वामित्व सब्सिडरी (100–100रू. 6,00,000 इक्विटी शेयर) वाली एक सहायक कंपनी | 600.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति हेतु भत्ता | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **अन्य** | | | | |
| **उचित मूल्य पर (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)** | | | | |
| इक्विटी प्रलेख | 189.36 | | 96.63 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति हेतु भत्ता | 15.00 | 174.36 | 15.00 | 81.63 |
| **तुलन पत्र के अनुसार** | | **774.36** | | **81.63** |

| निवेश (उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से) | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **मैसर्स सिंगर इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर**<br>(दिनांक 31.03.21 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त 2–2 प्रत्येक 2/– रुपए के 4,70,230 शेयर, उचित मूल्य 37.08 रू. प्रति शेयर)<br>(दिनांक 31.03.20 को यथास्थिति उप–विभाजन के पश्चात पूर्ण प्रदत्त 2–2 रू. के 4,70,230 शेयर, उचित मूल्य 17.36 प्रति शेयर) | 174.36 | 81.63 |
| **मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीओ) के इक्विटी शेयर** (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 100000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत) | 10.00 | 10.00 |
| **मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीएमओ) के इक्विटी शेयर** (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 50000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत) | 5.00 | 5.00 |
| **उप–जोड़** | **189.36** | **96.63** |
| घटाएंः एसआईपीपीओ और एसआईपीएमओ के शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट | 15.00 | 15.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **174.36** | **81.63** |

| निवेश का भौगोलिक वर्गीकरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| भारत में | 774.36 | 81.63 |
| भारत से बाहर | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **774.36** | **81.63** |

## टिप्पणी–8 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **प्रतिभूति जमा** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 213.74 | | 348.21 | |
| | 213.74 | | 348.21 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 213.74 | | 348.21 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 1.71 | 212.03 | 0.12 | 348.09 |
| **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| बैंकों से प्राप्तव्य | | | | |
| ब्याज | 268.30 | | 268.30 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 268.30 | 0.00 | 268.30 | 0.00 |
| अन्य | 885.32 | | 18843.75 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 283.82 | 601.50 | 283.45 | 18560.30 |
| सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभत परंतु अदेय ब्याज | | 10.79 | | 1.17 |
| अनुदानों में घाटा (निवल) के प्रति भारत सरकार से प्राप्य धनराशियां | | 0.00 | | 1499.64 |
| बयाना राशि जमा प्राप्तव्य | | 2.95 | | 89.95 |
| अवधारण राशि प्राप्तव्य | | 265.31 | | 296.10 |
| देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव | | 173.20 | | 172.32 |
| देय ईएमडी का बट्टाकरण प्रभाव | | 0.00 | | 0.00 |
| देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव | | 13.67 | | 0.00 |
| **उप–जोड़** | | **1067.42** | | **20619.48** |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **1279.45** | | **20967.57** |

## टिप्पणी–9 : माल–सूचियां

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| कच्चा माल और घटक | 0.00 | 0.11 |
| तैयार माल | 1.91 | 2.10 |
| व्यापार स्टॉक | 0.00 | 0.00 |
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | 8.56 | 8.20 |
| खुले औज़ार और मापन यंत्र | 10.47 | 6.93 |
| स्टॉक में भूमि और भवन, औद्योगिक सम्पदा, नैनी | 19.65 | 19.65 |
| मार्गस्थ सामान | 0.00 | 54.96 |
| **उप–जोड़** | **40.59** | **91.95** |
| घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **40.59** | **91.95** |

टिप्पणी : माल–सूची पर भारतीय लेखाकंन मानक–2 पर प्रकटन के लिए टिप्पणी–34 के क्रम संख्या 5 को देखें।

## टिप्पणी–10 : चालू कर (निवल)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस | 1534.47 | 1439.31 |
| अग्रिम कर | 8063.33 | 11466.03 |
| घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान | 9550.00 | 11890.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **47.80** | **1015.34** |

## टिप्पणी–11 : आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 5601.10 | 5567.21 |
| घटाएं : आस्थगित कर देयतांए | 1530.03 | 1005.92 |
| **तुलन पत्र के अनुसार** | **4071.07** | **4561.29** |

टिप्पणी: टिप्पणी 34 का क्रम संख्या 6 देखें।

## टिप्पणी–12 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

(लाख रुपए में)

| निवल कैरिंग धनराशि | 31.03.2021 को यथास्थिति | 31.03.2020 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| भूमि | 44.65 | 44.98 |
| भवन | 22746.19 | 22063.32 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 376.71 | 427.90 |
| कार्यालय उपकरण | 368.25 | 468.69 |
| वाहन | 20.96 | 27.40 |
| संयंत्र एवं उपकरण | 5077.68 | 4903.31 |
| **कुल संपत्ति, संयत्र और उपकरण** | **28634.44** | **27935.60** |
| बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां | 0.07 | 0.00 |
| सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर | 142.19 | 184.64 |
| इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां | 55.83 | 67.76 |
| चल रहा पूंजीगत कार्य | 423.44 | 291.59 |

(लाख रुपए में)

| विवरण | सकल रखाव धनराशि | | | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | | | एलटीए | | नेट ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04. 20 को यथास्थिति | वृद्धि | बिक्री | कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत | पुनर्मूल्यांकन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03. 21 को यथास्थिति मूल्य | 01.04. 20 को यथास्थिति | वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क | बिक्री | पुनर्मूल्यांकन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 20 को यथास्थिति | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 20 को यथास्थिति |
| **मूर्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. स्वयं की परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भवन | 21983.03 | 1157.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23140.21 | 1365.30 | 362.06 | 0.00 | 122.43 | 0.00 | 1849.79 | 0.00 | 0.00 | 21290.42 | 20617.73 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 613.33 | 10.80 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 606.44 | 365.72 | 38.91 | 8.25 | 0.60 | 4.22 | 392.76 | 0.00 | 0.00 | 213.68 | 247.61 |
| भूमि | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 3.88 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.20 |
| कार्यालय उपकरण | 920.78 | 32.15 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 931.81 | 767.57 | 56.12 | 11.54 | 0.75 | 7.91 | 804.99 | 0.00 | 0.00 | 126.82 | 153.21 |
| वाहन | 115.62 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 111.51 | 88.71 | 6.24 | 3.90 | 0.00 | 0.01 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 20.47 | 26.91 |
| संयंत्र एवं उपकरण | 2472.49 | 87.85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2560.33 | 849.41 | 84.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 933.60 | 0.00 | 0.00 | 1626.73 | 1623.08 |
| **जोड़** | **26136.33** | **1287.98** | **29.53** | **0.00** | **0.00** | **13.40** | **27381.38** | **3440.59** | **547.73** | **23.70** | **123.78** | **12.14** | **4076.26** | **0.00** | **0.00** | **23305.12** | **22695.74** |
| **पट्टायुक्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 108.62 | 0.00 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 95.22 | 0.00 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 35.59 | 12.77 | 13.35 | 0.04 | 0.05 |
| **जब्त पट्टायुक्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.35 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 48.80 | 48.80 | 0.88 | 0.88 |
| **सरकारी अनुदानों से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भूमि | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 5.26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 17.78 |
| भवन | 879.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.85 | 452.99 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.75 | 0.00 | 0.00 | 418.10 | 426.86 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 177.51 | 0.55 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.07 | 86.12 | 13.25 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 78.49 | 91.39 |
| कार्यालय उपस्कर | 928.64 | 22.21 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.13 | 701.39 | 81.06 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 780.82 | 0.00 | 0.00 | 168.31 | 227.25 |
| वाहन | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 4479.56 | 413.76 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | −5.07 | 4895.36 | 1855.22 | 232.59 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2084.88 | 0.00 | 0.00 | 2810.48 | 2624.33 |
| **जोड़** | **6499.76** | **436.52** | **8.74** | **0.00** | **0.00** | **−5.07** | **6932.61** | **3111.65** | **335.79** | **8.35** | **0.00** | **0.00** | **3439.09** | **0.00** | **0.00** | **3493.52** | **3388.10** |
| **तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भवन | 1182.21 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −49.47 | 1234.51 | 163.48 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.84 | 0.00 | 0.00 | 1037.67 | 1018.73 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 159.70 | 6.49 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | −0.35 | 166.24 | 70.80 | 11.15 | 0.29 | 0.00 | .04 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 84.54 | 88.90 |
| कार्यालय उपस्कर | 639.09 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −1.75 | 646.78 | 550.87 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | .82 | 573.66 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 88.23 |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 929.86 | 40.74 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | −7.95 | 977.85 | 274.89 | 63.94 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 338.30 | 0.00 | 0.00 | 639.55 | 654.97 |
| **जोड़** | **2910.86** | **56.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **−59.52** | **3025.38** | **1060.04** | **130.42** | **0.82** | **0.00** | **.0.86** | **1190.50** | **0.00** | **0.00** | **1834.88** | **1850.83** |
| **उप–जोड़ मूर्त परिसंपत्तियां** | **35714.92** | **1780.50** | **99.49** | **0.00** | **0.00** | **−51.19** | **37447.12** | **7717.17** | **1013.94** | **92.50** | **123.78** | **11.28** | **8751.11** | **61.57** | **62.15** | **28634.44** | **27935.60** |
| गत वर्ष | 24299.51 | 965.57 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | −10494.61 | 35714.92 | 6705.98 | 1054.43 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 7717.17 | 62.15 | 62.15 | 27935.60 | 17531.39 |

(लाख रुपए में)

| विवरण | सकल रखाव धनराशि | | | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | | | एलटीए | | नेट ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04. 20 को यथास्थिति | वृद्धि | बिक्री | कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत | पुनर्मूल्याकंन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03. 21 को यथास्थिति मूल्य | 01.04. 20 को यथास्थिति | वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क | बिक्री | पुनर्मूल्याकंन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 20 को यथास्थिति | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 20 को यथास्थिति |
| **अमूर्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **स्वयं की परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 156.11 | 23.24 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 176.99 | 116.30 | 19.14 | 0.07 | 0.63 | 2.15 | 133.85 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 39.81 |
| **सरकारी अनुदान से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 106.88 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.65 | 44.36 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.26 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | 62.52 |
| **तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 244.36 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.75 | 206.50 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.48 | 0.00 | 0.00 | 22.27 | 37.86 |
| **इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 57.67 | 1.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 55.83 | 67.76 |
| **उप जोड परिसंपत्तियां** | **576.10** | **29.40** | **0.16** | **0.00** | **0.00** | **13.28** | **592.06** | **368.16** | **50.86** | **0.07** | **0.63** | **2.15** | **417.43** | **0.00** | **0.00** | **174.63** | **207.95** |
| गत वर्ष | 464.45 | 111.71 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.10 | 302.95 | 65.26 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 368.16 | 0.00 | 0.00 | 207.95 | 161.50 |
| **चल रहा पूंजीगत कार्य** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चल रहा पूंजीगत कार्य | 285.57 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.42 | 246.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.81 | 285.57 |
| **गत वर्ष** | **8246.27** | **2516.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10477.58** | **285.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **285.57** | **8246.27** |
| सरकारी अनुदान से अर्जित सीडब्लूआईपी | 6.02 | 175.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.63 | 6.02 |
| गत वर्ष | 17.03 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 17.03 |
| **उप जोड़–चल रहा पूंजीगत कार्य** | **291.59** | **194.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **62.49** | **423.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **423.44** | **291.59** |
| गत वर्ष | 8263.31 | 2522.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10494.61 | 291.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.59 | 8263.30 |
| **विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **मालिकाना परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर** | **44.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21.06** | **23.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23.39** | **44.45** |
| गत वर्ष | 0.00 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.45 | 0.00 |
| **बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | –13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | –13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (सरकारी अनुदान) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **–13.50** | **13.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **–13.43** | **13.43** | **0.00** | **0.00** | **0.07** | **0.00** |
| **सकल जोड़** | **36627.06** | **2004.24** | **99.65** | **0.00** | **0.00** | **32.14** | **38499.51** | **8085.33** | **1064.80** | **92.57** | **124.41** | **0.00** | **9181.97** | **61.57** | **62.15** | **29255.97** | **28479.59** |
| गत वर्ष | 33027.27 | 3644.63 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36627.06 | 7008.93 | 1120.69 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 8085.33 | 62.15 | 62.15 | 28479.59 | 25956.19 |

## टिप्पणी–13 : अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत अग्रिम** | | | | |
| राइट्स के पास | 0.00 | | 209.91 | |
| जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.91 |
| सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास | 25.63 | | 42.22 | |
| जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.00 | 25.63 | 0.00 | 42.22 |
| ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति) | 107.78 | | 0.00 | |
| जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.00 | 107.78 | 0.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | | 133.41 | | 252.13 |
| कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमा | | 861.48 | | 1071.60 |
| अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां | 264.25 | | 294.33 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता | 17.54 | 246.71 | 11.55 | 282.78 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **1241.60** | | **1606.51** |

## टिप्पणी–14 : व्यापार प्राप्तव्य

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्तव्य** | | | | |
| एमएसएमई की बकाया राशियां | 19251.54 | | 22992.73 | |
| गैर–एमएसएमईज की बकाया देय राशियां | 156.54 | 19408.08 | 436.82 | 23429.55 |
| संबंधित पक्षकारों को देय | | 0.00 | | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **19408.08** | | **23429.55** |

टिप्पणी: टिप्पणी–34 का क्रम सं. 1 देखें।

## टिप्पणी–15 : उधार (परिशोधित मूल्य पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **सुरक्षित उधारियां** | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से मियादी ऋण: | | | | |
| बैंकों से | | 0.00 | | 0.00 |
| अन्यों से: | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी: | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी: | | | | |
| बैंकों से | | | | |
| कार्यशील पूंजीगत ऋण | 138000.00 | | 156500.00 | |
| नकदी क्रेडिट | 0.00 | | 0.00 | |
| ओवरड्राफ्ट | 0.00 | | 0.00 | |
| मियादी ऋण | 0.00 | 138000.00 | 0.00 | 156500.00 |
| अन्य पक्षकार | | 0.00 | | 0.00 |
| आस्थगित भुगतान देयताएं | | 0.00 | | 0.00 |

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| जमा | | 0.00 | | 0.00 |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | 0.00 | | 0.00 |
| वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | | **138000.00** | | **156500.00** |
| **असुरक्षित उधार** | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से मियादी ऋण | | | | |
| बैंक | | 0.00 | | 0.00 |
| अन्य पक्षकारों से: | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | 5219.83 | | 5341.53 | |
| अन्य | 0.00 | 5219.83 | 0.00 | 5341.53 |
| निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी: | | | | |
| बैंकों से | | | | |
| कार्यशील पूंजीगत ऋण | 0.00 | | 0.00 | |
| नकदी क्रेडिट | 0.00 | | 0.00 | |
| ओवरड्राफ्ट | 0.00 | | 0.00 | |
| मियादी ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य पक्षकार | | 0.00 | | 0.00 |
| आस्थगित अदायगी देयताएं | | 0.00 | | 0.00 |
| जमा | | 0.00 | | 0.00 |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | 0.00 | | 0.00 |
| वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम: | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | | **5219.83** | | **5341.53** |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **143219.83** | | **161841.53** |
| | | | | |
| **उधारों का भौगोलिक वर्गीकरण:** | | | | |
| भारत में | | 138000.00 | | 156500.00 |
| भारत से बाहर | | 5219.83 | | 5341.53 |
| **जोड़** | | **143219.83** | | **161841.53** |

## टिप्पणी–15क : उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | निम्नलिखित को बकाया राशिः | | अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक) | प्रतिभूति का स्वरूप | क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है | 31.03.21 को यथास्थिति निरंतर चूंकें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | | | | अवधि | धनराशि |
| **सुरक्षित उधार** | | | | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | | | | | | |
| निम्नलिखित से मियादी ऋणः | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| विजया बैंक | 0 | 0 | अर्ध–वार्षिक | | शून्य | 0 | |
| अन्यों सेः | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| अदायगी योग्य ऋण | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| कार्यशील पूंजीगत ऋण | | | | | | | |
| दें हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0.00 | 36500.00 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| इडंस इंड बैंक | 0.00 | 0.00 | | कंपनी के ऋणों और अग्रिमों सहित लेखा बही ऋणों पर समरूप पभार | शून्य | 0 | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 64500.00 | 100000.00 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल | 73500.00 | 20000.00 | | बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार | शून्य | 0 | |
| चाइना ट्रस्ट बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एसटीएल | 0.00 | 0.00 | | कच्चा माल और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के प्राप्तव्यों/लेखा बही ऋणों/ समरूप प्रभार | शून्य | 0 | |
| | 138000.00 | 156500.00 | | | | | |
| नकद क्रेडिट | | | | | | | |
| पंजाब नेशनल बैंक | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में भूमि और भवन के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और ऋणों तथा अग्रिमों, बही ऋणों, बट्टाकृत बिलों और विपणन क्रियाकलापों समे संबंधित सभी चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्तियोग्य राशियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| विजया बैंक | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति के पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/चालू परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |

| विवरण | निम्नलिखित को बकाया राशिः | | अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक) | प्रतिभूति का स्वरूप | क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है | 31.03.21 को यथास्थिति निरंतर चूंकें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | | | | अवधि | धनराशि |
| भारतीय स्टेट बैंक | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 87 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| ओवरड्राफ्ट | | | | | शून्य | | |
| दॅ हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| सीटीबीसी बैंक – ओवरड्राफ्ट | 0 | 0 | | कच्चा माल सहायता और अन्य चालू परिसंत्तियों के बही ऋण/प्राप्य लेखे के हाइपोथिकेशन के रूप में प्रतिभूत। | शून्य | 0 | |
| | 0 | 0 | | | | | |
| मियादी ऋण | | | | | | | |
| अन्य पक्षकार | | | | | | | |
| आस्थगित अदायगी देयताएं | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | | | | | | |
| वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं | | | | | | | |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| **उप–जोड़** | **138000.00** | **156500.00** | | | | | |
| **असुरक्षित उधार** | | | | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | | | | | | |
| निम्नलिखित से मियादी ऋणः | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| निम्नलिखित से अन्य पक्षकारः | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |

| विवरण | निम्नलिखित को बकाया राशिः | | अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक) | प्रतिभूति का स्वरूप | क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है | 31.03.21 को यथास्थिति निरंतर चूंकें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | | | | अवधि | धनराशि |
| 11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट | 2380.57 | 2409.90 | अर्ध–वार्षिक | | भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत | | |
| 12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट | 2203.57 | 2274.10 | अर्ध–वार्षिक | | भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत | | |
| केसा डिपाजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात) | 635.69 | 657.53 | अर्ध–वार्षिक | | भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत | | |
| | **5219.83** | **5341.53** | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगीः | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| चल रहा पूंजीगत ऋण | | | | | | | |
| नकद क्रेडिट | | | | | | | |
| ओवरड्राफ्ट | | | | | | | |
| मियादी ऋण | | | | | | | |
| अन्य पक्षकार | | | | | | | |
| आस्थगित अदायगी देयताएं | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | | | | | | |
| वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं | | | | | | | |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| **उप–जोड़** | **5219.83** | **5341.53** | | | – | | |
| **जोड़** | **143219.83** | **161841.53** | | | – | | |

## अनुबंध–15ख : विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधारों के ब्यौरे

| विवरण | केएफडब्ल्यू XI लाइन ऑफ क्रेडिट | केएफडब्ल्यू XII लाइन ऑफ क्रेडिट | इटालियन लाइन ऑफ क्रेडिट |
|---|---|---|---|
| कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में) | 5112918.81 | 5036225.03 | 1053134.47 |
| अदायगी की नियत तारीख | प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12 | प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12 | प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1 |
| पहली किश्त | 30/06/2002 | 30/06/2006 | 17/01/2015 |
| अंतिम किश्त | 30/06/2042 | 30/12/2035 | 17/07/2035 |
| कुल किश्तें | 81 | 60 | 42 |
| ब्याज | 10.50% | 12.50% | 0.50% |
| 31.03.21 को बकाया ऋण (यूरो में) | 2723140.61 | 2520668.93 | 727164.54 |
| पुनःअदायगी अवधि | अर्ध–वार्षिक | अर्ध–वार्षिक | अर्ध–वार्षिक |
| किश्तों की धनराशि (यूरो में) | 62888.90 | 83851.87 | 25074.61 |
| 30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश में अदा किया गया कुल ब्याज | 592439.19 | 405995.68 | – |
| 30.06.2002 से 31.03.2021 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज | 562805.32 | 580878.67 | 86810.25 |
| हेजिंग | – | – | – |

## अनुबंध–15ग : बकाया वाणिज्यिक पेपर के माध्यम से उधारों के ब्यौरे

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| उधार ली गई धनराशि | – | – |
| कूपन दर | – | – |
| जारी करने की तारीख | – | – |
| मोचन की तारीख | – | – |
| मोचन की अवधि | – | – |

## टिप्पणी–16 : अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| आरएमए क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां | 2944.41 | 2907.92 |
| भुगतान योग्य बट्टा | 1636.47 | 525.55 |
| थोक आपूर्तियां के संबंधी खाते में | 1026.92 | 2743.42 |
| मूल्यांकन क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य | 5.59 | 56.11 |
| सुरक्षा जमा देय | 1955.73 | 1845.07 |
| बयाना राशि जमा (ईएमडी) | 59.81 | 149.43 |
| अवधारण राशि | 948.95 | 489.85 |
| परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य | 1354.05 | 468.01 |
| व्यापार प्राप्तव्यों में शेष क्रेडिट | 138.62 | 13.70 |
| उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज | 423.23 | 50.92 |
| प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि | 64.51 | 64.86 |
| अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी | 257.53 | 318.52 |
| व्ययों हेतु चालू देयता | 768.17 | 3047.49 |
| अन्य भुगतान योग्य – कर | 848.66 | 945.47 |
| अन्य भुगतान योग्य | 253.61 | 242.71 |
| प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां | 1.20 | 1.63 |
| अनुदानों में अतिरेक के प्रति भारत सरकार को देय धनराशि (निवल) | 1529.71 | 0 |
| प्राप्य प्रतिबद्ध जमा का बट्टाकरण प्रभाव | 16.65 | 5.51 |
| प्राप्य बयाना राशि जमा का बट्टाकरण प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| प्राप्य अवधारण राशि जमा का बट्टाकरण प्रभाव | 13.67 | 19.32 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **14247.49** | **13895.49** |

## टिप्पणी–16क : अनुदानों में अधिशेष के प्रति भारत सरकार को भुगतान योग्य धनराशियां

(लाख रुपए में)

| विवरण | गत वर्ष में अग्रेषित शेष | | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान ब्याज | राज्य एजेंसी को प्रतिपूर्ति/वापसी/समायोजन/अंतरण | अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियां/डब्ल्यूआईपी | निवल राजस्व व्यय | कुल व्यय | आय की तुलना में व्यय का आधिक्य (संवर्धनात्मक से वाणिज्यिक को अंतरित) | प्रतिपूर्ति योग्य व्यय में अंतरण | 31.03.21 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घाटा | अधिशेष | | | | | | | | घाटा | अधिशेष |
| **विपणन सहायता स्कीम** | | | | | | | | | | | |
| विपणन सहायता स्कीम | 10.60 | 0.00 | 0.16 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| **उप–जोड़** | **10.60** | **0.00** | **0.16** | **10.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.17** |
| **निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम** | | | | | | | | | | | |
| निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम | 0.00 | 2.73 | 1.49 | –2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| **उप–जोड़** | **0.00** | **2.73** | **1.49** | **–2.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.49** |
| **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता | | | | | | | | | | | |
| संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता | 0.00 | 647.46 | 1092.38 | –22.10 | 720.41 | 251.78 | 972.19 | 0.00 | 972.19 | 0.00 | 745.55 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | 0.25 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | **0.00** | **647.46** | **1122.66** | **–22.10** | **720.41** | **282.31** | **1002.72** | **0.00** | **1002.72** | **0.00** | **745.30** |
| राष्ट्रीय उद्यमिता अवार्ड स्कीम | 0.00 | 5.50 | 0.00 | –5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) | 0.00 | 32.80 | 0.65 | –32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन | 0.00 | 76.71 | 1.86 | –3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.42 |
| **राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच)** | | | | | | | | | | | |
| एनएसएसएच – एससीएसपी | 2567.18 | 0.00 | 6714.07 | 2338.73 | 0.00 | 6320.66 | 6320.66 | 0.00 | 6320.66 | 0.00 | 164.96 |
| एनएसएसएच – टीएसपी | 869.93 | 0.00 | 1140.48 | 852.77 | 0.00 | 644.75 | 644.75 | 0.00 | 644.75 | 0.00 | 478.57 |
| एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी) | 0.00 | 92.18 | 2.36 | –2.65 | 0.00 | 135.68 | 135.68 | 0.00 | 135.68 | 43.79 | 0.00 |
| एनएसएसएच – सामान्य | 0.00 | 770.96 | 795.87 | –33.07 | 2.34 | 1466.85 | 1469.19 | 0.00 | 1469.19 | 0.00 | 64.57 |
| एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी) | 0.00 | 312.19 | 5.00 | –200.00 | 0.00 | 198.67 | 198.67 | 0.00 | 198.67 | 81.48 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | **2261.78** | **0.00** | **8657.78** | **2955.78** | **2.34** | **8766.61** | **8768.95** | **0.00** | **8768.95** | **0.00** | **582.83** |
| प्रापण एवं विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) | 0.00 | 7.54 | 263.34 | 0.00 | 0.00 | 147.03 | 147.03 | 0.00 | 147.03 | 0.00 | 123.85 |
| अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 15.73 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **1499.64** | **0.00** | **10063.67** | **2900.11** | **722.75** | **9211.68** | **9934.43** | **0.00** | **9934.43** | **0.00** | **1529.71** |
| | | | | | | | | निवल अधिशेष /(घाटा) | | 1529.71 | |
| | | | | | | | | गत वर्ष अधिशेष /(घाटा) | | –1499.64 | |

## टिप्पणी–17 : प्रावधान

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान** | | | | |
| उपदान हेतु | 4926.49 | | 5183.44 | |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु | 2842.72 | | 2969.06 | |
| अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु | 491.42 | | 570.79 | |
| सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु | 3.84 | | 3.91 | |
| छुट्टी यात्रा रियायत हेतु | 0.00 | 8264.47 | 0.15 | 8727.35 |
| **अन्य** | | | | |
| संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु | 13105.01 | | 12628.60 | |
| घटाएं: व्यापार से प्राप्तव्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन | 13105.01 | 0.00 | 12628.60 | 0.00 |
| **विनिमय भिन्नता के लिए** | | | | |
| पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष | 1838.05 | | 1774.99 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 459.14 | | 442.54 | |
| घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया | 160.05 | | 305.81 | |
| घटाएं: पुरांकित राशि | 159.44 | 1977.70 | 73.67 | 1838.05 |
| **संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु (केएफडब्ल्यू)** | | | | |
| पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष | 0.00 | | 0.00 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 54.41 | | 52.95 | |
| घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि | 54.41 | 0.00 | 52.95 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **10242.17** | | **10565.40** |

टिप्पणी: टिप्पणी–34 का क्रम सं. 8, 9 और 11 देखें।

## टिप्पणी–17क : परिवर्धन, प्रत्यावर्तन एवं प्रावधानों के उपयोगों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 01.04.2020 को यथास्थिति आरंभ शेष | वर्ष के दौरान परिवर्धन | उपयोग/उलट समायोजन | वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि | 31.03.2021 को यथास्थिति अंत शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| उपदान के लिए | 5183.44 | 499.82 | 740.60 | 16.17 | 4926.49 |
| छुट्टी नकदीकरण के लिए | 2969.06 | 552.72 | 618.20 | 60.86 | 2842.72 |
| अर्धवेतन छुट्टी के लिए | 570.79 | 45.96 | 34.35 | 90.98 | 491.42 |
| सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए | 3.91 | 0.46 | 0.09 | 0.44 | 3.84 |
| छुट्टी यात्रा के लिए | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| संदिग्ध ऋणों हेतु | 0.00 | 614.41 | 476.42 | 137.99 | 0.00 |
| विनिमय परिवर्तन हेतु | 1838.05 | 459.14 | 160.05 | 159.44 | 1977.70 |
| संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु | 0.00 | 54.41 | 54.41 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **10565.40** | **2226.92** | **2084.12** | **466.03** | **10242.17** |

## टिप्पणी–18 : अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| अग्रिम रूप से प्राप्त आय | 1148.28 | 1916.77 |
| अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी | 2565.34 | 2221.83 |
| अन्य भुगतान योग्य | 960.99 | 676.61 |
| कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव | 7.24 | 11.99 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **4681.85** | **4827.20** |

## टिप्पणी–19 : शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत** | | |
| 100–100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर | 53500.00 | 53500.00 |
| **जारी, अभिदत्त और प्रदत्त** | | |
| 100–100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर | 53298.80 | 53298.80 |
| **तुलन पत्र के अनुसार** | **53298.80** | **53298.80** |

## टिप्पणी–19क : बकाया शेयरों की संख्या का लेखा मिलान

| विवरण | इक्विटी शेयर (संख्या) | अधिमानी शेयर (संख्या) |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर | 53298800 | 0 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | 0 | 0 |
| वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर | 0 | 0 |
| वर्ष के अंत में बकाया शेयर | 53298800 | 0 |

## टिप्पणी–19ख : निगम में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण के विवरण

| शेयरधारक का नाम | 31.03.21 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या | 31.03.21 के अनुसार धारण प्रतिशत | 31.03.20 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या | 31.03.20 के अनुसार धारण प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| भारत सरकार | 53298800 | 100 | 53298800 | 100 |

## टिप्पणी–19ग : पिछले 5 वर्षों के संबंध में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में आबंटित शेयरों, बोनस शेयरों और वापस खरीदे गए शेयरों के विवरण

| विवरण | शेयरों की कुल संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020–21 | 2019–20 | 2018–19 | 2017–18 | 2016–17 |
| **इक्विटी शेयरः** | | | | | |
| नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वापस खरीदे गए शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **अधिमानी शेयरः** | | | | | |
| नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वापस खरीदे गए शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## टिप्पणी–19घ : अप्रदत्त मांगों के विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **अप्रदत्त मांगें** | | |
| निदेशकों द्वारा | 0 | 0 |
| अधिकारियों द्वारा | 0 | 0 |

## टिप्पणी–19ङ : शेयरों से संबद्ध अधिकार, वरियता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है, और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।

इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

## टिप्पणी–20 : अन्य इक्विटी के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 01.04.2020 को यथास्थिति | वर्ष के दौरान वृद्धि/सृजन | वर्ष के दौरान कटौती | | 31.03.2021 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | अंतरण/ बिक्री/ समायोजन | वर्ष के लिए मूल्यह्रास | |
| **प्रारक्षित पूंजी/आस्थगित आय (भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों के मूल्य दर्शाने वाली आरक्षित निधि)** | | | | | |
| तकनीकी केंद्र | 318.57 | 0.00 | –71.06 | 98.25 | 291.38 |
| सरकारी खरीद योजना | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
| उपर्युक्त प्रौद्योगकी | 2.40 | 0.00 | 0.00 | –0.06 | 2.46 |
| आधुनिकीकरण – ताला परियोजना | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 16.48 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 18.46 |
| प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर | 73.29 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 68.59 |
| लघु औज़ार कक्ष केंद्र | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना | 0.94 | 0.00 | 0.00 | –0.38 | 1.32 |
| उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड) | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.46 |
| प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर (आईटी) | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम) | 207.18 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 197.66 |
| केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 18.40 |
| बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना) | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 25.16 |
| इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| विपणन विकास केंद्र | 62.99 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 61.46 |
| एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन | 276.76 | 0.00 | 71.44 | 20.66 | 184.66 |
| संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायता | 2396.98 | 720.41 | 0.00 | 195.16 | 2922.23 |
| एनएसएसएच–सामान्य | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.54 | 1.80 |
| **उप–जोड़** | **3456.64** | **722.75** | **0.38** | **347.70** | **3831.31** |
| **अन्य आरक्षित निधियां** | | | | | |
| पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि | 73.09 | 0.00 | –2.56 | 2.56 | 73.09 |
| हानिकरण आरक्षित | 4866.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4866.65 |
| अवधारित आरक्षित | 38888.26 | 10329.67 | 5611.56 | 0.00 | 43606.37 |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख | 118.57 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 187.96 |
| ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि | –516.42 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | –415.44 |
| सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 के धारा 45 आईसी के अंतर्गत | 1983.84 | 2031.86 | 0.00 | 0.00 | 4015.70 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **48870.63** | **13254.65** | **5609.38** | **350.26** | **56165.64** |
| बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के प्रति आरक्षित | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

टिप्पणी: टिप्पणी–34 का क्रम 22 देखें।

## टिप्पणी–21 : प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **प्रचालनों से राजस्व** | | | | |
| **क. उत्पादों की बिक्री** | | | | |
| **विपणन क्रियाकलाप** | | | | |
| विपणन | | 14114.14 | | 20863.93 |
| निर्यात | | 0.00 | | 0.00 |
| कच्चा माल वितरण | | 154316.62 | | 123549.04 |
| **लाभ व हानि विवरण के अनुसार** | | **168430.76** | | **144412.97** |
| **ख. सेवाओं की बिक्री** | | | | |
| एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय | | 1366.91 | | 1440.45 |
| इन्फोमीडियरी सेवाओं (बी2बी) से आय | | 880.99 | | 962.49 |
| आवेदन प्रक्रिया शुल्क | | 5.14 | | 2.13 |
| प्राप्त किराया | | 3438.37 | | 2354.04 |
| साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार | | 670.53 | | 686.14 |
| प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व | | 1000.95 | | 1647.57 |
| सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व | | 827.92 | | 862.07 |
| परियोजना परामर्शी प्रभार | | 54.20 | | 80.64 |
| प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र (टीआईसी) से आय | | 21.29 | | 84.66 |
| प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां | | 2.58 | | 0.00 |
| सेवाओं से अन्य प्राप्तियां | | 22.68 | | 2.70 |
| सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी) | | 537.71 | | 525.30 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **8829.27** | | **8648.19** |
| **ग ब्याज आय** | | | | |
| **पक्षकारों से:** | | | | |
| सामान्य | | 27145.60 | | 26651.21 |
| दांडिक ब्याज | | 2.42 | | 78.15 |
| बैंकों के पास जमा से | | 13.05 | | 4.40 |
| कर्मचारी अग्रिम से | | 0.75 | | 1.09 |
| अन्य से | | 3.89 | | 8.71 |
| विदेशी मुद्रा लेनदेनों और परिवर्तन पर ब्याज से लाभ (निवल) | | 0.00 | | 0.00 |
| ब्याज आय कर्मचारी/परिशोधित लागत | | 0.00 | | 0.47 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **27165.71** | | **26744.03** |
| **घ अर्जित प्रक्रिया शुल्क/सेवा प्रभार** | | | | |
| कच्चा माल वितरण | 1263405.25 | 4278.30 | 1379793.79 | 4555.03 |
| विविध मदें | 23991.52 | 301.76 | 21550.29 | 308.63 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **1287396.77** | **4580.06** | **1401344.08** | **4863.66** |
| **ङ अन्य प्रचालन राजस्व** | | | | |
| **आधिक्य प्रावधान पुरांकितः** | | | | |
| केएफडब्ल्यू | 213.85 | | 126.62 | |
| सरकारी गारंटी शुल्क | 0.00 | | 0.00 | |
| सेवांत लाभ | 168.59 | | 0.00 | |
| अन्य | 139.80 | 522.24 | 5491.94 | 5618.56 |
| पुरांकित विविध क्रेडिट शेष | | 601.15 | | 123.57 |
| विदेशी मुद्रा लेनदेनों और परिवर्तन पर लाभ (निवल) | | 0.00 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **1123.39** | | **5742.13** |

## अनुबंध–21क : कच्चे माल के वितरण के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| ऐलुमिनियम | 84737.07 | 53047.90 |
| लोहा एवं इस्पात | 64788.64 | 62961.43 |
| अन्य | 4790.91 | 7539.71 |
| **जोड़** | **154316.62** | **123549.04** |

## टिप्पणी–22 : अन्य आय

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| आय कर की वापसियों पर ब्याज | 0.00 | 54.67 |
| विविध आय | 50.74 | 45.95 |
| लाभाशं आय | 2.35 | 1.88 |
| वित्तीय परिसंपत्तियां पर बट्टाकरण का प्रभाव | 42.38 | 154.23 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **95.47** | **256.73** |

## टिप्पणी–23 : अनुदान और आर्थिक सहायता

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए** | **9934.43** | **12365.07** |
| घटाएं: पूंजी व्यय (निवल) | 722.75 | 695.80 |
| घटाएं: एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि | 475.71 | 586.49 |
| घटाएं: प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई | 282.30 | 297.50 |
| घटाएं: सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और आर्थिक सहायता) | 537.71 | 525.30 |
| घटाएं: सरकारी अनुदानों से विनियोजित धनराशि (लाभ और हानि विवरण – संवर्धनात्मक के अनुसार) | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **7915.96** | **10259.98** |

## टिप्पणी–24 : स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद (समेकित)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| विपणन के लिए स्टॉक इन–ट्रेड की खरीद | | |
| विपणन | 14114.13 | 20852.45 |
| निर्यात | 0.00 | 0.00 |
| कच्ची माल वितरण | 153241.53 | 122895.36 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **167355.66** | **143747.81** |

## टिप्पणी–24क : कच्चा माल वितरण के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| ऐलुमिनियम | 83843.92 | 52480.83 |
| लोहा एवं इस्पात | 64724.29 | 63000.36 |
| अन्य | 4673.32 | 7414.17 |
| **जोड़** | **153241.53** | **122895.36** |

## टिप्पणी–25 : माल–सूचियों में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **तैयार मालः** | | | | |
| समापन स्टॉक | 1.91 | | 2.10 | |
| घटाएंः आरंभिक स्टॉक | 2.10 | | 2.16 | |
| स्टॉक में समायोजन | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| **चल रहा कार्यः** | | | | |
| समापन स्टॉक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः आरंभिक स्टॉक | 0.00 | | 0.00 | |
| स्टॉक में समायोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **मार्गस्थ सामान** | | | | |
| समापन स्टॉक | 0.00 | | 54.96 | |
| घटाएंः आरंभिक स्टॉक | 54.96 | | 0.00 | |
| स्टॉक में समायोजन | 0.00 | 54.96 | 0.00 | –54.96 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **54.96** | | **–54.96** |

## टिप्पणी–26 : कर्मचारी हितों पर व्यय समेकित

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| वेतन और भत्ते | | 9062.60 | | 9194.93 |
| **निम्नलिखित के प्रति अंशदानः** | | | | |
| भविष्य निधि | 742.38 | | 736.09 | |
| अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना | 618.78 | | 635.31 | |
| कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 0.00 | 1361.16 | 0.00 | 1371.40 |
| उपदान | | 689.28 | | 630.03 |
| स्टॉफ कल्याण व्यय | | 127.93 | | 120.60 |
| अन्य लाभ | | 1923.76 | | 2329.86 |
| **निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)** | | | | |
| वेतन और भत्ते | | 120.09 | | 92.80 |
| **निम्नलिखित हेतु अंशदानः** | | | | |
| भविष्य निधि | 6.58 | | 5.93 | |
| अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना | 5.49 | 12.07 | 5.16 | 11.09 |
| उपदान | | 2.53 | | 8.68 |
| अन्य लाभ | | 1.85 | | 15.06 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **13301.27** | | **13774.45** |

## टिप्पणी–27 : वित्तपोषण लागतें समेकित

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **निम्नलिखित के संबंध में उधारों पर ब्याजः** | | | | |
| क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण) | 549.64 | | 530.22 | |
| कासा डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात) | 3.36 | | 3.23 | |
| बैंक | 7154.60 | | 4730.19 | |
| वाणिज्यिक पेपर | 0.00 | | 7197.54 | |
| संपार्श्विक प्रतिभूति जमा | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 7707.60 | 0.00 | 12461.18 |
| निम्नलिखित के संबंध में उधार पर अन्य लागतेंः | | | | |
| सरकारी गारंटी शुल्क | 21.31 | | 21.49 | |
| विदेशी मुद्रा लेन–देनों और परिवर्तनों पर ब्याज की हानि | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 21.49 |
| अन्य वित्त प्रभार | | 43.04 | | 112.84 |
| कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय | | 0.39 | | 20.50 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **7772.34** | | **12616.01** |

## टिप्पणी–28 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **निम्नलिखित पर मूल्यह्रासः** | | | | |
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | | 678.98 | | 684.82 |
| पट्टायुक्त परिसंपत्तियां | | 0.00 | | 0.00 |
| **अनुदानों के प्रति अर्जित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण** | | | | |
| कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास | 347.70 | | 386.83 | |
| घटाएंः कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां | 347.70 | 0.00 | 386.83 | 0.00 |
| व्ययों का परिशोधन | | 38.12 | | 48.04 |
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर हानिकरण क्षति | | 124.41 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **841.51** | | **732.86** |

टिप्पणीः टिप्पणी 12 और टिप्पणी –34 का क्रम संख्या 7 देखें।

## टिप्पणी–29 : निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.2021 नकद के रूप में | अभी अदा किया जाना 31.03.2021 | जोड़ 31.03.2021 | नकद रूप में 31.03.2020 | अभी अदा किया जाना 31.03.2020 | जोड 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर | 224.58 | 0.00 | 224.58 | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **224.58** | **0.00** | **224.58** | **255.00** | **0.00** | **255.00** |
| संबंधित पक्षकार लेन–देन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## टिप्पणी–30 : अन्य व्यय समेकित

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार | 662.70 | 687.93 |
| मुद्रण एवं लेखन–सामग्री | 63.63 | 89.94 |
| बीमा | 27.45 | 13.58 |
| यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार | 356.35 | 531.61 |
| माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय | 30.56 | 30.90 |
| संचार व्यय | 101.96 | 117.13 |
| अदा किया गया किराया | 448.67 | 479.56 |
| कर्मचारी भर्ती व्यय | 0.20 | 0.06 |
| लाइसेंस, दरें एवं कर | 396.83 | 155.08 |
| सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय | 1877.64 | 1752.50 |
| मरम्मत एवं रखरखाव व्यय | 411.42 | 398.75 |
| कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार | 40.85 | 42.24 |
| वैब पोर्टल और सॉफ्टवेयर अनुरक्षण प्रभार | 78.22 | 66.07 |
| सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान | 47.33 | 49.14 |
| आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान | 35.55 | 38.67 |
| कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार | 277.59 | 328.57 |
| निदेशकों का बैठक शुल्क | 0.00 | 3.84 |
| निदेशकों का अन्य व्यय | 12.66 | 33.48 |
| प्रशिक्षण व्यय | 530.15 | 683.72 |
| सामान्य सुविधा प्रभार | 65.35 | 94.20 |
| परियोजना परामर्श प्रभार | 0.00 | 86.68 |
| गोदाम प्रचालनों पर प्रभार | 942.56 | 967.22 |
| सूचनात्मक सेवा व्यय | 2.50 | 3.43 |
| कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय | 37.06 | 95.55 |
| मनोरंजन | 12.26 | 20.92 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | 40.04 | 170.26 |
| कंपनी अधिनिसामन के लिए अदा किए गए शुल्क और प्रभार | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा लेने–देन एवं मुद्रा परिवर्तन पर हानि (निवल) | 22.59 | 42.56 |
| विविध व्यय | 18.39 | 29.60 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम | 18.17 | 14.38 |
| प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय | 2.73 | 14.15 |
| क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय | 6.05 | 0.00 |
| विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय | 37.47 | 2560.96 |
| अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच | 7141.24 | 6742.94 |
| प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) पर व्यय | 147.03 | 103.04 |
| अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई सी) स्कीम पर व्यय | 18.31 | 0.00 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों पर बट्टाकरण का प्रभाव | 27.31 | 46.21 |
| संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान | 614.41 | 0.00 |
| एसपीआरएस पर व्यय | 39.56 | 70.51 |
| ईएसडीपी पर व्यय | 0.00 | 59.70 |
| साविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड | 28.56 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **14621.35** | **16625.08** |

## टिप्पणी–30क : अन्य व्ययों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **निम्न हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः** | | | | |
| सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क | | 34.80 | | 35.65 |
| कर लेखापरीक्षा शुल्क | | 10.28 | | 10.58 |
| अन्य कराधान मामले | | 0.00 | | 0.26 |
| कंपनी कानून मामले | | 0.00 | | 0.00 |
| प्रबंधन सेवाएं | | 0.00 | | 0.00 |
| अन्य सेवाएं | | 2.01 | | 1.05 |
| व्ययों की प्रतिपूर्ति | | 0.24 | | 1.60 |
| **जोड़** | | **47.33** | | **49.14** |
| **निम्न पर मरम्मत एवं रखरखाव खर्चः** | | | | |
| भवन | | 312.70 | | 262.39 |
| मशीनरी | | 14.95 | | 18.75 |
| अन्य | | 83.77 | | 117.61 |
| **जोड़** | | **411.22** | | **398.75** |
| **बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलनीय अग्रिमः** | | | | |
| बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण | | 18.17 | | 14.38 |
| बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम | | 0.00 | | 0.00 |
| बट्टेखाते डाली गई हानियां | 16.48 | | 1.93 | |
| घटाएंः बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन | 16.48 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| **जोड़** | | **18.17** | | **14.38** |
| **निम्न पर प्रशिक्षण व्ययः** | | | | |
| आंतरिक | | 371.73 | | 438.75 |
| प्रायोजित | | 48.36 | | 62.83 |
| व्यैक्तिक | | 0.18 | | 57.42 |
| एटीआई | | 64.82 | | 56.30 |
| क्षमता निर्माण (एनएसएसएच) | | 0.00 | | 1.06 |
| अन्य | | 45.06 | | 67.36 |
| **जोड़** | | **530.15** | | **683.72** |
| **विशेष विपणन सहायता स्कीम पर व्ययः** | | | | |
| घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में सहभागिता | | 23.69 | | 1956.04 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में सहभागिता | | 0.00 | | 306.74 |
| घरेलू प्रदश्रनियों, व्यापार मेलों में संगठन दौरे | | 0.00 | | 138.16 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, विदेशी सम्मेलनों के संगठन दौरे | | 0.00 | | 0.40 |
| वेंडर विकास कार्यक्रम | | 1.91 | | 136.80 |
| कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन | | 11.87 | | 22.82 |
| **जोड़** | | **37.47** | | **2560.96** |
| **अन्यों पर व्यय – एनएसएसएचः** | | | | |
| संग्रहण, मिलान और सूचना का प्रसार | | 3.04 | | 48.31 |
| क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, ईडीपीज | | 1057.38 | | 3948.86 |
| विपणन सहायता | | 0.45 | | 0.33 |
| मेंटरिंग एवं हैंड होल्डिंग सहायता | | 0.00 | | 3.13 |

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| जागरूकता सृजन और प्रचार | 525.99 | 102.01 |
| अनुसूचित जाति/अ.ज.जा हब को तकनीकी और प्रबंधन अनुसमर्थन | 401.52 | 317.51 |
| विशेष क्रेडिट संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना | 5152.86 | 2322.79 |
| अ.जा./अ.ज.जा हब स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को निधियां | 0.00 | 0.00 |
| वेंडर विकास, राष्ट्रीय विनिर्माण को प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **7141.24** | **6742.94** |
| **खरीद और विपणन सहायता स्कीम पर (पीएमएसएस) पर व्यय** | | |
| घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में अलग–अलग एमएसएमई की सहभागिता | 138.98 | 103.04 |
| मंत्रालय आदि द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन | 0.00 | 0.00 |
| मंत्रालय आदि द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता | 0.00 | 0.00 |
| आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों में एसएमईज का क्षमता निर्माण | 0.00 | 0.00 |
| विपणन हाटों का विकास | 0.00 | 0.00 |
| वेंडर विकास कार्यक्रम (वीडीपी) | 1.60 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं, संगोष्ठियां | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय कार्यशालाएं संगोष्ठियां | 4.00 | 0.00 |
| जागरूकता कार्यक्रम | 2.45 | 0.00 |
| **जोड़** | **147.03** | **103.04** |
| **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय** | | |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि मे एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल का दौरा | 0.00 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल की सहभागिता | 18.31 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना | 0.00 | 0.00 |
| मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आदि आयोजित करना | 0.00 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल भेजना | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **18.31** | **0.00** |
| **सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड** | | |
| टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज | 18.00 | 0.00 |
| जीएसटी के निलंबित जमा के लिए भुगतान किया गया ब्याज | 10.56 | 0.00 |
| **जोड़** | **28.56** | **0.00** |

## टिप्पणी–31 : कर व्यय

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **चालू कर हेतु प्रावधान** | | | | |
| चालू कर हेतु प्रावधान | 3400.00 | | 1900.00 | |
| आस्थगित कर हेतु समायोजन | 432.91 | | 1445.21 | |
| संपत्ति कर हेतु प्रावधान | 0.00 | 3832.91 | 0.00 | 3345.21 |
| **पूर्ववर्ती वर्ष के करों के लिए प्रावधान** | | | | |
| कर हेतु प्रावधान | –27.48 | | –31.69 | |
| आस्थगित कर हेतु प्रावधान | 0.00 | –27.48 | 0.00 | –31.69 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार** | | **3805.43** | | **3313.52** |

## टिप्पणी–32 : प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **गणक** | 10159.30 | 9919.22 |
| लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ (लाख रुपए में) | | |
| **मूल्य वर्ग** | | |
| इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए) | 53298800 | 53298800 |
| वर्ष के दौरान आबंटित शेयर | 0 | 0 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत | 53298800 | 53298800 |
| तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत | 53298800 | 53298800 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य) | 19.06 | 18.61 |
| प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य) | 19.06 | 18.61 |

## टिप्पणी–33: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **(i) आकस्मिक देयताएं** | | |
| ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे | 113.18 | 419.38 |
| गारंटियां | 0.00 | 0.00 |
| विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग | 866.94 | 1107.06 |
| अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है | 343.24 | 343.24 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **1323.36** | **1869.68** |
| **(ii) प्रतिबद्धताएंः** | | |
| पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल) | 1758.45 | 742.21 |
| पक्षकार प्रदत्त शेयरों और अन्य निवेशों पर अदावाकृत देयताएं | 0.00 | 0.00 |
| अन्य प्रतिबद्धताएं | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **1758.45** | **742.21** |

## टिप्पणी–34 :

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अकेले वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां**

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, निगम के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | विवरण | 2020–21 | 2019–20 |
|---|---|---|---|
| 1 | किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशि | | |
| | (क) मूलधन की धनराशि | 19251.54 | 22992.73 |
| | (ख) उस पर देय ब्याज | शून्य | शून्य |
| 2 | नियुक्त दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि | शून्य | शून्य |
| 3 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि | शून्य | शून्य |
| 4 | उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि | शून्य | शून्य |
| 5 | उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि | शून्य | शून्य |

निगम, कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से निविदा सहभागिता के जरिए अपने उत्पादों का विपणन करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी और एमएसईज के बीच किए गए करार के अनुसार एमएसईज एनएसआईसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अवार्ड की गई निविदाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और धनराशि केवल संबंधित क्रेता विभागों से भुगतान की प्राप्ति पर ही देय होती है। इन इकाइयों को भुगतान योग्य धनराशि उद्योग आधार ज्ञापन (यू ए एम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकताओं के निगम (रा.ल.उ.नि.) में पंजीकरण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में ''एमएसएमईज की देय व्यापार भुगतान योग्य बकाया देय राशि'' के रूप में दर्शाई गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2एन उप–खंड (i) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एक साथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तदनुसार, उन इकाइयों को भुगतान योग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।

अन्य व्यापार भुगतान योग्य के संबंध में निगम ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतान योग्य धनराशि "व्यापार भुगतान योग्य – अन्य को देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. निगम में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगाा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहां 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियां आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

**शेष पुष्टि विवरण:**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | लेखे का स्वरूप | कुल बकाया (सकल) | पीआईएस/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक | पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत/ संग्रहण के लिए भेजे गए चैक * | सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहां 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/कानूनी कार्यवाही के अधीन है | बकाया शेष | प्राप्त हुई पुष्टि | पुष्टि प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क | ख | ग | घ | ड़=ग–घ | च | छ=ड़–च | ज | झ=छ–ज |
| 1 | नकदी और बैंक शेष | 15159.41 | – | 15159.41 | – | 15159.41 | 15159.41 | – |
| 2 | प्राप्तियोग्य | 20236.99 | 561.46 | 19675.53 | 10849.09 | 8826.44 | 1081.77 | 7744.67 |
| 3 | ऋण एवं अग्रिम | 244049.73 | 1798.00 | 242251.73 | 10917.98 | 231333.75 | 223121.59 | 8212.16 |
| 4 | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 1833.28 | – | 1833.28 | 723.70 | 1109.58 | 403.49 | 706.09 |
| 5 | व्यापार भुगतान योग्य | 19408.08 | – | 19408.08 | 157.60 | 19250.48 | 8131.49 | 11118.99 |
| 6 | अन्य वित्तीय देयताएं | 14247.49 | – | 14247.49 | 852.10 | 13395.39 | 7841.12 | 5554.27 |
| 7 | अन्य–गैर वित्तीय देयताएं | 36.21 | – | 36.21 | – | 36.21 | 20.39 | 15.82 |
| | **जोड़** | **314971.19** | **2359.46** | **312611.73** | **23500.47** | **289111.26** | **255759.26** | **33352.00** |

*** धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।**

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस धनराशि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति XXII (क) (vi) के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहां कहीं आवश्यक हो।

**लागू हाने वाले भारतीय लेखाकंन मानकों का पैरावार प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:**

**4. भारतीय लेखाकंन मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरण: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण**

**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**

क) निगम अब तक आरएमए और बिल बट्टाकरण के संबंध में 50 प्रतिशत की दर से संपार्श्विक के

प्रति हानिकरण छूट को मान्यता दे रहा था जिसे बढ़ाकर अब 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण 565.54 लाख रू. की धनराशि, जो अब तक ऋणों और अग्रिमों (निवल) की देय राशियां दिखाई जाती थी, को अब 'संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान' के रूप में खर्चों के प्रति प्रभारित किया गया है और तदनुरूप ऋणों और अग्रिमों (निवल) को देय धनराशियां कम हो गई है।

ख) बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों और बंद कर दिए गए प्रचालनों से संबंधित भारतीय लेखाकंन मानक 105 अंगीकार कर लिया गया है जिससे अपनी–अपनी स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियां और इसका निपटान/बिक्री, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अत्यधिक संभावना वाली है, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉकों से परिसंपत्तियों के अलावा ब्लॉक नामतः ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

भारतीय लेखाकंन मानक 105 अंगीकार कर लिए जाने के कारण, 0.07 लाख रू. के निवल रखाव मूल्य (13.50 लाख रू. के सकल रखाव मूल्य) वाली परिसंपत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक से परिसंपत्ति के अलग ब्लॉक नामतः ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां'' अंतरित कर दी गई थी।

ग) लेखाओं के पाठक के लिए बेहतर निरूपण और समझबूझ के लिए, पहले से मौजूद लेखांकन नीतियां (जहां कहीं आवश्यक हों) पुनः तैयार की गई जोड़ी गई है।

**5. भारतीय लेखांकन मानक 2: के अनुसार प्रकटीकरण माल–सूचियां**

(क) 31.03.2021 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 40.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 91.95 लाख रुपए) है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है।

(ख) कोई ऐसा प्रत्यावर्तन या अपलेखन नहीं है, जिसे इस अवधि में व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त माल–सूचियों की धनराशि में घटत के रूप में मान्यता दी गई हो।

(ग) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

**6. भारतीय लेखांकन मानक 12 – के अनुसार प्रकटीकरण आयकर**

**(क) वित्तीय वर्ष 2020–21**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 01.04.2020 को निवल शेष | लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त | ओसीआई में मान्यता प्राप्त | 31.03.2021 को निवल शेष |
|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयताएं** | | | | |
| स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित | 951.62 | 497.08 | – | 1448.70 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टकारण | 35.28 | 3.69 | – | 38.97 |
| निवेशों का उचित मूल्य | 19.02 | – | 23.34 | 42.36 |
| **उप–जोड़** | **1005.92** | **500.77** | **23.34** | **1530.03** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | | | |
| प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 3178.62 | 119.91 | – | 3298.53 |
| कर्मचारी लाभ | 2388.59 | (52.05) | (33.97) | 2302.57 |
| **उप–जोड़** | **5567.21** | **67.86** | **(33.97)** | **5601.10** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)** | **4561.29** | **(432.91)** | **(57.31)** | **4071.07** |

(ख) वित्तीय वर्ष 2019–20

(लाख रुपए में)

| विवरण | 01.04.2019 को निवल शेष | लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त | ओसीआई में मान्यता प्राप्त | 31.03.2020 को निवल शेष |
|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयताएं** | | | | |
| स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय अंतर से संबंधित | 802.70 | 148.92 | – | 951.62 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टकारण | 11.73 | 23.55 | – | 35.28 |
| निवेशों का उचित मूल्य | 57.55 | – | (38.53) | 19.02 |
| **उप–जोड़** | **871.98** | **172.47** | **(38.53)** | **1005.92** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | | | |
| प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 4558.24 | (1379.62) | – | 3178.62 |
| कर्मचारी लाभ | 2187.75 | 106.87 | 93.97 | 2388.59 |
| **उप–जोड़** | **6745.99** | **(1272.75)** | **93.97** | **5567.21** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)** | **5874.01** | **(1445.22)** | **132.50** | **4561.29** |

**आय कर के प्रावधान और कर–पूर्व लाभ के प्रति भारतीय सांविधिक आय कर की दरें लागू करके परिकलित की गई धनराशि के बीच समाधान**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च–2021 | 31 मार्च–2020 |
|---|---|---|
| कर–पूर्व लाभ | 13964.73 | 13232.74 |
| किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर | 25.17% | 25.17% |
| परिकलित कर व्यय | 3514.92 | 3330.68 |
| **निम्नलिखित का कर प्रभाव:** | | |
| ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौतीयोग्य नहीं हैं | 619.13 | 622.28 |
| ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है | (734.05) | (2052.96) |
| **चालू कर प्रावधान** | **3400.00** | **1900.00** |
| पिछली अवधियों से संबंधित आय कर | (27.48) | (31.69) |
| वर्धित आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) | 432.91 | 1445.21 |
| लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय | 3805.43 | 3313.52 |
| **प्रभावी कर दर** | **27.25** | **25.04** |

7. **भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार प्रकटीकरण– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 – अमूर्ति परिसंपत्तियां**

(क) निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख निगम के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं:

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | संपत्ति के ब्यौरे | क्षेत्र | 31.03.2021 को यथास्थिति | | 31.03.2020 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सकल मूल्य | निवल मूल्य | सकल मूल्य | निवल मूल्य |
| 1 | तकनीकी केंद्र, हावड़ा में भूमि | 49.94 एकड़ | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 2 | शाखा कार्यालय, मुंबई में फ्लैट | 3660.00 वर्ग फुट | 11.52 | 5.30 | 11.52 | 5.49 |

(ख) निगम के पास, पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि है। जिसका स्वामित्व, निगम के पक्ष में है और निगम के कब्जे में है सिवाय एनटीएससी–हावड़ा स्थित भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख के जिसे निगम के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया, जैसा कि पहले ही ऊपर किया गया है। इसके अलावा, एनटीएससी राजकोट की 3.28 एकड़ भूमि, कुछ औद्योगिक इकाइयों और अनधिकृत आवास इकाइयों द्वारा अतिक्रमण के अधीन है। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि इस अतिक्रमण को हटाने की आवश्यक कार्रवाई, प्रक्रिया इस अतिक्रमण को हटाने की आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) इस वर्ष के दौरान निगम ने परिसंपत्तियों की हानिकरण हानि का मूल्यांकन किया है और उसकी राय है कि क्योंकि यह निगम एक चलता रहने वाला प्रतिष्ठान है और निगम की किसी परिसंपत्ति के हानिकरण का कोई संकेत नहीं है, इसलिए हानिकरण की हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। सिवाय एसटीबीपी बिल्डिंग, नई दिल्ली और अन्य परिसंपत्तियों की बाबत प्रावधान किए गए 124.41 लाख रूपये के।

(घ) निगम ने भारतीय जीएएपी के अनुसार मापे गए, भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति का रखाव मूल्य जारी रखा है।

(ड) निगम ने कोई अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई धनराशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज का परिकलन भारतीय लेखांकन मानक 23, "उधार लागत" के अनुसार पूंजीकृत किए जाने की आवश्यकता हो। इसलिए, वर्ष के दौरान कोई ब्याज पूंजीकृत नहीं किया गया।

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 7.06 लाख रुपए के निवल रखाव मूल्य (सकल रखाव मूल्य 99.65 लाख रुपए) वाली परिसंपत्तियां 2.86 लाख रुपए की बिक्री से प्राप्त धनराशि के साथ समाप्त कर दी गई हैं और 4.22 लाख रुपए का लाभ लेखे में ले लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 1.56 लाख रुपए के निवल रखाव मूल्य (सकल रखाव मूल्य 44.84 लाख रुपए) वाली परिसंपत्तियां 2.86 लाख रुपए की बिक्री से प्राप्त धनराशि के साथ समाप्त कर दी गई हैं और 1.30 लाख रुपए का लाभ लेखे में ले लिया गया है।

**8. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – कर्मचारी लाभ**

**I.** विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजना का सामान्य विवरण निम्नलिखित हैः

**(i) सुनिश्चित अंशदान योजना**

**भविष्य निधि :**

निगम की भविष्य निधि का प्रबंधन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है, जो अनुमतिप्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। यह न्यास भारत सरकार द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर ब्याज की दर निश्चित करता है। देयता की मान्यता बीमांकिक आधार पर की जाती है।

**सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाः**

निगम में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5.00 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् निगम की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन+महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत

कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास के जरिए किया गया है।

**(ii) सुनिश्चित लाभ योजना**

**(क) उपदान :**

निगम में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए

प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) **छुट्टीः**

निगम, निगम के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। केवल छुट्टी नकदीकरण, आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में नौकरी में रहते हुए और अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिन (संराशीकरण के बिना अर्ध–वेतन छुट्टी सहित) एक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकदीकरण योग्य है।

इस संबंध में देयता की मान्यता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) **सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ताः**

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है।

इस संबंध में देयता की मान्यता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(घ) **अधिवर्षिता पेंशन योजना :**

कर्मचारी समूह अधिवर्षिता पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। निगम का दायित्व नामांकित कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का भुगतान करने तक सीमित है।

अवधि के लिए योजना के प्रति अंशदान, निगम की वहन क्षमता के आधार पर बीमांकिक आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत है।

(ङ) **सेवा के दौरान चिकित्सा सुविधाः**

निगम, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

**II.** उपर्युक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार विनिर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया हैः

**योजना देयता**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई/पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य | सीवाई | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| | पीवाई | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |

**सेवा लागत**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई/पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चालू सेवा लागत | सीवाई | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| | पीवाई | 257.35 | 182.90 | 53.60 | 0.20 | – |
| कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |

| विवरण | सीवाई/पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियां | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| कुल सेवा लागत | सीवाई | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| | पीवाई | 257.35 | 182.90 | 53.60 | 0.20 | – |

**निवल ब्याज लागत**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई/पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | सीवाई | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| | पीवाई | 372.04 | 209.20 | 32.19 | 0.28 | 0.02 |
| योजनालगत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| निवल ब्याज लागत (आय) | सीवाई | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| | पीवाई | 372.04 | 209.20 | 32.19 | 0.28 | 0.02 |

**लाभ दायित्व में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई/पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | सीवाई | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |
| | पीवाई | 4800.47 | 2699.33 | 415.30 | 3.67 | 0.27 |
| अधिग्रहण समायोजन | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| ब्याज लागत | सीवाई | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| | पीवाई | 372.04 | 209.20 | 32.19 | 0.28 | 0.02 |
| सेवा लागत | सीवाई | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| | पीवाई | 266.67 | 182.90 | 53.60 | 0.20 | – |
| कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| भुगतान किए गए लाभ | सीवाई | –798.12 | –667.82 | –45.55 | –7.32 | – |
| | पीवाई | –625.80 | –603.36 | –32.06 | –0.61 | – |
| दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि | सीवाई | –134.47 | 104.86 | –126.82 | –0.48 | – |
| | पीवाई | 370.06 | 481.00 | 101.77 | 0.36 | –0.15 |
| अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | सीवाई | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| | पीवाई | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |

**दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का अलग–अलग विवरण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई/पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | –2.59 | –1.48 | –0.29 | – | – |

| विवरण | सीवाई / पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि | सीवाई | 26.36 | 17.31 | 3.89 | – | – |
| | पीवाई | 269.00 | 175.90 | 119.75 | 0.21 | – |
| अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि | सीवाई | –160.83 | 87.55 | –130.71 | –0.48 | – |
| | पीवाई | 103.65 | 306.59 | –17.70 | 0.15 | –0.15 |

**तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई / पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | सीवाई | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| | पीवाई | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |
| योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता/प्रावधान | सीवाई | –4926.49 | –2842.72 | –491.42 | –3.84 | – |
| | पीवाई | –5183.44 | –2,969.06 | –570.79 | –3.91 | –0.15 |

**आय विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियां**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई / पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल सेवा लागत | सीवाई | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| | पीवाई | 257.35 | 182.90 | 53.60 | 0.20 | – |
| निवल ब्याज लागत | सीवाई | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| | पीवाई | 372.04 | 209.20 | 32.19 | 0.28 | 0.02 |
| अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | सीवाई | – | 104.86 | –126.82 | – | – |
| | पीवाई | – | 481.00 | 101.77 | – | – |
| आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय | सीवाई | 675.64 | 541.48 | –33.82 | 7.73 | – |
| | पीवाई | 629.38 | 873.10 | 187.55 | 0.49 | 0.02 |

**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई / पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) | सीवाई | 134.47 | – | – | 0.48 | . |
| | पीवाई | –370.06 | – | – | –0.36 | 0.15 |
| परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) | सीवाई | 134.47 | – | – | 0.48 | – |
| | पीवाई | –370.06 | – | – | –0.36 | 0.15 |

**निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई / पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता | सीवाई | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |
| | पीवाई | 4800.47 | 2699.33 | 415.30 | 3.67 | 0.27 |
| अधिग्रहण समायोजन | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| कुल सेवा लागत | सीवाई | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| | पीवाई | 266.67 | 182.90 | 53.60 | 0.20 | – |
| निवल ब्याज लागत (आय) | सीवाई | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| | पीवाई | 372.04 | 209.20 | 32.19 | 0.28 | 0.02 |
| पुनर्मापण | सीवाई | –134.47 | 104.86 | –126.82 | –0.48 | – |
| | पीवाई | 370.06 | 481.00 | 101.77 | 0.36 | .0.15 |
| निधि में भुगतान किया गया अंशदान | सीवाई | – | – | – | – | – |
| | पीवाई | – | – | – | – | – |
| उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ | सीवाई | –798.12 | –667.82 | –45.55 | –7.32 | – |
| | पीवाई | –625.80 | –603.36 | –32.06 | –0.61 | – |
| अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता | सीवाई | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| | पीवाई | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |

**अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान**

(लाख रुपए में)

| विवरण | सीवाई / पीवाई | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेवा लागत | सीवाई | 262.61 | 184.44 | 44.92 | 0.22 | – |
| | पीवाई | 266.36 | 196.53 | 59.03 | 0.21 | – |
| निवल ब्याज लागत | सीवाई | 335.99 | 193.87 | 33.51 | 0.26 | – |
| | पीवाई | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय | सीवाई | 598.59 | 378.31 | 78.43 | 0.48 | – |
| | पीवाई | 624.02 | 401.40 | 98.42 | 0.48 | – |

**बीमांकिक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:**

| विवरण | 2020–21 | 2019–20 |
|---|---|---|
| इस्तेमाल की गई पद्धति | **अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति** | **अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति** |
| बट्टा दर | 6.82% | 6.90% |
| योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर | 0 | 0 |
| भावी वेतन में वृद्धि | 5.50 | 5.50 |
| मर्त्यता दर | 100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14) | 100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14) |
| आयु (आहरण दर) (प्रतिशत) | | |
| 30 वर्ष तक | 3 | 3 |
| 31 से 44 वर्ष तक | 2 | 2 |
| 44 वर्ष से अधिक | 1 | 1 |

**सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| **बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव** | | | | | |
| अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| 0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव | –160.80 | –105.27 | –23.55 | –0.12 | – |
| 0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव | 170.55 | 112.43 | 25.45 | 0.11 | – |
| | | | | | |
| **वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव** | | | | | |
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| 0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव | 171.91 | 113.33 | 25.66 | – | – |
| 0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव | –163.50 | –107.03 | –23.94 | – | – |

**सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 से 1 वर्ष | 414.68 | 269.19 | 34.02 | 0.28 | – |
| 1 से 2 वर्ष | 468.65 | 245.56 | 39.00 | 0.32 | – |
| 2 से 3 वर्ष | 471.47 | 220.44 | 26.85 | 0.33 | – |
| 3 से 4 वर्ष | 367.68 | 204.00 | 23.34 | 0.24 | – |
| 4 से 5 वर्ष | 413.19 | 202.69 | 23.85 | 0.29 | – |
| 5 से 6 वर्ष | 392.07 | 198.97 | 22.74 | 0.27 | – |
| 6 वर्ष से आगे | 2398.75 | 1501.88 | 321.61 | 2.11 | . |

**III.** मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र के अंतर्गत यथाअनुमोदित, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 198.50 लाख रुपए (122 लाख रुपए) और 01.01.2007 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 121.45 लाख रुपए (122.54 लाख रुपए) का कॉरपस चिकित्सा योजना हेतु सृजित किया गया हैं। इस कॉरपस का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमशः 154.02 लाख रुपए (53.67 लाख रुपए) और 64.98 लाख रुपए (33.66 लाख रुपए) की सीमा तक बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है।

**9. भारतीय लेखांकन मानक 21 के अनुसार प्रकटीकरण – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभावः**

**I.** क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण शृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया हैः

(क) XIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 241.49 लाख रुपए (230.76 लाख रुपए) की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 82.05 लाख रुपए (157.09 लाख रुपए) थी और 159.44 लाख रुपए (73.67 लाख रुपए) का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

केएफडब्ल्यू XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए रखा जाएगा।

तद्नुसार, XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस वर्ष के दौरान 272.06 लाख रुपए (264.73 लाख रुपए) की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 217.65 लाख रुपए (211.78 लाख रुपए) का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 54.41 लाख रुपए (52.95 लाख रुपए) का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियां 78.00 लाख रुपए (148.73 लाख रुपए) थीं, जिसे 80 प्रतिशत प्रावधान अर्थात् 217.65 लाख रुपए (211.78 लाख रुपए) से समायोजित कर दिया गया है और शेष 139.65 लाख रुपए (63.06 लाख रुपए) भावी विनिमय भिन्नता हानियों के लिए रख लिया गया है। दिनांक 31.03.2021 को यथास्थिति इस बाबत संचयी अवधारित प्रावधान 1977.70 लाख रुपए है, जिसमें भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए इस वर्ष के लिए 139.65 लाख रुपए (1838.05 लाख रुपए) का प्रावधान शामिल है।

**II. विनिमय संबंधी अंतर**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | विवरण | 2020–21 | 2019–20 |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि | (22.59) | (42.56) |
| 2 | अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर | – | – |
| 3 | अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान | – | – |

**10. भारतीय लेखांकन मानक – 24: के अनुसार प्रकटीकरण संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण**

संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण पर भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

**(क) मुख्य प्रबंधन कार्मिक**

| मुख्य प्रबंधन कार्मिक | पदनाम |
|---|---|
| | |
| श्री विजयेन्द्र | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| श्री गौरांग दीक्षित | निदेशक (वित्त) |
| श्री पी. उदयकुमार | निदेशक (यो. एवं वि.) |
| सुश्री निष्ठा गोयल | कंपनी सचिव |

ख) **सहायक कंपनी–एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)**

क) **मुख्य प्रबंधन कार्मिक– रा.ल.उ.नि. के साथ वर्ष के दौरान हुए लेनदेन**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | लेन–देनों का स्वरूप | मुख्य प्रबंधन कार्मिक | | मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020–21 | 2019–20 | 2020–21 | 2019–20 |
| 1. | **व्यय** | | | | |
| क. | वेतन और भत्ते | 135.59 | 88.44 | – | – |
| ख. | छुट्टी/एलटीसी नकदीकरण | 6.34 | 1.84 | – | – |
| ग. | भविष्य निधि अंशदान | 7.82 | 6.93 | – | – |
| घ. | पेंशन स्कीम में अंशदान | 6.52 | 6.12 | | |
| ङ. | अन्य | 23.87 | 54.22 | – | – |
| च. | प्रदत्त पट्टा किराया | – | – | – | – |
| छ. | बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार सेवांत लाभों के लिए प्रावधान | 5.97 | 22.62 | | |
| 2. | **बकाया शेष :** | | | | |
| **क.** | बकाया ऋण और ब्याज | – | – | – | – |
| **ख.** | यात्रा अग्रिम | – | – | – | – |
| **ग.** | बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवांत लाभों के लिए प्रावधान | 87.09 | 81.19 | – | – |

* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सेवांत लाभ के लिए प्रावधान शून्य है।

ख) **एनवीसीएफएल के साथ वर्ष के दौरान किए गए लेनदेन**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | लेन–देनों का स्वरूप | वित्तीय वर्ष 2020–21 |
|---|---|---|
| 1. | **एनवीसीएफएल की ओर से किया गया व्यय:** | |
| क) | –जनशक्ति सहायता लागत | 15.94 |
| ख) | –विज्ञापन एवं प्रसार | 13.67 |
| ग) | –एनवीसीएफएल के अधिनिगमन पर अदा किए गए शुल्क और कर | 10.83 |
| घ) | अन्य व्यय | 0.82 |
| 2. | **राजस्व:** | |
| | –किराया | 0.07 |
| 3. | **निवेश:** | |
| | इक्विटी अंशदान | 600.00 |

ग) **संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेनों की प्रमुख शर्तें और निबंधन**

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक, निगम के सेवा नियमों के अनुसार हैं।

(ii) एनवीसीएफएल के लेनदेनों में प्रचलित शर्तों पर किए जाते हैं जो निकटवर्ती लेनदेनों में प्रचलित शर्तों के समतुल्य हैं।

11. **भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार प्रकटीकरण–वित्तीय विलेख**

**किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण**

i. भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की

अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी. पीडी. सं. 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ii. वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें किराया खरीद, पट्टीकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, सावधि ऋण, संयुक्त सावधि ऋण, बैंक आदि के अंतर्गत 238985.85 लाख रू. (251232.97 लाख रू.) की देय धनराशियों के संबंध में प्राप्तव्य शाामिल हैं, के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान हानिकरण क्षति के प्रति 12707.80 लाख रू. (12156.24 लाख रू.) का प्रावधान किया गया है।

iii. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राशियों के संबंध में प्राप्तव्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्तव्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रशिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्तव्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें निगम के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाहय पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और 24574.25 लाख रू. (28262.24 लाख रू.) की धनराशि की अन्य परिसंपत्तियां शामिल है, के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान हानिकरण क्षति के प्रति 397.21 लाख रू. (472.36 लाख रू.) का प्रावधान किया गया है।

iv. तकनीकी केन्द्रों/एसटीबीपी के और वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों क अंतर्गत व्यापार प्राप्तव्यों और ऋणों एवं अग्रिमों, जिनमें 263559.90 लाख रू. (279495.21 लाख रू.) की धनराशि के प्राप्तव्य और शामिल हैं, के संबंध में भारतीय लेखाकंन मानक के अनुसार वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के प्राप्तव्यों और ऋणों एवं अग्रिमों (निगम के पास उपलब्ध ब्याज उचंत लेखे और नकद संपार्श्विक को छोड़कर निवल) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधानकरण मापदंडों के अनुरूप 13105.01 लाख रू. (12628.60 लाख रू.) की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

**12. भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरणः प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी), की बाबत 729.05 लाख रू. (690.18 लाख रू.) तदर्थ प्रावधान किया गया

**13. भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार प्रकटकीकरण – बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति और बंद कर दिए गए प्रचालन**

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां, ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 0.07 लाख रू. के निवल रखाव मूल्य (13.50 लाख रू. के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक से परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां'' में अंतरित कर दी गई थी।

**14. भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार प्रकटीकरण – प्रचालन खंड**

**(क) खंड रिपोर्टिंग**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता की योजनाएं और नेशनल एससी/एसटी हब' 'उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों' 'प्रापण और विपणन सहायता योजना' 'राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमादित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहां, का लागू हो, प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ निगम को बजटीय सहायता उपलब्ध करा दी गई है, को 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलाप के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रदर्शनियों (घरेलू और

अंतर्राष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएं उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण निगम द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई हैः

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्कि** | **जोड़** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्कि** | **जोड़** |
| **I. खण्ड राजस्व (अनुदान सहित)** | | | | | | |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान | 7,915.96 | – | 7,915.96 | 10259.98 | – | 10259.98 |
| – उत्पाद की बिक्री | – | 1,68,430.76 | 1,68,430.76 | – | 144412.97 | 144412.97 |
| – सेवाओं की बिक्री | 2.58 | 8,826.69 | 8,829.27 | – | 8648.19 | 8648.19 |
| – अन्य | – | 32,964.63 | 32,964.63 | – | 37606.55 | 37606.55 |
| **– जोड़** | **7,918.54** | **2,10,222.08** | **2,18,140.62** | **10259.98** | **190667.71** | **200927.69** |
| **II. खंड व्यय (अनुदान के प्रति व्यय सहित)** | | | | | | |
| वर्ष के दौरान मान्यता दिग गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय | 7,915.96 | – | 7,915.96 | 10259.98 | – | 10259.98 |
| अन्य | 2.58 | 2,00,062.78 | 2,00,065.36 | . | 180748.49 | 180748.49 |
| **जोड़** | **7,918.54** | **2,00,062.78** | **2,07,981.32** | **10259.98** | **180748.49** | **191008.47** |
| **III. परिणाम** | | | | | | |
| क. खण्ड परिणाम | – | 10,159.30 | 10,159.30 | – | 9919.22 | 9919.22 |
| ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ | – | 21,741.29 | 21,741.29 | – | 25847.45 | 25847.45 |
| ग. भुगतान किया गया ब्याज | – | 7,772.34 | 7,772.34 | – | 12616.01 | 12616.01 |
| घ. आपवादिक मदें | – | 4.22 | 4.22 | – | (1.30) | (1.30) |
| ङ. कर–पूर्व लाभ | – | 13,964.73 | 13,964.73 | – | 13232.74 | 13232.74 |
| च. कर व्यय | – | 3,805.43 | 3,805.43 | – | 3313.52 | 3313.52 |
| छ. करोपरांत निवल लाभ | – | 10,159.30 | 10,159.30 | – | 9919.22 | 9919.22 |
| ज. अन्य व्यापक आय | – | 170.37 | 170.37 | – | (393.90) | (393.90) |
| झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं} | – | 10,329.67 | 10,329.67 | – | 9525.32 | 9525.32 |

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड | संवर्धनात्मक | वाणिज्कि | जोड़ | संवर्धनात्मक | वाणिज्कि | जोड़ |
| **III. परिसंपत्तियां और देयताएं** | | | | | | |
| क. खण्ड परिसंपत्तियां | 3,831.32 | 2,70,606.38 | 2,74,437.70 | 4956.28 | 285942.40 | 290898.68 |
| ख. अनाबंटित परिसंपत्तियां | – | – | 26,826.16 | – | – | 25829.92 |
| **ग. कुल परिसंपत्तियां** | **3,831.32** | **2,70,606.38** | **3,01,263.86** | **4956.28** | **285942.40** | **316728.60** |
| घ. खण्ड देयताएं | 5,435.31 | 1,73,347.69 | 1,78,783.00 | 3587.47 | 195800.28 | 199387.75 |
| ङ. अनाबंटित देयताएं | – | – | 1,22,480.86 | – | – | 117340.85 |
| **च. कुल देयताएं** | **5,435.31** | **1,73,347.69** | **3,01,263.86** | **3587.47** | **195800.28** | **316728.60** |
| **IV. अन्य सूचना** | | | | | | |
| (क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित) | 614.97 | 1,389.27 | 2,004.24 | 689.78 | 387.50 | 1077.28 |
| (ख) मूल्यह्रास # | 347.70 | 841.51 | 1,189.21 | 386.83 | 732.86 | 1119.69 |
| (ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय | – | 682.87 | 682.87 | – | 123.65 | 123.65 |

**# संवर्धनात्मक खण्ड का मूल्यह्रास, पूंजी आरक्षित के प्रति प्रभारित किया गया है।**

(ख) प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में सूचना

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| उत्पादों की बिक्री | 168430.76 | 144412.97 |
| ब्याज आय | 27165.71 | 26744.03 |

(ग) निगम के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि निगम के ऋणद प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।

(घ) किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निगम के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।

**15. भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण– ग्राहकों के साथ किए गए संविदाओं से प्राप्त राजस्व**

**निगम का संघटक–वार राजस्व (लाख रुपए में)**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| उत्पादों की बिक्री | 168430.76 | 144412.97 |
| सेवाओं की बिक्री | 8829.27 | 8648.19 |
| ब्याज आय | 27165.71 | 26744.03 |
| प्रोसेसिंग शुल्क | 4580.06 | 4863.66 |
| अन्य प्रचालन आय | 1123.39 | 5742.13 |
| **जोड़** | **210129.19** | **190410.98** |

**16. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरणः पट्टे**

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार निगम के लिए यह आवश्यक है कि वह तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी उद्यमियों में इन पट्टों के प्रति भुगतान योग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'इस्तेमाल करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दें। तथापि, कंपनी ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतनिर्हित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का इस्तेमाल किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहां ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोर्टफोलियों का प्रबंधन करने और कंपनी की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुगम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 448.67 लाख रू. (479.56 लाख रू.) है। इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वह 453.06 लाख रू. (484.86 लाख रू.) है।

**(क) पट्टाधारी के रूप में पट्टेः**

i. मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं और वर्ष के दौरान संचालनों की धारित धनराशियां निम्नलिखित हैंः

ii. (लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| अथशेष | 68.29 | – |
| – पट्टा देयताओं में अभिवर्धन | (10.69) | 68.75 |
| – वर्ष के दौरान ब्याज लागत | 4.39 | 4.84 |
| – पट्टा दयेताओं का भुगतान | 4.39 | 5.30 |
| – अंत शेष | 57.60 | 68.29 |

iii. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियां निम्नलिखित हैं:

iv. (लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| इस्तेमाल के अधिकारवाली परिसंपत्तितयों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन | 0.84 | 1.00 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय | 4.39 | 4.84 |

v. अन्य प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| पट्टों से नकदी बहिर्वह | 4.39 | 5.30 |

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराशि | 55.83 | 67.76 |

**(ख) पट्टादाता के रूप में पट्टे:**

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पटटे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 3438.37 लाख रू. की धनराशि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है। (वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 2354.04 लाख रू.)।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वाले अबट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | 31 मार्च, 2020 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| एक वर्ष से कम | 2983.56 | 1856.05 |
| एक और दो वर्षों के बीच | 2677.01 | 2062.77 |
| दो और तीन वर्षों के बीच | 2054.30 | 1763.04 |
| तीन और चार वर्षों के बीच | 1622.33 | 1770.82 |
| चार और पांच वर्षों के बीच | 1515.10 | 1708.27 |
| पांच वर्षों से अधिक | 4505.25 | 1772.13 |

**17. निगम पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव**

भारत, ने, सक्रमित रोगियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर देखी है। परिणामी लॉकडाउन, आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक थे और सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में संकेन्द्रित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डिजीटल संसूचन प्रौद्योगिकी कार्य बल को इस संबंध में समर्थ बनाती है कि वह व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए दूरस्थ प्रौद्योगिकी के जरिए सुरक्षित रूप से कार्य करे।

दिनांक 27.03.2020 और 23.05.2020 के कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित भा.रि.बै. के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम ने, 01.03.2020 और 31.08.2020 के बीच देय होने वाली किश्तों के भुगतान पर, पात्र ऋणियों को ऋण स्थगन का प्रस्ताव दिया है।

निगम का विश्वास है कि वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में वृद्धि होने के साथ व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधियों में निश्चित रूप से पुनररुत्थान होगा।

उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का विश्वास है कि इसके व्यवसाय प्रचालनों की निरंतरता, अपनी वित्तीय स्थिति बनाए रखने में और एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की इसकी योग्यता में इस प्रकोप का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। तथापि निगम पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ–साथ कोविड–19 की अवधि से संबंधित भावी विकास और एनबीएफसीज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार और विनियामक निकायों द्वारा किन्हीं अगली कार्रवाइयों पर निर्भर होना जारी रहेगा। निगम, भावी आर्थिक स्थितियों

और उसके व्यवसाय पर संभावित प्रभाव से उत्पन्न किन्हीं सारवान परिवर्तनों पर निकटता से नजर रखना भी जारी रखेगा।

18. दिनांक 27.03.2020 को अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/186, डीओआर संख्या बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019–20 के अंतर्गत कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, निगम अपने उन ग्राहकों, जिन्होंने 01.03.2020 से पहले बी.जी के प्रति ''कच्चा माल सहायता'' की योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त की है, को 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच होने वाली सभी किस्तों के भुगतान पर तीन महीने का विलंबन स्वीकृत किया था। 483 ऐसी इकाइयों जिनकी 29.02.2020 को यथा स्थिति बकाया देय धनराशियां 70382.86 लाख रू. थी, ने इस स्कीम के अंतर्गत ऋण स्थगन का विकल्प चुना था।

इसके पश्चात दिनांक 23.05.2020 की अधिसूचना संख्या भा.रि.बैं./2019–20/244 डीओआर संख्या बीपी. बीसी. 71/21.04.048/2019–20 के अंतर्गत कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार निगम ने उन इकाइयों को 31.08.2020 को समाप्त अगले तीन महीने के विलंबन की अनुमति प्रदान की, जिनके खाते 29.02.2020 को यथास्थिति मानक थे (भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार) और जिन्होंने पहले तीन महीने के विलंबन का लाभ उठाया था, बशर्ते कि कुल बकाया (विस्तारित अवधि के लिए ब्याज के साथ–साथ मूलधन) उपलब्ध प्रतिभूति (अर्थात बैंक गारंटी) से कवर होता था।

किसी भी इकाई ने, ऋण स्थगन स्कीम के दूसरे चरण में ऋण स्थगन का विकल्प नहीं चुना था।

19. सरकार ने **''ऋणी के विनिर्दिष्ट ऋण खातों में 6 महीने (01.03.2020 से 31.08.2020) के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुग्रह भुगतान की स्वीकृति की योजना''** घोषित की है जो प्रचालनात्मक दिशोनिर्दशों के साथ 23 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 2/12/2020–बीओए.आई के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभ, ऋणद संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा और दावे की प्रतिपूर्ति सरकार द्वार की जाएगा। इसका 31.03.2021 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि क्रेडिट किए जाने वाले/लेखे में लिए जाने वाले लाभ की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत 153 एमएसएमईज को 2.83 लाख रू. का लाभ स्वीकृत किया गया था और वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंदर ही सरकार से 2.83 लाख रू. के लाभ की प्रतिपूर्ति भी की गई है।

20. ''कोविड–19 विनियामक पैकेज समाप्त हो जाने के पश्चात परिसंपत्ति वर्गीकरण और अन्य मान्यता'' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07 अप्रैल, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/17 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.4/21.04.048/2021–22 के अनुसार निगम ने ऋण स्थगन अवधि अर्थात 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान ऋण सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वालों ऋणियों सहित सभी ऋणियों को प्रभारित ''ब्याज पर ब्याज'' को लौटा दिया समायोजित कर दिया है चाहे ऋण स्थगन का लाभ अंशतः प्राप्त किया गया हो या लाभ प्राप्त न किया गया हो। ''ब्याज पर ब्याज'' के प्रति 1368 एमएसएमईज को 116.68 लाख रू. की कुल धनराशि लौटाई/समायोजित की गई थी।

**21. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप**

| 31.03.2021 को यथास्थिति | निवल अग्रिम | निवेश | उधार | | विदेशी मुद्रा की मदें | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | घरेलू | विदेशी | परिसंपत्तियां | देयताएं |
| 30/31 दिनों तक | 46086.71 | – | 138000 | – | – | – |
| 1 महीने से अधिक 2 महीने तक | 15686.09 | – | – | – | – | – |
| 2 महीने से अधिक 3 महीने तक | 20879.55 | – | – | 128.28 | – | – |
| 3 महीने से अधिक 6 महीने तक | 143625.49 | – | – | 21.92 | – | – |
| 6 महीने से अधिक 1 साल तक | – | – | – | 150.20 | – | – |
| 1 साल से अधिक 3 साल तक | – | – | – | 600.80 | – | – |
| 3 साल से अधिक 5 साल तक | – | – | – | 600.80 | – | – |
| 5 साल से अधिक | – | 774.36 | – | 3717.83 | – | – |

(लाख रुपए में)

| 31.03.2020 को यथास्थिति | निवल अग्रिम | निवेश | उधार | | विदेशी मुद्रा की मदें | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | घरेलू | विदेशी | परिसंपत्तियां | देयताएं |
| 30/31 दिनों तक | 72681.55 | – | 156500 | – | – | – |
| 1 महीने से अधिक 2 महीने तक | 17420.92 | – | – | – | – | – |
| 2 महीने से अधिक 3 महीने तक | 22086.24 | – | – | 124.13 | – | – |
| 3 महीने से अधिक 6 महीने तक | 126888.01 | – | – | 21.21 | – | – |
| 6 महीने से अधिक 1 साल तक | – | – | – | 145.34 | – | – |
| 1 साल से अधिक 3 साल तक | – | – | – | 581.35 | – | – |
| 3 साल से अधिक 5 साल तक | – | – | – | 581.35 | – | – |
| 5 साल से अधिक | – | 81.63 | – | 3888.15 | – | – |

**(अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल वितरण, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण बैकों आदि से संबंधित हैं)**

**22. वित्तीय दस्तावेज़**

**क. पूंजी प्रबंधन**

निगम के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और निगम के इक्विटीधारकों को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियां शामिल हैं। निगम के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से निगम की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। निगम, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सैक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियां जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, निगम, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ ''केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण'' पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वरा भी मार्गदर्शित होता है। निगम ने बाहन रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

निगम ने, रिपोर्टाधीन अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

**ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

निगम अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। निगम, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है।

**(क) क्रेडिट जोखिम**

(i) निगम, अपने ऋणद प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ किए जाते हैं। जहां तक निवेशों का संबंध है, निगम का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है, जिसके भाग का प्रावधान निगम ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए निगम ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। निगम, जोखिम की उस धनराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके संकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का सव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

निगम को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के प्रापण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

**(ii) महत्त्पूर्ण अनुमान और निर्णय**

**वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः**

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। निगम, निगम के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमात करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का इस्तेमाल करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

निगम ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

<u>निगम ने सभी ऋणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया हैः</u>

चरण 1 – निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2 – निम्न निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3 – गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता हैः

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) X हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

निगम, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 (डीपीडी) पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

**अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान**

| स्तर | श्रेणी | श्रेणी का विवरण | प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान की मान्यता का आधार ऋण |
|---|---|---|---|
| चरण 1 | मानक परिसंपत्तियां, उच्च गुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्य क्रेडिट जोखिम | परिसंपत्तियां, जहां प्रति–पक्षकार के पास दायित्व पूरे करने के लिए सुदृढ़ क्षमता है और जहां चूक का जोखिम शून्य या नगण्य है। नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियां हैं। | 12 महीने का ईसीएल |
| चरण 2 | वर्धित जोखिम परिसंपत्तियां या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियां | परिसंपत्तियां, जहां आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है। | आजीवन ईसीएल |
| चरण 3 | हानिकृत परिसंपत्तियां | | आजीवन ईसीएल |

(ख) **परिशोधन जोखिम**

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि निगम के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। निगम का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएं पूरी करने के लिए परिशोधन का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। निगम, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

(i) **वित्तपोषण व्यवस्थाएं**

निगम के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **अस्थायी दर** | | |
| – एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं) | शून्य | शून्य |

निगम के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

(ii) **वित्तीय देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा**

नीचे दी गई सारणी में, निगम की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समयको समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वताएं आवश्यक हैं।

सारणी में विगोपित धनराशियां, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है।

(लाख रुपए में)

| विवरण | वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं | | | वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 | | | 31 मार्च, 2020 | | |
| | बैंक उधार | बाज़ार उधार | जोड़ | बैंक उधार | बाज़ार उधार | जोड़ |
| 1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना) | 138000 | – | 138000 | 156500 | – | 156500 |
| 1 महीने से अधिक 2 महीने तक | – | – | – | – | – | – |
| 2 महीने से अधिक 3 महीने तक | – | 128.28 | 128.28 | – | 124.13 | 124.13 |
| 3 महीने से अधिक 6 महीने तक | – | 21.92 | 21.92 | – | 21.21 | 21.21 |
| 6 महीने से अधिक 1 साल तक | – | 150.20 | 150.20 | – | 145.34 | 145.34 |
| 1 साल से अधिक 3 साल तक | – | 600.80 | 600.80 | – | 581.35 | 581.35 |
| 3 साल से अधिक 5 साल तक | – | 600.80 | 600.80 | – | 581.35 | 581.35 |
| 5 साल से अधिक | – | 3717.83 | 3717.83 | – | 3888.15 | 3888.15 |

(ग) **बाज़ार जोखिम**

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं – ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

### (i) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

निगम, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। निगम के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित है:

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.2021 को यथास्थिति | | 31.03.2020 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | विदेशी मुद्रा (यूरो में) | कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में) | विदेशी मुद्रा (यूरो में) | कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में) |
| केएफडब्ल्यू–XI | 2723140.61 | 2380.57 | 2848918.41 | 2409.90 |
| केएफडब्ल्यू–XII | 2520668.93 | 2203.57 | 2688372.67 | 2274.10 |
| आईएलसी | 727164.54 | 635.69 | 777313.76 | 657.53 |

### विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन–

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

### विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

### (ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति निगम की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। निगम के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

### (क) ब्याज दर जोखिम अरक्षितता

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति निगम की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित है:

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 | 31 मार्च, 2020 |
|---|---|---|
| परिवर्तनीय दर वाले उधार | – | – |
| निश्चित दर वाले उधार | 138000.00 | 156500.00 |
| **कुल उधार** | **138000.00** | **156500.00** |

### (ख) संवेदनशीलता

चूंकि निगम के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

### (iii) मूल्य जोखिम

### (क) अरक्षितता

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति निगम की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और निगम द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन निगम द्वारा निर्धारित सीमाओं के

अनुसार किया जाता है। तथापि निगम ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

**(ख) संवेदनशीलता**

निगम की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, निगम ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

**(ग) उचित मूल्य मापन**

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियां, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

**उचित मूल्य क्रम–परंपरा**

**उचित मूल्य पर मापे गए और मान्यता दिए गए वित्तीय दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई और एफवीटीपीएल)**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उचित मूल्य पर धनराशि | | उचित मूल्य क्रम–परंपरा | मूल्य तकनीकें और महत्वपूर्ण इनपुट |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | 31 मार्च, 2020 को यथास्थिति | | |
| **I. वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश** | | | | |
| – इक्विटी दस्तावेजों में निवेश | 774.36 | 81.63 | स्तर 1 | उद्धृत बाज़ार मूल्य |
| **एफवीटीपीएल पर वित्तीय निवेश** | | | | |
| | | | | |
| **जोड़** | **774.36** | **81.63** | | |
| **II. वित्तीय देयताएं** | – | – | | |
| **जोड़** | – | – | | |

**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | | 31 मार्च, 20120 को यथास्थिति | | उचित मूल्य क्रम–परंपरा | मूल्यांकन तकनीकें और महत्वपूर्ण इनपुट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिशोधित मूल्य | उचित मूल्य | परिशोधित मूल्य | उचित मूल्य | | |
| **I. वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| कंपनियों को ऋण/एलएलपी | 230629.29 | 230629.29 | 225520.39 | 225520.39 | स्तर 3 | प्रभावी ब्याज दर |
| कर्मचारियों को ऋण | 45.23 | 45.23 | 99.22 | 99.22 | स्तर 2 | अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी |
| **जोड़** | **230674.52** | **230674.52** | **225619.61** | **225619.61** | | |
| **II. वित्तीय देयताएं** | | | | | | |
| उधार | 143219.83 | 143219.83 | 161841.53 | 161841.53 | स्तर 3 | प्रभावी ब्याज दर |
| **जोड़** | **143219.83** | **143219.83** | **161841.53** | **161841.53** | | |

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्त्व है, जिनका नीचे वर्णय किया गया है:

– स्तर–1 : समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे निगम, मापन की तारीख को प्राप्त कर सकता है।

– स्तर–2 : स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

– स्तर–3 : परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें निगम, मापन की तारीख को प्राप्त कर सकता है।

**सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का रखाव मूल्य और उचित मूल्य दर्शाने वाली सारणी**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | | 31 मार्च, 2020 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | रखाव मूल्य | उचित मूल्य | रखाव मूल्य | उचित मूल्य |
| **I. वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| | | | | |
| – नकदी और नकदी समतुल्य | 12357.75 | 12357.75 | 10888.14 | 10888.14 |
| – बैंक शेष | 2801.66 | 2801.66 | 1919.51 | 1919.51 |
| – प्राप्ति योग्य | 18719.09 | 18719.09 | 21497.46 | 21497.46 |
| – ऋण एवं अग्रिम | 230674.52 | 230674.52 | 225619.61 | 225619.61 |
| – निवेश | 774.36 | 774.36 | 81.63 | 81.63 |
| – बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 1279.45 | 1279.45 | 20967.57 | 20967.57 |
| **जोड़** | **266606.90** | **266606.90** | **280973.92** | **280973.92** |
| **II. वित्तीय देयताएं** | | | | |
| | | | | |
| – निवेश | 19408.08 | 19408.08 | 23429.55 | 23429.56 |
| – उधार | 143219.83 | 143219.83 | 161841.53 | 161841.53 |
| – अन्य वित्तीय देयताएं | 14247.49 | 14247.49 | 13895.49 | 13895.49 |
| **जोड़** | **176875.40** | **176875.40** | **199166.57** | **199166.57** |

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतान योग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियां, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

**23. प्रस्तावित लाभांश :** इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| 100–100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर | | |
| – प्रस्तावित लाभांश की धनराशि (लाख रुपए में) | 3177.66 | 3409.33 |
| – लाभांश दर (प्रतिशत) | 30% कर उदायगी के बाद लाभ | 30% कर उदायगी के बाद लाभ |
| – प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए) | 5.96 | 6.40 |

निगम द्वारा प्रस्तावित लाभांश, निगम के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अनुसार करोपरांत लाभ और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। निगम के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संबंध में 3177.60 लाख रू. (5.96 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 3177.66 लाख रू. का नकद वविर्वह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएं और घटनाएं के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

**24. भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना**

**क. हानिकरण आरक्षित**

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी.डी. संख्या 109/22. 10.106/2019–20 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहां भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, निगम ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित **'हानिकरण आरक्षित'** में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 4866.65 लाख रूपये की धनराशि की हानिकरण आरक्षित राशि विनियोजित की गई थी क्योंकि भारतीय लेखाकंन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, उसी सीमा तक आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण की तलुना में थी।

इसी प्रकार 31.03.2021 को यथास्थिति हानिकरण आरक्षित राशि 3390.96 लाख रू. है क्योंकि भारतीय लेखाकंन मानक–109 के अंतर्गत 12707. 81 लाख रू. की हानिकरण छूट, उस सीमा तक आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण की 16098.77 लाख रू. की धनराशि की तुलना में निम्नतर है।

चूंकि 31.03.2021 को यथास्थिति हानिकरण आरक्षित 3390.96 लाख रू. की धनराशि, 31. 03.2020 को यथास्थिति पहले ही विनियोजित कर दी गई 4866.65 लाख रू. की हानिकरण आरक्षित धनराशि से निम्नतर है, इसीलिए हानिकरण आरक्षित धनराशि 1475.69 लाख रू. की सीमा तक प्रत्यावर्तित नहीं की गई है क्योंकि उस आरक्षित धनराशि से आहरण/कटौती की अनुमति नहीं है जो पहले ही विनियोजित कर दी गई है।

आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलना।

**वित्तीय वर्ष 2020–21**

(लाख रुपए में)

| भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण | भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपित्त वर्गीकरण | भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनरशि | भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान | निवल रखाव धनराशि | आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान | भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)–(4) | (6) | (7)=(4)–(6) |
| **निष्पादन परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| मनक | चरण–1 | 227185.97 | 908.13 | 226277.84 | 776.65 | 131.48 |
| | चरण–2 | – | – | – | – | – |
| **उप–जोड़** | | **227185.97** | **908.13** | **226277.84** | **776.65** | **131.48** |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए)** | | | | | | |
| मनक | चरण–3 | 1131.07 | 1131.07 | – | 2486.00 | –1354.93 |
| संदिग्ध – 1 वर्ष तक | चरण–3 | – | – | – | 1601.98 | –1601.98 |
| 1 से 3 वर्ष तक | चरण–3 | – | – | – | – | – |
| 3 वर्ष से अधिक | चरण–3 | 9898.05 | 9898.05 | – | 10463.59 | –565.54 |
| **संदिग्ध का उप जोड़** | | **9898.05** | **9898.05** | **–** | **12065.57** | **–2167.52** |
| हानि | चरण–3 | 770.56 | 770.56 | – | 770.56 | – |
| **एनपीए का उपजोड़** | | **11799.68** | **11799.68** | **–** | **15322.13** | **–3522.45** |
| अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती | चरण–1 | – | – | – | – | – |
| | चरण–2 | – | – | – | – | – |
| | चरण–3 | – | – | – | – | – |
| उप जोड़ | | – | – | – | – | – |
| **जोड़** | **चरण–1** | 227185.97 | 908.13 | 226277.84 | 776.65 | 131.48 |
| | **चरण–2** | – | – | – | – | – |
| | **चरण–3** | 11799.68 | 11799.68 | – | 15322.13 | –3522.45 |
| | **जोड़** | 238985.65 | 12707.81 | 226277.84 | 16098.78 | –3390.97 |

**वित्तीय वर्ष 2019–20**

(लाख रुपए में)

| **भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण** | **भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपित्त वर्गीकरण** | **भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनरशि** | **भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान** | **निवल रखाव धनराशि** | **आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान** | **भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)–(4) | (6) | (7)=(4)–(6) |
| **निष्पादन परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| मनक | चरण–1 | 220834.22 | 883.34 | 219950.88 | 776.69 | 106.65 |
| | चरण–2 | – | – | – | – | – |
| **उप–जोड़** | | **220834.22** | **883.34** | **219950.88** | **776.69** | **106.65** |
| | | | | | | |
| **गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए)** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मनक | चरण–3 | 21677.55 | 2551.7 | 19125.85 | 4814.87 | –2263.17 |
| संदिग्ध – 1 वर्ष तक | चरण–3 | – | – | – | 108.43 | –108.43 |
| 1 से 3 वर्ष तक | चरण–3 | – | – | – | 6.66 | –6.66 |
| 3 वर्ष से अधिक | चरण–3 | 7926.75 | 7926.75 | – | 10521.79 | –2595.04 |
| **संदिग्ध का उप जोड़** | | **7926.75** | **7926.75** | **–** | **10636.88** | **–2710.13** |
| हानि | चरण–3 | 794.45 | 794.45 | – | 794.45 | – |
| एनपीए का उपजोड़ | | | | | | |
| अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती | चरण–1 | – | – | – | – | – |
| | चरण–2 | – | – | – | – | – |
| | चरण–3 | – | – | – | – | – |
| उप जोड़ | | – | – | – | – | – |
| **जोड़** | **चरण–1** | 220834.22 | 883.34 | 219950.88 | 776.69 | 106.65 |
| | **चरण–2** | – | – | – | – | – |
| | **चरण–3** | 30398.75 | 11272.90 | 19125.85 | 16246.20 | –4973.30 |
| | **जोड़** | **251232.97** | **12156.24** | **239076.73** | **17022.89** | **–4866.65** |

**ख. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि**

कंपनी, भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत यथा अपेक्षित आरक्षित निधि सृजित कर रही है। जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत अंतरित किया जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय उस उद्देश्य के लिए जो समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो और इसके अलावा ऐसा कोई विनियोजन, उस आहरण की तारीख से 21 दिन के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45आईसी के अंतर्गत 2031.86 लाख रू. (1983.84 लाख रू.) की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2021 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 4015.70 लाख रू. की हो गई है।

**ग. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उधारों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पेपर को क्रिसिल और एक्यूटे द्वारा ''ए1+'' के रूप में रेटिंग दी गई, जिसे ''सुरक्षा की बहुत सुदृढ़ डिग्री'' माना जाता है। इसके अलावा, निगम की बैंक सुविधाओं को 'केयर' द्वारा रेटिंग दी गई है और यह रेटिंग ''एए+'' है, जिसे वित्तीय दायित्वों की समय से सर्विसिंग के संबंध में उच्च डिग्री माना जाता है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

**घ. विनियामक द्वारा लगाई गई शास्तियां** – शून्य

ड.. पूंजीगत पर्याप्तता

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| i) सीआरएआर (%) | 33.75 | 30.57 |
| ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी (%) | 33.42 | 30.27 |
| iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी (%) | 0.33 | 0.30 |
| iv) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि | शून्य | शून्य |
| v) चिरस्थायी ऋण दस्तावेज़ों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि | शून्य | शून्य |

**(क) निवेश :** रा.ल.उ.नि. के पास भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है।

**(ख) निवेशों का अलग–अलग विवरण**

(लाख रुपए में)

| | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| (1) | निवेशों का मूल्य | | |
| (i) | निवेशों का सकल मूल्य | | |
| (क) | भारत में | | |
| | ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर | 789.36 | 96.63 |
| (ख) | भारत से बाहर | | |
| (ii) | मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | | |
| (क) | भारत में | 15.00 | 15.00 |
| (ख) | भारत से बाहर | | |
| (iii) | निवेशों का निवल मूल्य | | |
| (क) | भारत में | 774.36 | 81.63 |
| (ख) | भारत से बाहर | | |
| (2) | निवेशों के प्रति रखे गए प्रावधानों का संचलन | | |
| (i) | अथ शेष | 15.00 | 15.00 |
| (ii) | जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | | |
| (iii) | घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना | | |
| (iv) | अंत शेष | 15.00 | 15.00 |
| (3) | उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि | 174.36 | 81.63 |
| | उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य | 174.36 | 81.63 |
| (4) | अनुद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि | 15.00 | 15.00 |
| (5) | निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए समग्र प्रावधान | 15.00 | 15.00 |

**(ग) निवेशों का मूल्यांकन**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| i) निवेशों का सकल मूल्य | 696.63 | 249.69 |
| ii) हानिकरण हानि के लिए छूट | 15.00 | 15.00 |
| iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल) | 92.73 | (153.06) |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| iv) निवेशों का उचित मूल्य | 774.36 | 81.63 |
| **निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन में संचलन (निवल)** | | |
| अथ शेष | 81.63 | 234.69 |
| जोड़ें: मूल्य में वृद्धि | 92.73 | |
| घटाएं: मूल्य में कमी | | 153.06 |
| अंत शेष | 174.36 | 81.63 |

**च. व्युत्पत्तियां**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| व्युत्पन्न विलेखों/उत्पादों की अरक्षितता | शून्य | शून्य |

**छ. प्रतिभूतिकरण**

**(क) परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए प्रायोजित एसपीवीस के ब्यौरे**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| प्रायोजित एसपीवीस | शून्य | शून्य |

**(ख) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| बेची गई परिसंपत्तियां | शून्य | शून्य |

**(ग) किए गए समनुदेशन लेनदेन के ब्यौरे**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| किए गए समनुदेशन लेनदेन | शून्य | शून्य |

**(घ) खरीदी गई/बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियां | शून्य | शून्य |
| बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियां | | |
| (i) बेचे गए खातों की संख्या | | |
| (ii) समग्र बकाया | | |
| (iii) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल | | |
| (iv) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि | | |

## (ङ) रियल एस्टेट/पूंजी बाज़ार सेक्टर के प्रति अरक्षितता

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| I. रियल एस्टेट सेक्टर के प्रति हुई अरक्षितता (प्रत्यक्ष) | शून्य | शून्य |
| (i) आवासीय बंधक | | |
| (ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट | | |
| • वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण | | |
| • बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और अन्य अरक्षितताओं में ऋण | | |
| II. पूंजी बाजार (सकल) के प्रति अरक्षितता | | |
| (क) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनके कॉरपस का निवेश अनन्य रूप से कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है; | 189.36 | 96.63 |
| (ख) शेयरों (आईपीओज/ईएसओपीज सहित) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूति के प्रति या स्पष्ट आधार पर अग्रिम; | शून्य | शून्य |
| (ग) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटें प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाती हैं; | शून्य | शून्य |
| (घ) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति इन अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती; | शून्य | शून्य |
| (ङ) स्टॉक ब्रोकरों और बाज़ार निर्माताओं की ओर से गारंटियां और स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम; | शून्य | शून्य |
| (च) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोत्साहकों का अंशदान पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या स्पष्ट आधार पर कॉरपोरेट को स्वीकृत ऋण; | शून्य | शून्य |
| (छ) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के प्रति कंपनियों को ब्रिज ऋण | शून्य | शून्य |
| (ज) उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के प्रति सभी अरक्षितताएं | शून्य | शून्य |

**ज. लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का अलग–अलग विवरण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| क. निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान | शून्य | शून्य |
| ख. एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | शून्य | शून्य |
| ग. ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान | शून्य | शून्य |
| घ. निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान | शून्य | शून्य |
| ङ. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान | शून्य | शून्य |
| च. आय कर के प्रति किया गया प्रावधान | 3400 | 1900 |
| छ. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (आस्थगित कर देयताएं) | 432.91 | 1445.21 |

**झ. अग्रिमों और गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| I. अग्रिमों का संकेंद्रण | | |
| बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम | 9822.32 | 10127.36 |
| बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत | 4.11 | 4.03 |
| II. एनपीए का संकेंद्रण | | |
| शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल अरक्षितता | 1136.07 | 1995.69 |

**ञ. सेक्टर–वार एनपीए (सकल)**

(लाख रुपए में)

| क्रम सं. | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप | शून्य | शून्य |
| 2 | एमएसएमई | 11799.68 | 30398.75 |
| 3 | कॉरपोरेट ऋणी | शून्य | शून्य |
| 4 | सेवाएं | शून्य | शून्य |
| 5 | अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण | शून्य | शून्य |
| 6 | आटो ऋण | शून्य | शून्य |
| 7 | अन्य व्यक्तिगत ऋण | शून्य | शून्य |

**ट. एनपीएज का संचलन**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| 1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज (%) | – | 7.97 |
| 2) **सकल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन** | | |
| (क) अथ शेष | 30398.75 | 32436.89 |
| (ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि | – | – |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| (ग) घटाएंः वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता | 18599.07 | 2038.14 |
| (घ) अंत शेष | 11799.68 | 30398.75 |
| 3) **निवल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन** | | |
| (क) अथ शेष | 19125.85 | 15727.27 |
| (ख) जोड़ेंः वर्ष के दौरान अभिवृद्धि | – | 3398.58 |
| (ग) घटाएंः वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता | 19125.85 | – |
| (घ) अंत शेष | – | 19125.85 |
| 4) **एनपीए/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में संचलन** | | |
| (क) अथ शेष | 11272.90 | 16709.61 |
| (ख) जोड़ेंः वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 526.78 | – |
| (ग) घटाएंः वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण | – | – |
| (घ) घटाएंः पुरांकित प्रावधान | – | 5436.71 |
| (ड़) अंत शेष | 11799.68 | 11272.90 |

**ठ. अन्य सूचना**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| i) एकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियां | | |
| – संबंधित पक्षकार | – | – |
| – संबंधित पक्षकारों के अलावा | 11799.68 | 30398.75 |
| ii) निवल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियां | | |
| – संबंधित पक्षकार | – | – |
| – संबंधित पक्षकारों के अलावा | – | 19125.85 |

**ड. ग्राहक एवं निवेशक शिकायतें**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| क. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 2 | 2 |
| ख. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 212 | 22 |
| ग. वर्ष के निवारण की गई शिकायतों की संख्या | 214 | 22 |
| घ. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य | 2 |

**25.** किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशोधित, दिनांक 01 सिंतबर, 2016 के मास्टर निर्देश डीएनबीआर. पीडी. 008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

**देयताएं पक्ष**

**1. उन पर उपार्जित ब्याज सहित गैर–बैंकिंगत वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए परंतु भुगतान न किए गए ऋण और अग्रिम**

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया धनराशि | अतिदेय धनराशि | बकाया धनराशि | धनराशि |
| (क) | डिबेंचर | – | – | – | – |
| (ख) | आस्थगित क्रेडिट | – | – | – | – |
| (ग) | सावधि ऋण | 5229.07 | – | 5350.98 | – |
| (घ) | अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार | – | – | – | – |
| (ड) | वाणिज्यिक पेपर | – | – | – | – |
| (च) | सार्वजनिक जमा | – | – | – | – |
| (छ) | अन्य ऋण | | | | |
| | बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण | 138413.99 | – | 156541.47 | – |

**2. ऊपर 1(च) (उन पर उपार्जित ब्याज सहित बकाया परंतु भुगतान न की गई सार्वजनिक जमा राशियां) का अलग–अलग विवरण:**

–लागू नहीं–

**परिसंपत्ति पक्ष**

**3. प्राप्तियोग्य बिलों सहित {नीचे (4) में शामिल किए गए के अलावा} ऋणों और अग्रिमों का अलग–अलग विवरण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | बकाया धनराशि | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
| (क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल) | – | – |
| (ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल) | 226277.84 | 239076.73 |
| (ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल) | – | – |

4. एएफसी क्रियाकलापों के प्रति गिने जाने वाले किराये और बंधक–पत्र के ऋणों पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और स्टॉक का अलग–अलग विवरण

–लागू नहीं–

5. निवेशों का अलग–अलग विवरण (घटाव को छोड़कर निवल):

(लाख रुपए में)

| विवरण | | बकाया धनराशि | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष |
| **चालू निवेश** | | | |
| 1 | **उद्धृत** | | |
| (i) | शेयर | शून्य | शून्य |
| (क) | इक्विटी | | |
| (ख) | वरीयता | | |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | | |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | | |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | | |
| (v) | अन्य | | |
| 2 | **अनुद्धृत** | | |
| (i) | शेयर | | शून्य |
| (क) | इक्विटी | 600.00 | |
| (ख) | वरीयता | शून्य | |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | शून्य | |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | शून्य | |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | शून्य | |
| (v) | अन्य | शून्य | |
| **दीर्घावधि निवेश** | | | |
| 1 | **उद्धृत** | | |
| (i) | शेयर: | | |
| (क) | इक्विटी (उचित मूल्य) | 174.36 | 81.63 |
| (ख) | वरीयता | शून्य | शून्य |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | शून्य | शून्य |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | शून्य | शून्य |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य |
| (v) | अन्य | शून्य | शून्य |
| 2 | **अनुद्धृत** | | |
| (i) | शेयर: | शून्य | शून्य |
| (क) | इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल) | शून्य | शून्य |
| (ख) | वरीयता | शून्य | शून्य |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | शून्य | शून्य |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | शून्य | शून्य |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य |
| (v) | अन्य | शून्य | शून्य |

6. ऊपर (3) और (4) में दिए गए अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

| श्रेणी | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल) | बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया | अप्रतिभूत प्रावधान के पश्चात निवल) | प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल) | (प्रावधान के पश्चात निवल) | अप्रतिभूत प्रावधान के पश्चात निवल) |
| 1 | संबंधित पक्षकार | | | | | | |
| (क) | आर्थिक सहायता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ख) | उसी समूह में कंपनियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ग) | अन्य संबंधित पक्षकार | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | संबंधित पक्षकारों के अलावा | शून्य | 226277.84 | शून्य | शून्य | 239076.73 | शून्य |

7. शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः

(लाख रुपए में)

| श्रेणी | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उचित मूल्य | अंकित मूल्य | उचित मूल्य | अंकित मूल्य |
| 1 | संबंधित पक्षकार | | | | |
| (क) | आर्थिक सहायता | 600.00 | 600.00 | | |
| (ख) | उसी समूह में कंपनियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य संबंधित पक्षकार | शून्य | शून्य | | |
| (ग) | संबंधित पक्षकारों के अलावा | शून्य | शून्य | | |
| 2 | संबंधित पक्षकार | 174.36 | 174.36 | 81.63 | 81.63 |

## 26. हाल ही की लेखांकन घोषणाएं

नए मानक बनाए गए/मौजूदा मानकों में संशोधन किया गया/नई घोषणाएं जारी की गई परंतु रा.ल.उ.नि. का वित्तीय विवरण जारी किए जाने की तारीख तक अभी लागू न की गई नई घोषणा नीचे प्रकट की गई हैः

24 मार्च, 2021 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अधिसूचना के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग I, II और III को संशोधित कर दिया और ये 01 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। अनुसूची III से संबंधित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों में कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, निम्नलिखित हैः

**तुलन पत्र की टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरणः**

- संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियांः विशिष्ट प्रकटीकरण, यदि संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अन्य समायोजनों और संबंधित मूल्यह्रास तथा हानिकरण क्षति/प्रत्यावर्तनों की प्रत्येक श्रेणी के निवल रखाव मूल्य का परिवर्तन कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या इससे अधिक हो।
- चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में, पूर्वावधि त्रुटियों और पुनः उल्लिखित शेषों के कारण इक्विटी शेयरों में परिवर्तनों जैसे इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण।
- व्यापार प्राप्तव्यों, व्यापार भुगतान योग्य राशियों, चल रहे

पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र।

- प्रोत्साहक की शेयरधारिताः वित्तीय विवरणों में शेयर पूंजी पर टिप्पणी में, वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनों, यदि कोई हों के साथ–साथ प्रोत्साहकों की शेयरधारिता के ब्योरों का उल्लेख होगा।
- दीर्घावधि उधारों की चालू परिपक्वताएं, अल्पावधि उधार शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रकट की जाएगी।
- यदि एनबीएफसी ने निधियों का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया है, जिसके लिए यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया था तो इसके ब्यौरों का प्रकटीकरण इसका उपयोग कहां किया गया है।
- एनबीएफसी के नाम में रखी गई अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व विलेखों का विशिष्ट प्रकटीकरण और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्याकंन पर प्रकटीकरण।
- ''अतिरिक्त विनियामक शर्त'' का विशिष्ट प्रकटीकरण जैसे व्यवस्थाओं की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालन, कंपनियों के रखने वालों की संख्या का अनुपालन, एनबीएफसी के नाम में न रखी गई अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व विलेखों, प्रोत्साहनों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और संबंधित पक्षकारों को ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे, रखी गई, बेनामी संपत्ति आदि के ब्यौरे।
- अनुपातः निम्नलिखित अनुदान प्रकट किए जाएंगेः–(क) पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर), (ख) टियर। सीआरएआर (ग) टियर ।। सीआरएआर, (घ) परिशोधन कवरेज अनुपात
- उधारों और जानबूझकर चूककर्ता।

**लाभ एवं हानि लेखे की टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण :**

- अकेले वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग टिप्पणियों में ''अतिरिक्त सूचना'' शीर्ष के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) अघोषित आय और क्रिप्टो या विरचुअल मुद्रा से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण।

ये संशोधन व्यापक हैं और निगम, कानून द्वारा यथा अपेक्षित उन्हें लागू करने के लिए इनका मूल्यांकन करेगा।

**27** 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी विनियामक द्वारा निगम पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई (पिछले वर्ष शून्य)।

**28.** 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान न्यायपूर्ण पद्धति संहिता के अंतर्गत ऋणियों से निगम को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई (पिछले वर्ष शून्य)।

**29.** सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

**30.** वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

**31.** पिछले वर्ष के आंकड़े, आवश्यकता के अनुसार, पुनः समूहीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्निर्मित किए गए हैं।

*********

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्यिक) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| I | **राजस्व** | | | |
| | क. प्रचालनों से राजस्व | 21 | | |
| | उत्पादों की बिक्री | | 168430.76 | 144412.97 |
| | सेवाओं की बिक्री | | 8826.69 | 8648.19 |
| | ब्याज आय | | 27165.71 | 26744.03 |
| | प्रोसेसिंग शुल्क | | 4580.06 | 4863.66 |
| | [इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 1287396.77 लाख रू. (1401344.08 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 4580.06 लाख रू. (4863.66 लाख रू.) शामिल है।] | | | |
| | उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय लेखों की मान्यता समाप्त करने पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य प्रचालन आय | | 1123.39 | 5742.13 |
| | **प्रचालन से कुल राजस्व** | | **210126.61** | **190410.98** |
| | ख. अन्य आय | 22 | 95.47 | 256.73 |
| | ग. अनुदान और सब्सिडियां | 23 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल राजस्व (क + ख + ग)** | | **210222.08** | **190667.71** |
| II | **व्यय** | | | |
| | स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद | 24 | 167355.66 | 143747.81 |
| | माल–सूचियों में परिवर्तन | 25 | 54.96 | –54.96 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 26 | 12924.12 | 13250.79 |
| | वित्त लागतें | 27 | 7772.34 | 12616.01 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 28 | 841.51 | 732.86 |
| | निगमित सामाजिक जिम्मेदारी | 29 | 224.58 | 255.00 |
| | अन्य व्यय | 30 | 7079.96 | 6888.76 |
| | **कुल व्यय** | | **196253.13** | **177436.27** |
| III | **आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ** | | **13968.95** | **13231.44** |
| | आपवादिक मदें | | 4.22 | –1.30 |
| IV | **असाधारण मदें, और कर से पूर्व लाभ** | | **13964.73** | **13232.74** |
| | असाधारण मदें | | 0.00 | 0.00 |
| V | **कर पूर्व लाभ** | | **13964.73** | **13232.74** |
| | **कर व्यय** | 31 | | |
| | वर्तमान कर | | 3400.00 | 1900.00 |
| | आस्थगित कर | | 432.91 | 1445.21 |
| | पूर्ववर्ती वर्ष | | –27.48 | –31.69 |
| VI | **कुल कर व्यय** | | **3805.43** | **3313.52** |
| VII | **चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ** | | **10159.30** | **9919.22** |
| VIII | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ** | | **0.00** | **0.00** |

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्यिक) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

| | विवरण | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| IX | बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय | | 0.00 | 0.00 |
| X | बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात) | | 0.00 | 0.00 |
| XI | अवधि का लाभ | | 10159.30 | 9919.22 |
| XII | अन्य विस्तृत आय | | | |
| | क. मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 92.73 | –153.06 |
| | ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वगीकृत नहीं किया जाएगा। | | 134.95 | –373.34 |
| | उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | –57.31 | 132.50 |
| | उप–जोड़ (क) | | 170.37 | –393.90 |
| | ख. मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उप–जोड़ (ख) | | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विस्तृत आय (क + ख) | | 170.37 | –393.90 |
| XIII | अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (XI + XII) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य विस्तृत आय | | 10329.67 | 9525.32 |
| XIV | प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से) | 32 | | |
| | मूल (रु.) | | 19.06 | 18.61 |
| | न्यूनीकृत (रु.) | | 19.06 | 18.61 |
| XV | आकस्मिक प्रतिबद्धताएं | 33 (i) | 1323.36 | 1869.68 |
| XVI | पूंजीगत प्रतिबद्धताएं | 33 (ii) | 493.15 | 742.21 |
| | लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां | 34 | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखा विवरण के पश्चात रखा गया है

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

**ह./–**
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

**ह./–**
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

**ह./–**
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

**ह./–**
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| I | **राजस्व** | | | |
| | क. प्रचालनों से राजस्व | 21 | | |
| | उत्पादों की बिक्री | | 0.00 | 0.00 |
| | सेवाओं की बिक्री | | 2.58 | 0.00 |
| | ब्याज आय | | 0.00 | 0.00 |
| | प्रोसेसिंग शुल्क | | 0.00 | 0.00 |
| | उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय विलेखों की | | 0.00 | 0.00 |
| | विमान्यता पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | **अन्य प्रचालन आय** | | **2.58** | **0.00** |
| | ख. प्रचालनों से कुल राजस्व | 22 | 0.00 | 0.00 |
| | ग. अनुदान और सब्सिडियां | 23 | 7915.96 | 10259.98 |
| | **कुल राजस्व (क + ख + ग)** | | **7918.54** | **10259.98** |
| II | **व्यय** | | | |
| | स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद | 24 | 0.00 | 0.00 |
| | माल–सूचियों में परिवर्तन | 25 | 0.00 | 0.00 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 26 | 377.15 | 523.66 |
| | वित्त लागतें | 27 | 0.00 | 0.00 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 28 | 0.00 | 0.00 |
| | निगमित सामाजिक जिम्मेदारी | 29 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 30 | 7541.39 | 9736.32 |
| | **कुल व्यय** | | **7918.54** | **10259.98** |
| III | **असाधारण आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| | आपवादिक मदें | | 0.00 | 0.00 |
| IV | **आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| | असाधारण मदें | | 0.00 | 0.00 |
| V | **कर पूर्व लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| | **कर व्यय** | 31 | | |
| | वर्तमान कर | | 0.00 | 0.00 |
| | आस्थगित कर | | 0.00 | 0.00 |
| | पूर्ववर्ती वर्ष | | 0.00 | 0.00 |
| VI | **कुल कर व्यय** | | **0.00** | **0.00** |
| VII | **चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| VIII | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| IX | **बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय** | | **0.00** | **0.00** |
| X | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)** | | **0.00** | **0.00** |
| XI | **अवधि का लाभ** | | **0.00** | **0.00** |

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

| | विवरण | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| XII | अन्य विस्तृत आय | | | |
| क. | मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि–निवेश/सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि पुनः वगीकृत नहीं किया जाएगा। | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वगीकृत नहीं किया जाएगा। | | 0.00 | 0.00 |
| | **उप–जोड़ (क)** | | **0.00** | **0.00** |
| ख. | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | **उप–जोड़ (ख)** | | **0.00** | **0.00** |
| | **अन्य व्यापक आय (क + ख)** | | **0.00** | **0.00** |
| XIII | **अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI + XII) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय** | | **0.00** | **0.00** |
| XIV | **प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)** | 32 | | |
| | मूल (रु.) | | 0.00 | 0.00 |
| | तरलीकृत (रु.) | | 0.00 | 0.00 |
| XV | **आकस्मिक देयताएं** | 33 (i) | **0.00** | **0.00** |
| XVI | **पूंजीगत प्रतिबद्धताएं** | 33 (ii) | **1265.30** | **0.00** |
| | **लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां** | 34 | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखा विवरण के पश्चात रखा गया है

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

**ह./–**
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

**ह./–**
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

**ह./–**
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

**ह./–**
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) और निदेशक वित्त (मुख्य वित्त अधिकारी) का प्रमाण-पत्र

सेवा में,

निदेशक मंडल,

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,**

नई दिल्ली।

i. हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और जहां तकत्रत्र हमें जानकारी और विश्वास है :

   क. इन विवरणों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं दिया गया है या कोई तथ्य विलोपित नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण नहीं है, जो भ्रामक हो सकता है।

   ख. इन विवरणों में कंपनी के कार्यों का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोंण भी प्रस्तुत किया गया है और यह विद्यमान लेखाकरण मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ii. जहां तक हमें जानकारी और विश्वास है वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है, जो कपटपूर्ण हो, अवैध हो, या कंपनी की आचार संहिता के प्रतिकूल हो।

iii. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और यह कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता का हमने मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प या प्रचालन में हुई कमियों, यदि कोई हों, को लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है, जिनकी हमें जानकारी है और इन कमियों में सुधार करने के लिए हमने कार्रवाई की है या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

iv. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है कि :

   क. वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

   ख. कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 से भारतीय लेखाकरण मानकों (इण्ड एएस) को अंगीकृत किया है और इसलिए भारतीय लेखाकरण मानकों (इण्ड एएस) की अपेक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों को पुनः तैयार किया गया है।

   ग. वर्ष के दौरान हमें कपट की ऐसी किसी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी नहीं है, जिसमें प्रबंधकवर्ग का ऐसा कोई कार्मिक या कर्मचारी लिप्त रहा हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका थी।

| | |
|---|---|
| **ह./–** | **ह./–** |
| **(गौरांग दीक्षित)** | **(अलका नांगिया अरोड़ा)** |
| निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक |

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 23 सितंबर, 2021

# 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियम के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 02.11.2021 की संसोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि ऐसा कर दिया गया है, जिससे उनकी दिनांक 23.09.2021 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट के स्थान पर लगा दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे एक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अलावा मेरे पास कोई और ऐसी टिप्पणी करने के लिए नहीं है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा उसकी पूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

**ह./–**
**(विधु सूद)**
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग और कार्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 नवंबर, 2021

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यगण**

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट**

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** की समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति लेखाओं पर दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को हमारी पिछली लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमय में यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021 के पत्र संख्या एएमजी–।।।/4(21)/वार्षिक लेखा/एनएसआईसी/(2020–21)/63 के अंतर्गत महानिदेशक लेखापरीक्षा उद्योग एवं कारपोरेट कार्य, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा किए गए अवलोकनों को लागू करने के लिए संशोधित की गई है।

**राय**

हमने, **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** (जिसे इसमें आगे ''नियंत्रक कंपनी'' कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ मिलाकर ''समूह'' कहा गया है) के संलग्न समेकित विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2021 को यथा स्थिति समेकित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे इससे आगे '' समेकित वित्तीय विवरण'' कहा गया है) शामिल है,

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अलग वित्तीय विवरणों, पर तथा सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय सूचना पर अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के आधार पर उपर्युक्त समेकित विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से,कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति समूह के समेकित कारोबार समतिथि को समाप्त वर्ष समेकित लाभ (कुल व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तनों और समेकित नकदी प्रवाहों की, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखाकंन सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

**राय का आधार**

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के अकेले वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीयविवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह अकेले वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

**मामलों पर जोर देना**

1. हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी – 34(2) में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

   क) पैरा–1 जिनमें वर्णन किया गया है कि व्यापार प्राप्तव्यों, ऋणों और अग्रिमों, व्यापार भुगतानयोग्य राशियों जमा/अर्जित धन, कर्जदार आदि के शेष, निम्नलिखित मामलों में पुष्टि/संराधन और परिणामी समायोजनों,यदि कोई हों, की शर्त के अधीन हैं।

   **1) डेबिट शेष**

(लाख रूपये में)

| क्र. सं. | विवरण | कुल बकाया | पुष्टि प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|
| 1 | व्यापार प्राप्तव्य (विपणन अन्य) (पीआईएस छोडकर निविल) | 19675.53 | 7744.67 |
| 2 | ऋण एवं अग्रिम (पीआईएस छोडकर निविल) | 242251.73 | 8212.16 |
| 3 | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 1842.97 | 706.09 |
| | **जोड़** | **263770.23** | **16662.92** |

2) **क्रेडिट शेष**

(लाख रूपये में)

| क्र. सं. | विवरण | कुल बकाया | पुष्टि प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|
| 1 | व्यापार भुगतान योग्य | 19408.08 | 11118.99 |
| 2 | अन्य वित्तीय देयताएं | 14249.10 | 5554.27 |
| 3 | अन्य दीर्घावधि देयताएं (भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा, ईएमडी) | 36.21 | 15.82 |
| | **जोड़** | **33693.39** | **16689.08** |

2. हम, वित्तीय विवरणों की टिप्पणी–34 में निम्नलिखित मामले की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं:

   (क) वर्ष 2020–21 के लिए कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) की बाबत 729.05 लाख रू. (पिछले वर्ष 690.18 लाख रू.)की धनराशि के तदर्थ प्रावधान के संबंध में पैरा –12

   (ख) पैरा 8 (।।।) मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र में, यथा अनुमोदित लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजनाओं के लिए संचित 198.50 लाख रूपये (122 लाख रू.) तथा 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए 121.454 लाख रूपये (122.54 लाख रू.) की चिकित्सा योजनाओं हेतु सृजित किए गए। इन संचयों का उपयोग क्रमशः 154.02 लाख रू. (53.67 लाख रू.) तथा 64.98 लाख रू. (33.66 लाख रू.) की सीमा तक वर्ष के दौरान बीमा कंपनियों के प्रीमियम के भुगतान हेतु किया गया है।

3. हम समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34 (26) की और आकर्षित करते है जिसमें वे कारण स्पष्ट किए गए हैं कि अधिनियम की अनुसची ।।। के प्रभाग ।। के बाजाए वित्तीय विवरण अधिनियम की अनुसूची ।।। के प्रभाग ।।। में विनिर्धारित प्रपत्र का इस्तेमाल करके क्यों तैयार किए गए हैं।

   उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

**समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना**

अन्य सूचना के लिए सूमह निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर समेकित पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों के या लेखा परीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से असंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है। यदि जो कार्य हमने किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना का कोई सारवान मिथ्या कथन है तो हमारे लिए उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है।

इस संबंध में हमें कुछ सूचित नहीं करना है।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

ये समेकित वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकंन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए समूह का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव भी शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो निगम के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां**

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे **समेकित वित्तीय विवरण**, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वेधोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और, इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्यों कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूंकें, मिथ्यानिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।
- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहां लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

**अन्य मामले**

हमने, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी सहायक कंपनी – एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा नहीं की जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना, समेकित वित्तीय विवरणों में यथा विचारित, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 543.02 लाख की कुल परिसंपित्तयां और 11.06 लाख रू. की कुल राजस्व प्रदर्शित करती है। एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों/अन्य सूचना की लेखा–परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय में, जहां तक यह, सहायक कंपनी के संबंध में शामिल धनराशियों और विगोपनों से संबंधित है, यह पूर्णतः इन स्वतंत्र शाखा लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं किः

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा–बहियां रखी गई हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की हमारी जांच करने से और अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट से पता चलता है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में समेकित परिवर्तन और नकद प्रवाह का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य के लिए रखी गई सुसंगत लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

   (ड़) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (जीएसआर) 463 (असाधारण) (ई) दिनांक 05–06–2015 के अनुसार,इस अधिनियम की धारा 164 की उपधारा–2 के प्रावधान, एक सरकारी कंपनी होने के कारण इस समूह पर लागू नहीं होते हैं।

   (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में, **"अनुबंध–क"** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

   (i) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया गया है।

   (ii) निगम के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं था, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थीं।

   (iii) कोई ऐसी राशियां नहीं थीं, जिन्हें समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएएसीआई3435

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

**कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के क्रम में, हमने **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** (जिसे इसमें आगे ''नियंत्रक कंपनी'' कहा गया है) और उस तारीख को भारत में अधिनियमित उसकी सहायक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी:**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के अपने–अपने निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें निगम की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

**लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:**

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतारिक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (मार्गदर्शक टिप्पणी) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएं लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य:**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी

प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:**

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

**अर्हक राय:**

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31.03.2021 को यथास्थिति निम्नलिखित प्रमुख कमियों का पता चला है:

1. ऋणियों के खातों/वित्तीय विवरणों की प्रक्रिया, कुछ मामलों में शेष राशियों की आवधिक पुष्टि और इकाइयों को मंजूर की गई सीमा के नवीकरण का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन/मॉनीटरिंग नहीं की गई। प्रबंधन ने सूचित किया कि समग्र प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और इन कमियों को देखते हुए, प्रबंधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावी प्रयास किए जाते हैं और इनके प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न जांच/नियंत्रणों की व्यवस्था की गई है। हमारी राय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की आवधिक रूप से मॉनीटरिंग करने और उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

2. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति और कार्य नीति तथा उसके प्रलेखन, समालोचनात्मक समीक्षा और निरंतर आधार पर नवीकरण प्रक्रिया का निरंतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन और प्रणालियों के संबंध में आंतरिक नयंत्रण को और अधिक सशक्त बनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय आंकड़े तैयार करने और इनकी रिपोर्टिंग में किसी मैनुअल हस्तक्षेप से बचने के लिए एक एकीकृत लेखांकन पैकेज का कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है।

3. बजटीकरण में और सुधार करने की आवश्यकता है। कैडर/पद–वार उपलब्ध रिक्तियों पर आधारित खुले बाज़ार के जरिए भर्तियों के लिए मानव संसाधन प्रभाग द्वारा कोई बजट तैयार नहीं किया गया है, जो वित्तीय वर्ष के आरंभ में शीर्ष प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर दी गई महत्त्वपूर्ण कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में अधिनगमित कंपनियां हैं, ने सभी प्रकार से महत्त्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे।

**अन्य मामले**

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा

143(3)(i) के अंतर्गत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक यह 1 (एक) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों/सूचना से संबंधित है जिसकी लेखा–परीक्षा संबंधित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, लेखा परीक्षकों भारत में अधिनिगमित उस सहायक कंपनी के लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है।

**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 21099172एएएएसीआई3435

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02.11.2021

# टिप्पणियां, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

## टिप्पणी–1 : समूह सूचना एवं लेखांकन का आधार

### 1. कॉरपोरेट सूचना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे 'एनएसआईसी' या मूल निगम कहा गया है), कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा विनियमित भारत में स्थित और अधिनिगमित {सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481} है और दिनांक 29.12.2005 के प्रमाण–पत्र सं. एन14.03090 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाले गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। ग्लोबल लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर फाउण्डेशन (जीएलईआईएफ) के पास पंजीकृत विधिक सत्ता अभिनिर्धारक (लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक ''मिनिरत्न श्रेणी–1'' आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, सहायता देने और प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजना के एक सेट के साथ उन्हें सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी, विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और अन्य सहायता सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराता है।

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (जिसे एनवीसीएफएल या सहायक कंपनी कहा गया है), जो भारत में स्थित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अंतर्गत 28 अगस्त, 2020 की अधिनिगति की गई थी। यह कंपनी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (रा.ल.उ.नि.) जो भारत सरकार का एक उद्यम है, की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और दिनांक 01.09.2021 की पंजीकरण संख्या आईएन/एआईएफ 2/21–22/0924 के अंतर्गत सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमावली, 2012 के अंतर्गत एक श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत है।

रा.ल.उ.नि. और सहायक कंपनी दोनों का पंजीकृत कार्यालय, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज ।।।, नई दिल्ली–110020 में स्थित है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में, रा.ल.उ.नि. और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (जिन्हें मिलाकर समूह कहा गया है) के वित्तीय विवरण शामिल है।

### 2. लेखांकन का आधार

#### i. अनुपालन कथन

समूह के समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इण्डएएस, कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और अन्य लागू विनियामक मापदंड/दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

समूह के समेकित वित्तीय विवरण आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखाकंन सिद्धांतों के अनुसार उपार्जित लेखा प्रणाली (जन तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो), अपना कर ऐतिहासिक लागत की परंपरा के अंतर्गत चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं और भारतीय लेखाकंन मानक नियमावली 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखाकंन मानक को (जिन्हें "इंण्डएएस" कहा गया है) कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू हाने वाले उपबंधों और अन्य लागू विनियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

#### ii. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के (अन्य व्यापक आय आदि के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी विलेख) और वित्तीय देयताओं (प्रतिभूति जमा राशियों आदि) के, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को

वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों/समय के लिए लगातार लागू किया गया है। ये नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत रूप से लागू की गई हैं।

**iii. समेकित के सिद्धांत**

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, सहायक कंपनियों में किए गए निवेश, भारतीय लेखाकंन मानक (इण्ड ए एस) 110 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार लेखे में लिए गए हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

सहायक कंपनियां, उपयोग में नए लाए गए लाभों या हानियों के साथ–साथ सभी महत्वपूर्ण अतः–समूह शेषों/लेनदनों को समाप्त करने के पश्चात, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां लागत वसूल नहीं की जा सकती, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्ययों की समान मदों का अंकित मूल्य एक साथ जोड़ कर पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर समेकित की गई हैं।

जहां तक संभव हो, ये समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में लेनदेनों और अन्य घटनाओं जैसी एक समान लेखाकंन नीतियों का इस्तेमाल करके तैयार किए गए हैं और संभव सीमा तक उसी तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं जिस तरीके से मूल कंपनी के अकेले वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। लेखाकंन नीतियों में अंतर, (यदि कोई है,) अलग से प्रकट किया गया है।

**iv. अनुमानों, कल्पनाओं और प्रबंधन निर्णयों का इस्तेमाल**

समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएं।

**v. महत्त्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय**

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, समूह के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करे, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें सुसंगत माना जाता है।

लेखांकन नीतियां, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

**क. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)**

पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन, परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट की गई प्रत्येक तारीख को किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यह्रास/मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

**ख. बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियां**

भारतीय लेखाकंन मानक 105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों और बंद कर दिए गए प्रचालन'' के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों को लेखाकंन लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, अनुप्रयोज्यता का आकलन करने में प्रबंधन ने, तत्काल बिक्री के लिए

परिसंपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के अंदर बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि उनका रखाव धनराशि निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांतः वसूल की जा सकती है।

**ग. आय कर**

भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि/अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

**घ. वित्तीय साधनों की हानि**

वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाज़ार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तारीख के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

**ड़. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई)**

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

**च. सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :**

सुनिश्चित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों की लागत और इस दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाने शामिल हैं, जो भविष्य में वास्तविक प्रगतियों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि बट्टा दर, भावी वेतन वृद्धियां, मर्त्यता दरों और संघर्षण दरों के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा लगाए गए अनुमान तर्कसंगत होते हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधिक स्वरूप के कारण इन अनुमानों में कोई परिवर्तन करने के लिए यह दायित्व अत्यधिक संवेदनशील है। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को की जाती है।

**छ. वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन :**

जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहां कहीं संभव हो, अवलोकनयोग्य बाज़ारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का इस्तेमाल किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

**ज. प्रावधान और आकस्मिकताएं :**

अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बर्हिवय की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तारीख को संसाधनों का वास्तविक बर्हिवय, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

**vi. कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा :**

ये भारतीय लेखांकन समेकित मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और समूह की कार्यात्मक मुद्रा है, में तैयार किए जाते हैं। रुपयों में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचना को दो दशमलव के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है, जब तक अन्यथा न दर्शाया गया हो।

## टिप्पणी 2 : महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश, जो नीचे दिया गया है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

**I. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) – मूर्त पीपीईज**

क) आरंभिक मान्यता और मापन

i. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों को आरंभतः लागत आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मूल्यह्रास, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ii. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और 31 मार्च, 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त की गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों** का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर मूल्यह्रास के पश्चात निवल संचित शेष, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, के आधार पर किया जाता है।

iii. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों के अलावा, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों का उल्लेख उनके अधिग्रहण की मूल** लागत के आधार पर किया जाता है, जिसमें कर, ड्यूटियां, मालभाड़ा और संचित मूल्यह्रास तथा संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर संबंधित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापन से संबंधित अन्य प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं।

iv. जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता दी जाती है।

v. उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विनिर्दिष्ट मद के प्रत्यक्षतः कारण उधार लेने की लागतें (उधार ली गई निधियों, यदि कोई हों, के अस्थायी निवेश पर आय घटाने के पश्चात) उन मदों के प्रति पूंजीकृत की जाती हैं।

vi. इस्तेमाल के लिए/इस्तेमाल में लाने के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के मामले में, जहां अंतिम लेखा विवरण/ठेकेदारों/कार्यान्वयन एजेंसी के साथ बिलों का निपटान अभी किया जाना है, ऐसी स्थिति में पूंजीकरण आवश्यक समायोजनों, जिनमें अंतिम निपटान के वर्ष में मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों के निपटान से उत्पन्न समायोजन शामिल हैं, की शर्त के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है।

ख) उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की

लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की वहन धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की दिन–प्रति दिन की सर्विसिंग की लागतों को, समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) विमान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**II. चल रहा पूंजीगत कार्य**

क) चल रहे पूंजीगत कार्य में उन स्थिर परिसंपत्तियों की लागत शामिल है, जो तुलन–पत्र की तारीख को उनके आशयित इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हैं।

ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियां लागत के आधार पर ली जाती हैं, जिनमें इसके आशयित इस्तेमाल के लिए परिसंपत्तियों को स्थान पर तथा आवश्यक कार्यचालन स्थिति में लाने के कारण प्रत्यक्ष लागत (सामग्री की लागत, श्रम और अन्य प्रासंगिक व्यय) तथा संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय (ऊपरी व्यय सहित) शामिल हैं।

ग) निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे ब्याज संबंधी आय, वसूल की गई परिसमापन हानियां आदि को निर्माण अवधि के दौरान हुए खर्च के प्रति समायोजित किया जाता है।

घ) निक्षेप कार्य/लागत जमा संविदा को ठेकेदारों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर लेखे में लिया जाता है, जब तक परिसंपत्तियों को पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है।

ड़) पीपीई के अर्जन/निर्माण के लिए प्रदत्त उन अग्रिमों को 'पूंजी अग्रिमों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया है।

**III. अमूर्त परिसंपत्तियां**

क) आरंभिक मान्यता और मापन

ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियां, जो समूह द्वारा अर्जित की गई हैं, जिनका निश्चित उपयोगी जीवनकाल हो, को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मौद्रिकीकरण और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ख) उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को परिसंपत्ति की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

ग) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकंन मानक–38 के अनुसार, किया गया कोई खर्च, विशेष रूप से किसी अमूर्त परिसंपत्ति के विकास के प्रति श्रेय देने योग्य खर्च और मान्यता एवं मापन मानदंड पूरा करने की संभावना वाला खर्च, विकास पूरा हो जाने पर, ''विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां'' के रूप में पूजीकृत किए जाते हैं, जब तक वे उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार हैं।

घ) विमान्यताकरण

अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां अमूर्त परिसंपत्ति की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित

किए जाते हैं और इन्हें समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**IV. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का हानिकरण**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो। हानिकृत हानि को उस वर्ष में समेकित लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति पुनर्मूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप में दर्शाया जाता है।

**V. बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियां**

गैर वर्तमान परिसंत्तियां, बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, यदि उनकी वहन धनराशि, एक बिक्री लेनेदेन के जरिए (निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए) सिद्धांततः वसूल किए जाने के लिए आशयित हो, जब यह परिसंपत्ति, अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए प्रायिक और प्रथागत हैं और यह बिक्री अत्यधिक संभावना वाली है और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर एक पूरी कर ली गई बिक्री के रूप में मान्यता हेतु अर्हक बनने की आशा वाली है।

बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य तथा उनकी वहन धनराशि से निम्नतर मूल्य पर मापी जाती हैं, उन परिसंत्तियों को छोड़कर जैसे आस्थगित कर कर्मचारी लाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियां, आर्थिक परिसंपत्तियां और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदात्मक अधिकार, जो विशेष रूप से इस शर्त से छूट प्राप्त हैं। बिक्री लागतें घटाकर निकाले गए उचित मूल्य के निर्धारण में, प्रबंधन के आकलनों और अनुमानों का इस्तेमाल शामिल है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता, जब वे बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, तुलन–पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत की जाती हैं।

**VI. मूर्त परिसंपत्तियों और परिशोधन तथा अमूर्त पीपीईज पर मूल्यह्रास**

**क) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई परिसंपत्तियां**

मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार अपलेखित मूल्य पद्धति पर, परिसंपत्तियों के इस्तेमाल में लाने के दिन से अनुपाततः आधार पर किया जाता है।

**ख) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मदें**

i) पीपीई पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन यंत्र के।

| क्रम सं. | परिसंपत्तियों के स्वरूप | उपयोगी जीवनकाल | दर (एसएलएम) | अवशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| i. | आरसीसी फ्रेम ढांचा बनाना | 60 वर्ष | 1.58% | मूल लागत का 5% |
| ii. | आरसीसी फ्रेम ढांचे के अलावा अन्य बनाना | 30 वर्ष | 3.17% | मूल लागत का 5% |
| iii. | अस्थायी ढांचा बनाना | 3 वर्ष | 31.67% | मूल लागत का 5% |
| iv. | सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| v | सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी के अलावा | 5 वर्ष | 19.00% | मूल लागत का 5% |
| vi. | सड़कें – गैर–कारपेरेटेड | 3 वर्ष | 31.67% | मूल लागत का 5% |
| vii. | संयंत्र और मशीनरी | 15 वर्ष | 6.33% | मूल लागत का 5% |
| viii. | फर्नीचर और फिटिंग | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| ix. | वाहन दुपहिया | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| x. | वार चारपहिया | 8 वर्ष | 11.88% | मूल लागत का 5% |
| xi. | कार्यालय उपस्कर | 5 वर्ष | 19.00% | मूल लागत का 5% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| xii. | कंप्यूटर और प्रोसेसिंग इकाइयां | 3 वर्ष | 31.67% | मूल लागत का 5% |
| xiii. | सर्वर और नेटवर्क | 6 वर्ष | 15.83% | मूल लागत का 5% |
| xiv. | विधुत वितरण संयंत्र | 35 वर्ष | 2.71% | मूल लागत का 5% |
| xv. | विद्युतीय संस्थापनाएं और उपस्कर | 10 वर्ष | 9.50% | मूल लागत का 5% |
| xvi. | अमूर्त परिसंपत्तियां – सॉफ्टवेयर | 5 वर्ष | 20.00% | रु.1/– |
| xvii. | मोबाइल फोन उपकरण | 3 वर्ष | 33.33% | रु. 1/– |

ii) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) से घटावों/अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रास, उस तारीख, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध है, से/तक अनुपाततः आधार पर प्रभारित किया जाता है।

iii) 0.10 लाख रुपए तक की लागत की परिसंपत्तियां, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5% रखने के पश्चात, खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्ययह्रासित की जाती हैं, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण जहां रूपये 1 को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

iv) 0.10 लाख से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरण, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

v) सरकारी अनुदानों से खरीदे गए पीपीई के मामले में मूल्यह्रास, उन परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में 'पूंजीगत आरक्षित' (जो आस्थगित आय के स्वरूप का है) के प्रति प्रभारित किया जाता है। पूंजीगत आरक्षित, खरीद लागत के साथ प्राप्त अनुदानों में से स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद के समय सृजित किया जाता है।

vi) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन, पट्टा अवधि में किया जाता है।

vii) 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में मान्यताप्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त की गई थी, से आरंभ करके पांच वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर किया जाता है। तथापि जहां सॉफ्टवेयर का जीवन काल, पांच वर्षों से कम है, लागत का परिशोधन, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रूपया रखने के पश्चात, इन परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल पर किया जाता है।

**VII. उधार लागतें**

उधार लागतों में ब्याज और अन्य लागतें शामिल हैं, जो निगम निधियां उधार लेने के संबंध में खर्च करता है।

अर्हक परिसंपत्तियों के लिए लगाई गई उधार लागतें, विशेष रूप से परिसपंत्ति के वित्तपोषण के लिए खर्च की गई, उधार लेने के आधार पर, उन निधियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी आय के 'नेटिंग ऑफ' के पश्चात, आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत की जाती हैं। अर्हक परिसंपत्तियां, ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जो उनके आशयित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

अन्य सभी उधार लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में उस रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उपार्जित हुई हैं।

**VIII. मालसूचियां**

क) मालसूची में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:

i. लेखन–सामग्री का स्टॉक और विविध मदें

ii. भंडार, पैटर्न, सांचे, औज़ार, मापन उपकरण और मार्गस्थ सामान।

iii. तैयार माल का भंडार, तैयार संघटक, चल रहा कार्य और रा.ल.उ.नि. के तकनीकी सेवा केंद्रों में भंडार।

iv. वाणिज्यिक क्रियाकलापों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

v. किराया खरीद (एचपी) और संयुक्त सावधि ऋण (सीटीएल) के अधीन पुनः कब्जे में

ली गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित मशीनों का भंडार।

vi. जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 को या उसके बाद दी गई हैं, उपस्कर पट्टे के अधीन पुनः कब्जे में ली गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित मशीनों का भंडार।

vii. अप्रचलित और उपयोग में न लाई जाने वाली परिसंपत्तियां।

viii. स्टॉक–इन–ट्रेड के रूप में भूमि, भवन और शेड आदि।

ख) लागत का निर्धारण 'पहले आए पहले जाए' (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है।

ग) मालसूचियों का मूल्यांकन, लागत के निम्नतर और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

लागत में, खरीद की लागत और माल की उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगाई गई अन्य लागतें शामिल हैं। तैयार माल, तैयार संघटकों और रा.ल.उ.नि. तकनीकी सेवा केंद्रों में चल रहे कार्य के स्टॉक के मामले में, प्रत्यक्ष लागतों के अलावा, ऊपरी व्यय, पूर्व निर्धारित मानक दरों पर बाह्य कार्य आदेशों के प्रति प्रभारित ऊपरी व्यय घटाकर उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल ऊपरी व्यय के अनुपात में प्रत्यक्ष श्रम लागत में प्रभारित किए जाते हैं।

घ) खरीदे गए माल की लागतें, छूट और बट्टे घटाने के पश्चात निर्धारित की जाती हैं। वसूलीयोग्य निवल मूल्य, सामान्य व्यवसाय के दौरान अनुमानित विक्रय मूल्य में से बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें और पूर्ण करने की अनुमानित लागतें घटाकर निकाला गया मूल्य है।

**IX. राजस्व मान्यता**

राजस्व, प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/राजस्व (प्रशिक्षण क्रियाकलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व सहित) की सभी मदें और व्यय, प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं, जहां नीचे यथा उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चितता होः

**क) किराया खरीद, विपणन, कच्चा माल वितरण/सहायता, बिल वित्तपोषण और संयुक्त सावधि ऋण के अंतर्गत वित्तीय क्रियाकलापों से आय**

i. ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज आय को, संविदात्मक अवधियों के संदर्भ में प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii. मास्टर निर्देश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सर्वांगी रूप से महत्त्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, जिस तारीख से ऋण और अग्रिम एनपीए बन जाते हैं, उस तारीख से कोई ब्याज उपार्जित नहीं होगा।

iii. एनपीए लेखों के मामले में अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं किए गए ब्याज को, रिपोर्टिंग की तारीख को अतिरिक्त सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस) के रूप में प्रत्यावर्जित किया जाता है और तदनुसार उसे कुल बकाया देयताओं में से घटाया जाता है। परंतु ऐसा उन मामलों में नहीं किया जाता है, जहां नई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को रिपोर्टिंग की तारीख तक प्राप्त नहीं किया जाता है। (नीचे IX(क) (ix) देखें)

iv. निगम के भिन्न–भिन्न क्रियाकलापों/स्कीमों के अंतर्गत दांडिक ब्याज, अतिरिक्त/सामान्य ब्याज जहां कहीं इसे वसूली के लिए संदिग्ध समझा जाए, को इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

v. प्रोसेसिंग शुल्क/सेवा प्रभार को समय पर समानुपातिक आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

vi. जहां इकाई के खाते अवरुद्ध कर दिए गए हों, इकाई के खाते में आगे कोई ब्याज डेबिट नहीं किया जा रहा है।

vii. पुनः कब्जे में लेने/जब्त करने/अभ्यर्पण की तारीख को यथास्थिति किराया खरीद और उपकरण पट्टाकरण के मामले में पुनः कब्जे में ली गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित मशीनों की बिक्री से प्राप्त, उनके मूल्य से अधिक धनराशि, चूक वाले किराएदार/पट्टेदार खाते के प्रति

समायोजित की जाती है। किराएदार/पट्टेदार से देय धनराशि से अधिक किसी धनराशि को, बिक्री से प्राप्त धनराशि के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

viii. आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क, जहां कहीं लागू हों, को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

ix. बैंक गारंटी (बीजी) मांगे जाने पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के पास अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से बंद कर दिया जाता है और अर्जित, लेकिन प्राप्त नहीं किया गया ब्याज, जिसमें कुल देयताएं, यदि कोई हों, भी शामिल हैं, को 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उच्चंत (पीआईएस)' के रूप में ब्याज आय से प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि, रा.ल.उ.नि. के नामित बैंक लेखे में मांगी गई बैंक गारंटी से प्राप्त आय नहीं प्राप्त होती है, तो इस रकम को **"बैंक से वसूली योग्य"** के रूप में समझा जाएगा। लेकिन यदि बैंक मांगी गई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को जारी करने में विलंब करता है, तो दावा करने की तारीख से रा.ल.उ.नि के नामित बैंक खाते, यदि कोई हो, में बिक्री से प्राप्त आय प्राप्त होने तक की विलंबित अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा, जिसे उसकी प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाएगा।

**ख) एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क**

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को, नए पंजीकरण/नवीकरण/उसमें संशोधन के लिए प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख को ही आय के रूप में माना जाता है।

**ग) बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट)–(बी2बी स्कीम) का सदस्यता शुल्क**

बी2बी स्कीम के अधीन बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) के सदस्यता शुल्क को यूनिट की सदस्यता सक्रिय होने (एक्टिवेशन) पर ही आय के रूप में समझा जाएगा।

**घ) प्रशिक्षण संबंधी क्रिया–कलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व**

प्रशिक्षण संबंधी क्रिया–कलापों से प्राप्त राजस्व को उपार्जन (समय अनुपात) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जब तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होता है।

सामान्य सुविधाओं (जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ परीक्षण शुल्क, जॉब कार्य प्रभार आदि शामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब कार्य पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

**ड़) समग्र (टर्नकी) परियोजनाओं/सेवा संविदाओं से प्राप्त आय**

(i) परामर्शी सेवाओं, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण प्रभारों से प्राप्त राजस्व को संविदा की शर्तों के अनुसार रिपोर्टिंग की तारीख को परियोजना संबंधी लेन–देन और परियोजना की सुपुर्दगी के पूरा होने की अवस्था में आनुपातिक रूप में समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ii) 0परियोजना पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय, परियोजना के अंतर्गत लेखे में लिया जाता है और अप्रत्यक्ष व्यय संबंधित शीर्ष के स्वाभाविक लेखा शीर्ष के अंतर्गत लेखे में लिया जाता है।

**च) पट्टाकरण से आय**

पट्टों, को प्रचालन पट्टे और वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ऐसे पट्टे, जिनमें रा.ल.उ.नि., परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल/लाभ पर्याप्त रूप से पट्टेदार को अंतरित नहीं करता, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रचालन पट्टे के अलावा अन्य पट्टे, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

निगम, अपने उपस्कर पट्टाकरण व्यवसाय के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहा था, जिसे 2013 से बंद कर दिया गया है। ऐसी पट्टाधारित परिसंपत्तियों के संबंध में आय की मान्यता और पट्टाधारित परिसंपत्यिों में से जब्त की गई परिसंत्तियां निम्नलिखित हैं:–

I. **दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देनों पर**

i. दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए लेन–देनों के संबंध में पट्टा किरायों को पट्टा समकरण प्रभारों से घटाकर, प्रोद्भूत, आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. पट्टाधारित परिसंपत्तियों में बकाया निवल निवेश से संबंधित पूंजी की लागत को पूंजी की वसूली निकालने के लिए पट्टा किराए से घटा दिया जाता है। पूंजी की वसूली और सांविधिक मूल्यह्रास के अंतर को, पट्टा समकरण प्रभार लेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे पट्टा समकरण लेखे के प्रति प्रभाव को, तुलन–पत्र में पट्टा सीमांत समायोजन लेखा प्रचालित करके प्रदर्शित किया जाता है। पूंजी की वसूली में कमी, यदि कोई हो, को परिसंपत्ति के निपटान के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

II. **दिनांक 01 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देन**

वित्त आय और पट्टा किराया में शामिल की गई निवल निवेश की वसूली का हिसाब, पट्टे में दी गई ब्याज दर पर लगाया जाता है। वित्त आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उसे लाभ व हानि विवरण में क्रेडिट किया जाता है। पट्टाधारित किराया और वित्त आय के अंतर को निवल निवेश के प्रति वसूली माना जाता है।

III. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 30 मार्च 2019 को भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 116, पट्टे अधिसूचित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक 116 की प्रभावी तारीख, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद आरंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए है। भारतीय लेखाकरण मानक 17–पट्टा, उपर्युक्त लेखाकरण मानक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

तद्नुसार, रा.ल.उ.नि. ने भारतीय लेखाकरण मानक 116–पट्टा को 1 अप्रैल 2019 से स्वीकार कर लिया है और उसे 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर लागू कर दिया है, जिसके लिए पिछली तारीख से संशोधित संक्रमण विधि का प्रयोग किया गया है। तद्नुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के अंत में यथास्थिति तुलनात्मक मानकों को पुनः उल्लिखित नहीं किया गया है।

इस अधिसूचना के आरंभतः लागू होने की तारीख को रा.ल.उ.नि. ने प्रारम्भिक रूप से लागू होने की तारीख को बढ़ोत्तरी वाली उधार दरों पर बट्टा देते हुए शेष पट्टा अदायगियों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता दर्ज की है और तद्नुरूपी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को पट्टा देयता के बराबर धनराशि पर मान्यता दी गई है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के अंत में यथास्थिति तुलनात्मक पट्टो समायोजित नहीं किए गए है और इसलिए यह भारतीय लेखाकरण मानक 17 के अनुसार सूचित किए जाते रहेंगे।

समूह ने प्रयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा संबंधी देयताओं को स्वीकार न करने के संबंध में छूट के लिए आवेदन–पत्र दिया है। यह छूट आरंभिक आवेदन पत्र की तारीख पर पट्टे की अवधि 12 माह से कम होने वाले पट्टे पर लागू होगी।

भारतीय लेखाकरण मानक 116 पट्टा के महत्वपूर्ण प्रावधानों को नीचे संक्षेप में स्पष्ट किया गया है–

(i) **पट्टाकर्ता के रूप में**

इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निगम के स्वामित्व और समूह द्वारा पट्टे पर दिए जाने वाले

स्थान, गोदाम, आदि भी शामिल होंगे, जिनके संबंध में किराया आय प्राप्त होती है। पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल की जाती हैं और इनके उपयोगी रहने तक इन पर मूल्यह्रास दिया जाता है। 'प्रचालन संबंधी पट्टे से संबंधित पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर समेकित लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। रा.ल.उ.नि. द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है।

**(ii) पट्टेदार के रूप में**

इसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्थान, गोदाम, कर्मचारियों के लिए आवास आदि शामिल है, जिसे समूह द्वारा पट्टे पर लिया गया है और जिसके संबंध में पट्टा किराये का भुगतान किया जाता है। इन पट्टों की व्यवस्था का सामान्यतः आपस में तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर नवीकरण किया जाता है।

नये मानक इण्डएएस–116 के अधीन पट्टेदार द्वारा लेखाकंन निम्नलिखित हैः–

समूह परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करता है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह माह या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह माह या बारह माह से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है। बारह माह से अधिक की अवधि के समूह द्वारा निष्पादित पट्टा करार को भी अल्पकालिक पट्टे के रूप में समझा जाएगा, लेकिन इसमें एक निश्चित अवधि का नोटिस देकर उसे समाप्त करने संबंधी एक खंड दिया जाएगा।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियां शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में निगम पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में ''स्ट्रेट लाइन'' आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक रकम शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है, जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तारीख से या उससे पहले अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें

संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां शामिल होती हैं। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, इण्डएएस–16–संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अनुसार किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान, पट्टे में निहित ब्याज दर का इस्तेमाल करके या यदि तत्काल निर्धारण योग्य नहीं है तो वृद्धित उधार दर का इस्तेमाल करके बंद कर दिए जाते हैं।

वित्तीय पट्टे को समूह द्वारा पट्टेदार के रूप में नहीं लिया जाता है।

तुलनात्मक अवधि में पट्टेदार के रूप में पट्टों का हिसाब, प्रति इण्डएएस–17 के अनुसार निम्नलिखित रूप में लगाया गया था:–

**वित्तीय पट्टों का लेखाकंन** :– तुलनात्मक अवधि में निगम द्वारा कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया गया है।

**प्रचालन पट्टों का लेखांकन** : प्रचालन पट्टे के अधीन किया गया भुगतान (निवल वसूलियां) को तब तक पट्टा अवधि के दौरान सीधी लाइन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार किया गया था, जब तक किराए में अनुसूचित वृद्धि से संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए पट्टाकर्ता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

छ) **दी गई डिक्री का निरूपण**

जहां रा.ल.उ.नि. के पक्ष में डिक्री दी गई है, देय राशियों की वसूली के समय इकाई के लेखे में आवश्यक समायोजन किए जाता है।

ज) **लाभांश आय**

निवेश पर लाभांश को, उस आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाते हैं।

झ) **स्क्रैप बिक्री**

स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखे में लिया जाता है।

**X. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता का लाभ :**

सरकार की ब्याज सहायता स्कीम के अधीन ब्याज सहायता संबंधी लाभ (प्रतिपूर्ति के आधार पर) को निगम द्वारा एसआईडीबीआई से दावाकृत रकम प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाएगा।

**XI. विदेशी मुद्रा लेन–देन और रूपांतरण**

क) विदेशी मुद्राओं में लेन–देन आरंभतः लेन–देन की मान्यता के लिए पहले अर्हता प्राप्त करने की तारीख को कार्यात्मक मुद्रा स्थल दरों पर दर्ज किए जाते हैं।

ख) विदेशी मुद्राओं में रखी गई मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं, रिपोर्टिंग तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा तत्समय दरों पर रूपांतरित की जाती हैं। मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष, जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

ग) गैर–मौद्रिक मदें, लेन–देन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके रूपांतरित की गई विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापी जाती हैं।

**XII. सरकारी अनुदान**

क) विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित अनुदानों को प्रोद्भूत आधार

पर मान्यता दी जाती है, जहां यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। अनुमोदित संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के मामले में, वर्ष के लिए खर्च किए गए/प्रतिबद्ध खर्च, परंतु अगले वर्ष में प्राप्त अनुदान, को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्राप्त अनुदानों को, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में माना जाता है और इन्हें भारत सरकार को भुगतानयोग्य राशियों के रूप में जाता है। इसके पश्चात, अनुदान को, किए गए खर्च की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) पूंजीगत अनुदान के मामले में, किए गए खर्च को, आरक्षित पूंजी निधि, जो 'आस्थगित आय' के स्वरूप की है, सृजित करके मान्य अनुदान आय में से कम कर दिया जाता है। आरक्षित पूंजी को, उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में सुसंगत परिसंपत्तियों के हर वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ) राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को, उस अवधि में, जिसमें निगम, लगाई गई संबंधित लागतों को मान्यता देता है, जिससे यह संबंधित है/जिसे कवर करने के लिए यह आशयित है, एक व्यवस्थित आधार पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ड़) एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच), 'एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत निरीक्षण प्रभार (एनएसएसएच)', 'बी2बी स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच)', 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)' और 'कार्यालय परिसरों के किराए (एनएसएसएचओ)' (लागू, जहां संपत्ति का स्वामित्व एनएसआईसी के पास है और जहां किराए का भुगतान, बाहरी व्यक्ति को किया जाता है, उसे एनएसएसएचओ के व्यय के रूप में लेखे में लिया जाता है) के प्रति शुल्कों की धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान, **"एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि"** समूह शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाएंगे और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे। इस प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान भी **"एटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क"** समूह शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाएंगे और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे।

क्योंकि रा.ल.उ.नि. वाणिज्यिक आधार पर उपर्युक्त सभी सेवाएं पहले ही दे रहा है, इसलिए अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति की इकाईयों के मामले में रा.ल.उ.नि. का वाणिज्यिक शुल्क का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एमएसई की इकाईयों के बजाए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त सभी प्रतिपूर्तियों को ''सेवा की बिक्री'' के अधीन अलग–अलग शीर्षों में वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी समझा जाता है।

च) अनुमोदित दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार खर्च की गई रकम पर किसी भी सरकारी प्रोत्साहन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए रा.ल.उ.नि. को दिया जाने वाला प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, (जिसमें मानीटरिंग और रख–रखाव संबंधी सहायता, निगम का **वाणिज्यिक राजस्व** आदि पर किए गए व्यय की रकम शामिल नहीं होगी) को, **''सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडीज)''** के समूह शीर्ष के अधीन प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और तदनुसार स्वीकृत अनुदान राजस्व से घटाया जाता है। चूंकि यह रा.ल.उ.नि. का वाणिज्यिक राजस्व है, अतः उसे भी ''सेवा की विक्री'' शीर्ष के अधीन **''सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और आर्थिक सहायता)''** समूह शीर्ष में वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया जाता है।

छ) यह निगम प्रोत्साहन स्कीम भी चालू कर रही है, यथा खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी), आदि। ये स्कीम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार **प्रतिपूर्ति आधारित स्कीम** हैं, जिनमें निगम द्वारा डीसी'–एमएसएमई/ मंत्रालय के कार्यालय से निधियों की प्राप्ति होती है और जिनके संबंध में दावाकृत व्यय

की प्रतिपूर्ति की जाती है और उस वर्ष में उसे तदनुरूप अनुदान के रूप में समझा जाता है, जिस वर्ष में यह निधि प्राप्त होती है।

ज) एटीआई और एनएसएसएच स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन प्रशिक्षण के कारण किए गए वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय को संबंधित शीर्ष के सामान्य लेखा शीर्ष के अधीन वाणिज्यिक व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

झ) सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को भुगतानयोग्य राशियों के रूप में दर्शाया जाता है।

ञ) यदि विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत निवल परिणाम "घाटा" हो तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्तियोग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है और यदि "अधिशेष" है तो इसे वित्तीय देयताएं शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में अधिशेष के लिए भारत सरकार को भुगतानयोग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

### XIII. खर्चों का आबंटन

वाणिज्यिक और संवर्धनात्मक क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष रूप से किए गए खर्चों को, संबंधित क्रियाकलापों में प्रभारित किया गया है। अप्रत्यक्ष खर्चों के मामले में, इन्हें वर्ष के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक क्रियाकलापों के अंतर्गत सृजित व्यवसाय (प्रचालन से राजस्व) के आधार पर आबंटित किया गया है।

### XIV. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में, वेतन और मजदूरियां, भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

**क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ**

अल्पावधि कर्मचारी लाभों में, वेतनों, भत्तों, वार्षिक छुट्टी और रुग्णता छुट्टी जैसी कर्मचारी लागतें शामिल हैं, जो उस वर्ष के दौरान उपार्जित की जाती हैं, जिसमें रा.ल.उ.नि. के कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पावधि कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताएं, संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित लाभों की अबट्टाकृत धनराशियों पर मापी जाती हैं।

**ख) नियोजनोपरांत लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ**

(i) परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान, एक ऐसा नियोजनोपरांत लाभ है, जहां निगम, भिन्न–भिन्न संगठनों में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और आगे धनराशियों का भुगतान करने के लिए उसका कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। रा.ल.उ.नि. द्वारा भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में भुगतान किए गए अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/भुगतानयोग्य इन अंशदानों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं, के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भविष्य निधि में अंशदान का भुगतान, किसी अलग न्यास के जरिए संचालित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान का भुगतान, न्यास के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम में किया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा कॉरपस सृजित किया जाता है, जिसका उपयोग, बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाता है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक अन्य नियोजनोत्तर लाभ योजना है। रा.ल.उ.नि. द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों नामतः रुग्णता छुट्टी, सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते, के प्रति रा.ल.उ.नि. की देयता को परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत माना जाता है।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत

दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करके वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनःमापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं, को प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे होती हैं। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दिए गए पुनःमापन को तुरंत अवधारित अर्जनों में दर्शाया जाता है और उसे समेकित लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।

## XV. पूर्वावधि व्यय और आय

पूर्वावधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में प्रचालनों से प्राप्त आय के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

## XVI. पूर्व–प्रदत्त मदें

उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) से संबंधित खर्चों को, पूर्व–प्रदत्त के रूप में केवल तभी माना जाता है, जहां यह भुगतान, प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक हो।

## XVII. कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

### क) चालू कर

चालू कर, लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम, 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित, वर्ष के लिए करयोग्य आय पर भुगतानयोग्य कर है।

### ख) आस्थगित कर

i. आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

ii. आस्थगित करदेयताओं को आमतौर पर, सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

ग) अतिरिक्त आय कर, जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होता है, को उस समय मान्यता दी जाती है, जब संबंधित लाभांश भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

## XVIII. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में, हस्तगत नकदी, बैंकों में मांग जमा राशियां आदि शामिल होती हैं। समूह, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों (अर्जन की तारीख से तीन महीने या इससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले), अत्याधिक अस्थिर निवेशों, जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानता है।

## XIX. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

## XX. लाभांश

निगम के शेयरधारकों को भुगतानयोग्य लाभांश को, उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल की बैठक में क्रमशः अनुमोदित/संस्तुत किए जाते हैं।

## XXI. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह, भारतीय लेखांकन मानक–7 'नकदी प्रवाह विवरण' में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

## XXII. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

### क) प्रावधान

(i) समबद्ध प्रावधानों को, उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप निगम का कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो, बशर्ते कि यह संभाव्य हो कि समूह के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ii) प्रावधान के रूप में मानी गई धनराशि, दायित्व के जोखिमों और उसके इर्द–गिर्द की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब किसी प्रावधान का निपटान करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों के, किसी तृतीय पक्षकार से वसूल किए जाने की आशा हो तो प्राप्तियोग्य धनराशि को, परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि यह वास्तविक रूप से निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्तियोग्य धनराशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(iv) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों, यदि अपेक्षित हों, को लागू किया जाता है, जहां कहीं कि प्रबंधकवर्ग द्वारा इसे उचित समझा जाए।

(v) उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन ''प्राप्य रकमों'' के संबंध में प्राप्य रकमों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, जब तक वे ''देय'' के अधीन वह रकम दर्शायी जाती है और जिस सीमा तक आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के अधीन उस लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम के अनुसार सेवा प्रभार समायोजित किए जाते हैं।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर ईसीएलएस को भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों व आईआरएसी प्रूडेंशियल मानदंड के संदर्भ में प्राप्य व ऋण एंव अग्रिमों (ब्याज उचंत खाते के निवल) के लिए वर्गीकरण और मानदण्ड की व्याख्या यहां संलग्न किया गया है।

### ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं, पिछले कार्यक्रमों से उत्पन्न एक संभावित दायित्व है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि, समूह नियंत्रण के पूरी तरह अंदर न होने वाले एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटना के घटित होने या घटित न होने द्वारा की जाएगी। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक या धनराशि का अनुमान, विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता तो दायित्व का प्रकटीकरण, आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता बहुत ही कम न हो।

समूह, आकस्मिक देयताओं के अस्तित्व का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में करता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर

करता है और यह निर्धारित करने के लिए क्या आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभाव्य हो गया है, प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को निरंतर इनकी समीक्षा/मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभाव्य हो जाता है तो तुलनात्मक प्रावधान को, प्रबंधन के चालू अनुमान प्रदर्शित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

**ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां**

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती बल्कि इनका प्रकटीकरण उन टिप्पणियों में किया जाता है, जो आमतौर पर योजना न बनाई गई या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता को जन्म देता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निरंतर रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों को अंतर्वाह वास्तव में निश्चित हो गया है। इसके पश्चात ऐसी परिसंपत्तियों और तुलनात्मक आय को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

**XXIII. वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेख, एक ऐसा संविदा है, जिससे एक कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति उत्पन्न होती है और दूसरी कंपनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

**आरंभिक मान्यता और मापन**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्तव्यों के मामलों में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्षतः वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षतः लेन–देन लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

**क. वित्तीय परिसंपत्तियां**

**I. उत्तरवर्ती मापन**

वित्तीय परिसंपत्तियों में, निवेश, ऋण, व्यापार प्राप्तव्य, प्रतिभूति जमा राशियां, नकदी और नकदी समतुल्य आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियां, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

i. <u>परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियांः</u> कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई होंः

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर

(ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती है। यह ईआईआर पद्धति किसी वित्तीय परिसंपत्ति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में ब्याज आय आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर, वह दर है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहां उपयुक्त हो, आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत कम अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागतें और अन्य प्रीमियमों और छूटों का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती हैं।

समूह की नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्तव्य और अन्य ऋण तथा अग्रिम वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

ii. <u>अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) :</u> कोई वित्तीय परिसंपत्ति, अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर प्राप्त किया गया हो।
- वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशिष्ट तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया (एसपीपीआई) धनराशि पर ब्याज के भुगतान हैं।
- उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और आरक्षित में संचित किया जाता है।

इक्विटी विलेख, एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें लाभांशों को छोड़कर विलेख पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि में धनराशियों की रिसाइक्लिंग नहीं की जाती। तथापि, कंपनी, संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के अंदर अंतरित कर सकती है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में, वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापार दिवस के भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

iii. <u>लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)</u>

कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एफवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक यह लाभ एवं हानि विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

**II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण**

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

❖ वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। जैसें ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष।

- ❖ इक्विटी निवेश, अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के जरिए उचित मूल्य पर मापे जाते हैं।
- ❖ ऋण प्रतिबद्धताएं, लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर नहीं मापी जाती।
- ❖ इण्डएएस–116 के अधीन प्राप्य पट्टा
- ❖ व्यापार और अन्य प्राप्य

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर ईसीएलस को भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैंः

क) कच्चा माल सहायता, बिल बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण और बैंकों से प्राप्त ऋणों के अधीन ग्राहकों को दिया जाने वाला ऋण और अग्रिम।

ख) किराया खरीद, पट्टा, विपणन और अन्य (जिसमें बिक्री सेवा वाले लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है) के अधीन होने वाली देयताओं के संबंध में व्यापार से प्राप्त रकम।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13–03–2020 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार किराया खरीद, पट्टा, कच्चा माल सहायता, बिल पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण बैंकों आदि से प्राप्त होने वाली रकम संबंधी स्कीमों के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली रकम सहित वित्तीय स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम, जिनमें इण्डएएस–109 के अधीन हानि भत्ता आईआरएसीपी के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम हो (जिसमें मानक परिसंपत्तियों का प्रावधान भी शामिल है, रा.ल.उ.नि. ''हानि आरक्षित निधि'' को पृथक करने के लिए कर के बाद अपने निबल लाभ या हानि से इस अंतर को पृथक करता है। इस प्रकार का अंतरण, करों के बाद लाभ या हानि के प्रति विनियोजित करने के बजाय लाभ के प्रति प्रभारित किया जाएगा।

### III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को समेकित लाभ एवं हानि के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लाभ या हानि उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

### ख. वित्तीय देयता

समूह की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतानयोग्य राशियां, बैंक ओवर ड्राफ्टों सहित ऋण और उधार, बयाना राशि जमा और अवधारित धनराशि शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उधारों तथा भुगतान योग्य धनराशियों के मामले में प्रत्यक्षतः निवल लेन–देन लागत पर।

#### I. उत्तरवर्ती मापन :

i. **परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएं–** आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। समेकित लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए

मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती हैं। ईआईआर परिशोधन को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों, भुगतानयोग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ii. **लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं** में, ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और समेकित लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के रखाव मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

**II. वित्तीय देयताओं का विमान्यकरण**

किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

*********

## लेखांकन नीति-XXII (क)(vii) का अनुबंध

# प्राप्तव्य राशियों और ऋणों व अग्रिमों का वर्गीकरण और प्रावधान करने के मापदंड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में प्राप्तियों और ऋणों व अग्रिमों (उचंत खाते के ब्याज को घटाकर) के वर्गीकरण और मानदंड निम्नानुसार है।

**1. प्रतिभूत प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम**

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को ''प्रतिभूत'' के रूप में माना जाता है (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत माना जाता है, जहां तक रा.ल.उ.नि. के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/निगम के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मशीनें, प्रतिफल की धनराशि, अग्रिम की किस्त/किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मशीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/ संविदा/ अधिकार/ रा.ल.उ.नि. के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया अग्रिम (जिसकी व्यवस्था रा.ल.उ.नि. के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और / या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, रा.ल.उ.नि. द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्वारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान रा.ल.उ.नि. के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली रकम **(अप्रतिभूत)** मानी जाती है।

**2. वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण :**

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगी।

(i) **व्यापार से प्राप्त होने वाली रकम :** वित्तीय स्कीमों के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली रकम में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य रकम शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय स्कीमों में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली रकम शामिल है।

(ii) **ऋण एवं अग्रिम :** वित्त–व्यवस्था संबंधी स्कीमों के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, बिल–बट्टाकरण मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त रकम आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली रकम शामिल है।

(iii) **अन्यः** गैर–वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें रा.ल.उ.नि. के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

**3. प्राप्त होने वाली रकमों और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधान संबंधी मापदंड :**

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109 के अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

**क)** व्यापार से प्राप्त रकम, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए **इण्डएएस–109 के अनुसार प्रावधानों से संबंधित मापदंड:** नीचे दर्शाए गए हैं :–

(i) **कच्चा माल सहायता, बिल बट्टा, बैंकों से प्राप्त होने वाली रकम और व्यापार एवं अन्य से प्राप्त होने वाली रकम के अधीन ऋण और अग्रिम :**

| चरण | बकाया प्राप्त रकमों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण |
|---|---|
| चरण–1 (निष्पादन) | इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–<br>क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निबल वकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से<br>ख) जहां निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं<br>❖ जहां प्राप्त होने वाली रकम को नकद/ मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/ अग्रिम किस्त/ किराया /यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपार्श्विक प्रतिभूति आदि।<br>❖ प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो<br>❖ उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक।<br>ऐसे मामलों में, क्योंकि यहां ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है। |
| चरण–2 (निष्पादन के अधीन) | चरण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है।<br>इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैं :–<br>क) **संपार्श्विक के प्रति आरएमए और बिल डिस्काउटिंग:** लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निबल बकाया का 100 प्रतिशत की दर से हानिकरणछूट।<br>ख) **बैंक गारंटी के प्रति आरएमए :** इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा ऐसे मामले, जिनमें भुगतान के संबंध में बैंक/ प्राधिकारी द्वारा मनाही या इनकार नहीं किया गया हो, परंतु एनसीएलटी /न्यायालय, अन्य प्राधिकारियों आदि द्वारा भुगतान आस्थगित किया गया हो / भुगतान पर रोक लगाई गई हो– निबल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट।<br>तथापि जहां तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई रकम प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है। |

(ii) **किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, आदि के अधीन प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम**

| चरण | बकाया प्राप्तव्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण |
|---|---|
| चरण–3 (गैर निष्पादन) | चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं :– |

| चरण | बकाया प्राप्तव्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण |
|---|---|
| | क) ऐसी स्कीम, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है।<br>ख) स्कीमें यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)<br>ग) ऐसी स्कीम, जिनमें कोई कपट नहीं है।<br>घ) ऐसी स्कीम, जहां दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय निगम के खिलाफ है।<br>ङ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी रकम / अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है।<br>च) निगम छोड़ चुके/ निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली रकम और जहां बकाया के निपटान के लिए रकम उपलब्ध न हो।<br>छ) प्रायोजित प्रशिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों।<br>ज) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य रकम और ऋण एवं अग्रिम<br>ऐसे मामलों में निवल बकाया के 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट। |

ख) **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मापदंडों के आधार पर मापदंडों प्रावधान –** यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त रकमों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :–

**i) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण और संमिश्र मियादी ऋण के अधीन प्राप्य रकमें :–**

| क्रम संख्या | स्कीम | निबल बकाये का प्रावधान प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | किराया खरीद | 100% |
| 2. | पट्टा | |
| 3. | संमिश्र मियादी ऋण | |
| 4. | मियादी ऋण | |

**ii) कच्चा माल सहायता और बिल बट्टा के अधीन प्राप्य रकम**

| क्रम संख्या | बकाया प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण | निबल बकाये का प्रावधान प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | मानक परिसंपत्तियां–270 दिनों तक | 0.40% |
| 2 | घटिया परिसंपत्तियां (जिनका एनपीए एक वर्ष से कम हो) | 10% |
| 3 | संदिग्ध परिसंपत्तियां | |
| | संदिग्ध परिसंपत्तियों का प्रतिभूत अंश | |
| | एक वर्ष से संदिग्ध (अर्थात दो वर्ष से एनपीए) | 20% |
| | एक वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध (अर्थात 2 से 4 वर्ष से एनपीए) | 30% |
| | तीन वर्ष से अधिक अवधि से संदिग्ध (अर्थात 4 वर्ष से अधिक अवधि से एनपीए) | 50% |
| | प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत नहीं की गई जिनके संबंध में निगम के पास विधिमान्य उपाय हों | 100% |
| 4 | हानि वाली परिसंपत्तियां, यदि बट्टे ,खाते में न डाली गई हों | 100% |

iii) **बैंकों से प्राप्तव्य रकम :–**

इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा ऐसे मामले, जिनमें भुगतान के संबंध में बैंक/प्राधिकारी द्वारा मनाही या इनकार नहीं किया गया हो, परंतु एनसीएलटी /न्यायालय, अन्य प्राधिकारियों आदि द्वारा भुगतान आस्थगित किया गया हो/भुगतान पर रोक लगाई गई हो– निबल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से हानि भत्ता।

तथापि जहां तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई रकम प्राप्त होती है,किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग) **अन्य प्राप्तव्यों और ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान संबंधी मापदंड :**

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य रकमों और ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, यदि अपेक्षित हों, किए जाते हैं, जहां प्रबंधक वर्ग द्वारा ऐसा करना उचित समझा जाता है।

(ii) ऐसी प्राप्य रकम, ऋण एवं अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है।

| क्र. सं. | बकाया प्राप्तव्य राशियों और ऋणों एवं अग्रिमों का वर्गीकरण | निवल : बकाया का प्रावधान % |
|---|---|---|
| 1 | निम्नलिखित सभी प्राप्तव्य राशियां और ऋण एवं अग्रिम **'सुरक्षित'** माने जाते हैं (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो):<br>(क) सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों से देय प्राप्तव्य राशियां और ऋण एवं अग्रिम<br>(ख) सभी प्राप्तव्य राशियां, ऋण और अग्रिम, जिनके प्रति निगम के पास मूर्त वसूलीयोग्य प्रतिभूति है<br>(ग) एमएसएमईज से पहले ही प्राप्त कर लिए गए अग्रिम की सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं (जिनका निगम के साथ समझौता ज्ञापन है) को दिए गए अग्रिम और/या बैंक गारंटी के प्रति आरएमए के अंतर्गत मंजूर की गई सीमा में से भुगतान की गई धनराशि<br>(घ) निगम द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशियां और तदनुरूपरी आपूर्तियों के क्रेता भी निगम को प्रतिभूति उपलब्ध कराते हैं (संविदात्मक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिभूति जमा राशियों सहित)<br>(ड़) संविदात्मक वैध करार/संविदा के अंतर्गत निगम द्वारा भुगतान की गई सभी प्राप्तव्य राशियां और ऋण एवं अग्रिम/प्रतिभूति जमा<br>(च) निगम में कार्यरत कर्मचारियों से | शून्य |
| 2 | **"हानिकृत"** के रूप में माने गए प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:<br>(क) बाह्य पक्षकारों के पास धनराशि/अग्रिम और वसूली के लिए संदिग्ध<br>(ख) निगम की सेवा छोड़ देने वाले/त्यागपत्र दे देने वाले कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य धनराशि और जब बकाया राशि को प्रतितुलित करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध हो | 100% |

,,,,,,,,,

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को यथास्थिति समेकित तुलन–पत्र

(लाख रुपए में)

| | | विवरण | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| 1 | | **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| | क | नकदी एवं नकदी समतुल्य | 3 | 12347.19 | | 0.00 | |
| | ख | नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष | 4 | 3322.72 | | 0.00 | |
| | ग | व्यापार प्राप्य | 5 | 18719.09 | | 0.00 | |
| | घ | ऋण एवं अग्रिम | 6 | 230674.52 | | 0.00 | |
| | ड़ | निवेश | 7 | 174.36 | | 0.00 | |
| | च | बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां | 12 | 0.07 | | 0.00 | |
| | छ | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 8 | 1289.14 | 266527.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| | क | माल–सूचियां | 9 | 40.59 | | 0.00 | |
| | ख | वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) | 10 | 45.85 | | 0.00 | |
| | ग | आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) | 11 | 4071.07 | | 0.00 | |
| | घ | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर | 12 | 28635.44 | | 0.00 | |
| | ड़ | चल रहा पूंजीगत कार्य | 12 | 423.44 | | 0.00 | |
| | च | विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | 12 | 40.32 | | 0.00 | |
| | छ | अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां | 12 | 118.80 | | 0.00 | |
| | ज | अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां | 12 | 55.83 | | 0.00 | |
| | झ | अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां | 13 | 1246.50 | 34677.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | **कुल परिसंपत्तियां** | | | **301204.93** | | **0.00** |
| | | **देयताएं और इक्विटी** | | | | | |
| 1 | | **वित्तीय देयताएं** | | | | | |
| | **(क)** | **देयताएं** | | | | | |
| | (i) | **व्यापार देयताएं** | | | | | |
| | | एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 19252.10 | | 0.00 | |
| | | गैर एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 156.54 | | 0.00 | |
| | (ii) | **अन्य देय धनराशियां** | | | | | |
| | | एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | गैर एमएसईज की बकाया देय धनराशियां | 14 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (ख) | उधार | 15 | 143219.83 | | 0.00 | |
| | (ग) | बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों से जुड़ी देयताएं | 16 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (घ) | अन्य वित्तीय देयताएं | 16 | 14249.10 | 176877.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | **गैर–वित्तीय देयताएं** | | | | | |
| | (क) | वर्तमान कर देयताएं (निवल) | 10 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (ख) | प्रावधान | 17 | 10242.17 | | 0.00 | |
| | (ग) | आस्थगित कर देयताएं (निवल) | 11 | 0.00 | | 0.00 | |
| | (घ) | अन्य गैर–वित्तीय देयताएं | 18 | 4681.85 | 14924.02 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | **इक्विटी** | | | | | |
| | (क) | इक्विटी शेयर पूंजी | 19 | 53298.80 | | 0.00 | |
| | (ख) | अन्य इक्विटी | 20 | 56104.54 | 109403.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | **कुल देयताएं और इक्विटी** | | | **301204.93** | | **0.00** |
| | | **खातों के अन्य नोट** | 34 | | | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां(टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है।

समेकित का पहला वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

ह./–
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

ह./–
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| I | **राजस्व** | | | |
| | क. प्रचालनों से राजस्व | 21 | | |
| | उत्पादों की बिक्री | | 168430.76 | 0.00 |
| | सेवाओं की बिक्री | | 8829.20 | 0.00 |
| | ब्याज आय | | 27176.77 | 0.00 |
| | प्रोसेसिंग शुल्क | | 4580.06 | 0.00 |
| | [इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 1287396.77 लाख रू. (1401344.08 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 4580.06 लाख रू. (4863.66 लाख रू.) शामिल है।] | | | |
| | उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय लेखों की मान्यता समाप्त करने पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य प्रचालन आय | | 1123.39 | 0.00 |
| | **प्रचालन से कुल राजस्व** | | **210140.18** | **0.00** |
| | ख. अन्य आय | 22 | 95.47 | 0.00 |
| | ग. अनुदान और सब्सिडियां | 23 | 7915.96 | 0.00 |
| | **कुल राजस्व (क + ख + ग)** | | **218151.61** | **0.00** |
| II | **व्यय** | | | |
| | स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद | 24 | 167355.66 | 0.00 |
| | माल–सूचियों में परिवर्तन | 25 | 54.96 | 0.00 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 26 | 13301.27 | 0.00 |
| | वित्त लागतें | 27 | 7772.34 | 0.00 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 28 | 841.52 | 0.00 |
| | निगमित सामाजिक जिम्मेदारी | 29 | 224.58 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 30 | 14690.65 | 0.00 |
| | **कुल व्यय** | | **204240.98** | **0.00** |
| III | **आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ** | | 13910.63 | 0.00 |
| | आपवादिक मदें | | 4.22 | 0.00 |
| IV | **असाधारण मदें, और कर से पूर्व लाभ** | | **13906.41** | **0.00** |
| | असाधारण मदें | | 0.00 | 0.00 |
| V | **कर पूर्व लाभ** | | **13906.41** | **0.00** |
| VI | **कर व्यय** | 31 | | |
| | वर्तमान कर | | 3402.78 | 0.00 |
| | आस्थगित कर | | 432.91 | 0.00 |
| | पूर्ववर्ती वर्ष | | –27.48 | 0.00 |
| | **कुल कर व्यय** | | **3808.21** | **0.00** |
| VII | **चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ** | | **10098.20** | **0.00** |
| VIII | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| IX | **बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय** | | **0.00** | **0.00** |
| X | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)** | | **0.00** | **0.00** |

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

| विवरण | | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **XI** | **अवधि का लाभ** | | **10098.20** | **0.00** |
| **XII** | **अन्य विस्तृत आय** | | | |
| | क. मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश | | 92.73 | 0.00 |
| | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि | | 134.95 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | –57.31 | 0.00 |
| | **उप–जोड़ (क)** | | **170.37** | **0.00** |
| | ख. मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | **उप–जोड़ (ख)** | | **0.00** | **0.00** |
| | **अन्य विस्तृत आय (क + ख)** | | **170.37** | **0.00** |
| **XIII** | **अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (XI + XII) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य विस्तृत आय** | | **10268.57** | **0.00** |
| **XIV** | **प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)** | **32** | | |
| | मूल (रु.) | | 18.95 | 0.00 |
| | तनुकृत (रु.) | | 18.95 | 0.00 |
| **XV** | **आकस्मिक देयताएं** | **33 (i)** | **1323.36** | **0.00** |
| **XVI** | **पूंजीगत प्रतिबद्धताएं** | **33 (ii)** | **1758.45** | **0.00** |
| | **लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां** | **34** | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवतन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखा विवरण के पश्चात रखा गया है
समेकित का पहला वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

**ह./–**
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

**ह./–**
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

**ह./–**
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

**ह./–**
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न समेकित नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|
| **कर से पूर्व निवल लाभ/हानि** | | **13,906.41** | **0.00** |
| **निम्न के लिए समायोजनः** | | | |
| स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (–)/हानि | | 4.22 | 0.00 |
| अंतरः इकाई समायोजन | | 32.15 | 0.00 |
| मूल्यह्रास एवं मौद्रिकरण व्यय | | 841.52 | 0.00 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण | | 18.17 | 0.00 |
| पट्टा सीमांत समायोजन | | (0.59) | 0.00 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | | 1,693.06 | 0.00 |
| निवेशों की बिक्री पर लाभ (–)/हानि | | 0.00 | 0.00 |
| विनिमय कर उतार–चढ़ाव पर हानि/(–) | | 22.59 | 0.00 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों पर बट्टाकरण | | (14.68) | 0.00 |
| निवेशों से लाभांश | | (2.35) | 0.00 |
| अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान | | 0.00 | 0.00 |
| उधारों पर प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | | 423.23 | 0.00 |
| पुरांकित अधिशेष प्रावधान (अन्य) | | (1,123.39) | 0.00 |
| आय कर वापसियों पर ब्याज | | 0.00 | 0.00 |
| लघु अवधि/सावधि जमा पर ब्याज | | (24.11) | 0.00 |
| **कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकद प्रवाह** | | **15,776.24** | **0.00** |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजनः | | | |
| सामान–सूचियां | | 51.36 | 0.00 |
| व्यापार अग्रिम एवं प्राप्तव्य | | 17,573.19 | 0.00 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | | (5,525.40) | 0.00 |
| **कर एवं असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह** | | **27,875.39** | **0.00** |
| कर | | (1,469.94) | 0.00 |
| **निवल प्रचालन नकद प्रवाह** | **(क)** | **26,405.45** | **0.00** |
| **निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह** | | | |
| निपटान की गई परिसंपत्तियों से नकद आय | | 2.85 | 0.00 |
| निवेशों से बिक्री प्राप्तियां | | 0.00 | 0.00 |
| एनवीसीएफएल में निवेश | | 0.00 | 0.00 |
| सावधि जमा में निवेश | | (583.66) | 0.00 |
| अस्थायी परिसंपत्तियों और डब्ल्यूआईपी में वृद्धिण | | (2,005.26) | 0.00 |
| स्थायी परिसंपत्तियां (अनुदान सेद्ध | | 722.37 | 0.00 |
| निवेशों से लाभांश | | 2.35 | 0.00 |
| लघु/सावधि जमाओं पर ब्याज | | 14.42 | 0.00 |
| **निवल निवेश नकद प्रवाह** | **(ख)** | **(16.93)** | **0.00** |
| **वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | (1,863.84) | 0.00 |
| **Cash Flow from Financing Activities:** | | | |
| Proceeds from Issuance of Share Capital | | | |
| अन्य उधारों में वृद्धि | | 0.00 | 0.00 |
| अन्य उधारों में कमी | | (18,853.68) | 0.00 |
| प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) | | (3,409.33) | 0.00 |
| **निवल वित्तीय नकद प्रवाह** | **(ग)** | **(22,263.01)** | **0.00** |
| **प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह** | **(घ)** | **26,405.45** | **0.00** |
| **निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | **(ड़)** | **(1,863.84)** | **0.00** |
| **निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद प्रवाह** | **(च)** | **(22,263.01)** | **0.00** |
| **नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल परिवर्तन** | **(घ+ड़+च)** | **2,278.60** | **0.00** |
| **जोड़ेंः नकद एवं नकद समतुल्य–प्रचालन शेष** | | **12,807.65** | **0.00** |
| **टिप्पणी–3 एवं 4 के अनुसार शेष नकद एवं नकद समतुल्य और बैंक शेष** | | **15,086.25** | **0.00** |

टिप्पणीः

1 उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।

2 नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक शेष सहित) में नकदी और अन्य बैंक शेष तथा बैंक में जमा राशियां शामिल है।

3 जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहीकृत/व्यवस्थित किए गए हैं।

4 समेकित का पहला वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

**ह./–**
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

**ह./–**
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

**ह./–**
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

**ह./–**
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

**ह./–**
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

### कः इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को यथास्थिति शेष | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 मार्च 2020 को यथास्थिति शेष | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 मार्च 2021 को यथास्थिति शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 53298.80 | 0 | 53298.80 | 0 | 53298.80 |

### खः अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

| विवरण | अन्य इक्विटी | | | | | | | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूंजी प्रारक्षित | पूंजी ऋण प्रतिस्थापन | प्रतिधारण अर्जन | | | | | | |
| | | | अवधारित अर्जन | अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख | अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाएं | हानिकरण प्रारक्षित | भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित | उप जोड़ | |
| **31 मार्च 2019 को यथास्थिति शेष** | **3147.74** | **73.09** | **36585.66** | **233.09** | **–237.05** | **0.00** | **0.00** | **36581.70** | **39802.53** |
| जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां/क्रेडिट | 695.80 | 0.00 | 9919.22 | 0.00 | 0.00 | 4866.65 | 1983.84 | 16769.71 | 17465.51 |
| जोड़े : जोखिम निधि से अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश | 0.00 | 0.00 | 766.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.12 | 766.12 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन | 0.07 | 0.00 | 6850.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6850.50 | 6850.57 |
| घटाएं : वर्ष के लिए मूल्यह्रास | 386.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.83 |
| घटाएं : परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.34 | 0.00 | 0.00 | 373.34 | 373.34 |
| जोड़े :परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 93.97 | 93.97 |
| घटाएं : उचित मूल्य परिवर्तन के माध्यम से इक्विटी निवेशों पर हानि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.05 | 153.05 |
| जोड़े : इक्विटी निवेशों से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 38.53 |
| **31 मार्च 2020 को यथास्थिति शेष** | **3456.64** | **73.09** | **38888.26** | **118.57** | **–516.42** | **4866.65** | **1983.84** | **45340.90** | **48870.63** |
| जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां/क्रेडिट | 722.75 | 0.00 | 10268.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2031.86 | 12300.43 | 13023.18 |
| जोड़े : जोखिम निधि से अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश | 0.00 | 0.00 | 3409.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3409.33 | 3409.33 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन | 0.38 | –2.56 | 2202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2202.23 | 2200.05 |
| घटाएं : वर्ष के लिए मूल्यह्रास | 347.70 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.26 |
| जोड़ें : परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.95 | 0.00 | 0.00 | 134.95 | 134.95 |
| घटाएं :परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 33.97 |
| जोड़े : उचित मूल्य परिवर्तन के माध्यम से इक्विटी निवेशों पर लाभ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.73 | 92.73 |
| घटाएं : इक्विटी निवेशों से संबंधित आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 23.34 |
| **31 मार्च 2021 को यथास्थिति शेष** | **3831.31** | **73.09** | **43545.27** | **187.96** | **–415.44** | **4866.65** | **4015.70** | **52200.14** | **56104.54** |

ह./–
अजय शर्मा
उप महाप्रबधक, वित्त

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव

## टिप्पणी–3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | | | |
| हस्तगत नकदी | | 0.35 | | 0.00 |
| हस्तगत चेक, ड्राफ्ट | | 0.00 | | 0.00 |
| मार्गस्थ प्रेषण | | 4.21 | | 0.00 |
| **बैंकों में शेष** | | | | |
| चालू खाता | 12342.60 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 12342.60 | 0.00 | 0.00 |
| हस्तगत स्टाम्प | | 0.03 | | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **12347.19** | | **0.00** |

टिप्पणी:– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

## टिप्पणी–4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **जमा** | | |
| सुनम्य जमा | 2739.06 | 0.00 |
| मियादी जमा | 583.66 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **3322.72** | **0.00** |

टिप्पणी:–1. समतुल्य रकम के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाने के संबंध में वर्ष 2020–21 के दौरान 48.70 लाख रूपये की रकम के एफडीआर को ग्रहणाधिकार (लियन) के रूप में चिन्हित किया गया है।

2. 83.66 लाख रू. की धनराशि के सावधि जमा, 3 महीने से अधिक के लिए है।

## टिप्पणी–5 : व्यापार प्राप्तव्य (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्तव्य** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 18720.13 | | 0.00 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 1516.86 | | 0.00 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 20236.99 | | 0.00 | |
| घटाएं : जब्त पट्टा उचंत | 50.72 | | 0.00 | |
| घटाएंः दांडिक ब्याज उचंत | 509.70 | | 0.00 | |
| | 19676.57 | | 0.00 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 1.04 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 956.44 | | 0.00 | |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **18719.09** | | **0.00** |
| **व्यापार प्राप्तव्यों का भोगौलिक वर्गीकरण** | | | | |
| भारत में | | 18719.09 | | 0.00 |
| भारत के बाहर | | 0.00 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **18719.09** | | **0.00** |

## टिप्पणी–5क : व्यापार प्राप्तव्यों के ब्योरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्तव्य – किराया खरीद** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 780.30 | | 0.00 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 780.30 | | 0.00 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 246.62 | | 0.00 | |
| | 533.68 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 533.68 | | 0.00 | |
| **उप–जोड़** | | **0.00** | | **0.00** |
| **व्यापार प्राप्तव्य – पट्टाकरण** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 189.89 | | 0.00 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 189.89 | | 0.00 | |
| घटाएं: जब्त पट्टा उचंत | 50.72 | | 0.00 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 50.26 | | 0.00 | |
| | 88.91 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 88.91 | | 0.00 | |
| **उप–जोड़** | | **0.00** | | **0.00** |
| **व्यापार प्राप्तव्य – विपणन** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 18187.32 | | 0.00 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 260.69 | | 0.00 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 18448.01 | | 0.00 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 18448.01 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 260.69 | | 0.00 | |
| **उप–जोड़** | | **18187.32** | | **0.00** |
| **व्यापार प्राप्तव्य – अन्य** | | | | |
| सुरक्षित शोध्य माने गए | 532.81 | | 0.00 | |
| असुरक्षित शोध्य माने गए | 0.00 | | 0.00 | |
| व्यापार प्राप्तव्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है | 285.98 | | 0.00 | |
| ऋण हानिकृत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 818.79 | | 0.00 | |
| घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत | 212.82 | | 0.00 | |
| | 605.97 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 1.04 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 73.16 | | 0.00 | |
| **उप–जोड़** | | **531.77** | | **0.00** |
| **जोड़** | | **18719.09** | | **0.00** |

## टिप्पणी–6 : ऋण एवं अग्रिम (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 6111.08 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 228025.54 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 9913.11 | | 0.00 | |
| | 244049.73 | | 0.00 | |
| घटाएंः अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 1798.00 | | 0.00 | |
| | 242251.73 | | 0.00 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 11577.21 | | 0.00 | |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **230674.52** | | **0.00** |
| | | | | |
| **ऋणों और अग्रिमों का भौगोलिक वर्गीकरण** | | | | |
| भारत में | | 230674.52 | | 0.00 |
| भारत से बाहर | | 0.00 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **230674.52** | | **0.00** |

## टिप्पणी–6क : ऋणों एवं अग्रिमों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 29.73 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 15.63 | | 0.00 | |
| | 45.36 | | 0.00 | |
| घटाएंः अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 45.36 | | 0.00 | |
| घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 0.13 | 45.23 | 0.00 | 0.00 |

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **नकद अथवा वस्तु रूप में या इसके मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 4950.28 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 46.65 | | 0.00 | |
| | 4996.93 | | 0.00 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 4996.93 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 43.98 | 4952.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **अन्य ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 1131.07 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 228025.54 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 9850.83 | | 0.00 | |
| | 239007.44 | | 0.00 | |
| घटाएं – अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 1798.00 | | 0.00 | |
| | 237209.44 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 11533.10 | 225676.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम** | | | | |
| परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | | **230674.52** | | **0.00** |

## टिप्पणी–6ख : अन्य ऋणों एवं अग्रिमों के ब्यौरे (परिशोधन लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **कच्चा माल वितरण** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 1003.70 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 227508.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 8150.41 | | 0.00 | |
| | 236662.11 | | 0.00 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 1679.97 | | 0.00 | |
| | 234982.14 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 9821.27 | 225160.87 | 0.00 | 0.00 |
| **बट्टाकृत गए विनिमय बिल** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 127.37 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 517.54 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 1509.29 | | 0.00 | |
| | 2154.20 | | 0.00 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 74.87 | | 0.00 | |
| | 2079.33 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 1563.86 | 515.47 | 0.00 | 0.00 |
| **संयुक्त मियादी ऋण** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 175.69 | | 0.00 | |
| | 175.69 | | 0.00 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 38.91 | | 0.00 | |
| | 136.78 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **मियादी ऋण** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 15.44 | | 0.00 | |
| | 15.44 | | 0.00 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 4.25 | | 0.00 | |
| | 11.19 | | 0.00 | |
| घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति छूट | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | | **225676.34** | | **0.00** |

## टिप्पणी–6ग : निगम के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम (कर्मचारियों को ऋणों एवं अग्रिमों के अंतर्गत सहित)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| निदेशकगण | 0.00 | 0.00 |
| कंपनी के अन्य अधिकारी | 45.23 | 0.00 |
| फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो | 0.00 | 0.00 |
| निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **45.23** | **0.00** |

## टिप्पणी–7 : निवेश

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **उचित मूल्य पर (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)** | | | | |
| इक्विटी प्रलेख | 189.36 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति हेतु भत्ता | 15.00 | 174.36 | 0.00 | 0.00 |
| **तुलन पत्र के अनुसार** | | **174.36** | | **0.00** |

| निवेश (उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से) | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **मैसर्स सिंगर इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर**<br>(दिनांक 31.03.21 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त 2–2 प्रत्येक 2/– रुपए के 4,70,230 शेयर, उचित मूल्य 37.08 रू. प्रति शेयर)<br>(दिनांक 31.03.20 को यथास्थिति उप–विभाजन के पश्चात पूर्ण प्रदत्त 2–2 रू. के 4,70,230 शेयर, उचित मूल्य 17.36 प्रति शेयर) | 174.36 | 0.00 |
| **मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीओ) के इक्विटी शेयर** (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 10,000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत) | 10.00 | 0.00 |
| **मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीएमओ) के इक्विटी शेयर** (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 50,000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत) | 5.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | **189.36** | **0.00** |
| घटाएंः एसआईपीपीओ और एसआईपीएमओ के शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट | 15.00 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **174.36** | **0.00** |

| निवेश का भौगोलिक वर्गीकरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| भारत में | 174.36 | 0.00 |
| भारत से बाहर | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **174.36** | **0.00** |

## टिप्पणी–8 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **प्रतिभूति जमा** | | | | |
| मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित | 0.00 | | 0.00 | |
| बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए | 0.00 | | 0.00 | |
| असुरक्षित | 213.74 | | 0.00 | |
| | 213.74 | | 0.00 | |
| घटाएंः अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| | 213.74 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 1.71 | 212.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| बैंकों से प्राप्तव्य | | | | |
| ब्याज | 268.30 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 268.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | 885.32 | | 0.00 | |
| घटाएंः हानिकरण क्षति छूट | 283.82 | 601.50 | 0.00 | 0.00 |
| सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभत परंतु अदेय ब्याज | | 20.48 | | 0.00 |
| अनुदानों में घाटा (निवल) के प्रति भारत सरकार से प्राप्य धनराशियां | | 0.00 | | 0.00 |
| बयाना राशि जमा प्राप्तव्य | | 2.95 | | 0.00 |
| अवधारण राशि प्राप्तव्य | | 265.31 | | 0.00 |
| देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव | | 173.20 | | 0.00 |
| देय ईएमडी का बट्टाकरण प्रभाव | | 0.00 | | 0.00 |
| देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव | | 13.67 | | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **1289.14** | | **0.00** |

## टिप्पणी–9 : माल–सूचियां

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| कच्चा माल और घटक | 0.00 | 0.00 |
| तैयार माल | 1.91 | 0.00 |
| व्यापार स्टॉक | 0.00 | 0.00 |
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | 8.56 | 0.00 |
| खुले औज़ार और मापन यंत्र | 10.47 | 0.00 |
| स्टॉक में भूमि और भवन, औद्योगिक सम्पदा, नैनी | 19.65 | 0.00 |
| मार्गस्थ सामान | 0.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | **40.59** | **0.00** |
| घटाएंः हानिकरण क्षति भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **40.59** | **0.00** |

टिप्पणी : माल–सूची पर भारतीय लेखकंन मानक–2 पर प्रकटन के लिए टिप्पणी–34 के क्रम संख्या 5 को देखें।

## टिप्पणी–10 : चालू कर (निवल)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस | 1535.30 | 0.00 |
| अग्रिम कर | 8063.33 | 0.00 |
| घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान | 9552.78 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **45.85** | **0.00** |

## टिप्पणी–11 : आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 5601.10 | 0.00 |
| घटाएं : आस्थगित कर देयतांए | 1530.03 | 0.00 |
| **तुलन पत्र के अनुसार** | **4071.07** | **0.00** |

टिप्पणी: टिप्पणी 34 का क्रम संख्या 6 देखें।

## टिप्पणी–12 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(लाख रुपए में)

| निवल कैरिंग धनराशि | 31.03.2021 को यथास्थिति | 31.03.2020 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| भूमि | 44.65 | 0.00 |
| भवन | 22746.19 | 0.00 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 376.71 | 0.00 |
| कार्यालय उपकरण | 369.25 | 0.00 |
| वाहन | 20.96 | 0.00 |
| संयंत्र एवं उपकरण | 5077.68 | 0.00 |
| **कुल संपत्ति, संयत्र और उपकरण** | **28635.44** | **0.00** |
| बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां | 0.07 | 0.00 |
| सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर | 159.12 | 0.00 |
| इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां | 55.83 | 0.00 |
| चल रहा पूंजीगत कार्य | 423.44 | 0.00 |

(लाख रुपए में)

| विवरण | सकल रखाव धनराशि | | | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | | | एलटीए | | नेट ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.20 को यथास्थिति | वृद्धि | बिक्री | कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत | पुनर्मूल्यांकन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03.21 को यथास्थिति मूल्य | 01.04.20 को यथास्थिति | वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क | बिक्री | पुनर्मूल्यांकन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
| **मूर्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. स्वयं की परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भवन | 21983.03 | 1157.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23140.21 | 1365.30 | 362.06 | 0.00 | 122.43 | 0.00 | 1849.79 | 0.00 | 0.00 | 21290.42 | 20617.73 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 613.33 | 10.80 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 606.44 | 365.72 | 38.91 | 8.25 | 0.60 | 4.22 | 392.76 | 0.00 | 0.00 | 213.68 | 247.61 |
| भूमि | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 3.88 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.20 |
| कार्यालय उपकरण | 920.78 | 33.16 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 932.82 | 767.57 | 56.13 | 11.54 | 0.75 | 7.91 | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 127.82 | 153.21 |
| वाहन | 115.62 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 111.51 | 88.71 | 6.24 | 3.90 | 0.00 | 0.01 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 20.47 | 26.91 |
| संयंत्र एवं उपकरण | 2472.49 | 87.85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2560.33 | 849.41 | 84.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 933.60 | 0.00 | 0.00 | 1626.73 | 1623.08 |
| **जोड़** | 26136.33 | 1288.99 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 27382.39 | 3440.59 | 547.74 | 23.70 | 123.78 | 12.14 | 4076.27 | 0.00 | 0.00 | 23306.12 | 22695.74 |
| **पट्टायुक्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 108.62 | 0.00 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 95.22 | 0.00 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 35.59 | 12.77 | 13.35 | 0.04 | 0.05 |
| **जब्त पट्टायुक्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.35 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 48.80 | 48.80 | 0.88 | 0.88 |
| **सरकारी अनुदानों से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भूमि | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 5.26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 17.78 |
| भवन | 879.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.85 | 452.99 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.75 | 0.00 | 0.00 | 418.10 | 426.86 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 177.51 | 0.55 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.07 | 86.12 | 13.25 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 78.49 | 91.39 |
| कार्यालय उपस्कर | 928.64 | 22.21 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.13 | 701.39 | 81.06 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 780.82 | 0.00 | 0.00 | 168.31 | 227.25 |
| वाहन | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 4479.56 | 413.76 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | −5.07 | 4895.36 | 1855.22 | 232.59 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2084.88 | 0.00 | 0.00 | 2810.48 | 2624.33 |
| **जोड़** | 6499.76 | 436.52 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | −5.07 | 6932.61 | 3111.65 | 335.79 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 3439.09 | 0.00 | 0.00 | 3493.52 | 3388.10 |
| **तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भवन | 1182.21 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −49.47 | 1234.51 | 163.48 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.84 | 0.00 | 0.00 | 1037.67 | 1018.73 |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 159.70 | 6.49 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | −0.35 | 166.24 | 70.80 | 11.15 | 0.29 | 0.00 | −0.04 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 84.54 | 88.90 |
| कार्यालय उपस्कर | 639.09 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −1.75 | 646.78 | 550.87 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | −0.82 | 573.66 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 88.23 |
| संयंत्र एवं उपस्कर | 929.86 | 40.74 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | −7.95 | 977.85 | 274.89 | 63.94 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 338.30 | 0.00 | 0.00 | 639.55 | 654.97 |
| **जोड़** | 2910.86 | 56.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | −59.52 | 3025.38 | 1060.04 | 130.42 | 0.82 | 0.00 | −0.86 | 1190.50 | 0.00 | 0.00 | 1834.88 | 1850.83 |
| **उप–जोड़ मूर्त परिसंपत्तियां** | 35714.92 | 1781.51 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | −51.19 | 37448.13 | 7717.17 | 1013.95 | 92.50 | 123.78 | 11.28 | 8751.12 | 61.57 | 62.15 | 28635.44 | 27935.60 |
| गत वर्ष | 24299.51 | 965.57 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | −10494.61 | 35714.92 | 6705.98 | 1054.43 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 7717.17 | 62.15 | 62.15 | 27935.60 | 17531.39 |

(लाख रुपए में)

| विवरण | सकल रखाव धनराशि | | | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | | | एलटीए | | नेट ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04. 20 को यथास्थिति | वृद्धि | बिक्री | कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत | पुनर्मूल्यांकन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03. 21 को यथास्थिति मूल्य | 01.04. 20 को यथास्थिति | वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क | बिक्री | पुनर्मूल्यांकन/ हानि | अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 20 को यथास्थिति | 31.03. 21 को यथास्थिति | 31.03. 20 को यथास्थिति |
| **अमूर्त परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **स्वयं की परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 156.11 | 23.24 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 176.99 | 116.30 | 19.14 | 0.07 | 0.63 | 2.15 | 133.85 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 39.81 |
| **सरकारी अनुदान से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 106.88 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.65 | 44.36 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.26 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | 62.52 |
| **तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 244.36 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.75 | 206.50 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.48 | 0.00 | 0.00 | 22.27 | 37.86 |
| **इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 57.67 | 1.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 55.83 | 67.76 |
| **उप जोड परिसंपत्तियां** | **576.10** | **29.40** | **0.16** | **0.00** | **0.00** | **13.28** | **592.06** | **368.16** | **50.86** | **0.07** | **0.63** | **2.15** | **417.43** | **0.00** | **0.00** | **174.63** | **207.95** |
| गत वर्ष | 464.45 | 111.71 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.10 | 302.95 | 65.26 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 368.16 | 0.00 | 0.00 | 207.95 | 161.50 |
| **चल रहा पूंजीगत कार्य** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चल रहा पूंजीगत कार्य | 285.57 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.42 | 246.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.81 | 285.57 |
| **गत वर्ष** | **8246.27** | **2516.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10477.58** | **285.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **285.57** | **8246.27** |
| सरकारी अनुदान से अर्जित सीडब्लू आईपी | 6.02 | 175.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.63 | 6.02 |
| गत वर्ष | 17.03 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 17.03 |
| **उप जोड़–चल रहा पूंजीगत कार्य** | **291.59** | **194.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **62.49** | **423.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **423.44** | **291.59** |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 8263.31 | 2522.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10494.61 | 291.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.59 | 8263.30 |
| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **मालिकाना परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर** | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.39 | 44.45 |
| सेबी पंजीकरण शुल्क | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 |
| गत वर्ष | 0.00 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.45 | 0.00 |
| **बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (स्वामित्व वाली संपत्ति) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | –13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | –13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (सरकारी अनुदान) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **–13.50** | **13.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **–13.43** | **13.43** | **0.00** | **0.00** | **0.07** | **0.00** |
| **सकल जोड़** | **36627.06** | **2022.18** | **99.65** | **0.00** | **0.00** | **32.14** | **38517.45** | **8085.33** | **1064.81** | **92.57** | **124.41** | **0.00** | **9181.98** | **61.57** | **62.15** | **29273.90** | **28479.59** |
| गत वर्ष | 33027.27 | 3644.63 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36627.06 | 7008.93 | 1120.69 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 8085.33 | 62.15 | 62.15 | 28479.59 | 25956.19 |

## टिप्पणी–13 : अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत अग्रिम** | | | | |
| राइट्स के पास | 0.00 | | 0.00 | |
| जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास | 25.63 | | 0.00 | |
| जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.00 | 25.63 | 0.00 | 0.00 |
| ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति) | 107.78 | | 0.00 | |
| जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.00 | 107.78 | 0.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | | 133.41 | | 0.00 |
| कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमा | | 866.38 | | 0.00 |
| अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां | 264.25 | | 0.00 | |
| घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता | 17.54 | 246.71 | 0.00 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **1246.50** | | **0.00** |

## टिप्पणी–14 : व्यापार प्राप्तव्य

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्तव्य** | | | | |
| एमएसएमई की बकाया राशियां | 19252.10 | | 0.00 | |
| गैर–एमएसएमईज की बकाया देय राशियां | 156.54 | 19408.64 | 0.00 | 0.00 |
| संबंधित पक्षकारों को देय | | 0.00 | | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **19408.64** | | **0.00** |

टिप्पणी: टिप्पणी–34 का क्रम सं. 1 देखें।

## टिप्पणी–15 : उधार (परिशोधित मूल्य पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **सुरक्षित उधारियां** | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से मियादी ऋण: | | | | |
| बैंकों से | | 0.00 | | 0.00 |
| अन्यों से: | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी: | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी: | | | | |
| बैंकों से | | | | |
| कार्यशील पूंजीगत ऋण | 138000.00 | | 0.00 | |
| नकदी क्रेडिट | 0.00 | | 0.00 | |
| ओवरड्राफ्ट | 0.00 | | 0.00 | |
| मियादी ऋण | 0.00 | 138000.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य पक्षकार | | 0.00 | | 0.00 |
| आस्थगित भुगतान देयताएं | | 0.00 | | 0.00 |

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| जमा | | 0.00 | | 0.00 |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | 0.00 | | 0.00 |
| वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | | **138000.00** | | **0.00** |
| **असुरक्षित उधार** | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से मियादी ऋण | | | | |
| बैंक | | 0.00 | | 0.00 |
| अन्य पक्षकारों सेः | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | 5219.83 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 5219.83 | 0.00 | 0.00 |
| निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनः अदायगीः | | | | |
| बैंकों से | | | | |
| कार्यशील पूंजीगत ऋण | 0.00 | | 0.00 | |
| नकदी क्रेडिट | 0.00 | | 0.00 | |
| ओवरड्राफ्ट | 0.00 | | 0.00 | |
| मियादी ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य पक्षकार | | 0.00 | | 0.00 |
| आस्थगित अदायगी देयताएं | | 0.00 | | 0.00 |
| जमा | | 0.00 | | 0.00 |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | 0.00 | | 0.00 |
| वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता | | 0.00 | | 0.00 |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः | | | | |
| भारत सरकार | 0.00 | | 0.00 | |
| राज्य सरकारें | 0.00 | | 0.00 | |
| वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | | **5219.83** | | **0.00** |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **143219.83** | | **0.00** |
| | | | | |
| **उधारों का भौगोलिक वर्गीकरणः** | | | | |
| भारत में | | 138000.00 | | 0.00 |
| भारत से बाहर | | 5219.83 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **143219.83** | | **0.00** |

## टिप्पणी–15क : उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | निम्नलिखित को बकाया राशि: | | अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक) | प्रतिभूति का स्वरूप | क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है | 31.03.21 को यथास्थिति निरंतर चूकें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | | | | अवधि | धनराशि |
| **सुरक्षित उधार** | | | | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | | | | | | |
| निम्नलिखित से मियादी ऋण: | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| विजया बैंक | 0 | 0 | अर्ध–वार्षिक | | शून्य | 0 | |
| अन्यों से: | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| अदायगी योग्य ऋण | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| कार्यशील पूंजीगत ऋण | | | | | | | |
| दें हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| इडंस इंड बैंक | 0.00 | 0.00 | | कंपनी के ऋणों और अग्रिमों सहित लेखा बही ऋणों पर समरूप पभार | शून्य | 0 | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 64500.00 | 0.00 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल | 73500.00 | 0.00 | | बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार | शून्य | 0 | |
| चाइना ट्रस्ट बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एसटीएल | 0.00 | 0.00 | | कच्चा माल और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के प्राप्तव्यों/लेखा बही ऋणों/ समरूप प्रभार | शून्य | 0 | |
| | 138000.00 | 0.00 | | | | | |
| नकद क्रेडिट | | | | | | | |
| पंजाब नेशनल बैंक | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में भूमि और भवन के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और ऋणों तथा अग्रिमों, बही ऋणों, बट्टाकृत बिलों और विपणन क्रियाकलापों समे संबंधित सभी चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्तियोग्य राशियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| विजया बैंक | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति के पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/चालू परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |

| विवरण | निम्नलिखित को बकाया राशिः | | अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक) | प्रतिभूति का स्वरूप | क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है | 31.03.21 को यथास्थिति निरंतर चूकें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | | | | अवधि | धनराशि |
| भारतीय स्टेट बैंक | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 87 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| ओवरड्राफ्ट | | | | | शून्य | | |
| दें हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0 | 0 | | ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार। | शून्य | 0 | |
| सीटीबीसी बैंक – ओवरड्राफ्ट | 0 | 0 | | कच्चा माल सहायता और अन्य चालू परिसंत्तियों के बही ऋण/प्राप्य लेखे के हाइपोथिकेशन के रूप में प्रतिभूत। | शून्य | 0 | |
| | 0 | 0 | | | | | |
| मियादी ऋण | | | | | | | |
| अन्य पक्षकार | | | | | | | |
| आस्थगित अदायगी देयताएं | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | | | | | | |
| वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं | | | | | | | |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| **उप–जोड़** | **138000.00** | **0.00** | | | | | |
| **असुरक्षित उधार** | | | | | | | |
| बांड/डिबेंचर | | | | | | | |
| निम्नलिखित से मियादी ऋणः | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| निम्नलिखित से अन्य पक्षकारः | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |

| विवरण | निम्नलिखित को बकाया राशिः | | अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक) | प्रतिभूति का स्वरूप | क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है | 31.03.21 को यथास्थिति निरंतर चूकें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति | | | | अवधि | धनराशि |
| 11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट | 2380.57 | 0.00 | अर्ध–वार्षिक | | भारत सरकार द्वारा गांरटीकृत | | |
| 12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट | 2203.57 | 0.00 | अर्ध–वार्षिक | | भारत सरकार द्वारा गांरटीकृत | | |
| केसा डिपाॅजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात) | 635.69 | 0.00 | अर्ध–वार्षिक | | भारत सरकार द्वारा गांरटीकृत | | |
| | **5219.83** | **0.00** | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगीः | | | | | | | |
| बैंक | | | | | | | |
| चल रहा पूंजीगत ऋण | | | | | | | |
| नकद क्रेडिट | | | | | | | |
| ओवरड्राफ्ट | | | | | | | |
| मियादी ऋण | | | | | | | |
| अन्य पक्षकार | | | | | | | |
| आस्थगित अदायगी देयताएं | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | |
| संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम | | | | | | | |
| वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं | | | | | | | |
| निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः | | | | | | | |
| भारत सरकार | | | | | | | |
| राज्य सरकारें | | | | | | | |
| वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| **उप–जोड़** | **5219.83** | **0.00** | | | – | | |
| **जोड़** | **143219.83** | **0.00** | | | – | | |

## अनुबंध–15ख : विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधारों के ब्यौरे

| विवरण | केएफडब्ल्यू XI लाइन ऑफ क्रेडिट | केएफडब्ल्यू XII लाइन ऑफ क्रेडिट | इटालियन लाइन ऑफ क्रेडिट |
|---|---|---|---|
| कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में) | 5112918.81 | 5036225.03 | 1053134.47 |
| अदायगी की नियत तारीख | प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12 | प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12 | प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1 |
| पहली किश्त | 30/06/2002 | 30/06/2006 | 17/01/2015 |
| अंतिम किश्त | 30/06/2042 | 30/12/2035 | 17/07/2035 |
| कुल किश्तें | 81 | 60 | 42 |
| ब्याज | 10.50% | 12.50% | 0.50% |
| 31.03.21 को बकाया ऋण (यूरो में) | 2723140.61 | 2520668.93 | 727164.54 |
| पुन:अदायगी अवधि | अर्ध–वार्षिक | अर्ध–वार्षिक | अर्ध–वार्षिक |
| किश्तों की धनराशि (यूरो में) | 62888.90 | 83851.87 | 25074.61 |
| 30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश में अदा किया गया कुल ब्याज | 592439.19 | 405995.68 | – |
| 30.06.2002 से 31.03.2021 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज | 562805.32 | 580878.67 | 86810.25 |
| हेजिंग | – | – | – |

## अनुबंध–15ग : बकाया वाणिज्यिक पेपर के माध्यम से उधारों के ब्यौरे

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| उधार ली गई धनराशि | – | – |
| कूपन दर | – | – |
| जारी करने की तारीख | – | – |
| मोचन की तारीख | – | – |
| मोचन की अवधि | – | – |

## टिप्पणी–16 : अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| आरएमए क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां | 2944.41 | 0.00 |
| भुगतान योग्य बट्टा | 1636.47 | 0.00 |
| थोक आपूर्तियां के संबंधी खाते में | 1026.92 | 0.00 |
| मूल्यांकन क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य | 5.59 | 0.00 |
| सुरक्षा जमा देय | 1955.73 | 0.00 |
| बयाना राशि जमा (ईएमडी) | 59.81 | 0.00 |
| अवधारण राशि | 948.95 | 0.00 |
| परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य | 1354.05 | 0.00 |
| व्यापार प्राप्तव्यों में शेष क्रेडिट | 138.62 | 0.00 |
| उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज | 423.23 | 0.00 |
| प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि | 64.51 | 0.00 |
| अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी | 257.53 | 0.00 |
| व्ययों हेतु चालू देयता | 768.17 | 0.00 |
| अन्य भुगतान योग्य – कर | 850.27 | 0.00 |
| अन्य भुगतान योग्य | 253.61 | 0.00 |
| प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां | 1.20 | 0.00 |
| अनुदानों में अतिरेक के प्रति भारत सरकार को देय धनराशि (निवल) | 1529.71 | 0.00 |
| प्राप्य प्रतिबद्ध जमा का बट्टाकरण प्रभाव | 16.65 | 0.00 |
| प्राप्य बयाना राशि जमा का बट्टाकरण प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| प्राप्य अवधारण राशि जमा का बट्टाकरण प्रभाव | 13.67 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **14249.10** | **0.00** |

## टिप्पणी–16कः अनुदानों में अधिशेष के प्रति भारत सरकार को भुगतानयोग्य धनराशियां

(लाख रुपए में)

| विवरण | गत वर्ष में अग्रेषित शेष | | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान ब्याज | राज्य एजेंसी को प्रतिपूर्ति/वापसी/समायोजन/अंतरण | अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियां/डब्ल्यूआईपी | निवल राजस्व व्यय | कुल व्यय | आय की तुलना में व्यय का आधिक्य (संवर्धनात्मक से वाणिज्यिक को अंतरित) | प्रतिपूर्ति योग्य व्यय में अंतरण | 31.03.21 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घाटा | अधिशेष | | | | | | | | घाटा | अधिशेष |
| **विपणन सहायता स्कीम** | | | | | | | | | | | |
| विपणन सहायता स्कीम | 10.60 | 0.00 | 0.16 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| **उप–जोड़** | **10.60** | **0.00** | **0.16** | **10.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.17** |
| **निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम** | | | | | | | | | | | |
| निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम | 0.00 | 2.73 | 1.49 | –2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| **उप–जोड़** | **0.00** | **2.73** | **1.49** | **–2.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.49** |
| अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता** | | | | | | | | | | | |
| संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता | 0.00 | 647.46 | 1092.38 | –22.10 | 720.41 | 251.78 | 972.19 | 0.00 | 972.19 | 0.00 | 745.55 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 30.53 | 0.25 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | **0.00** | **647.46** | **1122.66** | **–22.10** | **720.41** | **282.31** | **1002.72** | **0.00** | **1002.72** | **0.00** | **745.30** |
| राष्ट्रीय उद्यमिता अवार्ड स्कीम | 0.00 | 5.50 | 0.00 | –5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) | 0.00 | 32.80 | 0.65 | –32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन | 0.00 | 76.71 | 1.86 | –3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.42 |
| **राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच)** | | | | | | | | | | | |
| एनएसएसएच – एससीएसपी | 2567.18 | 0.00 | 6714.07 | 2338.73 | 0.00 | 6320.66 | 6320.66 | 0.00 | 6320.66 | 0.00 | 164.96 |
| एनएसएसएच – टीएसपी | 869.93 | 0.00 | 1140.48 | 852.77 | 0.00 | 644.75 | 644.75 | 0.00 | 644.75 | 0.00 | 478.57 |
| एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी) | 0.00 | 92.18 | 2.36 | –2.65 | 0.00 | 135.68 | 135.68 | 0.00 | 135.68 | 43.79 | 0.00 |
| एनएसएसएच – सामान्य | 0.00 | 770.96 | 795.87 | –33.07 | 2.34 | 1466.85 | 1469.19 | 0.00 | 1469.19 | 0.00 | 64.57 |
| एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी) | 0.00 | 312.19 | 5.00 | –200.00 | 0.00 | 198.67 | 198.67 | 0.00 | 198.67 | 81.48 | 0.00 |
| **उप–जोड़** | **2261.78** | **0.00** | **8657.78** | **2955.78** | **2.34** | **8766.61** | **8768.95** | **0.00** | **8768.95** | **0.00** | **582.83** |
| प्रापण एवं विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) | 0.00 | 7.54 | 263.34 | 0.00 | 0.00 | 147.03 | 147.03 | 0.00 | 147.03 | 0.00 | 123.85 |
| अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 15.73 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **1499.64** | **0.00** | **10063.67** | **2900.11** | **722.75** | **9211.68** | **9934.43** | **0.00** | **9934.43** | **0.00** | **1529.71** |
| | | | | | | | | निवल अधिशेष /(घाटा) | | 1529.71 | |
| | | | | | | | | गत वर्ष अधिशेष /(घाटा) | | –1499.64 | |

## टिप्पणी–17 : प्रावधान

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान** | | | | |
| उपदान हेतु | 4926.49 | | 0.00 | |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु | 2842.72 | | 0.00 | |
| अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु | 491.42 | | 0.00 | |
| सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु | 3.84 | | 0.00 | |
| छुट्टी यात्रा रियायत हेतु | 0.00 | 8264.47 | 0.00 | 0.00 |
| **अन्य** | | | | |
| संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु | 13105.01 | | 0.00 | |
| घटाएं: व्यापार से प्राप्तव्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन | 13105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **विनिमय भिन्नता के लिए** | | | | |
| पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष | 1838.05 | | 0.00 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 459.14 | | 0.00 | |
| घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया | 160.05 | | 0.00 | |
| घटाएं: पुरांकित राशि | 159.44 | 1977.70 | 0.00 | 0.00 |
| **संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु (केएफडब्ल्यू)** | | | | |
| पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष | 0.00 | | 0.00 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 54.41 | | 0.00 | |
| घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | | **10242.17** | | **0.00** |

टिप्पणी: टिप्पणी–34 का क्रम सं. 8, 9 और 11 देखें।

## टिप्पणी–17क : परिवर्धन, प्रत्यावर्तन एवं प्रावधानों के उपयोगों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 01.04.2020 को यथास्थिति आरंभ शेष | वर्ष के दौरान परिवर्धन | उपयोग/उलट समायोजन | वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि | 31.03.2021 को यथास्थिति अंत शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| उपदान के लिए | 5183.44 | 499.82 | 740.60 | 16.17 | 4926.49 |
| छुट्टी नकदीकरण के लिए | 2969.06 | 552.72 | 618.20 | 60.86 | 2842.72 |
| अर्धवेतन छुट्टी के लिए | 570.79 | 45.96 | 34.35 | 90.98 | 491.42 |
| सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए | 3.91 | 0.46 | 0.09 | 0.44 | 3.84 |
| छुट्टी यात्रा के लिए | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| संदिग्ध ऋणों हेतु | 0.00 | 614.41 | 476.42 | 137.99 | 0.00 |
| विनिमय परिवर्तन हेतु | 1838.05 | 459.14 | 160.05 | 159.44 | 1977.70 |
| संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु | 0.00 | 54.41 | 54.41 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **10565.40** | **2226.92** | **2084.12** | **466.03** | **10242.17** |

## टिप्पणी–18 : अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| अग्रिम रूप से प्राप्त आय | 1148.28 | 0.00 |
| अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी | 2565.34 | 0.00 |
| अन्य भुगतान योग्य | 960.99 | 0.00 |
| कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव | 7.24 | 0.00 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **4681.85** | **0.00** |

## टिप्पणी–19 : शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत** | | |
| 100–100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर | 53500.00 | 0.00 |
| **जारी, अभिदत्त और प्रदत्त** | | |
| 100–100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर | 53298.80 | 0.00 |
| **तुलन पत्र के अनुसार** | **53298.80** | **0.00** |

## टिप्पणी–19क : बकाया शेयरों की संख्या का लेखा मिलान

| विवरण | इक्विटी शेयर (संख्या) | अधिमानी शेयर (संख्या) |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर | 53298800 | 0 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | 0 | 0 |
| वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर | 0 | 0 |
| वर्ष के अंत में बकाया शेयर | 53298800 | 0 |

## टिप्पणी–19ख : निगम में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण के विवरण

| शेयरधारक का नाम | 31.03.21 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या | 31.03.21 के अनुसार धारण प्रतिशत | 31.03.20 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या | 31.03.20 के अनुसार धारण प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| भारत सरकार | 53298800 | 100 | 0 | 0 |

## टिप्पणी–19ग : पिछले 5 वर्षों के संबंध में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में आबंटित शेयरों, बोनस शेयरों और वापस खरीदे गए शेयरों के विवरण

| विवरण | शेयरों की कुल संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020–21 | 2019–20 | 2018–19 | 2017–18 | 2016–17 |
| **इक्विटी शेयरः** | | | | | |
| नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वापस खरीदे गए शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **अधिमानी शेयरः** | | | | | |
| नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वापस खरीदे गए शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## टिप्पणी–19घ : अप्रदत्त मांगों के विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **अप्रदत्त मांगें** | | |
| निदेशकों द्वारा | 0 | 0 |
| अधिकारियों द्वारा | 0 | 0 |

## टिप्पणी–19ङ : शेयरों से संबद्ध अधिकार, वरियता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है, और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।

इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

## टिप्पणी–20 : अन्य इक्विटी के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 01.04.2020 को यथास्थिति | वर्ष के दौरान वृद्धि/सृजन | वर्ष के दौरान कटौती | | 31.03.2021 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | अंतरण/बिक्री/समायोजन | वर्ष के लिए मूल्यह्रास | |
| **प्रारक्षित पूंजी/आस्थगित आय (भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों के मूल्य दर्शाने वाली आरक्षित निधि)** | | | | | |
| तकनीकी केंद्र | 318.57 | 0.00 | –71.06 | 98.25 | 291.38 |
| सरकारी खरीद योजना | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
| उपर्युक्त प्रौद्योगकी | 2.40 | 0.00 | 0.00 | –0.06 | 2.46 |
| आधुनिकीकरण – ताला परियोजना | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 16.48 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 18.46 |
| प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर | 73.29 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 68.59 |
| लघु औज़ार कक्ष केंद्र | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना | 0.94 | 0.00 | 0.00 | –0.38 | 1.32 |
| उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड) | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.46 |
| प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर (आईटी) | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम) | 207.18 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 197.66 |
| केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 18.40 |
| बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना) | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 25.16 |
| इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| विपणन विकास केंद्र | 62.99 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 61.46 |
| एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन | 276.76 | 0.00 | 71.44 | 20.66 | 184.66 |
| संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायता | 2396.98 | 720.41 | 0.00 | 195.16 | 2922.23 |
| एनएसएसएच–सामान्य | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.54 | 1.80 |
| **उप–जोड़** | **3456.64** | **722.75** | **0.38** | **347.70** | **3831.31** |
| **अन्य आरक्षित निधियां** | | | | | |
| पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि | 73.09 | 0.00 | –2.56 | 2.56 | 73.09 |
| हानिकरण आरक्षित | 4866.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4866.65 |
| अवधारित आरक्षित | 38888.26 | 10268.57 | 5611.56 | 0.00 | 43545.27 |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख | 118.57 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 187.96 |
| ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि | –516.42 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | –415.44 |
| सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 के धारा 45 आईसी के अंतर्गत | 1983.84 | 2031.86 | 0.00 | 0.00 | 4015.70 |
| **तुलन–पत्र के अनुसार** | **48870.63** | **13193.55** | **5609.38** | **350.26** | **56104.54** |
| बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के प्रति आरक्षित | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

टिप्पणी: टिप्पणी–34 का क्रम 22 देखें।

## टिप्पणी–21 : प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **प्रचालनों से राजस्व** | | | | |
| **क. उत्पादों की बिक्री** | | | | |
| **विपणन क्रियाकलाप** | | | | |
| विपणन | | 14114.14 | | 0.00 |
| निर्यात | | 0.00 | | 0.00 |
| कच्चा माल वितरण | | 154316.62 | | 0.00 |
| **लाभ व हानि विवरण के अनुसार** | | **168430.76** | | **0.00** |
| **ख. सेवाओं की बिक्री** | | | | |
| एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय | | 1366.91 | | 0.00 |
| इन्फोमीडियरी सेवाओं (बी2बी) से आय | | 880.99 | | 0.00 |
| आवेदन प्रक्रिया शुल्क | | 5.14 | | 0.00 |
| प्राप्त किराया | | 3438.30 | | 0.00 |
| साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार | | 670.53 | | 0.00 |
| प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व | | 1000.95 | | 0.00 |
| सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व | | 827.92 | | 0.00 |
| परियोजना परामर्शी प्रभार | | 54.20 | | 0.00 |
| प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र (टीआईसी) से आय | | 21.29 | | 0.00 |
| प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां | | 2.58 | | 0.00 |
| सेवाओं से अन्य प्राप्तियां | | 22.68 | | 0.00 |
| सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी) | | 537.71 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **8829.20** | | **0.00** |
| **ग. ब्याज आय** | | | | |
| **पक्षकारों से:** | | | | |
| सामान्य | | 27145.60 | | 0.00 |
| दांडिक ब्याज | | 2.42 | | 0.00 |
| बैंकों के पास जमा से | | 24.11 | | 0.00 |
| कर्मचारी अग्रिम से | | 0.75 | | 0.00 |
| अन्य से | | 3.89 | | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा लेनदेनों और परिवर्तन पर ब्याज से लाभ (निवल) | | 0.00 | | 0.00 |
| ब्याज आय कर्मचारी/परिशोधित लागत | | 0.00 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **27176.77** | | **0.00** |
| **घ. अर्जित प्रक्रिया शुल्क/सेवा प्रभार** | | | | |
| कच्चा माल वितरण | 1263405.25 | 4278.30 | 0.00 | 0.00 |
| विविध मदें | 23991.52 | 301.76 | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **1287396.77** | **4580.06** | **0.00** | **0.00** |
| **ड. अन्य प्रचालन राजस्व** | | | | |
| आधिक्य प्रावधान पुरांकितः | | | | |
| केएफडब्ल्यू | 213.85 | | 0.00 | |
| सरकारी गारंटी शुल्क | 0.00 | | 0.00 | |
| सेवांत लाभ | 168.59 | | 0.00 | |
| अन्य | 139.80 | 522.24 | 0.00 | 0.00 |
| पुरांकित विविध क्रेडिट शेष | | 601.15 | | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा लेनदेनों और परिवर्तन पर लाभ (निवल) | | 0.00 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **1123.39** | | **0.00** |

## अनुबंध–21क : कच्चे माल के वितरण के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| ऐलुमिनियम | 84737.07 | 0.00 |
| लोहा एवं इस्पात | 64788.64 | 0.00 |
| अन्य | 4790.91 | 0.00 |
| **जोड़** | **154316.62** | **0.00** |

## टिप्पणी–22 : अन्य आय

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| आय कर की वापसियों पर ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| विविध आय | 50.74 | 0.00 |
| लाभाशं आय | 2.35 | 0.00 |
| वित्तीय परिसंपत्तियां पर बट्टाकरण का प्रभाव | 42.38 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **95.47** | **0.00** |

## टिप्पणी–23 : अनुदान और आर्थिक सहायता

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए** | **9934.43** | **0.00** |
| घटाएं: पूंजी व्यय (निवल) | 722.75 | 0.00 |
| घटाएं: एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि | 475.71 | 0.00 |
| घटाएं: प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई | 282.30 | 0.00 |
| घटाएं: सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और आर्थिक सहायता) | 537.71 | 0.00 |
| घटाएं: सरकारी अनुदानों से विनियोजित धनराशि (लाभ और हानि विवरण – संवर्धनात्मक के अनुसार) | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **7915.96** | **0.00** |

## टिप्पणी–24 : स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद (समेकित)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| विपणन के लिए स्टॉक इन–ट्रेड की खरीद | | |
| विपणन | 14114.13 | 0.00 |
| निर्यात | 0.00 | 0.00 |
| कच्ची माल वितरण | 153241.53 | 0.00 |
| लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार | **167355.66** | **0.00** |

## टिप्पणी–24क : कच्चा माल वितरण के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| ऐलुमिनियम | 83843.92 | 0.00 |
| लोहा एवं इस्पात | 64724.29 | 0.00 |
| अन्य | 4673.32 | 0.00 |
| **जोड़** | **153241.53** | **0.00** |

## टिप्पणी–25 : माल–सूचियों में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **तैयार माल:** | | | | |
| समापन स्टॉक | 1.91 | | 0.00 | |
| घटाएं: आरंभिक स्टॉक | 2.10 | | 0.00 | |
| स्टॉक में समायोजन | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **चल रहा कार्य:** | | | | |
| समापन स्टॉक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: आरंभिक स्टॉक | 0.00 | | 0.00 | |
| स्टॉक में समायोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **मार्गस्थ सामान** | | | | |
| समापन स्टॉक | 0.00 | | 0.00 | |
| घटाएं: आरंभिक स्टॉक | 54.96 | | 0.00 | |
| स्टॉक में समायोजन | 0.00 | 54.96 | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **54.96** | | **0.00** |

## टिप्पणी–26 : कर्मचारी हितों पर व्यय समेकित

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| वेतन और भत्ते | | 9062.60 | | 0.00 |
| **निम्नलिखित के प्रति अंशदान:** | | | | |
| भविष्य निधि | 742.38 | | 0.00 | |
| अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना | 618.78 | | 0.00 | |
| कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 0.00 | 1361.16 | 0.00 | 0.00 |
| उपदान | | 689.28 | | 0.00 |
| स्टॉफ कल्याण व्यय | | 127.93 | | 0.00 |
| अन्य लाभ | | 1923.76 | | 0.00 |
| **निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)** | | | | |
| वेतन और भत्ते | | 120.09 | | 0.00 |
| **निम्नलिखित हेतु अंशदान:** | | | | |
| भविष्य निधि | 6.58 | | 0.00 | |
| अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना | 5.49 | 12.07 | 0.00 | 0.00 |
| उपदान | | 2.53 | | 0.00 |
| अन्य लाभ | | 1.85 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **13301.27** | | **0.00** |

## टिप्पणी–27 : वित्तपोषण लागतें समेकित

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **निम्नलिखित के संबंध में उधारों पर ब्याजः** | | | | |
| क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण) | 549.64 | | 0.00 | |
| कासा डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात) | 3.36 | | 0.00 | |
| बैंक | 7154.60 | | 0.00 | |
| वाणिज्यिक पेपर | 0.00 | | 0.00 | |
| संपार्श्विक प्रतिभूति जमा | 0.00 | | 0.00 | |
| अन्य | 0.00 | 7707.60 | 0.00 | 0.00 |
| निम्नलिखित के संबंध में उधार पर अन्य लागतें: | | | | 0.00 |
| सरकारी गारंटी शुल्क | 21.31 | | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा लेन–देनों और परिवर्तनों पर ब्याज की हानि | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य वित्त प्रभार | | 43.04 | | 0.00 |
| कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय | | 0.39 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **7772.34** | | **0.00** |

## टिप्पणी–28 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| **निम्नलिखित पर मूल्यह्रासः** | | | | |
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | | 678.99 | | 0.00 |
| पट्टायुक्त परिसंपत्तियां | | 0.00 | | 0.00 |
| **अनुदानों के प्रति अर्जित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण** | | | | 0.00 |
| कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास | 347.70 | | 0.00 | 0.00 |
| घटाएंः कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां | 347.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| व्ययों का परिशोधन | | 38.12 | | 0.00 |
| संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर हानिकरण क्षति | | 124.41 | | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **841.52** | | **0.00** |

टिप्पणीः टिप्पणी 12 और टिप्पणी –34 का क्रम संख्या 7 देखें।

## टिप्पणी–29 : निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.2021 नकद के रूप में | अभी अदा किया जाना 31.03.2021 | जोड़ 31.03.2021 | नकद रूप में 31.03.2020 | अभी अदा किया जाना 31.03.2020 | जोड 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर | 224.58 | 0.00 | 224.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **224.58** | **0.00** | **224.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| संबंधित पक्षकार लेन–देन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## टिप्पणी–30 : अन्य व्यय समेकित

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार | 662.70 | 0.00 |
| मुद्रण एवं लेखन–सामग्री | 63.92 | 0.00 |
| बीमा | 27.45 | 0.00 |
| यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार | 356.92 | 0.00 |
| माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय | 30.56 | 0.00 |
| संचार व्यय | 101.96 | 0.00 |
| अदा किया गया किराया | 448.67 | 0.00 |
| कर्मचारी भर्ती व्यय | 15.04 | 0.00 |
| लाइसेंस, दरें एवं कर | 396.83 | 0.00 |
| सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय | 1877.64 | 0.00 |
| मरम्मत एवं रखरखाव व्यय | 411.42 | 0.00 |
| कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार | 40.85 | 0.00 |
| वैब पोर्टल और सॉफ्टवेयर अनुरक्षण प्रभार | 78.22 | 0.00 |
| सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान | 47.83 | 0.00 |
| आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान | 35.55 | 0.00 |
| कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार | 293.59 | 0.00 |
| निदेशकों का बैठक शुल्क | 0.00 | 0.00 |
| निदेशकों का अन्य व्यय | 12.66 | 0.00 |
| प्रशिक्षण व्यय | 530.15 | 0.00 |
| सामान्य सुविधा प्रभार | 65.35 | 0.00 |
| परियोजना परामर्श प्रभार | 0.00 | 0.00 |
| गोदाम प्रचालनों पर प्रभार | 942.56 | 0.00 |
| सूचनात्मक सेवा व्यय | 2.50 | 0.00 |
| कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय | 37.06 | 0.00 |
| मनोरंजन | 12.26 | 0.00 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | 66.07 | 0.00 |
| कंपनी अधिनिसामन के लिए अदा किए गए शुल्क और प्रभार | 10.83 | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा लेने–देन एवं मुद्रा परिवर्तन पर हानि (निवल) | 22.59 | 0.00 |
| विविध व्यय | 18.41 | 0.00 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम | 18.17 | 0.00 |
| प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय | 2.73 | 0.00 |
| क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय | 6.05 | 0.00 |
| विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय | 37.47 | 0.00 |
| अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच | 7141.24 | 0.00 |
| प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) पर व्यय | 147.03 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई सी) स्कीम पर व्यय | 18.31 | 0.00 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों पर बट्टाकरण का प्रभाव | 27.31 | 0.00 |
| संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान | 614.41 | 0.00 |
| एसपीआरएस पर व्यय | 39.56 | 0.00 |
| ईएसडीपी पर व्यय | 0.00 | 0.00 |
| साविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड | 28.56 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **14690.65** | **0.00** |

## टिप्पणी–30क : अन्य व्ययों के ब्यौरे (समेकित)

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **निम्न हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः** | | | | |
| सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क | | 35.30 | | 0.00 |
| कर लेखापरीक्षा शुल्क | | 10.28 | | 0.00 |
| अन्य कराधान मामले | | 0.00 | | 0.00 |
| कंपनी कानून मामले | | 0.00 | | 0.00 |
| प्रबंधन सेवाएं | | 0.00 | | 0.00 |
| अन्य सेवाएं | | 2.01 | | 0.00 |
| व्ययों की प्रतिपूर्ति | | 0.24 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **47.83** | | **0.00** |
| **निम्न पर मरम्मत एवं रखरखाव खर्चः** | | | | |
| भवन | | 312.70 | | 0.00 |
| मशीनरी | | 14.95 | | 0.00 |
| अन्य | | 83.77 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **411.22** | | **0.00** |
| **बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलनीय अग्रिमः** | | | | |
| बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण | | 18.17 | | 0.00 |
| बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम | | 0.00 | | 0.00 |
| बट्टेखाते डाली गई हानियां | 16.48 | | 0.00 | |
| घटाएंः बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | | **18.17** | | **0.00** |
| **निम्न पर प्रशिक्षण व्ययः** | | | | |
| आंतरिक | | 371.73 | | 0.00 |
| प्रायोजित | | 48.36 | | 0.00 |
| व्यैक्तिक | | 0.18 | | 0.00 |
| एटीआई | | 64.82 | | 0.00 |
| क्षमता निर्माण (एनएसएसएच) | | 0.00 | | 0.00 |
| अन्य | | 45.06 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **530.15** | | **0.00** |
| **विशेष विपणन सहायता स्कीम पर व्ययः** | | | | |
| घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में सहभागिता | | 23.69 | | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में सहभागिता | | 0.00 | | 0.00 |
| घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में संगठन दौरे | | 0.00 | | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, विदेशी सम्मेलनों के संगठन दौरे | | 0.00 | | 0.00 |
| वेंडर विकास कार्यक्रम | | 1.91 | | 0.00 |
| कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन | | 11.87 | | 0.00 |
| **जोड़** | | **37.47** | | **0.00** |
| **अन्यों पर व्यय – एनएसएसएचः** | | | | |
| संग्रहण, मिलान और सूचना का प्रसार | | 3.04 | | 0.00 |
| क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, ईडीपीज | | 1057.38 | | 0.00 |
| विपणन सहायता | | 0.45 | | 0.00 |
| मेंटरिंग एवं हैंड होल्डिंग सहायता | | 0.00 | | 0.00 |

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| जागरूकता सृजन और प्रचार | 525.99 | 0.00 |
| अनुसूचित जाति/अ.ज.जा हब को तकनीकी और प्रबंधन अनुसमर्थन | 401.52 | 0.00 |
| विशेष क्रेडिट संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना | 5152.86 | 0.00 |
| अ.जा./अ.ज.जा हब स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को निधियां | 0.00 | 0.00 |
| वेंडर विकास, राष्ट्रीय विनिर्माण को प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **7141.24** | **0.00** |
| **खरीद और विपणन सहायता स्कीम पर (पीएमएसएस) पर व्यय** | | |
| घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में अलग–अलग एमएसएमई की सहभागिता | 138.98 | 0.00 |
| मंत्रालय आदि द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन | 0.00 | 0.00 |
| मंत्रालय आदि द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता | 0.00 | 0.00 |
| आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों में एमएसएमईज का क्षमता निर्माण | 0.00 | 0.00 |
| विपणन हाटों का विकास | 0.00 | 0.00 |
| वेंडर विकास कार्यक्रम (वीडीपी) | 1.60 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं, संगोष्ठियां | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय कार्यशालाएं संगोष्ठियां | 4.00 | 0.00 |
| जागरूकता कार्यक्रम | 2.45 | 0.00 |
| **जोड़** | **147.03** | **0.00** |
| **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय** | | |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि मे एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल का दौरा | 0.00 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल की सहभागिता | 18.31 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना | 0.00 | 0.00 |
| मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आदि आयोजित करना | 0.00 | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधि मंडल भेजना | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **18.31** | **0.00** |
| **सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड** | | |
| टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज | 18.00 | 0.00 |
| जीएसटी के निलंबित जमा के लिए भुगतान किया गया ब्याज | 10.56 | 0.00 |
| **जोड़** | **28.56** | **0.00** |

## टिप्पणी–31 : कर व्यय

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31.03.21 को यथास्थिति | | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **चालू कर हेतु प्रावधान** | | | | |
| चालू कर हेतु प्रावधान | 3402.78 | | 0.00 | |
| आस्थगित कर हेतु समायोजन | 432.91 | | 0.00 | |
| संपत्ति कर हेतु प्रावधान | 0.00 | 3835.69 | 0.00 | 0.00 |
| **पूर्ववर्ती वर्ष के करों के लिए प्रावधान** | | | | |
| कर हेतु प्रावधान | –27.48 | | 0.00 | |
| आस्थगित कर हेतु प्रावधान | 0.00 | –27.48 | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | | **3808.21** | | **0.00** |

## टिप्पणी–32 : प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **गणक**<br>लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ (लाख रुपए में) | 10098.20 | 0.00 |
| **मूल्य वर्ग** | | |
| इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए) | 53298800 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान आबंटित शेयर | 0 | 0.00 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत | 53298800 | 0.00 |
| तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत | 53298800 | 0.00 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य) | 18.95 | 0.00 |
| प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य) | 18.95 | 0.00 |

## टिप्पणी–33 : आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| **(i) आकस्मिक देयताएं** | | |
| ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे | 113.18 | 0.00 |
| गारंटियां | 0.00 | 0.00 |
| विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग | 866.94 | 0.00 |
| अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है | 343.24 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **1323.36** | **0.00** |
| **(ii) प्रतिबद्धताएं:** | | |
| पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल) | 1758.45 | 0.00 |
| पक्षकार प्रदत्त शेयरों और अन्य निवेशों पर अदावाकृत देयताएं | 0.00 | 0.00 |
| अन्य प्रतिबद्धताएं | 0.00 | 0.00 |
| **लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार** | **1758.45** | **0.00** |

**टिप्पणी–34 :**

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां**

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (जिसे 'एनवीसीएफएल' या 'सहायक कंपनी' कहा गया है), जो भारत में स्थित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अंतर्गत 28 अगस्त, 2020 की अधिनिगति की गई थी। यह कंपनी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (रा.ल.उ.नि.) जो भारत सरकार का एक उद्यम है, की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और दिनांक 01.09.2021 की पंजीकरण संख्या आईएन/एआईएफ 2/21–22/0924 के अंतर्गत सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमावली, 2012 के अंतर्गत एक श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में, रा.ल.उ.नि. और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (जिन्हें मिलाकर समूह कहा गया है) के वित्तीय विवरण शामिल है।

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, समूह के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | विवरण | 2020–21 |
|---|---|---|
| 1 | किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशि | |
| | (क) मूलधन की धनराशि | 19252.10 |
| | (ख) उस पर देय ब्याज | शून्य |
| 2 | नियुक्त दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि | शून्य |
| 3 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि | शून्य |
| 4 | उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि | शून्य |
| 5 | उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि | शून्य |

रा.ल.उ.नि, कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से निविदा सहभागिता के जरिए अपने उत्पादों का विपणन करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी और एमएसईज के बीच किए गए करार के अनुसार एमएसईज एनएसआईसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अवार्ड की गई निविदाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और धनराशि केवल संबंधित क्रेता विभागों से भुगतान की प्राप्ति पर ही देय होती है। इन इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि उद्योग आधार ज्ञापन (यू ए एम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकताओं के निगम (रा.ल.उ.नि.) में पंजीकरण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में ''एमएसएमईज की देय व्यापार भुगतान योग्य बकाया देय राशि'' के रूप में दर्शाई गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2(एन) उप–खंड (i) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एकसाथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान

पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, उन इकाइयों को भुगतानयोग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।

अन्य व्यापार भुगतानयोग्य के संबंध में रा.ल.उ.नि ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि "व्यापार भुगतानयोग्य – अन्य को देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. समूह में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहां 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियां आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

**शेष पुष्टि विवरण:**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | लेखे का स्वरूप | कुल बकाया (सकल) | पीआईएस/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक | पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत/ संग्रहण के लिए भेजे गए चैक | सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहां 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/कानूनी कार्यवाही के अधीन है | बकाया शेष | प्राप्त हुई पुष्टि | पुष्टि प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क | ख | ग | घ | ड़=ग–घ | च | छ=ड़–च | ज | झ=छ–ज |
| 1 | नकदी और बैंक शेष | 15669.91 | – | 15669.91 | – | 15669.91 | 15669.91 | – |
| 2 | प्राप्तियोग्य | 20236.99 | 561.46 | 19675.53 | 10849.09 | 8826.44 | 1081.77 | 7744.67 |
| 3 | ऋण एवं अग्रिम | 244049.73 | 1798.00 | 242251.73 | 10917.98 | 231333.75 | 223121.59 | 8212.16 |
| 4 | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 1842.97 | – | 1842.97 | 723.70 | 1119.27 | 413.18 | 706.09 |
| 5 | व्यापार भुगतानयोग्य | 19408.64 | – | 19408.64 | 157.60 | 19251.04 | 8132.05 | 11118.99 |
| 6 | अन्य वित्तीय देयताएं | 14249.10 | – | 14249.10 | 852.10 | 13397.00 | 7842.73 | 5554.27 |
| 7 | अन्य–गैर वित्तीय देयताएं | 36.21 | – | 36.21 | . | 36.21 | 20.39 | 15.82 |
| | जोड़ | 315493.55 | 2359.46 | 313134.09 | 23500.47 | 289633.62 | 256281.62 | 33352.00 |

धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस धनराशि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति XXII (क) (vii) के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहां कहीं आवश्यक हो।

**लागू होने वाले भारतीय लेखाकंन मानकों का पैरावार प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:**

**4. भारतीय लेखाकंन मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरण: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण**

**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**

क) रा.ल.उ.नि. अब तक आरएमए और बिल बट्टाकरण

के संबंध में 50 प्रतिशत की दर से संपार्श्विक के प्रति हानिकरण छूट को मान्यता दे रहा था जिसे बढ़ाकर अब 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण 565.54 लाख रू. की धनराशि, जो अब तक ऋणों और अग्रिमों (निवल) की देय राशियां दिखाई जाती थी, को अब 'संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान' के रूप में खर्चों के प्रति प्रभारित किया गया है और तदनुरूप ऋणों और अग्रिमों (निवल) को देय धनराशियां कम हो गई है।

ख) बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों और बंद कर दिए गए प्रचालनों से संबंधित भारतीय लेखाकंन मानक 105 अंगीकार कर लिया गया है जिससे अपनी–अपनी स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियां और इसका निपटान/बिक्री, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अत्याधिक संभावना वाली है, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉकों से परिसंपत्तियों के अलावा ब्लॉक नामतः ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

भारतीय लेखाकंन मानक 105 अंगीकार कर लिए जाने के कारण, 0.07 लाख रू. के निवल रखाव मूल्य (13.50 लाख रू. के सकल रखाव मूल्य) वाली परिसंपत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक से परिसंपत्ति के अलग ब्लॉक नामतः ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां'' अंतरित कर दी गई थी।

ग) लेखाओं के पाठक के लिए बेहतर निरूपण और समझबूझ के लिए, पहले से मौजूद लेखांकन नीतियां (जहां कहीं आवश्यक हों) पुनः तैयार की गई जोड़ी गई है।

**5. भारतीय लेखांकन मानक 2: के अनुसार प्रकटीकरण माल–सूचियां**

(क) 31.03.2021 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 40.59 लाख रुपए है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है।

(ख) कोई ऐसा प्रत्यावर्तन या अपलेखन नहीं है, जिसे इस अवधि में व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त माल–सूचियों की धनराशि में घटत के रूप में मान्यता दी गई हो।

(ग) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

**6. भारतीय लेखांकन मानक 12 – के अनुसार प्रकटीकरण आयकर**

**वित्तीय वर्ष 2020–21**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 01.04.2020 को निवल शेष | लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त | ओसीआई में मान्यता प्राप्त | 31.03.2021 को निवल शेष |
|---|---|---|---|---|
| आस्थगित कर देयताएं | | | | |
| स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित | 951.62 | 497.08 | 0 | 1448.70 |
| वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टकारण | 35.28 | 3.69 | 0 | 38.97 |
| निवेशों का उचित मूल्य | 19.02 | 0 | 23.34 | 42.36 |
| **उप–जोड़** | **1005.92** | **500.77** | **23.34** | **1530.03** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | | | |
| प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 3178.62 | 119.91 | 0 | 3298.53 |
| कर्मचारी लाभ | 2388.59 | (52.05) | (33.97) | 2302.57 |
| **उप–जोड़** | **5567.21** | **67.86** | **(33.97)** | **5601.10** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)** | **4561.29** | **(432.91)** | **(57.31)** | **4071.07** |

आय कर के प्रावधान और कर–पूर्व लाभ के प्रति भारतीय सांविधिक आय कर की दरें लागू करके परिकलित की गई धनराशि के बीच समाधान

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च–2021 |
|---|---|
| कर–पूर्व लाभ | 13906.41 |
| किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर | 25.17% |
| परिकलित कर व्यय | 3500.24 |
| **निम्नलिखित का कर प्रभाव:** | |
| ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौतीयोग्य नहीं हैं | 636.59 |
| ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है | (734.05) |
| **चालू कर प्रावधान** | **3402.78** |
| पिछली अवधियों से संबंधित आय कर | (27.48) |
| वर्धित आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) | 432.91 |
| लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय | **3808.21** |
| **प्रभावी कर दर** | **27.38%** |

**7. भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार प्रकटीकरण– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 – अमूर्त परिसंपत्तियां**

(क) निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख रा.ल.उ.नि. के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं:

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | संपत्ति के ब्यौरे | क्षेत्र | 31.03.2021 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सकल मूल्य | निवल मूल्य |
| 1 | तकनीकी केंद्र, हावड़ा में भूमि | 49.94 एकड़ | 1.60 | 1.60 |
| 2 | शाखा कार्यालय, मुंबई में फ्लैट | 3660.00 वर्ग फुट | 11.52 | 5.30 |

(ख) रा.ल.उ.नि. के पास, पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि है। जिसका स्वामित्व, निगम के पक्ष में है और निगम के कब्जे में है सिवाय एनटीएससी–हावड़ा स्थित भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख के जिसे मूल निगम के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया, जैसा कि पहले ही ऊपर किया गया है। इसके अलावा, एनटीएससी राजकोट की 3.28 एकड़ भूमि, कुछ औद्योगिक इकाइयों और अनधिकृत आवास इकाइयों द्वारा अतिक्रमण के अधीन है। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि इस अतिक्रमण को हटाने की आवश्यक कार्रवाई, प्रक्रिया इस अतिक्रमण को हटाने की आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) इस वर्ष के दौरान मूल निगम ने परिसंपत्तियों की हानिकरण हानि का मूल्यांकन किया है और उसकी राय है कि क्योंकि यह निगम एक चलता रहने वाला प्रतिष्ठान है और निगम की किसी परिसंपत्ति के हानिकरण का कोई संकेत नहीं है, इसलिए हानिकरण की हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। सिवाय एसटीबीपी बिल्डिंग, नई दिल्ली और अन्य परिसंपत्तियों की बाबत सावधान किए गए 124.41 लाख रूपये के।

(घ) समूह ने भारतीय जीएएपी के अनुसार मापे गए, भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति का रखाव मूल्य जारी रखा है।

(ङ) समूह ने कोई अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई धनराशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज का परिकलन भारतीय लेखांकन मानक 23, "उधार लागत" के अनुसार पूंजीकृत किए जाने की आवश्यकता हो। इसलिए, वर्ष के दौरान कोई ब्याज पूंजीकृत नहीं किया गया।

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 7.08 लाख रुपए के निवल रखाव मूल्य (सकल रखाव मूल्य 99.65 लाख रुपए) वाली परिसंपत्तियां 2.86 लाख रुपए की बिक्री से प्राप्त धनराशि के साथ समाप्त कर दी गई हैं और 4.22 लाख रुपए का हानि लेखे में ले लिया गया है।

**8. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – कर्मचारी लाभ**

**I. विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजना का सामान्य विवरण निम्नलिखित हैः**

**(i) सुनिश्चित अंशदान योजना**

**भविष्य निधि :**

समूह की भविष्य निधि का प्रबंधन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है, जो अनुमतिप्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। यह न्यास भारत सरकार द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर ब्याज की दर निश्चित करता है। देयता की मान्यता बीमांकिक आधार पर की जाती है।

**सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाः**

समूह में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5.00 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् निगम की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन+महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत।

कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास जरिए किया गया है।

**(ii) सुनिश्चित लाभ योजना**

**(क) उपदान :**

निगम में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

**(ख) छुट्टीः**

समूह, समूह के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। केवल छुट्टी नकदीकरण, आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में नौकरी में रहते हुए और अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिन (संराशीकरण के बिना अर्ध–वेतन छुट्टी सहित) एक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकदीकरण योग्य है।

इस संबंध में देयता की मान्यता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

**(ग) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ताः**

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है।

इस संबंध में देयता को, समूह में बीमांकिक मूल्याकंन पर के आधार पर मान्यता दी जाती है।

**(घ) अधिवर्षिता पेंशन योजना :**

कर्मचारी समूह अधिवर्षिता पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। समूह का दायित्व नामांकित कर्मचारियों के मूल वेतन महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का भुगतान करने तक सीमित है।

अवधि के लिए योजना के प्रति अंशदान, निगम की वहन क्षमता के आधार पर

बीमांकिक आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत है।

**(ङ) सेवा के दौरान चिकित्सा सुविधाः**

समूह, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय समूह द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

**II. उपर्युक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार विनिर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया हैः**

**योजना देयता**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |

**सेवा लागत**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| चालू सेवा लागत | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत | – | – | – | – | – |
| गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियां | – | – | – | – | – |
| कुल सेवा लागत | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |

**निवल ब्याज लागत**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| योजनालगत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय | – | – | – | – | – |
| निवल ब्याज लागत (आय) | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |

**लाभ दायित्व में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |
| अधिग्रहण समायोजन | – | – | – | – | – |
| ब्याज लागत | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| सेवा लागत | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत | – | – | – | – | – |

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| भुगतान किए गए लाभ | –798.12 | –667.82 | –45.55 | –7.32 | – |
| दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि | –134.47 | 104.86 | –126.82 | –0.48 | – |
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |

**दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का अलग–अलग विवरण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि | – | – | – | – | – |
| वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि | 26.36 | 17.31 | 3.89 | – | – |
| अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/ हानि | –160.83 | 87.55 | –130.71 | –0.48 | – |

**तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | – | – | – | – | – |
| तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता/प्रावधान | –4926.49 | –2842.72 | –491.42 | –3.84 | – |

**आय विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियां**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल सेवा लागत | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| निवल ब्याज लागत | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | – | 104.86 | –126.82 | – | – |
| आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय | 675.64 | 541.48 | –33.82 | 7.73 | – |

**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) | – | – | – | – | – |
| पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) | 134.47 | – | – | 0.48 | . |
| परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) | – | – | – | – | – |
| अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) | 134.47 | – | – | 0.48 | – |

## निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता | 5183.44 | 2969.06 | 570.79 | 3.91 | 0.15 |
| अधिग्रहण समायोजन | – | – | – | – | – |
| कुल सेवा लागत | 317.99 | 231.75 | 53.61 | 7.46 | – |
| निवल ब्याज लागत (आय) | 357.66 | 204.87 | 39.38 | 0.27 | – |
| पुनर्मापण | –134.47 | 104.86 | –126.82 | –0.48 | – |
| निधि में भुगतान किया गया अंशदान | – | – | – | – | – |
| उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ | –798.12 | –667.82 | –45.55 | –7.32 | – |
| अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |

## अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| सेवा लागत | 262.61 | 184.44 | 44.92 | 0.22 | – |
| निवल ब्याज लागत | 335.99 | 193.87 | 33.51 | 0.26 | – |
| अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय | 598.59 | 378.31 | 78.43 | 0.48 | – |

## बीमांकिक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

| विवरण | 2020–21 |
|---|---|
| इस्तेमाल की गई पद्धति | **अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति** |
| बट्टा दर | 6.82% |
| योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर | 0 |
| भावी वेतन में वृद्धि | 5.50 |
| मर्त्यता दर | 100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14) |
| आयु (आहरण दर) (प्रतिशत) | |
| 30 वर्ष तक | 3 |
| 31 से 44 वर्ष तक | 2 |
| 44 वर्ष से अधिक | 1 |

## सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| **बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव** | | | | | |
| अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| 0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव | –160.80 | –105.27 | –23.55 | –0.12 | – |
| 0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव | 170.55 | 112.43 | 25.45 | 0.11 | – |
| | | | | | |

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| **वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव** | | | | | |
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 4926.49 | 2842.72 | 491.42 | 3.84 | – |
| 0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव | 171.91 | 113.33 | 25.66 | – | – |
| 0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव | –163.50 | –107.03 | –23.94 | – | – |

**सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उपदान | अर्जित छुट्टी | रुग्णता छुट्टी | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | एलटीसी |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 से 1 वर्ष | 414.68 | 269.19 | 34.02 | 0.28 | – |
| 1 से 2 वर्ष | 468.65 | 245.56 | 39.00 | 0.32 | – |
| 2 से 3 वर्ष | 471.47 | 220.44 | 26.85 | 0.33 | – |
| 3 से 4 वर्ष | 367.68 | 204.00 | 23.34 | 0.24 | – |
| 4 से 5 वर्ष | 413.19 | 202.69 | 23.85 | 0.29 | – |
| 5 से 6 वर्ष | 392.07 | 198.97 | 22.74 | 0.27 | – |
| 6 वर्ष से आगे | 2398.75 | 1501.88 | 321.61 | 2.11 | – |

**III.** एनवीसीएफएल के संबंध में, वर्तमान में कोई जनशक्ति नियोजित नहीं की गई है और कार्मिक आवश्यकताएं, रा.ल.उ.नि. द्वारा प्रतिनियुक्त स्टाफ के जरिए पूरी की जाती हैं। सहायक कंपनी में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में वेतन, भत्तों, उपदान, दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य लाभों का ध्यान रा.ल.उ.नि. रखा जाता है।

**IV.** मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र के अंतर्गत यथाअनुमोदित, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 198.50 लाख रुपए और 01.01.2007 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 121.45 लाख रुपए कॉरपस चिकित्सा योजना हेतु सृजित किया गया हैं। इस कॉरपस का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमशः 154.02 लाख रुपए और 64.98 लाख रुपए की सीमा तक बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है।

**9. भारतीय लेखांकन मानक 21 के अनुसार प्रकटीकरण – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभावः**

**I.** क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण शृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया हैः

(क) XIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 241.49 लाख रुपए की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 82.05 लाख रुपए थी और 159.44 लाख रुपए का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

(ख) केएफडब्ल्यू XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए रखा जाएगा।

तद्नुसार, XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस

वर्ष के दौरान 272.06 लाख रुपए की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 217.65 लाख रुपए का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 54.41 लाख रुपए का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियां 78.00 लाख रुपए थीं, जिसे 80 प्रतिशत प्रावधान अर्थात् 217.65 लाख रुपए से समायोजित कर दिया गया है और शेष 139.65 लाख रुपए भावी विनिमय भिन्नता हानियों के लिए रख लिया गया है। दिनांक 31.03.2021 को यथास्थिति इस बाबत संचयी अवधारित प्रावधान 1977.70 लाख रुपए है, जिसमें भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए इस वर्ष के लिए 139.65 लाख रुपए का प्रावधान शामिल है।

**II. विनिमय संबंधी अंतर**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | विवरण | 2020–21 |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि | (22.59) |
| 2 | अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर | – |
| 3 | अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान | – |

**10. भारतीय लेखांकन मानक – 24: के अनुसार प्रकटीकरण संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण**

संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण पर भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

**(क) मुख्य प्रबंधन कार्मिक**

| मुख्य प्रबंधन कार्मिक | पदनाम |
|---|---|
| | |
| श्री विजयेन्द्र | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| श्री गौरांग दीक्षित | निदेशक (वित्त) |
| श्री पी. उदयकुमार | निदेशक (यो. एवं वि.) |
| सुश्री निष्ठा गोयल | कंपनी सचिव |

**ख) एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड–एनवीसीएफएल (28 अगस्त, 2020 को अधिनिगमित) एनएसआईसी की शेयरधारिता 100 प्रतिशत**

**क) मुख्य प्रबंधन कार्मिक– रा.ल.उ.नि. के साथ वर्ष के दौरान हुए लेनदेन**

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | लेन–देनों का स्वरूप | मुख्य प्रबंधन कार्मिक | मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार |
|---|---|---|---|
| | | 2020–21 | 2020–21 |
| **1.** | **व्यय** | | |
| क. | वेतन और भत्ते | 135.59 | – |
| ख. | छुट्टी/एलटीसी नकदीकरण | 6.34 | – |

| क्र. सं. | लेन–देनों का स्वरूप | मुख्य प्रबंधन कार्मिक | मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार |
|---|---|---|---|
| | | 2020–21 | 2020–21 |
| ग. | भविष्य निधि अंशदान | 7.82 | – |
| घ. | पेंशन स्कीम में अंशदान | 6.52 | |
| ङ. | अन्य | 23.87 | – |
| च. | प्रदत्त पट्टा किराया | – | – |
| छ. | बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार सेवांत लाभों के लिए प्रावधान | 5.97 | |
| **2.** | **बकाया शेष :** | | |
| क. | बकाया ऋण और ब्याज | – | – |
| ख. | यात्रा अग्रिम | – | – |
| ग. | बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवांत लाभों के लिए प्रावधान * | 87.09 | – |

* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सेवांत लाभ के लिए प्रावधान शून्य है।

**ख) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनेदनों की प्रमुख शर्तें और निबंधन** :

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारीश्रमिक रा.ल.उ.नि. के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

**11. भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार प्रकटीकरण–वित्तीय विलेख**

**किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण**

i. भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी. पीडी. सं. 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ii. वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें किराया खरीद, पट्टीकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, सावधि ऋण, संयुक्त सावधि ऋण, बैंक आदि के अंतर्गत 238985.85 लाख रू. की देय धनराशियों के संबंध में प्राप्तव्य शाामिल हैं, के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान हानिकरण क्षति के प्रति 12707.80 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

iii. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राशियों के संबंध में प्राप्तव्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्तव्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रशिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्तव्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें निगम के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाहय पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और 24574.25 लाख रू. की धनराशि की अन्य परिसंपत्तियां शामिल है, के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान हानिकरण क्षति के प्रति 397.21 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

iv. तकनीकी केन्द्रों/एसटीबीपी के और वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत व्यापार प्राप्तव्यों और ऋणों एवं अग्रिमों, जिनमें 263559.90 लाख रू. की धनराशि के प्राप्तव्य और शामिल हैं, के संबंध में भारतीय लेखाकंन मानक के अनुसार वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के प्राप्तव्यों और ऋणों एवं अग्रिमों (निगम के पास उपलब्ध ब्याज उचंत लेखे और नकद संपार्श्विक को छोड़कर निवल) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधानकरण मापदंडों के अनुरूप 13105.01 लाख रू. की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

**12. भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरणः प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी), की एनएसआईसी में बाबत 729.05 लाख रू. की धनराशि तदर्थ प्रावधान किया गया है।

**13. भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार प्रकटकीकरण – बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति और बंद कर दिए गए प्रचालन**

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां, ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 0.07 लाख रू. के निवल रखाव मूल्य (13.50 लाख रू. के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, एनएसआईसी में संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक से परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां'' में अंतरित कर दी गई थी।

**14. भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार प्रकटीकरण – प्रचालन खंड**

(क) **खंड रिपोर्टिंग**

समूह के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता की योजनाएं और नेशनल एससी/एसटी हब' 'उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों' 'प्रापण और विपणन सहायता योजना' 'राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमादित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहां, का लागू हो, प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ निगम को बजटीय सहायता उपलब्ध करा दी गई है, को 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलाप के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएं उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण निगम द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई है:

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|---|
| **प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्यिक** | **जोड़** |
| **I. खण्ड राजस्व (अनुदान सहित)** | | | |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान | 7,915.96 | – | 7,915.96 |
| – उत्पाद की बिक्री | – | 1,68,430.76 | 1,68,430.76 |
| – सेवाओं की बिक्री | 2.58 | 8,826.62 | 8,829.20 |
| – अन्य | – | 32,975.69 | 32,975.69 |
| **– जोड़** | **7,918.54** | **2,10,233.07** | **2,18,151.61** |
| **II. खंड व्यय (अनुदान के प्रति व्यय सहित)** | | | |
| वर्ष के दौरान मान्यता दिग गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय | 7,915.96 | – | 7,915.96 |

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|---|
| **प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड** | **संवर्धनात्मक** | **वाणिज्यिक** | **जोड़** |
| अन्य | 2.58 | 2,00,134.87 | 2,00,137.45 |
| **जोड़** | **7,918.54** | **2,00,134.87** | **2,08,053.41** |
| **III. परिणाम** | | | |
| क. खण्ड परिणाम | – | 10,098.20 | 10,098.20 |
| ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ | – | 21,682.97 | 21,682.97 |
| ग. भुगतान किया गया ब्याज | – | 7,772.34 | 7,772.34 |
| घ. आपवादिक मदें | – | 4.22 | 4.22 |
| ङ. कर–पूर्व लाभ | – | 13,906.41 | 13,906.41 |
| च. कर व्यय | – | 3,808.21 | 3,808.21 |
| छ. करोपरांत निवल लाभ | – | 10,098.20 | 10,098.20 |
| ज. अन्य व्यापक आय | – | 170.37 | 170.37 |
| झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं} | – | 10,268.57 | 10,268.57 |
| **III. परिसंपत्तियां और देयताएं** | | | |
| क. खण्ड परिसंपत्तियां | 3,831.32 | 2,71,147.45 | 2,74,978.77 |
| ख. अनाबंटित परिसंपत्तियां | – | – | 26,226.16 |
| **ग. कुल परिसंपत्तियां** | **3,831.32** | **2,71,147.45** | **3,01,204.93** |
| घ. खण्ड देयताएं | 5,435.31 | 1,73,888.76 | 1,79,324.07 |
| ङ. अनाबंटित देयताएं | – | – | 1,21,880.86 |
| **च. कुल देयताएं** | **5,435.31** | **1,73,888.76** | **3,01,204.93** |
| **IV. अन्य सूचना** | | | |
| (क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित) | 614.97 | 1,389.27 | 2,004.24 |
| (ख) मूल्यह्रास# | 347.70 | 841.52 | 1,189.22 |
| (ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय | – | 682.87 | 682.87 |

# संवर्धनात्मक खण्ड का मूल्यह्रास, पूंजी आरक्षित के प्रति प्रभारित किया गया है।

**(ख) प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व (लाख रुपए में) के बारे में सूचना**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| उत्पादों की बिक्री | 168430.76 |
| ब्याज आय | 27176.77 |

(ग) समूह के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि निगम के ऋणद प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।

(घ) किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निगम के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।

(ड़) सहायक कंपनी 'एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड' के प्रचालनों से प्राप्त राजस्व शून्य है। इसलिए सहायक कंपनी के लिए किसी अलग खंड की पहचान नहीं की गई है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आर्थिक सहायता राजस्व, व्ययों, परिसंपत्तियों और देयताओं को 'वाणिज्यिक' खंड के अतर्गत जोड़ दिया गया है।

**15. भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण– ग्राहकों के साथ किए गए संविदाओं से प्राप्त राजस्व निगम का संघटक–वार राजस्व**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| उत्पादों की बिक्री | 168430.76 |
| सेवाओं की बिक्री | 8829.20 |
| ब्याज आय | 27176.77 |
| प्रोसेसिंग शुल्क | 4580.06 |
| अन्य प्रचालन आय | 1123.39 |
| **जोड़** | **210140.18** |

**16. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरणः पट्टे**

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार, समूह तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी अवधियों में इन पट्टों के प्रति भुगतानयोग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'इस्तेमाल करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है। तथापि, समूह ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतनिर्हित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का इस्तेमाल किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहां ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोटफोलियों का प्रबंधन करने और समूह की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुनम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 448.67 लाख रू. है। इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वह 453.06 लाख रू. है।

**(क) पट्टाधारी के रूप में पट्टेः**

i. मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं और वर्ष के दौरान संचालनों की धारित धनराशियां निम्नलिखित हैंः

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| अथशेष | 68.29 |
| – पट्टा देयताओं में अभिवर्धन | (10.69) |
| – वर्ष के दौरान ब्याज लागत | 4.39 |
| – पट्टा दयेताओं का भुगतान | 4.39 |
| – अंत शेष | 57.60 |

ii. **लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियां निम्नलिखित हैंः**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| इस्तेमाल के अधिकारवाली परिसंपत्तितयों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन | 0.84 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय | 4.39 |

iii. **अन्य प्रकटीकरण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| पट्टों से नकदी बहिर्वह | 4.39 |

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराशि | 55.83 |

**(ख) पट्टादाता के रूप में पट्टेः**

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पट्टे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 3438.30 लाख रू. की धनराशि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैंः

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| एक वर्ष से कम | 2983.56 |
| एक और दो वर्षों के बीच | 2677.01 |
| दो और तीन वर्षों के बीच | 2054.30 |
| तीन और चार वर्षों के बीच | 1622.33 |
| चार और पांच वर्षों के बीच | 1515.10 |
| पांच वर्षों से अधिक | 4505.25 |

**17. निगम पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव**

भारत, ने, सवंमित रोगियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर देखी

है। परिणामी लॉकडाउन, आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक थे और सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में संकेन्द्रित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डिजीटल संसूचन प्रौद्योगिकी कार्य बल को इस संबंध में समर्थ बनाती है कि वह व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए दूरस्थ प्रौद्योगिकी के जरिए सुरक्षित रूप से कार्य करे।

दिनांक 27.03.2020 और 23.05.2020 के कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित भा.रि.बै. के दिशानिर्देशों के अनुसार रा.ल.उ.नि. ने, 01.03.2020 और 31.08.2020 के बीच देय होने वाली किश्तों के भुगतान पर, पात्र ऋणियों को ऋण स्थगन का प्रस्ताव दिया है।

समूह का विश्वास है कि वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में वृद्धि होने के साथ व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधियों में निश्चित रूप से पुनररुत्थान होगा।

उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए, समूह प्रबंधन का विश्वास है कि इसके व्यवसाय प्रचालनों की निरंतरता, अपनी वित्तीय स्थिति बनाए रखने में और एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की इसकी योग्यता में इस प्रकोप का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। तथापि समूह पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ–साथ कोविड–19 की अवधि से संबंधित भावी विकास और एनबीएफसीज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार और विनियामक निकायों द्वारा किन्हीं अगली कार्रवाइयों पर निर्भर होना जारी रहेगा। समूह, भावी आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर संभावित प्रभाव से उत्पन्न किन्हीं सारवान परिवर्ततनों पर निकटता से नजर रखना भी जारी रखेगा।

18. दिनांक 27.03.2020 को अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/186, डीओआर संख्या बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019–20 के अंतर्गत कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, रा.ल.उ.नि. अपने उन ग्राहकों, जिन्होंने 01.03.2020 से पहले बी.जी के प्रति ''कच्चा माल सहायता'' की योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त की है, को 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच होने वाली सभी किस्तों के भुगतान पर तीन महीने का विलंबन स्वीकृत किया था। 483 ऐसी इकाइयों जिनकी 29.02.2020 को यथा स्थिति बकाया देय धनराशियां 70382.86 लाख रू. थी, ने इस स्कीम के अंतर्गत ऋण स्थगन का विकल्प चुना था।

इसके पश्चात दिनांक 23.05.2020 की अधिसूचना संख्या भा.रि.बैं./2019–20/244 डीओआर संख्या बीपी. बीसी. 71/21.04.048/2019–20 के अंतर्गत कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार निगम ने उन इकाइयों को 31.08.2020 को समाप्त अगले तीन महीने के विलंबन की अनुमति प्रदान की, जिनके खाते 29.09.2020 को यथास्थिति मानक थे (भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार) और जिन्होंने पहले तीन महीने के विलंबन का लाभ उठाया था, बशर्ते कि कुल बकाया (विस्तारित अवधि के लिए ब्याज के साथ–साथ मूलधन) उपलब्ध प्रतिभूति (अर्थात बैंक गारंटी) से कवर होता था। किसी भी इकाई ने, ऋण स्थगन स्कीम के दूसरे चरण में ऋण स्थगन का विकल्प नहीं चुना था।

19. सरकार ने **''ऋणी के विनिर्दिष्ट ऋण खातों में 6 महीने (01.03.2020 से 31.08.2020) के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुग्रह भुगतान की स्वीकृति की योजना''** घोषित की है जो प्रचालनात्मक दिशोनिर्देशों के साथ 23 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 2/12/2020–बी ओ ए के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभ, ऋणद संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा और दावे की प्रतिपूर्ति सरकार द्वार की जाएगा। तथापित, इसका 31.03.2021 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि क्रेडिट किए जाने वाले/लेखे में लिए जाने वाले लाभ की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत 153 एमएसएमईज को 2.83 लाख रू. का लाभ स्वीकृत किया गया था और वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंदर ही सरकार से 2.83 लाख रू. के लाभ की प्रतिपूर्ति भी की गई है।

20. ''कोविड–19 विनियामक पैकेज समाप्त हो जाने के पश्चात परिसंपत्ति वर्गीकरण और अन्य मान्यता'' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07 अप्रैल, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/17 डीओआर.एसटीआर. आईसी.4/21.04./048/आरओआई/2021–22 के अनुसार रा.ल.उ.नि. ने ऋण स्थगन अवधि अर्थात 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान ऋण सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वालों ऋणियों सहित सभी ऋणियों को प्रभारित ''ब्याज पर ब्याज'' को लौटा दिया। समायोजित कर दिया है चाहे ऋण स्थगन का लाभ अंशतः प्राप्त किया गया हो या लाभ प्राप्त न किया गया हो। ''ब्याज पर ब्याज'' के प्रति 1368 एमएसएमईज को 116.68 लाख रू. की कुल धनराशि लौटाई/समायोजित की गई थी।

## 21. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

| 31.03.2021 को यथास्थिति | निवल अग्रिम | निवेश | उधार | | विदेशी मुद्रा की मदें | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | घरेलू | विदेशी | परिसंपत्तियां | देयताएं |
| 30/31 दिनों तक | 46086.71 | – | 138000 | – | – | – |
| 1 महीने से अधिक 2 महीने तक | 15686.09 | – | – | – | – | – |
| 2 महीने से अधिक 3 महीने तक | 20879.55 | – | – | 128.28 | – | – |
| 3 महीने से अधिक 6 महीने तक | 143625.49 | – | – | 21.92 | – | – |
| 6 महीने से अधिक 1 साल तक | – | – | – | 150.20 | – | – |
| 1 साल से अधिक 3 साल तक | – | – | – | 600.80 | – | – |
| 3 साल से अधिक 5 साल तक | – | – | – | 600.80 | – | – |
| 5 साल से अधिक | – | 174.36 | – | 3717.83 | – | – |

**(ये अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण, बैंक आदि से संबंधित है।)**

## 22. वित्तीय दस्तावेज़

### क. पूंजी प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और निगम के इक्विटीधारकों को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियां शामिल हैं। निगम के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से समूह की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। निगम, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सेक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियां जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, निगम, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ ''केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण'' पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वरा भी मार्गदर्शित होता है। समूह ने बाहन रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

समूह ने, रिपोर्टाधीन अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

### ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

एनवीसीएफएल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अपना व्यवसाय प्रचालन आरंभ नहीं किया है।

रा.ल.उ.नि. अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। समूह, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है।

### (क) क्रेडिट जोखिम

(i) निगम, अपने ऋणद प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ किए जाते हैं। जहां तक निवेशों का संबंध है, निगम का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है, जिसके भाग का प्रावधान निगम ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए निगम ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। निगम, जोखिम की उस धनराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके सकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का सव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर

करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

निगम को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के प्रापण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

**(ii) महत्त्पूर्ण अनुमान और निर्णय**

**वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण:**

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। निगम, निगम के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमाल करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का इस्तेमाल करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

निगम ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

निगम ने सभी ऋणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया है:

चरण 1 – निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2 – निम्न निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3 – गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) X हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

निगम, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 डीपीडी पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

**अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान**

| स्तर | श्रेणी | श्रेणी का विवरण | प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान की मान्यता का आधार ऋण |
|---|---|---|---|
| चरण 1 | मानक परिसंपत्तियां, उच्च गुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्य क्रेडिट जोखिम | परिसंपत्तियां, जहां प्रति–पक्षकार के पास दायित्व पूरे करने के लिए सुदृढ़ क्षमता है और जहां चूक का जोखिम शून्य या नगण्य है। नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियां हैं। | 12 महीने का ईसीएल |
| चरण 2 | वर्धित जोखिम परिसंपत्तियां या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियां | परिसंपत्तियां, जहां आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है। | आजीवन ईसीएल |
| चरण 3 | हानिकृत परिसंपत्तियां | | आजीवन ईसीएल |

**(ख) परिशोधन जोखिम**

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि निगम के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। निगम का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएं पूरी करने के लिए परिशोधन का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। निगम, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

**(i) वित्तपोषण व्यवस्थाएं**

निगम के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| **अस्थायी दर** | |
| – एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं) | शून्य |

निगम के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

**(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा**

नीचे दी गई सारणी में, निगम की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिक्पवताएं आवश्यक हैं।

सारणी में विगोपित धनराशियां, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है।

(लाख रुपए में)

| विवरण | वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं | | |
|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 | | |
| | **बैंक उधार** | **बाज़ार उधार** | **जोड़** |
| 1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना) | 138000 | – | 138000 |
| 1 महीने से अधिक 2 महीने तक | – | – | – |
| 2 महीने से अधिक 3 महीने तक | – | 128.28 | 128.28 |
| 3 महीने से अधिक 6 महीने तक | – | 21.92 | 21.92 |
| 6 महीने से अधिक 1 साल तक | – | 150.20 | 150.20 |
| 1 साल से अधिक 3 साल तक | – | 600.80 | 600.80 |
| 3 साल से अधिक 5 साल तक | – | 600.80 | 600.80 |
| 5 साल से अधिक | – | 3717.83 | 3717.83 |

**(ग) बाज़ार जोखिम**

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं – ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

**(i) विदेशी मुद्रा जोखिम**

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

निगम, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। निगम के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित हैः

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31.03.2021 को यथास्थिति | |
|---|---|---|
| | विदेशी मुद्रा (यूरो में) | कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में) |
| केएफडब्ल्यू–XI | 2723140.61 | 2380.57 |
| केएफडब्ल्य–XII | 2520668.93 | 2203.57 |
| आईएलसी | 727164.54 | 635.69 |

**विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन–**

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

**विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण**

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

**(ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति निगम की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। निगम के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

**(क) ब्याज दर जोखिम अरक्षितता**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति निगम की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित हैः

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 |
|---|---|
| परिवर्तनीय दर वाले उधार | – |
| निश्चित दर वाले उधार | 138000.00 |
| **कुल उधार** | **138000.00** |

**(ख) संवेदनशीलता**

चूंकि निगम के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

**(iii) मूल्य जोखिम**

**(क) अरक्षितता**

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति निगम की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और निगम द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन निगम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। तथापि निगम ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

**(ख) संवेदनशीलता**

निगम की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले

दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, निगम ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

**(ग) उचित मूल्य मापन**

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियां, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

**उचित मूल्य क्रम–परंपरा**

**उचित मूल्य पर मापे गए और मान्यता दिए गए वित्तीय दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई और एफवीटीपीएल)**

(लाख रुपए में)

| विवरण | उचित मूल्य पर धनराशि 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | उचित मूल्य क्रम–परंपरा | मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट |
|---|---|---|---|
| **I. वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | |
| **एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश** | | | |
| – इक्विटी दस्तावेजों में निवेश | 174.36 | स्तर 1 | उद्धृत बाज़ार मूल्य |
| **एफवीटीपीएल पर वित्तीय निवेश** | | | |
| **जोड़** | **174.36** | | |
| **II. वित्तीय देयताएं** | – | | |
| **जोड़** | – | | |

**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | | उचित मूल्य क्रम–परंपरा | मूल्यांकन तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट |
|---|---|---|---|---|
| | परिशोधित मूल्य | उचित मूल्य | | |
| **I. वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| कंपनियों को ऋण/ एलएलपी | 230629.29 | 230629.29 | स्तर 3 | प्रभावी ब्याज दर |
| कर्मचारियों को ऋण | 45.23 | 45.23 | स्तर 2 | अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी |
| **जोड़** | **230674.52** | **230674.52** | | |
| **II. वित्तीय देयताएं** | | | | |
| उधार | 143219.83 | 143219.83 | स्तर 3 | प्रभावी ब्याज दर |
| **जोड़** | **143219.83** | **143219.83** | | |

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्व है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

– स्तर–1 : समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे निगम, मापन की तारीख को प्राप्त कर सकता है।

– स्तर–2 : स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

– स्तर–3 : परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें निगम, मापन की तारीख को प्राप्त कर सकता है।

**सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का रखाव मूल्य और उचित मूल्य दर्शाने वाली सारणी**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | |
|---|---|---|
| | रखाव मूल्य | उचित मूल्य |
| **I. वित्तीय परिसंपत्तियां** | | |
| | | |
| – नकदी और नकदी समतुल्य | 12347.19 | 12347.19 |
| – बैंक शेष | 3322.72 | 3322.72 |
| – प्राप्ति योग्य | 18719.09 | 18719.09 |
| – ऋण एवं अग्रिम | 230674.52 | 230674.52 |
| – निवेश | 174.36 | 174.36 |
| – बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां | 0.07 | 0.07 |
| – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 1289.14 | 1289.14 |
| **जोड़** | **266527.09** | **266527.09** |
| **II. वित्तीय देयताएं** | | |
| | | |
| – निवेश | 19408.64 | 19408.64 |
| – उधार | 143219.83 | 143219.83 |
| – अन्य वित्तीय देयताएं | 14249.10 | 14249.10 |
| **जोड़** | **176877.57** | **176877.57** |

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतानयोग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियां, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

**23. प्रस्तावित लाभांश :** इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| 100–100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर | |
| – प्रस्तावित लाभांश की धनराशि (लाख रुपए में) | 3177.66 |
| – लाभांश दर (प्रतिशत) | 30% कर उदायगी के बाद लाभ |
| – प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए) | 5.96 |

निगम द्वारा प्रस्तावित लाभांश, निगम के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अनुसार करोपरांत लाभ और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। निगम के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संबंध में 3177.66 लाख रू. (5.96 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 3177.66 लाख रू. का नकद वविर्वह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक (ए.एस)–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएं और घटनाएं के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

**24. रा.ल.उ.नि. भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना**

**क. हानिकरण आरक्षित**

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी.डी. संख्या 109/22.10. 106/2019–20 के आधार पर, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहां भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, निगम ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित 'हानिकरण आरक्षित' में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 4866.65 लाख रूपये की धनराशि की हानिकरण आरक्षित राशि विनियोजित की गई थी क्योंकि भारतीय लेखाकंन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, उसी सीमा तक आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण की तलुना में निरंतर थी।

इसी प्रकार 31.03.2021 को यथास्थिति हानिकरण आरक्षित राशि 3390.96 लाख रू. है क्योंकि भारतीय लेखाकंन मानक–109 के अंतर्गत 12707. 81 लाख रू. की हानिकरण छूट, उस सीमा तक आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण की 16098.77 लाख रू. की धनराशि की तुलना में निम्नतर है।

चूंकि 31.03.2021 को यथास्थिति हानिकरण आरक्षित 3390.96 लाख रू. की धनराशि, 31. 03.2020 को यथास्थिति पहले ही विनियोजित कर दी गई 4866.65 लाख रू. की हानिकरण आरक्षित धनराशि से निम्नतर है, इसीलिए हानिकरण आरक्षित धनराशि 1475.69 लाख रू. की सीमा तक प्रत्यावर्तित नहीं की गई है क्योंकि उस आरक्षित धनराशि से आहरण/कटौती की अनुमति नहीं है जो पहले ही विनियोजित कर दी गई है। इस प्रकार 31.03.2021 को यथा स्थिति हानिकरण आरक्षित 4866.65 लाख रू. पर बनाए रखा गया है।

आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलना।

**वित्तीय वर्ष 2020–21**

(लाख रुपए में)

| भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण | भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपित्त वर्गीकरण | भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनरशि | भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान | निवल रखाव धनराशि | आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान | भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)–(4) | (6) | (7)=(4)–(6) |
| **निष्पादन परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| मनक | चरण–1 | 227185.97 | 908.13 | 226277.84 | 776.65 | 131.48 |
| | चरण–2 | – | – | – | – | – |
| उप–जोड़ | | **227185.97** | **908.13** | **226277.84** | **776.65** | **131.48** |
| | | | | | | |

| भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण | भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपित्त वर्गीकरण | भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनरशि | भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान | निवल रखाव धनराशि | आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान | भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)–(4) | (6) | (7)=(4)–(6) |
| **गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए)** | | | | | | |
| मनक | चरण–3 | 1131.07 | 1131.07 | – | 2486.00 | –1354.93 |
| संदिग्ध – 1 वर्ष तक | चरण–3 | – | – | – | 1601.98 | –1601.98 |
| 1 से 3 वर्ष तक | चरण–3 | – | – | – | – | – |
| 3 वर्ष से अधिक | चरण–3 | 9898.05 | 9898.05 | – | 10463.59 | –565.54 |
| संदिग्ध का उप जोड़ | | **9898.05** | **9898.05** | **–** | **12065.57** | **–2167.52** |
| हानि | चरण–3 | 770.56 | 770.56 | – | 770.56 | – |
| एनपीए का उपजोड़ | | **11799.68** | **11799.68** | **–** | **15322.13** | **–3522.45** |
| अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती | चरण–1 | – | – | – | – | – |
| | चरण–2 | – | – | – | – | – |
| | चरण–3 | – | – | – | – | – |
| उप जोड़ | | – | – | – | – | – |
| **जोड़** | **चरण–1** | 227185.97 | 908.13 | 226277.84 | 776.65 | 131.48 |
| | **चरण–2** | – | – | – | – | – |
| | **चरण–3** | 11799.68 | 11799.68 | – | 15322.13 | –3522.45 |
| | **जोड़** | 238985.65 | 12707.81 | 226277.84 | 16098.78 | –3390.97 |

**ख. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि**

मूल निगम, भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत यथा अपेक्षित आरक्षित निधि सृजित कर रही है। जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत अंतरित किया जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय उस उद्देश्य के लिए जो समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो और इसके अलावा ऐसा कोई विनियोजन, उस आहरण की तारीख से 21 दिन के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45आईसी के अंतर्गत 2031.86 लाख रू. की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2021 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 4015.70 लाख रू. की हो गई है।

**ग. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उधारों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पेपर को क्रिसिल और एक्यूटे द्वारा 'ए1+' के रूप में रेटिंग दी गई, जिसे 'सुरक्षा की बहुत सुदृढ़ डिग्री' माना जाता है। इसके अलावा, निगम की बैंक सुविधाओं को 'केयर' द्वारा रेटिंग दी गई है और यह रेटिंग 'एए+' है, जिसे वित्तीय दायित्वों की समय से सर्विसिंग के संबंध में उच्च डिग्री माना जाता है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

**घ. विनियामक द्वारा लगाई गई शास्तियां** – शून्य

## ड़. पूंजीगत पर्याप्तता

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| i) सीआरएआर (%) | 33.72 |
| ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी (%) | 33.39 |
| iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी (%) | 0.33 |
| iv) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि | शून्य |
| v) चिरस्थायी ऋण दस्तावेज़ों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि | शून्य |

**(क) निवेश :** रा.ल.उ.नि. के पास भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है।

## (ख) निवेशों का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

| | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| (1) | निवेशों का मूल्य | |
| (i) | निवेशों का सकल मूल्य | |
| (क) | भारत में | |
| | ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर | 189.36 |
| (ख) | भारत से बाहर | |
| (ii) | मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | |
| (क) | भारत में | 15.00 |
| (ख) | भारत से बाहर | |
| (iii) | निवेशों का निवल मूल्य | |
| (क) | भारत में | 174.36 |
| (ख) | भारत से बाहर | |
| (2) | निवेशों के प्रति रखे गए प्रावधानों का संचलन | |
| (i) | अथ शेष | 15.00 |
| (ii) | जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | |
| (iii) | घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना | |
| (iv) | अंत शेष | 15.00 |
| (3) | उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि | 174.36 |
| | उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य | 174.36 |
| (4) | अनुद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि | 15.00 |
| (5) | निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए समग्र प्रावधान | 15.00 |

## (ग) निवेशों का मूल्यांकन

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| i) निवेशों का सकल मूल्य | 96.63 |
| ii) हानिकरण हानि के लिए छूट | 15.00 |
| iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल) | 92.73 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| iv) निवेशों का उचित मूल्य | 174.36 |
| **निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन में संचलन (निवल)** | |
| अथ शेष | 81.63 |
| जोड़ें: मूल्य में वृद्धि | 92.73 |
| घटाएं: मूल्य में कमी | |
| अंत शेष | 174.36 |

## च. व्युत्पत्तियां

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| व्युत्पन्न विलेखों/उत्पादों की अरक्षितता | शून्य |

## छ. प्रतिभूतिकरण

### (क) परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए प्रायोजित एसपीवी के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| प्रायोजित एसपीवी | शून्य |

### (ख) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| बेची गई परिसंपत्तियां | शून्य |

### (ग) किए गए समनुदेशन लेनदेन के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| किए गए समनुदेशन लेनदेन | शून्य |

### (घ) खरीदी गई/बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियां | शून्य |
| बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियां | |
| (i) बेचे गए खातों की संख्या | |
| (ii) समग्र बकाया | |
| (iii) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल | |
| (iv) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि | |

एन एस आई सी
N S I C

## (ङ) रियल एस्टेट/पूंजी बाज़ार सेक्टर के प्रति अरक्षितता

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| I. रियल एस्टेट सेक्टर के प्रति हुई अरक्षितता (प्रत्यक्ष) | शून्य |
| (i) आवासीय बंधक | |
| (ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट | |
| • वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण | |
| • बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और अन्य अरक्षितताओं में ऋण | |
| II. पूंजी बाजार (सकल) के प्रति अरक्षितता | |
| (क) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनके कॉरपस का निवेश अनन्य रूप से कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है; | 189.36 |
| (ख) शेयरों (आईपीओज/ईएसओपीज सहित) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूति के प्रति या स्पष्ट आधार पर अग्रिम; | शून्य |
| (ग) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटें प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाती हैं; | शून्य |
| (घ) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति इन अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती; | शून्य |
| (ङ) स्टॉक ब्रोकरों और बाज़ार निर्माताओं की ओर से गारंटियां और स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम; | शून्य |
| (च) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोत्साहकों का अंशदान पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या स्पष्ट आधार पर कॉरपोरेट को स्वीकृत ऋण; | शून्य |
| (छ) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के प्रति कंपनियों को ब्रिज ऋण | शून्य |
| (ज) उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के प्रति सभी अरक्षितताएं | शून्य |

**ज. लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का अलग–अलग विवरण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| क. निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान | शून्य |
| ख. एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | शून्य |
| ग. ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान | शून्य |
| घ. निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान | शून्य |
| ङ. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान | शून्य |
| च. आय कर के प्रति किया गया प्रावधान | 3402.78 |
| छ. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (आस्थगित कर देयताएं) | 432.91 |

**झ. अग्रिमों और गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| I. अग्रिमों का संकेंद्रण | |
| बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम | 9822.32 |
| बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत | 4.11 |
| II. एनपीए का संकेंद्रण | |
| शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल अरक्षितता | 1136.07 |

**ञ. सेक्टर–वार एनपीए (सकल)**

(लाख रुपए में)

| क्रम सं. | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप | शून्य |
| 2 | एमएसएमई | 11799.68 |
| 3 | कॉरपोरेट ऋणी | शून्य |
| 4 | सेवाएं | शून्य |
| 5 | अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण | शून्य |
| 6 | आटो ऋण | शून्य |
| 7 | अन्य व्यक्तिगत ऋण | शून्य |

**ट. एनपीएज का संचलन**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| 1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज (%) | – |
| 2) **सकल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन** | |
| (क) अथ शेष | 30398.75 |
| (ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि | – |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
| --- | --- |
| (ग) घटाएं: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता | 18599.07 |
| (घ) अंत शेष | 11799.68 |
| 3) **निवल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन** | |
| (क) अथ शेष | 19125.85 |
| (ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि | – |
| (ग) घटाएं: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता | 19125.85 |
| (घ) अंत शेष | – |
| 4) **एनपीए/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में संचलन** | |
| (क) अथ शेष | 11272.90 |
| (ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 526.78 |
| (ग) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण | – |
| (घ) घटाएं: पुरांकित प्रावधान | – |
| (ड़) अंत शेष | 11799.68 |

**ठ. अन्य सूचना**

(लाख रुपए में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
| --- | --- |
| i) एकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियां | |
| – संबंधित पक्षकार | – |
| – संबंधित पक्षकारों के अलावा | 11799.68 |
| ii) निवल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियां | |
| – संबंधित पक्षकार | – |
| – संबंधित पक्षकारों के अलावा | – |

**ड. ग्राहक एवं निवेशक शिकायतें**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
| --- | --- |
| क. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 2 |
| ख. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 212 |
| ग. वर्ष के निवारण की गई शिकायतों की संख्या | 214 |
| घ. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य |

**25.** किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशेधित, दिनांक 01 सितबर, 2016 के मास्टर निर्देश डीएनबीआर. पीडी. 008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

**देयताएं पक्ष**

1. **उन पर उपार्जित ब्याज सहित गैर–बैंकिंगत वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए परंतु भुगतान न किए गए ऋण और अग्रिम**

(लाख रुपए में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|
| | | बकाया धनराशि | अतिदेय धनराशि |
| (क) | डिबेंचर | – | – |
| (ख) | आस्थगित क्रेडिट | – | – |
| (ग) | सावधि ऋण | 5229.07 | – |
| (घ) | अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार | – | – |
| (ड) | वाणिज्यिक पेपर | – | – |
| (च) | सार्वजनिक जमा | – | – |
| (छ) | अन्य ऋण | | |
| | बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण | 138413.99 | – |

2. **ऊपर 1(च) (उन पर उपार्जित ब्याज सहित बकाया परंतु भुगतान न की गई सार्वजनिक जमा राशियां) का अलग–अलग विवरणः**

–लागू नहीं–

**परिसंपत्ति पक्ष**

3. **प्राप्तियोग्य बिलों सहित {नीचे (4) में शामिल किए गए के अलावा} ऋणों और अग्रिमों का अलग–अलग विवरण**

(लाख रुपए में)

| विवरण | बकाया धनराशि |
|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
| (क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल) | – |
| (ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल) | 226277.84 |
| (ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल) | – |

4. **एएफसी क्रियाकलापों के प्रति गिने जाने वाले किराये और बंधक–पत्र के ऋणों पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और स्टॉक का अलग–अलग विवरण**

–लागू नहीं–

5. **निवेशों का अलग–अलग विवरण (घटाव को छोड़कर निवल):**

(लाख रुपए में)

| विवरण | | बकाया धनराशि |
|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
| **चालू निवेश** | | |
| 1 | **उद्धृत** | |
| (i) | शेयर | शून्य |
| (क) | इक्विटी | |
| (ख) | वरीयता | |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | |
| (v) | अन्य | |

| विवरण | | बकाया धनराशि |
|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
| **2** | **अनुद्धृत** | |
| (i) | शेयर | |
| (क) | इक्विटी | 600.00 |
| (ख) | वरीयता | शून्य |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | शून्य |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | शून्य |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | शून्य |
| (v) | अन्य | शून्य |
| | **दीर्घावधि निवेश** | |
| **1** | **उद्धृत** | |
| (i) | शेयरः | |
| (क) | इक्विटी (उचित मूल्य) | 174.36 |
| (ख) | वरीयता | शून्य |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | शून्य |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | शून्य |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | शून्य |
| (v) | अन्य | शून्य |
| **2** | **अनुद्धृत** | |
| (i) | शेयरः | शून्य |
| (क) | इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल) | शून्य |
| (ख) | वरीयता | शून्य |
| (ii) | डिबेंचर और बांड | शून्य |
| (iii) | म्युचुअल फंड की यूनिटें | शून्य |
| (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | शून्य |
| (v) | अन्य | शून्य |

**6. ऊपर (3) और (4) में दिए गए अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण**

(लाख रुपए में)

| श्रेणी | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल) | बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया | अप्रतिभूत प्रावधान के पश्चात निवल) |
| 1 | संबंधित पक्षकार | | | |
| (क) | आर्थिक सहायता | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ख) | उसी समूह में कंपनियां | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ग) | अन्य संबंधित पक्षकार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | संबंधित पक्षकारों के अलावा | शून्य | 226277.84 | शून्य |

**7. शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण**

(लाख रुपए में)

| श्रेणी | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|
| | | उचित मूल्य | अंकित मूल्य |
| 1 | संबंधित पक्षकार | | |
| (क) | आर्थिक सहायता | 600.00 | 600.00 |
| (ख) | उसी समूह में कंपनियां | शून्य | शून्य |
| | अन्य संबंधित पक्षकार | शून्य | शून्य |
| (ग) | संबंधित पक्षकारों के अलावा | शून्य | शून्य |
| 2 | संबंधित पक्षकार | 174.36 | 174.36 |

**26.** सहायक कंपनी को समय–समय पर यथा अद्यतनीकृत भा.रि.बै. अधिनियम, 1934 के उपबंधों से, मास्टर दिशा–निर्देश छूट के अंतर्गत गैर–बैकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण से छूट प्राप्त प्रदान कर दी गई है, इसलिए कंपनी, ने अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के प्रभाग ।।। का पालन किया है, जो एनबीएफसीज पर लागू होते हैं, जैसाकि कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 में परिभाषित है, जिसमें अन्य वेंचर कैपीटल फंड कंपनियां शामिल हैं।

**27. हाल ही की लेखांकन घोषणाएं**

नये मानक/मौजूदा मानकों में संशोधन/जारी की गई परंतु रा.ल.उ.नि. का वित्तीय विवरण जारी किए जाने की तारीख तक अभी लागू न की गई नई घोषणा नीचे प्रकट की गई है:

24 मार्च, 2021 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अधिसूचना के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग I, II और III को संशोधित कर दिया और ये 01 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। अनुसूची III से संबंधित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों में कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, निम्नलिखित है:

**तुलन पत्र की टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण:**

- संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां: विशिष्ट प्रकटीकरण, यदि संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अन्य समायोजनों और संबंधित मूल्यह्रास तथा हानिकरण क्षति/प्रत्यावर्तनों की प्रत्येक श्रेणी के निवल रखाव मूल्य का परिवर्तन कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या इससे अधिक हो।
- चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में, पूर्वावधि त्रुटियों और पुनः उल्लिखित शेषों के कारण इक्विटी शेयरों में परिवर्तनों जैसे इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण।
- व्यापार प्राप्तव्यों, व्यापार भुगतान योग्य राशियों, चल रहे पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र।
- प्रोत्साहक की शेयरधारिताः वित्तीय विवरणों में शेयर पूंजी पर टिप्पणी में, वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनों, यदि कोई हों के साथ–साथ प्रोत्साहकों की शेयरधारिता के ब्योरों का उल्लेख होगा।
- दीर्घावधि उधारों की चालू परिपक्वताएं, अल्पावधि उधार शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रकट की जाएगी।
- यदि एनबीएफसी ने निधियों का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया है, जिसके लिए यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया था तो इसके ब्यौरों का प्रकटीकरण इसका उपयोग कहां किया गया है।
- एनबीएफसी के नाम में रखी गई अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व विलेखों का विशिष्ट प्रकटीकरण और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्याकंन पर प्रकटीकरण।
- "अतिरिक्त विनियामक शर्त" का विशिष्ट प्रकटीकरण जैसे व्यवस्थाओं की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालन, कंपनियों के रखने वालों की संख्या का अनुपालन, एनबीएफसी के नाम में न रखी गई अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व विलेखों, प्रोत्साहनों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और संबंधित पक्षकारों को ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे, रखी गई, बेनामी संपत्ति आदि के ब्यौरे।
- अनुपातः निम्नलिखित अनुदान प्रकट किए जाएंगे:–(क) पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर), (ख) टियर। सीआरएआर (ग) टियर ।। सीआरएआर, (घ) परिशोधन कवरेज अनुपात

- उधारों और जानबूझकर चूककर्ता।

**लाभ एवं हानि लेखे की टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण**

- अकेले वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग टिप्पणियों में ''अतिरिक्त सूचना'' शीर्ष के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) अघोषित आय और क्रिप्टो या विरचुअल मुद्रा से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण।

  ये संशोधन व्यापक हैं और निगम, कानून द्वारा यथा अपेक्षित उन्हें लागू करने के लिए इनका मूल्यांकन करेगा।

**28** 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी विनियामक द्वारा निगम पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई (पिछले वर्ष शून्य)।

**29.** 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान न्यायपूर्ण पद्धति संहिता के अंतर्गत ऋणियों से निगम को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई (पिछले वर्ष शून्य)।

**30.** सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

**31.** वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

**32.** समेकित लेखाओं का यह प्रथम वर्ष होने के कारण, पिछले वर्ष 2019–20 के तदनुरूपी आंकड़े लागू नहीं है।

*********

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्यिक) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|
| **I राजस्व** | | | |
| क प्रचालनों से राजस्व | **21** | | |
| उत्पादों की बिक्री | | 168430.76 | 0.00 |
| सेवाओं की बिक्री | | 8826.62 | 0.00 |
| ब्याज आय | | 27176.77 | 0.00 |
| प्रोसेसिंग शुल्क | | 4580.06 | 0.00 |
| [इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 1287396.77 लाख रू. (1401344.08 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 4580.06 लाख रू. (4863.66 लाख रू.) शामिल है।] | | | |
| उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय लेखों की मान्यता समाप्त करने पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| अन्य प्रचालन आय | | 1123.39 | 0.00 |
| **प्रचालन से कुल राजस्व** | | **210137.60** | **0.00** |
| ख अन्य आय | **22** | 95.47 | 0.00 |
| ग अनुदान और सब्सिडियां | **23** | 0.00 | 0.00 |
| **कुल राजस्व (क + ख + ग)** | | **210233.07** | **0.00** |
| **II व्यय** | | | |
| स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद | **24** | 167355.66 | 0.00 |
| माल–सूचियों में परिवर्तन | **25** | 54.96 | 0.00 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | **26** | 12924.12 | 0.00 |
| वित्त लागतें | **27** | 7772.34 | 0.00 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | **28** | 841.52 | 0.00 |
| निगमित सामाजिक जिम्मेदारी | **29** | 224.58 | 0.00 |
| अन्य व्यय | **30** | 7149.26 | 0.00 |
| **कुल व्यय** | | **196322.44** | **0.00** |
| **III आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ** | | **13910.63** | **0.00** |
| आपवादिक मदें | | 4.22 | 0.00 |
| **IV असाधारण मदें, और कर से पूर्व लाभ** | | **13906.41** | **0.00** |
| असाधारण मदें | | 0.00 | 0.00 |
| **V कर पूर्व लाभ** | | **13906.41** | **0.00** |
| **कर व्यय** | **31** | | |
| वर्तमान कर | | 3402.78 | 0.00 |
| आस्थगित कर | | 432.91 | 0.00 |
| पूर्ववर्ती वर्ष | | –27.48 | 0.00 |
| **VI कुल कर व्यय** | | **3808.21** | **0.00** |
| **VII चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ** | | **10098.20** | **0.00** |
| **VIII बंद हो गए प्रचालनों से लाभ** | | **0.00** | **0.00** |

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्यिक) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

| विवरण | | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| IX | बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय | | 0.00 | 0.00 |
| X | बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात) | | 0.00 | 0.00 |
| XI | अवधि का लाभ | | 10098.20 | 0.00 |
| XII | अन्य विस्तृत आय | | | |
| | क. मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 92.73 | 0.00 |
| | ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वगीकृत नहीं किया जाएगा। | | 134.95 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | –57.31 | 0.00 |
| | उप–जोड़ (क) | | 170.37 | 0.00 |
| | ख. मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उप–जोड़ (ख) | | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य विस्तृत आय (क + ख) | | 170.37 | 0.00 |
| XIII | अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (XI + XII) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य विस्तृत आय | | 10268.57 | 0.00 |
| XIV | प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से) | 32 | | |
| | मूल (रु.) | | 18.95 | 0.00 |
| | न्यूनीकृत (रु.) | | 18.95 | 0.00 |
| XV | आकस्मिक प्रतिबद्धताएं | 33 (i) | 1323.36 | 0.00 |
| XVI | पूंजीगत प्रतिबद्धताएं | 33 (ii) | 493.15 | 0.00 |
| | लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां | 34 | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखा विवरण के पश्चात रखा गया है

समेकित का पहला वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. : 099172
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 08535482]

ह./–
अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 03165567]

ह./–
अजय शर्मा
उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

| | विवरण | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **राजस्व** | | | |
| | क. प्रचालनों से राजस्व | 21 | | |
| | उत्पादों की बिक्री | | 0.00 | 0.00 |
| | सेवाओं की बिक्री | | 2.58 | 0.00 |
| | ब्याज आय | | 0.00 | 0.00 |
| | प्रोसेसिंग शुल्क | | 0.00 | 0.00 |
| | उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय विलेखों की | | 0.00 | 0.00 |
| | विमान्यता पर निवल लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | **अन्य प्रचालन आय** | | **2.58** | **0.00** |
| | ख. प्रचालनों से कुल राजस्व | 22 | 0.00 | 0.00 |
| | ग. अनुदान और सब्सिडियां | 23 | 7915.96 | 0.00 |
| | **कुल राजस्व (क + ख + ग)** | | **7918.54** | **0.00** |
| **II** | **व्यय** | | | |
| | स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद | 24 | 0.00 | 0.00 |
| | माल–सूचियों में परिवर्तन | 25 | 0.00 | 0.00 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 26 | 377.15 | 0.00 |
| | वित्त लागतें | 27 | 0.00 | 0.00 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 28 | 0.00 | 0.00 |
| | निगमित सामाजिक जिम्मेदारी | 29 | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य व्यय | 30 | 7541.39 | 0.00 |
| | **कुल व्यय** | | **7918.54** | **0.00** |
| **III** | **आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| | आपवादिक मदें | | 0.00 | 0.00 |
| **IV** | **असाधारण मदें, और कर से पूर्व लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| | असाधारण मदें | | 0.00 | 0.00 |
| **V** | **कर पूर्व लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| | **कर व्यय** | 31 | | |
| | वर्तमान कर | | 0.00 | 0.00 |
| | आस्थगित कर | | 0.00 | 0.00 |
| | पूर्ववर्ती वर्ष | | 0.00 | 0.00 |
| **VI** | **कुल कर व्यय** | | **0.00** | **0.00** |
| **VII** | **चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| **VIII** | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ** | | **0.00** | **0.00** |
| **IX** | **बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय** | | **0.00** | **0.00** |
| **X** | **बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)** | | **0.00** | **0.00** |
| **XI** | **अवधि का लाभ** | | **0.00** | **0.00** |

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

## 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

| | विवरण | नोट संख्या | 31.03.21 को यथास्थिति | 31.03.20 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|---|
| XII | **अन्य विस्तृत आय** | | | |
| क. | मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि–निवेश/सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि पुनः वगीकृत नहीं किया जाएगा। | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वगीकृत नहीं किया जाएगा। | | 0.00 | 0.00 |
| | **उप–जोड़ (क)** | | **0.00** | **0.00** |
| ख. | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| | **उप–जोड़ (ख)** | | **0.00** | **0.00** |
| | **अन्य व्यापक आय (क + ख)** | | **0.00** | **0.00** |
| XIII | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI + XII) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय | | 0.00 | 0.00 |
| XIV | **प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)** | **32** | | |
| | मूल (रु.) | | 0.00 | 0.00 |
| | तरलीकृत (रु.) | | 0.00 | 0.00 |
| XV | **आकस्मिक देयताएं** | **33 (i)** | **0.00** | **0.00** |
| XVI | **पूंजीगत प्रतिबद्धताएं** | **33 (ii)** | **1265.30** | **0.00** |
| | **लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां** | **34** | | |

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखा विवरण के पश्चात रखा गया है

समेकित का पहला वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं है।

**इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**गोयल पारूल एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
**फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन**

ह./–
**(पारूल गोयल)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. : 099172**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और की ओर से**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**[डीआईएन नं.: 08535482]**

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन नं.: 03165567]**

ह./–
**अजय शर्मा**
**उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**[सदस्यता संख्या नं.: ए 22768]**

# 31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियम के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 02.11.2021 की संसोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि ऐसा कर दिया गया है, जिससे उनकी दिनांक 23.09.2021 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट के स्थान पर लगा दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, लेकिन हमने एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सहायक कंपनी) के 28 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नही की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी एक लेखापरीक्षा टिप्पणी के अलावा मेरे पास कोई और ऐसी टिप्पणी करने के लिए नहीं है, जिससे अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा उसकी पूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

**ह./–**
**(विधु सूद)**
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग और कार्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.11.2021

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

**(भारत सरकार का उद्यम)**
**एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र**
**नई दिल्ली – 110 020**

## सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों की 66वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को दोपहर 12.00 बजे निगम के पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक इस्टेट नई दिल्ली–110020 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगीः

### साधारण कार्य

(1) दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशकों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों यदि कोई हो, को प्राप्त करना, पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

(2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्ति कंपनी के सावंधिक और शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संसाधन (संसोधनों) सहित या उनके बिना पारित करना।

"**संकल्प किया जाता है कि** वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक एवं शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए, निश्चित और निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

**ह./–**
**(निष्ठा गोयल)**
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 नवंबर, 2021

**टिप्पणीः**

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. यदि कोई सदस्य इस बैठक के कारोबार की किसी मद (मदों) के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख को पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रदत्त भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध करावाई जा सकें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रखा जाने वाला सांविधिक रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के स्थान और समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. खाली प्रोक्सी फार्म इसके साथ भेजा जा रहा है।
5. विधिवत मुहर लगा हुआ और भरा हस्ताक्षरित प्रोक्सी नियुक्त करने संबंधी लिखत, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

# प्रथम वार्षिक रिपोर्ट

# एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

# सीआईएन नं. : यू 65990डीएल2020जीओआई1368828

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | **श्री विजयेन्द्र (23 सितंबर, 2021 तक)**<br>**सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (23 सितंबर, 2021 से)** |
| निदेशक | • श्री राजीव कुमार सेन, सरकार द्वारा नामित निदेशक<br>• श्री अतीश कुमार सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक<br>• श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक |
| कंपनी सचिव | श्रीमती निष्ठा गोयल |
| सांविधिक लेखापरीक्षक | मैसर्स देविन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएटस |
| मुख्य बैंकर | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया |
| पंजीकृत कार्यालय | एनएसआईसी भवन<br>ओखला औद्योगिक क्षेत्र,<br>नई दिल्ली–110 020 |

# निदेशक मंडल

**श्री विजयेन्द्र**
अध्यक्ष
(23 सितंबर, 2021 तक)

**श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा**
अध्यक्ष
(23 सितंबर, 2021 से)

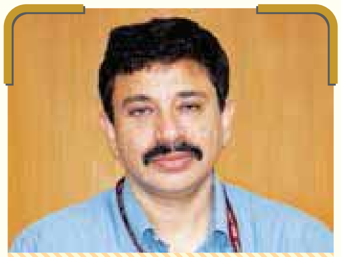

**श्री राजीब कुमार सेन**
सरकारी नामित निदेशक

**श्री अतीश कुमार सिंह**
सरकारी नामित निदेशक

**श्री गौरांग दीक्षित**
निदेशक

# बोर्ड की रिपोर्ट

**प्रिय शेयरधारकों,**

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

## 1. कॉर्पोरेट जानकारी

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसआईसी से 100 प्रतिशत इक्विटी वाले एसपीवी द्वारा मूल निधि को अनुबंधित किया जाएगा।

तदनुसार, एसआरआई फंड अनुबंधित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 28 अगस्त, 2020 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल की पहली स्कीम है।

एसआरआई फंड एक श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष है जो सेबी और मदर फंड/ डाटर फंड संरचना के साथ पंजीकृत है। मदर फंड में चरणबद्ध तरीके से 10,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजटीय समर्थन के साथ भारत सरकार एक मात्र अनुबंधित निवेशक है। डाटर फंड के माध्यम से इसमें 50,000 करोड़ रुपये तक की बृद्धि होगी। एसआरआई फंड का उद्देश्य है एमएसएमई को डाटर फंड के माध्यम से, इक्विटी या अर्ध–इक्विटी के रूप में विकास पूंजी के रूप में, एमएसएमई को दिए जाने वाले इक्विटी/ इक्विटी जैसे वित्तपोषण में बृद्धि, स्टॉक एक्सचेंजों पर एमएसएमई की लिस्टिंग और एमएसएमई व्यवसायों के तीव्र विकास का समर्थन करने के लिए फंडिंग सहायता प्रदान करना और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

सुश्री बी.बी स्वैन, सचिव एमएसएमई मंत्रालय, की गरिमामयी उपस्थित में एसआरआई फंड, जो एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड की पहली स्कीम है, के प्राइवेट प्लैस मेमोरंडम (पीपीएम) की एक प्रति सुश्री ईशिता जी. त्रिपाठी, अपर विकास आयुक्त, एमएसएमई को सौपतें हुए सुश्री अलका अरोड़ा, अध्यक्ष एनवीसीएफएल। इस अवसर पर श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक, एनवीसीएफएल और श्री के. एम. त्रिवेदी भी उपस्थित थे।

## 2. वित्तीय प्रबंधन/संचालन का अवलोकन

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त, 2020 को इसे निगमित किया गया है।

एनवीसीएफएल ने सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) में आवेदन किया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद 1 सितंबर 2021 दिनांकित प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसलिए, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां 31 मार्च, 2021 से शुरू नहीं की जा सकीं। कंपनी अपनी आरंभिक अवस्था में है जिसमें लाभ और हानि खाते का प्रमुख हिस्सा खर्च से तैयार होता है। तदनुसार, कर के पश्चात हानि 61.10 लाख रु. है। चूंकि यह कंपनी के अस्तित्व का पहला वर्ष है, वित्तीय विवरणों में पिछली अवधि के तुलनात्मक आंकड़े नहीं बताए गए हैं।

वित्तीय परिणाम का स्नैपशॉट नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(रु. लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 2020–21 |
|---|---|---|
| 1. | प्रचालनों से राजस्व | 0.00 |
| 2. | अन्य आय | 11.06 |
| 3. | व्यय | 69.38 |
| 4. | कर पूर्व लाभ/(हानि) | (58.32) |
| 5. | कर व्यय | 2.78 |
| 6. | कर के बाद लाभ / (हानि) | (61.10) |
| 7. | निवल मूल्य | 538.90 |
| 8. | प्रति शेयर आय (रु.) | (10.18) |

## 3. लाभांश

घाटे के कारण, चालू वर्ष के दौरान कंपनी किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं करती है।

## 4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जे) के संदर्भ में रिजर्व में स्थानांतरण

चूंकि, कंपनी को 61.10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

## 5. तुलन पत्र की तारीख और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

तुलन पत्र की तारीख और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई महत्वपूर्ण भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

## 6. जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत आने वाले नियमों के साथ पठित किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

## 7. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा कोई गारंटी और निवेश नहीं किया गया था।

## 8. शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 6 करोड़ रुपये है जिसे प्रति एक 100/–रू. के 6,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है और संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

## 9. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 10. मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि, होल्डिंग कंपनी अर्थात एनएसआईसी लिमिटेड ने परिचालन सुविधा और कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर अपने कुछ कर्मचारियों

को तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं।

कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके संबंधियों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ किसी भी सामग्री, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे सीधे या अपने संबंधियों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में हिताबद्ध हैं। हालांकि, आपकी कंपनी अपनी उस होल्डिंग कंपनी से प्राप्त असाइनमेंट को निष्पादित कर रही है, जिसमें आपकी कंपनी के निदेशक/अधिकारी, निदेशक/वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

## 11. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

## 12. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी के निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो प्रति वर्ष 60 लाख से अधिक, प्रति माह 5 लाख से अधिक का पारिश्रमि प्राप्त कर रहा हो।

## 13. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी, अवशोषण, और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी में कोई निर्माण गतिविधि नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी और अवशोषण पर कोई खर्च नहीं होता है। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा का आय और व्यय नहीं किया है।

## 14. संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं/लेन–देन सामान्य और व्यावहारिक आधार पर थे।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेनदेन और अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 15. लेखा परीक्षक

### (क) सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स देविंदर के. जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और आवश्यक अनुलग्नक के साथ–साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन या आपत्ति नहीं की गई है।

### (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है। टिप्पणियों की एक प्रति इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

## 16. वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए फॉर्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

## 17. समेकित अंशदान समझौते पर हस्ताक्षर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनवीसीएफएल और एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड, निवेश प्रबंधक के बीच 12 अक्टूबर, 2021 को समेकित योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

## 18. निदेशक मंडल

कंपनी संघ अनुच्छेद के अंतर्नियम की अनुच्छेद 81 के अनुसार,

श्री नारायण राणे, माननीय एमएसएमई मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई) के मार्गदर्शन में और श्री बी.बी. स्वैन, सचिव एमएसएमई और सुश्री अलका अरोड़ा, अध्यक्ष एनवीसीएफएल की उपस्थिति में आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के अंशदान करार पर एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड और एसबीआई कैपीटल वेंचर लिमिटेड, निवेश प्रबंधक द्वारा 12 अक्टूबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए।

कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित को कंपनी के पहले निदेशक के रूप में शामिल करके 28 अगस्त, 2020 एनवीसीएफएल को निगमित किया गया था:

31 मार्च, 2021 को बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

| क्र. सं. | निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) | निदेशक* का नाम | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | 03625565 | श्री विजयेंद्र* | अध्यक्ष |
| 2 | 07669981 | श्री राजीब कुमार सेन** | निदेशक |
| 3 | 06789077 | श्री अतीश कुमार सिंह** | निदेशक |
| 4 | 08535482 | श्री गौरांग दीक्षित*** | निदेशक |

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत निधि दिशानिर्देशों के संदर्भ में, एनवीसीएफएल का अपना एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंध निदेशक एनएसआईसी इसके अध्यक्ष, दो सरकारी नामित निदेशक, एक एनएसआईसी नामित निदेशक और एक पेशेवर सीईओ होंगे। तदनुसार, श्री विजयेंद्र को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 14 सितंबर, 2021 के पत्र सं के– 01/11/2021–एसएमई द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2021 को श्री विजयेंद्र को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त कर दिया गया है और 14 सितम्बर, 2021 से तीन महीने की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। इसलिए, वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा कंपनी की पदेन अध्यक्ष हैं।

** श्री राजीब कुमार सेन और श्री अतीश कुमार सिंह को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

*** श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त), एनएसआईसी लिमिटेड को कंपनी में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

इसके बाद, एनएसआईसी लिमिटेड (एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी) ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2021 को अपने आदेश द्वारा यह फैसला किया है कि जब तक कि नियमित पदधारी ड्यूटी पर रिपोर्ट न करे श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त), एनएसआईसी, अपने मौजूदा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अलावा एनवीसीएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, का अतिरिक्त कार्यभार सम्हालेंगे।

सभी निदेशक कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे होल्डिंग कंपनी में अपने पदेन पदों के अनुसार निदेशक का पद धारण कर रहे हैं और/या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नामित हैं।

## 19. बोर्ड की बैठकों की संख्या, बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी को 28 अगस्त, 2021 को निगमित किया गया था, इसलिए, वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की दो (2) बैठकें अर्थात (i) 4 सितंबर, 2020 और (ii) 31 दिसम्बर, 2020 को आयोजित की गई।

बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और निदेशकों द्वारा धारण किए गए अन्य निदेशकीय पदों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | बोर्ड की बैठकें | | | 31 मार्च, 2021 को (एनवीसीएफएल के अलावा) धारण किए गए अन्य निदेशकीय पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | इस अवधि में आयोजित | उपस्थित हुए | उपस्थिति का प्रतिशत | |
| 1. | श्री विजयेंद्र, अध्यक्ष | 2 | 2 | 100 | 1 |
| 2. | श्री राजीब कुमार सेन, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 2 | 2 | 100 | 1 |
| 3. | श्री अतीश कुमार सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 2 | 2 | 100 | 0 |
| 4. | श्री गौरांग दीक्षित निदेशक | 2 | 2 | 100 | 1 |

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

## 20. वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

## 21. निदेशकों द्वारा उत्तरदायित्व का वचन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) की अपेक्षा के अनुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- वर्ष 2020–2021 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में , सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुकूल लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर अपनाया गया है और ऐसे निर्णय लिए गए और आकलन तैयार किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी अपनाई है;
- वित्तीय विवरण लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

## 22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

## 23. नियामकों / न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और विशेष आदेश

कंपनी के खिलाफ नियामकों/अदालत/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और विशेष आदेश पारित नहीं किया गया है।

## 24. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

चूंकि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मानदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

## 25. आभार

आपके निदेशक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने एक सहायक कंपनी को शामिल करने और एनवीसीएफएल की पहली योजना के रूप में एसआरआई फंड लॉन्च करने का विश्वास जताया। निदेशक एनएसआईसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मैसर्स देविंदर के. जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक कंपनी के सभी हितधारकों को कंपनी के स्थायी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में उनके बहुमूल्य योगदान और प्रयासों के लिए ईमानदारी से सराहना और धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और के लिए

**ह./–**
**(अलका नांगिया अरोड़ा)**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. : 03165567

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22 नवंबर, 2021

# प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के कार्य–निष्पादन सहित "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" की रिपोर्ट इस प्रकार है:

## I. उद्योग संरचना और विकास

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, पिछले 3 वर्षों (2017–2019) में, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत गति 6.7 प्रतिशत प्रति वर्ष हासिल की है, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे तेज गति है। कोविड–19 महामारी से पहले, यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत का विकास लंबे समय तक जारी रहेगा जिससे भारत एक पसंदीदा निवेश स्थल बन जाएगा। हालाँकि, महामारी ने भारत सहित सभी अर्थव्यवस्थाओं में समग्र विकास को बाधित कर दिया है। अप्रैल 2020 में प्रकाशित "भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड –19 के संभावित प्रभाव" शीर्षक वाली केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों के अल्प से मध्यम अवधि में गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उनमें विमानन और पर्यटन, तेल और गैस, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), भवन और निर्माण और परिवहन और रसद शामिल हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में मध्यम रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उनमें धातु और खनन, वित्तीय सेवाएं, ऑटो और ऑटो पार्ट्स, शिक्षा और कौशल शामिल हैं।

कोविड–19 के प्रसार को सीमित करने के लिए, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने चरणबद्ध लॉकडाउन / प्रतिबंध लगाए थे। इन लॉकडाउन से राजस्व में कमी, आपूर्ति श्रृंखला में देरी, जनशक्ति आदि की कमी के कारण व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मैकिन्से के एक अध्ययन के अनुसार, यदि भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता उपायों की घोषणा नहीं की जाती है, तो 25 प्रतिशत एमएसएमई ऋण, 6 प्रतिशत कॉर्पोरेट ऋण (मुख्य रूप से विमानन, कपड़ा, बिजली और निर्माण में) और 3 प्रतिशत खुदरा ऋण(स्व–रोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत ऋण) तो) डिफ़ॉल्ट हो सकता है। सॉल्वेंसी जोखिम से बचने और व्यवसायों का समर्थन करने के लिए, भारत के केंद्रीय बैंक – भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 12.7 ट्रिलियन रु॰ के पैकेज की घोषणा की जिसमें सभी बकाया सावधि ऋणों और आसान कार्यशील पूंजी वित्तपोषण मानदंडों के लिए दरों में कटौती, नकद आरक्षित अनुपात में कमी, 3(तीन) महीने (इसके बाद 6(छह) महीने तक विस्तारित) अधिस्थगन शामिल हैं। । इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कृषक समुदाय, एमएसएमई कंपनियों आदि को लक्ष्य बना कर भारत सरकार ने 17.2 ट्रिलियन रुपये के अतिरिक्त पैकेज की भी घोषणा की है।

कोविड–19 की स्थिति से अल्पावधि में भारत के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, अनुकूल जनसांख्यिकी, उच्च बचत और निवेश दरों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के माध्यम से मजबूत अंतर्वाह द्वारा समर्थित स्वस्थ घरेलू खपत होने के कारण मध्यम और लंबी अवधि में भारत के विकास के प्रति दृष्टिकोण उत्साहित और सकारात्मक होने की उम्मीद है।

## II. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ("एमएसएमई") सेक्टर का महत्व

एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राष्ट्र के विकास, निर्यात का लाभ उठाने, रोजगार के विशाल अवसर पैदा करने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 63.38 मिलियन उद्यमों के विशाल नेटवर्क के साथ एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था का विकास इंजन रहा है। 2025 तक यूएसडी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह क्षेत्र लगभग 111 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हुए विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत, निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक, सकल घरेलू उत्पाद में 28 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, जो कि मात्रा के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। उद्यमों के आकार और उत्पादों तथा सेवाओं की विविधता, और नियोजित प्रौद्योगिकी के स्तर के मामले में भारत में एमएसएमई क्षेत्र अत्यधिक विविधतापूर्ण है। तथापि, इस क्षेत्र में तेज गति से बढ़ने की क्षमता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए, हाल की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में 2022 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान में 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। इस क्षेत्र द्वारा शेष अर्थव्यवस्था को प्रदान किए जाने वाले लाभों की व्यापकता का संज्ञान लेते हुए, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के 50

प्रतिशत निर्यात के 60 प्रतिशत में अपने योगदान को बढ़ाने और 50 मिलियन और अधिक लोगों को रोजगार देने की कल्पना की है।

## III. प्रचालन और वित्त संबंधी कार्य–निष्पादन

एनवीसीएफएल ने सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) में आवेदन किया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद 1 सितंबर, 2021 दिनांकित प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसलिए, 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को शुरु नहीं किया जा सका। कंपनी अपने आरंभिक चरण में है, जहां लाभ और हानि खाते व्यय का प्रमुख हिस्सा हैं। तदनुसार, कर पश्चात हानि रु. 61.10 लाख रुपये है। चूंकि यह कंपनी के अस्तित्व का पहला वर्ष है, वित्तीय विवरणों में पिछली अवधि के तुलनात्मक आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

## IV. जोखिम, चिंताएं और खतरे

डाटर फंड में निवेश किया जाएगा जिसे केवल एमएसएमई क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। उद्यम पूंजी खंड वित्तीय और परिचालन दोनों तरह के जोखिमों से भरा है। विशेष रूप से, यह उल्लेख करना उचित होगा कि डाटर फंड के निवेश में विविधीकरण की कमी हो सकती है जिससे ऐसी डाटर फंड को उनके फोकस क्षेत्र से संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि फंड के निवेश अर्थात डाटर फंड में निवेश, अथवा पोर्टफोलियो कंपनियों में डाटर फंड के निवेश के लिए के लिए आसानी से बाजार उपलब्ध नहीं हो सकता है। डाटर फंड के निवेश और फंड के निवेश के लिए एक स्थापित, लिक्विड सेकेंडरी मार्केट की कमी से उनके बाजार मूल्य और उनके निपटान हेतु फंड की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

एमएसएमई क्षेत्र बड़े पैमाने पर उद्योग के मानकों जैसे समग्र मांग–आपूर्ति परिदृश्य, प्रवेश बाधाओं और प्रतिस्पर्धा का स्तर, विकल्प और तकनीकी प्रवृत्तियों की उपलब्धता, क्षेत्र को सरकारी सहायता और उद्योग की चक्रीयता और मौसम–तत्व पर निर्भर है। इसके अलावा, भारत में प्रतिभूतियों में निजी इक्विटी निवेश करने के लिए फंड का कोई परिचालन इतिहास नहीं है। निवेश प्रबंधक द्वारा अनुमोदित पोर्टफोलियो निवेश बनाने के लिए यह हाल ही में इसका गठन किया गया है।

डाटर फंड में निवेश के लिए अन्य निवेशकों (फंड ऑफ फंड सहित) के सहयोग से यह निधि पूर्ण होगी। इससे निवेश के अवसर कम आकर्षक हो सकते हैं।

वैश्विक वित्तीय बाजारों में हाल की घटनाऐं (विशेष रूप से कोविड –19 के कारण) संरचित ऋण, लीवरेज्ड ऋण और उच्च–लाभ वाले बॉन्ड बाजारों में महत्वपूर्ण अव्यवस्थाओं, नकदी और अस्थिरता का कारण रहीं हैं।

## V. अवसर

भारत में लक्षित विकास दर हासिल करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र बहुत आवश्यक है। एमएसएमई की वृद्धि और विकास सही समय पर पूंजी तक पहुंच से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई कोविड–19 महामारी से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। उनके सीमित वित्तीय संसाधनों और उधार लेने की क्षमता के कारण यह विघटनकारी प्रभाव जटिल हो गया है। महामारी से उत्पन्न इस अभूतपूर्व संकट के बीच भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए विधायी, नियामक और वित्तीय उपायों की शुरुआत की है। सरकार की पहल के साथ, एसआरआई फंड योजना इस कम्पनी की पहली योजना होगी। भारत सरकार मुख्य निधि में चरणबद्ध तरीके से 10,000 करोड़ रुपये की आरंभिक बजटीय सहायता के साथ एकमात्र मुख्य निवेशक है। इससे डाटर फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये तक की बृद्धि। इससे एमएसएमई के एक बड़े क्षेत्र को लाभ होगा जिससे एमएसएमई व्यवसायों के तेजी से विकास में सहयोग मिलेगा और इस तरह अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

## VI. दृष्टिकोण

एनवीसीएफएल को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया है और सेबी के साथ पंजीकृत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि एनवीसीएफएल की पहली योजना है, जिसके अंतर्गत पैनल में शामिल उन डाटर फंड को फंड मुहैया कराया जाएगा, जिनमें एमएसएमई की सीमा से बाहर जा कर अपनी पहचान बनाने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने और एमएसएमई का सहयोग करने की क्षमता है, और जो बदले में प्रासंगिक तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई को सहयोग प्रदान करेंगी।

## . मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि,

परिचालन सुविधा और कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए होल्डिंग कंपनी अर्थात एनएसआईसी लिमिटेड ने अपने कुछ कर्मचारियों को अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं। कंपनी ने प्रमुख कंसल्टेंसी और पेशेवर फर्मों को भी नियुक्त किया है। कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं।

## VIII. चेतावनी वक्तव्य

"प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" की रिपोर्ट में विवरण वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण से भिन्न हो सकते हैं जो सरकार के नीतिगत निर्णयों और भविष्य के आर्थिक वातावरण से भी प्रभावित हो सकते हैं।

# फॉर्म - एओसी-2
# वार्षिक अनुपालन - संबंधित पार्टी से लेनदेन

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण विस्तृत आधार पर नहीं हैः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पार्टी के साथ कोई महत्वपूर्ण अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विस्तृत आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरणः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरानः

| क्र. सं. | संबंधित पार्टियों के नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप | अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों का स्वरूप | अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेन की अवधि | मूल्य सहित, अनुबंध या व्यवस्थाओं या लेनदेनों, यदि कोई हों, की विशेष शर्तें | बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई होः | अग्रिम भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) | एनवीसीएफएल की ओर से होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए जनशक्ति समर्थन लागत, मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और मनोरंजन व्यय की प्रतिपूर्ति। (करों को छोड़कर) | चल रहा लेनदेन | जनशक्ति समर्थन लागत– रु. 15.94 लाख प्रिंटिंग और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और मनोरंजन– रु. 0.82 लाख (सभी राशियां वास्तविक आधार पर) | – | – |
| 2. | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) | एनएसआईसी को भुगतान किया गया किराया (करों को छोड़कर) | 11 महीने के लिए समझौता | किराया रु. 0.07 लाख (अर्थात 1000/– प्रति माह प्लस टैक्स) | – | – |
| 3. | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) | कंपनी निगमन पर भुगतान किए गए विज्ञापन और प्रचार और कर्तव्यों और करों की प्रतिपूर्ति (करों को छोड़कर) | एकमुश्त लेन–देन | विज्ञापन और प्रचार– रु. 13.67 लाख कंपनी निगमन पर भुगतान किए गए शुल्क और कर 10.83 लाख रू. हैं। (सभी राशियां वास्तविक आधार पर) | | |

**फार्म सं. एमजीटी–9**

## वार्षिक विवरणी का सार

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

### I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सीआईएन | यू65990डीएल2020जीओआई368828 |
| 2. | पंजीकरण की तारीख | 28 अगस्त, 2020 |
| 3. | कंपनी का नाम | एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड |
| 4. | कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी | शेयर/संघ सरकारी कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क संबंधी ब्योरा | एनएसआईसी भवन,<br>ओखला औद्योगिक क्षेत्र,<br>नई दिल्ली–110020<br>फोन न.: 011–26926275, 26926370 |
| 6. | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | नहीं |
| 7. | रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई है, | लागू नहीं |

### II. कंपनी के प्रधान व्यवसाय क्रियाकलाप

एनसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड को 28 अगस्त, 2020 को शामिल किया गया था और उसने सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक फंड निवेश के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जो 31 मार्च, 2021 तक प्रतीक्षित था, इसलिए व्यवसायिक गतिविधियां 31 मार्च, 2021 तक शुरू नहीं हो सकी। हालांकि कंपनी को इसका रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट सेबी से 1 सितंबर, 2021 को मिला था।

### III. धारिता, सहायक और संबद्ध कंपनियों का विवरण 31 मार्च, 2021 तक

| क्र. सं. | कंपनी का नाम और पता | सीआईएन/ जीएलएन | धारिता/ सहायक/संबद्ध | धारित शेयरों का प्रतिशत | लागू होने वाली धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली–110020 | यू74140डीएल1955जीओआई002481 | धारण कंपनी | 100 प्रतिशत | 2(46) |

## IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता:

| शेयरधारकों की श्रेणी | कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति) | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2021 को यथास्थिति) | | वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | |
| क. प्रमोटर्स | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | |
| (क) व्यक्ति/ अविभक्त हिंदू परिवार | .... | .... | .... | .... | .... |
| (ख) केंद्र सरकार | .... | .... | .... | .... | .... |
| (ग) राज्य सरकार (सरकारें) | .... | .... | .... | .... | .... |
| (घ) निगमित निकाय | 600000 | 100% | 600000 | 100% | .... |
| (ङ) बैंक/वित्तीय संस्था | .... | .... | .... | .... | .... |
| (च) कोई अन्य | .... | .... | .... | .... | .... |
| **उप–जोड़ (क) (1)** | 600000 | 100% | 600000 | 100% | .... |
| **(2) विदेशी** | | | | | .... |
| (क) अनिवासी भारतीय – व्यक्ति | .... | .... | .... | .... | .... |
| (ख) अन्य – व्ययक्ति | .... | .... | .... | .... | .... |
| (ग) निगमित निकाय | .... | .... | .... | .... | .... |
| (घ) बैंक/वित्तीय संस्था | .... | .... | .... | .... | .... |
| (ड़) कोई अन्य | .... | .... | .... | .... | .... |
| **उप–जोड़ (क) (2)** | .... | .... | .... | .... | .... |
| **प्रोमोटर्स की शेयरधारिता का जोड़ (क)= (क)(1)+(क)(2)** | **600000** | **100%** | **600000** | **100%** | **....** |
| **(ख) पब्लिक शेयरधारिता** | | | | | |
| **1. संस्थाएं** | .... | .... | .... | .... | .... |
| क. म्यूचुअल फंड | .... | .... | .... | .... | .... |
| ख. बैंक/वित्तीय संस्थाएं | .... | .... | .... | .... | .... |
| ग. केंद्रीय सरकार | .... | .... | .... | .... | .... |
| घ. राज्य सरकार(सरकारें) | .... | .... | .... | .... | .... |
| च. उद्यम पूंजी निधियां | .... | .... | .... | .... | .... |
| छ. बीमा कंपनियां | .... | .... | .... | .... | .... |
| ज. विदेशी संस्थागत निवेशक | .... | .... | .... | .... | .... |
| झ. विदेशी उद्यम पूंजी निधियां | .... | .... | .... | .... | .... |
| ज. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | .... | .... | .... | .... | .... |
| **उप–जोड़ (ख)(1)** | **....** | **....** | **....** | **....** | **....** |

| शेयरधारकों की श्रेणी | कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति) | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2021 को यथास्थिति) | | वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरों का प्रतिशत | |
| **2. गैर–संस्थाएं** | | | | | |
| (क) निगमित निकाय | .... | .... | .... | .... | .... |
| (i) भारतीय | .... | .... | .... | .... | .... |
| (ii) विदेशी | .... | .... | .... | .... | .... |
| (ख) व्यक्ति | .... | .... | .... | .... | .... |
| i) 1 लाख रुपए तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | .... | .... | .... | .... | .... |
| ii) 1 लाख रुपए से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | .... | .... | .... | .... | .... |
| क) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | .... | .... | .... | .... | .... |
| **उप–जोड़ (ख)(2):–** | .... | .... | .... | .... | .... |
| कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2) | .... | .... | .... | .... | .... |
| **ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर** | .... | .... | .... | .... | .... |
| **कुल जोड़ (क+ख+ग)** | 600000 | 100% | 600000 | 100% | |

नोटः एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड की संपूर्ण पेड–अप शेयर कैपीटल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अधिकृत कंपनी) और छह नामांकित व्यक्तियों के पास है।

**ii) प्रमोटरों की शेयरधारिताः**

| क्र. सं. | शेयरधारक का नाम | कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति) | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का % | |
| 1 | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 599994 | 99.99% | .... | 599994 | 99.99% | .... | .... |
| 2 | श्री विजयेन्द्र * | 1 | नगण्य | .... | 1 | नगण्य | .... | .... |
| 3 | श्री पी. उदयकुमार * | 1 | नगण्य | .... | 1 | नगण्य | .... | .... |
| 4 | श्री गौरांग दीक्षित * | 1 | नगण्य | .... | 1 | नगण्य | .... | .... |

| क्र. सं. | शेयरधारक का नाम | कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति) | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का % | |
| 5 | श्री नवीन चौपड़ा * | 1 | नगण्य | .... | 1 | नगण्य | .... | .... |
| 6 | श्री पी. डे.<br>मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)* | 1 | नगण्य | .... | 1 | नगण्य | .... | .... |
| 7 | श्री एम.पी. सिंह * | 1 | नगण्य | .... | 1 | नगण्य | .... | .... |
| | **जोड़** | **600000** | **100** | | **600000** | **100** | **....** | **....** |

* राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नामांकित व्यक्ति के रूप में यानि अधिकारिक कंपनी।

**iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)**

| क्र. सं. | विवरण | कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2021 को यथास्थिति) | | वर्ष के अंत तक यानि 31 मार्च 2021 तक संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 1 | वर्ष के आरंभ में | समीक्षा के तहत अवधि के दौरान कोई बदलाव नहीं। | | | |
| 2 | वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी, जिसमें वृद्धि/कमी के कारण दर्शाए गए हों (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि): | | | | |
| 3 | वर्ष के अंत में | | | | |

**iv) शीर्षस्थ 10 शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्नः**
**(निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अलावा)**

| क्र. सं. | प्रत्येक शीर्षस्थ 10 शेयरधारकों के लिए | कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2021 को यथास्थिति) | | वर्ष के अंत तक यानि 31 मार्च 2021 तक संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 1 | वर्ष के आरंभ में | शून्य, यह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। | | | |
| 2 | वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी, जिसमें वृद्धि/कमी के कारण दर्शाए गए हों (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि): | | | | |
| 3 | वर्ष के अंत में | | | | |

**v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता (केएमपी):**

| क्र. सं. | निदेशक/केएमपी का नाम | कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2021 को यथास्थिति) | | वर्ष के अंत तक यानि 31 मार्च 2021 तक संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 1. | **वर्ष के आरंभ में**<br>श्री विजयेन्द्र, | 1 | नगण्य | 1 | नगण्य |
| | श्री गौरांग दीक्षित | 1 | नगण्य | 1 | नगण्य |
| 2. | **शेयरधारिता में परिवर्तन** | शून्य | | | |
| 3. | **वर्ष के अंत में**<br>श्री विजयेन्द्र, | 1 | नगण्य | 1 | नगण्य |
| | श्री गौरांग दीक्षित | 1 | नगण्य | 1 | नगण्य |

## I. ऋणग्रस्तता – बकाया/उपचित, परंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन जो भुगतान के लिए देय नहीं है।

(करोड़ रू.)

| | जमा धनराशियों को छोड़कर, प्रतिभूत ऋण | अप्रतिभूत ऋण | जमा धनराशियां | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| **वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूलधन | .... | .... | .... | .... |
| ii) देय, परंतु भुगतान न किया गया ब्याज | .... | .... | .... | .... |
| iii) उपचित, परंतु अदेय ब्याज | .... | .... | .... | .... |
| जोड़ (i+ii+iii) | .... | .... | .... | .... |
| **वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | | | | |
| * परिवर्धन | .... | .... | .... | .... |
| * कमी | .... | .... | .... | .... |
| **निवल परिवर्तन** | .... | .... | .... | .... |
| **वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूलधन | .... | .... | .... | .... |
| ii) देय, परंतु भुगतान न किया गया ब्याज | .... | .... | .... | .... |
| iii) उपचित, परंतु अदेय ब्याज | .... | .... | .... | .... |
| जोड़ (i+ii+iii) | .... | .... | .... | .... |

## VII. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक –

### (क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक के विवरण | एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम | | कुल रकम |
|---|---|---|---|---|
| | | श्री विजयेन्द्र (गैर–कार्यकारी निदेशक) | श्री गौरांग दीक्षित (गैर–कार्यकारी निदेशक) | |
| 1 | सकल वेतन | .... | .... | .... |
| | (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए उपबंधों के अनुसार वेतन | .... | .... | .... |
| | (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य | .... | .... | .... |
| | (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ | .... | .... | .... |
| 2 | स्टॉक विकल्प | .... | .... | .... |
| 3 | स्वीट इक्विटी | .... | .... | .... |
| 4 | कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, कृपया उल्लेख करें | .... | .... | .... |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें (भविष्य निधि एवं पेंशन में नियोक्ता का अंशदान) | .... | .... | .... |
| | **जोड़ (क)** | **....** | **....** | **....** |

### ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों का नाम | | | कुल रकम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | | | |
| | बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क | .... | .... | .... | .... |
| | कमीशन | .... | .... | .... | .... |
| | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें | .... | .... | .... | .... |
| | **जोड़ (1)** | .... | .... | .... | .... |
| 2 | अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक | .... | .... | .... | .... |
| | बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क | .... | .... | .... | .... |
| | कमीशन | .... | .... | .... | .... |
| | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें | .... | .... | .... | .... |
| | **जोड़ (2)** | .... | .... | .... | .... |
| | **जोड़ (ख)= (1+2)** | .... | .... | .... | .... |

### ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से भिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सीएफओ | सीएफओ | सीएस | जोड़ |
| 1 | सकल वेतन | .... | .... | .... | .... |
| | (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए उपबंधों के अनुसार वेतन | .... | .... | .... | .... |
| | (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य | .... | .... | .... | .... |
| | (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के वेतन के बदले लाभ | .... | .... | .... | .... |
| 2 | स्टॉक विकल्प | .... | .... | .... | .... |
| 3 | स्वीट इक्विटी | .... | .... | .... | .... |
| 4 | कमीशन | .... | .... | .... | .... |
| | – लाभ के प्रतिशत के रूप में | .... | .... | .... | .... |
| | – अन्य, कृपया उल्लेख करें | .... | .... | .... | .... |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें (भविष्य निधि एवं पेंशन में नियोक्ता का अंशदान) | .... | .... | .... | .... |
| | **जोड़** | .... | .... | .... | .... |

नोटः एनवीसीएफएल निदेशक इसके बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशक हैं और वे कंपनी से मासिक या वार्षिक आधार पर कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहे हैं।

## VIII. शास्तियां/दंड/अपराधों का संयोजन

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | शास्ति/दंड/ लगाए गए संयोजन शुल्क के ब्यौरे | प्राधिकारी (आरडी) / एनसीएलटी /न्यायालय | अपील, यदि की गई है (ब्योरे दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. कंपनी** | | | | | |
| शास्ति | कोई नहीं | | | | |
| दंड | | | | | |
| संयोजन | | | | | |
| **ख. निदेशक** | | | | | |
| शास्ति | कोई नहीं | | | | |
| दंड | | | | | |
| संयोजन | | | | | |
| **ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी** | | | | | |
| शास्ति | कोई नहीं | | | | |
| दंड | | | | | |
| संयोजन | | | | | |

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

के सदस्यों

**एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड**

**वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट**

**राय**

हमने, **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और ऐसी अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अकेले वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, सहित इसकी हानियों इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकदी प्रवाह की, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन मानकों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

**राय का आधार**

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार अकेले वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के अकेले वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

**मामलों पर जोर देना**

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 1(बी)(।।) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें यह कारण स्पष्ट किए गए हैं कि अधिनियम की अनुसूची ।।। के प्रभाग ।। के बजाय अधिनियम की अनुसूची ।।। के प्रभाग ।।। में विनिर्धारित का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए गए हैं।

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी–24 की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कोविड–19 महामारी की स्थिति से संबंधित स्थितियों के कारण वित्तीय प्रभाव के प्रबंधन के आंकलन और अनिश्चितिताएं स्पष्ट की गई हैं जिसके लिए उत्तरवर्तीय अवधि के प्रभाव के निश्चित आंकलन उन परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर हैं जब वे उत्पन्न होती हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

**वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना**

अन्य सूचना तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल अकेले वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

यदि जो कार्य हमने किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना का कोई सारवान मिथ्या विवरण है तो हमारे लिए उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ सूचित नहीं करना है।

**वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां**

ये वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकंन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में

उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक प्रबंधन के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

**वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां**

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और, इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्यों कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूंकें, मिथ्य निरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्तकिए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।
- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता

हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्क संगत समझे जाते हैं और जहां लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण "अनुबंध–क" देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक यह सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा–बहियां रखी गई हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य व्यापक आय सहित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण इक्विटी में परिवर्तन विवरण नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

   (ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (जीएसआर) 463 (ई) दिनांक 05–06–2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164 की उपधारा–2 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में "अनुबंध–ख" के रूप में हमारी पृथक रपोर्ट देखें।

   (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इस कंपनी पर लागू नहीं होते।

   (ज) हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में रिपोर्ट के संबंध में तैयार की गई अनुबंध–ग में हमारी रिपोर्ट देखें।

   (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      (i) कंपनी में कोई ऐसे लंबित मुकदमे नहीं है जिनका वित्तीय स्थिति पर प्रभाव होगा।

      (ii) कंपनी के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं था, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थी।

      (iii) कोई ऐसी राशियां नहीं थीं, जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
**सीए डी.के. जैन**
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएन: 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

# 31 मार्च, 2021 को अकेले समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध 'क'

(i) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने स्थिर परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरों और स्थान सहित पूरे विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित अंतरालों पर सभी स्थिर परिसंपत्तियों को वास्तविक सत्यापन उपलब्ध कराता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस सत्यापन पर कोई सारवान विसंगति जानकारी में नहीं आई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के कारोबार में कोई माल–सूचियां शामिल नहीं हैं और तदनुसार आदेश के पैरा 3 (ii) की शर्तें कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में कवर की गई अन्य पक्षकारों को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में लागू होने की सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का पालन किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 73 से 76 तक के उपबंधों और अन्य सुसंगत उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा उल्लिखित कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने, कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव विनिर्धारित नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (vi) लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों को हमारी जांच के आधार पर, आय कर और अन्य सारवान सांविधिक देय धनराशियों सहित अवविवादित सांविधिक देय धनराशियों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई/उपर्जित धनराशियां आमतौर पर कंपनी द्वारा समूचित प्राधिरकणों के पास नियमित रूप से जमा की गई हैं।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति कोई अविवादित भुगतानयोग्य धनराशियां, भुगतान योग्य होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि तक बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकर और उप–कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वृद्धित कर कोई देय धनराशि नहीं है, जो किसी विवाद के कारण समुचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं की गई हैं।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास इस अवधि के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों से ऋण या उधार नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(viii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने इस अवधि के दौरान सार्वजनिक प्रस्ताव या अगला सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण निवेशों सहित) और सावधि ऋण आरंभ करके कोई धनराशि नहीं जुटाई। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस अवधि के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई सारवान धोखधड़ी जानकारी में नहीं आई है या सूचित नहीं की गई है।

(xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान किसी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान

नहीं किया है। प्रदान नहीं किया है और कंपनी ने अधिनियम, 2013 की अनुसूची v के साथ पठित धारा 197 का अनुपालन किया है।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी पर लागू होने वाली सीमा तक अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन किया है और ऐसे लेनदनों के ब्यौरे, लागू होने वाले लेखाकंन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान शेयरों या पूर्णतः या अशंतः प्रदत्त रूपांतरणीय डिबेंचरों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तुदनुसार आदेश का पैरा 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 द्वारा कवर किए गए निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्ति के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किए हैं।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकरण कराए क्योंकि यह पहले से ही एक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से, एआईएफस को, समय–समय पर अद्यतनीकृत भा.रि. बै. अधिनियम, 1934 के उपबंधों से 'मास्टर निर्देश–छूट' के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण से छूट प्रदान कर दी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के बंद होने के पश्चात कंपनी ने दिनांक 1 सितंबर, 2021 के प्रमाणपत्र के अंतर्गत सेबी का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
**सीए डी.के. जैन**
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

# 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ख

**कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2021 तक ''कंपनी'' की स्थिति के अनुसार एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधक–वर्ग जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें निगम की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

### लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतारिक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (मार्गदर्शक टिप्पणी) तथा भारतीय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएं लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें निगम की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को निगम के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निगम की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:**

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

**राय**

हमारी राय में, कंपनी में "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति हर प्रकार से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
**सीए डी.के. जैन**
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

# अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

**देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 007799एन

**ह./–**
**सीए डी.के. जैन**
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

# 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ग

**31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।**

| क्रम सं. | निर्देश | उत्तर |
|---|---|---|
| I | क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ–साथ लेखाओं के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रोसेसिंग के प्रभावों का उल्लेख किया जाए। | जी, हां, कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। कंपनी लेखांकन के लिए टेली, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेन–देन प्रोसेस नहीं किया गया है/ना ही बाहर लेकर गए हैं। |
| II | क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या कंपनी ने इस अवधि के दौरान ऋण दाताओं से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है। |
| III | क्या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य निधियों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है/शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें। | हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने विशिष्ट योजनाओं के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों की एजेंसियों से प्राप्त उपयोग के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की है। |

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
**सीए डी.के. जैन**
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

# टिप्पणियां, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

## नोट–1: कॉरपोरेट सूचना एवं लेखांकन का आधार

### क. कॉरपोरेट सूचना

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल' अथवा 'कंपनी), भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को निगमित की गई। कंपनी भारत सरकार के उद्यम, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('एनएसआईसी') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद दिनांक 1 सितंबर 2021 के प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020 (भारत) में स्थित है।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड (''योजना'') कंपनी की पहली योजना है। इस योजना का उद्देश्य विकास पूंजी, पूर्ण इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के रूप में एमएसएमईएस को सहायता के प्रावधान के लिए डाटर फंड को निधि सहायता प्रदान करना है।

### ख. लेखांकन का आधार

#### i. अनुपालन कथन

कंपनी अधिनियम, 2013(''एक्ट'') के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा। यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 और इस अधिनियम के अन्य संबन्धित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारतीय लेखाकरण मानकों का निर्धारण अधिनियम के अनुच्छेद 133 अंतर्गत किया गया है।

#### ii. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के और वित्तीय देयताओं, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों / समय के लिए लगातार लागू किया गया है। चूंकि यह कम्पनी के अनुभव का प्रथम वर्ष है, इस लिए वित्तीय विवरण में पिछली अवधि के तुलनात्मक आकड़े नहीं दिए गए हैं।

हालांकि, कंपनी को समय–समय पर अद्यतन किए गए जाने वाले आरबीआई अधिनियमों, 1934 के प्रावधानों से मुख्य निवेश– छूट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है, अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड III का अनुपालन किया है। जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में परिभाषित एनबीएफसी पर लागू होते हैं, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां शामिल हैं। चूंकि कंपनी को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और 31 मार्च 2021 की वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, कंपनी ने निर्धारित किया है कि अधिनियम की अनुसूची II खंड III अधिनियम की अनुसूची III के खंड III की तुलना में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का एक अधिक उपयुक्त स्वरूप है। बाद में 1 सितंबर 2021 के प्रमाण पत्र के माध्यम से कंपनी को सेबी से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

#### iii. निर्णयों और अनुमानों का इस्तेमाल

कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों

तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएं।

iv. **महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय**

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, कम्पनी के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करें, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित है, जिन्हें सुसंगत माना जाता है। लेखांकन नीतियां, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) अमूर्त परिसंपत्तियां:** परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की गई प्रत्येक तारीख को पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यहास/मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

- **आय कर:** भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि / अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

- **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:** वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाजार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तारीख के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

- **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई):** गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

- **सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:** वर्तमान में, होल्डिंग कम्पनी एनएसआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आए दो कर्मचारियों के अलावा, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो कम्पनी के पे रोल पर हो और सभी सेवानिवृत्ति लाभ एनएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

- **वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन:** जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहां कही संभव हो, अवलोकनयोग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का इस्तेमाल किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट

जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

- **प्रावधान और आकस्मिकताएं:** अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बर्हिवय की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तारीख को संसाधनों का वास्तविक बर्हिवय, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

v. **कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्राः** ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

## टिप्पणी– 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक साथ जो नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

## 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीइ) मूर्त पीपीईज

### 2.1.1 आरंभिक मान्यता और मापन

i. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों को आरंभतः लागत आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मूल्यास, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं। घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ii. जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता जाती है।

iii. उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विनिर्दिष्ट मद के प्रत्यक्षतः कारण उधार लेने की लागतें (उधार ली गई निधियों, यदि कोई हो, के अस्थायी निवेश पर आय घटाने के पश्चात) उन मदों के प्रति पूंजीकृत की जाती है।

### 2.1.2 उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की लागत धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को लाभ या हुई हानि में मान्यता दी जाती है।

### 2.1.3 विमान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

### 2.1.4 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का हानिकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो हानिकृत हानि को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति

पुनर्मूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पुनर्मूल्याकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप मे दर्शाया जाता है।

**2.1.5 मूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रस**

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग' में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार, मोबाइल फोन उपकरण को छोड़कर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है।

| क्रम. सं. | परिसंपत्तियों के स्वरूप | उपयोगी जीवनकाल | दर | अवशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर, लैपटाप और प्रोसेसिंग यूनिट्स | 3 वर्ष | 31. 67% | मूल लागत का 5% |
| 2 | मोबाइल फोन उपकरण | 3 वर्ष | 33. 33% | रु.1/– |

II. वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) से घटावों/ अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रस उस तारीख, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/ निपटान के लिए उपलब्ध है, से/ तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

III. 0.10 लाख रूपये तक की लागत की परिसंपत्तियां, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5% रखने के पश्चात खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित की जाती है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण के, जहां 1 रूपये को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

I . 0.10 लाख रूपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरणों को प्रबंधन द्वारा उनके जीवन उपयोगी काल के आकलन को ध्यान में रखते हुए, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

**2.1.6 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति**

कंपनी द्वारा किए गए व्यय जो विशेष रूप से एक अमूर्त संपत्ति के विकास के लिए समर्पित हों, और यदि इसमें भारतीय लेखांकन मानक 38 का अनुपालन किया जाता है और विकास पूरा होने पर इनमें मान्यता और माप मानदंडों को पूरा करने की संभावना है तो इसे "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। कंपनी ने एआईएफ के संचालन के लिए सेबी से एक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर खर्च किया है और सभी प्रत्यक्ष रूप से समर्पित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ की संभावना है, को पूंजीकृत किया गया है और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किया गया है और ऐसी संपत्ति सेबी अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से परिशोधित होगी।

## 2.2 राजस्व मान्यता

राजस्व प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/ राजस्व की सभी मदें और व्यय प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं जहां नीचे उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चित हो:

**2.2.1 ब्याज आय**

सावधि जमा पर ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, यह वो दर है जिस पर प्रारम्भिक पहचान के बाद उस परिसंपत्ति की निवल अग्रणीत राशि पर वित्तीय आस्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भावी नकद प्राप्ति को सटीक रूप से छूट देती है।

**2.2.2 व्यय का आवंटन**

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय प्रोद्भवन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किए जाते हैं।

## 2.3 कर्मचारी लाभ

**2.3.1** वर्तमान में, कम्पनी ने कोई भी कर्मचारी और कार्मिक नहीं रखा है, इसकी होल्डिंग कम्पनी एनएसआईसी से प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों से आवश्यक

कार्य करवाए जाते हैं। कम्पनी में प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेच्युटी, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभ एनएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और कम्पनी द्वारा एनएसआईसी को वहनीय लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

## 2.4 कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थापित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

### 2.4.1 वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित वर्ष के लिए करयोग्य आय पर भुगतानयोग्य कर है।

### 2.4.2 आस्थगित कर

i. आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

ii. आस्थगित करदेयताओं को आमतौर पर, सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

## 2.5 प्रति शेयर अर्जन

उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों से संबन्धित शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, साथ ही इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या जो मूल कंपनी के इक्विटी शेयरों में सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएगी, से विभाजित करके की प्रति शेयर नकदी आय की गणना जाती।

## 2.6 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में, हस्तगत नकदी, बैंकों में मांग जमा राशियाँ आदि शामिल होती हैं। कम्पनी, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों (अर्जन की तारीख से तीन महीने या इससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले), अत्याधिक अस्थिर निवेशों, जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानती है।

## 2.7 नकदी प्रवाह विवरण

" नकदी प्रवाह विवरण ", भारतीय लेखांकन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

## 2.8 प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

### 2.8.1 प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनो बहिवार्ह के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें नियोजित किया जाता है।

### 2.8.2 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

I. एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है

जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण अथवा किसी ऐसे वर्तमान दायित्व जिसका महत्व नहीं है, से परे भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं अथवा घटना के विना पुष्टि की जाएगी क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह (आऊटफ्लो) की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है, जहां ऐसी देयता होती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी आकस्मिक दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वित्तीय स्थिति में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की बहुत कम संभावना हो।

II. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, तो वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया जाता है।

III. प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों, आकस्मिक संपत्तियों और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाती है।

## 2.9 वित्तीय विलेख

वित्तीय विलेख, एक ऐसा अनुबंध है, जिससे किसी कम्पनी की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य कम्पनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

### 2.9.1 आरंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्यों के मामले में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्ष वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षत लेन–देन लागतों को लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

### 2.9.2 वित्तीय परिसंपत्तियां

**I. उत्तरवर्ती मापन**

वित्तीय परिसंपत्तियों में, निवेश, ऋण, व्यापार प्राप्तव्य, प्रतिभूति जमा राशियां, नकदी और नकदी समतुल्य आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियां, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- प्रभावी व्याज दर (ईआईआर) का इस्तेमाल करके परिशोधित लागव पर
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई हों:

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात, ये वित्तीय परिसंपतियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। यह (ईआईआर) पद्धति किसी वित्तीय परिसंपति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में आय आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहां उपयुक्त हो आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागते और अन्य प्रीमियमों और छूट का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती है।

कंपनी की नकदी और नकदी समतुल्य, तथा नकदी से भिन्न दूसरे बैंक शेष तथा नकदी समतुल्य व्यापार प्राप्तव्य और वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

(ख) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) – कोई वित्तीय परिसंपति अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर प्राप्त किया गया हो।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशिष्ट तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हैं।

ग) उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और आरक्षित में संचित किया जाता है। वर्तमान में, एफवीटीओसीआई वर्गीकृत करने के लिए कोई विलेख नहीं है।

(ग) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एफवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक यह लाभ एवं हानि विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

### II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती है। जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां जमा और बैंक शेष।

### III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि ऐसे लाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

### 2.9.3 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

#### 2.9.3.1 इक्विटी विलेख

इक्विटी विलेख ऐसा अनुबंध है जो किसी प्रतिष्ठान की सभी देनदारियों को हटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट हित का प्रमाण देता है। प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए इक्विटी विलेखों को प्राप्त आय पर, प्रत्यक्ष निर्गम लागतों के निवल पर मान्यता दी जाती है।

#### 2.9.3.2 वित्तीय देयताएं

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतानयोग्य सांविधिक बकाया शामिल होता है। सभी वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

**I. वित्तीय देयताओं का उत्तरवर्ती मापन**

क) परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएं– आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बड़े या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों भुगतानयोग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ख) लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के अग्रेनीत मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

**II. वित्तीय देयताओं का विमान्यकरण**

किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

## 2.10 पट्टे

**पट्टाकर्ता के रूप में कम्पनी**

वर्तमान में, कंपनी के साथ पट्टेदार के रूप में कोई लीज (ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज) करार नहीं किया गया है।

**पट्टेदार के रूप में कंपनी**

कंपनी ने लीज पर ऑफिस स्पेस ले लिया है जिसके लिए लीज रेंटल भुगतान किया जाता है। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। भारतीय लेखा मानक–116 द्वारा निर्धारित पट्टेदार द्वारा लेखांकन निम्नानुसार हैः

कंपनी परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करती है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह महीने या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह महीने या बारह महीने से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ

नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियां शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक रकम शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है। जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तारीख से या उससे पहले अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का आधार भारतीय लेखांकन मानक 16–संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अनुसार कम किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान पर बट्टा दिया जाता है। जिसमें पट्टे पर लागू ब्याज की दर या यदि ब्याज दर तत्काल सुनिश्चित न की जा सके, तो बढ़ोत्तरी वाली उधार की दर का प्रयोग करके तय की जाती है।

# एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

## 31.03.2021 के यथास्थिति तुलन–पत्र

(लाख रू. में)

| क्रम. सं. | | विवरण | नोट संख्या | 31.03.2021 को यथास्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **परिसंपत्तियां** | | | |
| 1 | | **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) | नकदी एवं नकदी समक्ष | 3 | 10.50 | |
| | (ख) | नकदी और नकदी के अलावा बैंक शेष | 4 | 500.00 | |
| | (ग) | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 5 | 9.69 | 520.19 |
| 2 | | **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) | सम्पत्ति, संयंत्र, और उपकरण | 6 | 1.00 | |
| | (ख) | विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | | 16.93 | |
| | (ग) | अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां | 7 | 4.90 | 22.83 |
| | | **कुल परिसंपत्तियां** | | | **543.02** |
| | | | | | |
| | | **देयताएं और इक्विटी** | | | |
| | | **देयताएं** | | | |
| 1 | | **वित्तीय देयताएं** | | | |
| | (क) | **देय** | 8 | | |
| | | **(I) व्यापार देय** | | | |
| | | (i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | | 0.56 | |
| | | (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | | 0.00 | |
| | (ख) | अन्य वित्तीय देयताएं | 9 | 1.61 | 2.17 |
| 2 | | **गैर–वित्तीय देयताएं** | | | |
| | (क) | वर्तमान कर देयताएं (निवल) | 10 | 1.95 | 1.95 |
| | | **कुल देयताएं** | | | **4.12** |
| 3 | | **इक्विटी** | | | |
| | (क) | इक्विटी शेयर पूंजी | 11 | 600.00 | |
| | (ख) | अन्य इक्विटी | 12 | 61.10 | 538.90 |
| | | **कुल इक्विटी** | | | **538.90** |
| | | **कुल देयताएं और इक्विटी** | | | **543.02** |
| **वित्तीय विवरणों हिस्सा बनने वाली अन्य संलग्न नोट देखें** | | | **1 से 26** | | |

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
**देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
**डी के जैन**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या : 083417**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष**
**{डीआईएन नं०: 03165567}**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**{डीआईएन नं०: 08535482}**

ह./–
**राजेश मदान**
**विशेष कार्य अधिकारी**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**{सदस्यता संख्याः ए22768}**

# एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020

(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

## 28.08.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रू. में)

| क्रं.सं. | विवरण | नोट संख्या | 31.03.2021 को यथास्थिति |
|---|---|---|---|
| I. | **प्रचालनों से राजस्व** | | |
| | **प्रचालनों से कुल राजस्व** | | |
| II. | अन्य आय | 13 | 11.06 |
| III. | **कुल आय (I+II)** | | 11.06 |
| I . | **व्यय** | | |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 14 | 0.01 |
| | अन्य व्यय | 15 | 69.37 |
| | **कुल व्यय (IV)** | | **69.38** |
| | **लाभ/(हानि) कर से पहले (III IV)** | | **–58.32** |
| I | **कर व्यय** | 16 | |
| | वर्तमान कर | | 2.78 |
| | आस्थगित कर | | |
| | **कुल कर व्यय (VI)** | | **2.78** |
| II | **वर्ष के दौरान लाभ/(हानि) (V VI)** | | **–61.10** |
| III | **अन्य व्यापक आय** | | |
| क) | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | |
| ख) | मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा | | |
| | **कुल अन्य व्यापक आय (क + ख)** | | |
| IX | **इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय इस अवधि के लिए (VII + VIII) (सम्मिलित लाभ/हानि) और अन्य व्यापक आय** | | **–61.10** |
| X | **प्रति इक्विटी शेयर आय/(हानि)** | 17 | |
| | मूल (रु.) | | 10.18 |
| | तनुकृत (रु.) | | 10.18 |

वित्तीय विवरणों हिस्सा बनने वाली अन्य संलग्न नोट देखें

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
**देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
**डी के जैन**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या : 083417**
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष**
**{डीआईएन नं०: 03165567}**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**{डीआईएन नं०: 08535482}**

ह./–
**राजेश मदान**
**विशेष कार्य अधिकारी**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**{सदस्यता संख्याः ए22768}**

## टिप्पणी–3: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| बैक में शेष: | |
| चालू खाता | 10.50 |
| **कुल** | **10.50** |

टिप्पणी:– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

## टिप्पणी–4: नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| सावधि जमा (परिपक्वता 90 दिन से अधिक परंतु 370 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए) | 500.00 |
| **कुल** | **500.00** |

**नोट:** निश्चित ब्याज पर सावधिक जमा आय

## टिप्पणी–5: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| अर्जित ब्याज परंतु निश्चित/अल्पकालिक जमा पर देय नहीं | 9.69 |
| **कुल** | **9.69** |

## टिप्पणी–6: संपत्ति, संयत्र और उपकरण

(लाख रू. में)

| विवरण | कम्प्यूटर, लेपटॉप और प्रोसेसिंग यूनिट्स | मोबाइल | कुल |
|---|---|---|---|
| **31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए** | | | |
| सकल वहन राशि | | | |
| आरंभिक शेष | | | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 0.87 | 0.14 | 1.01 |
| वर्ष के दौरान जमा | | | |
| **31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि** | **0.87** | **0.14** | **1.01** |
| **संचित मूल्यह्रास और हानि** | | | |
| **आरम्भीक शेष** | | | |
| वर्ष में मूल्यह्रास व्यय | | 0.01 | 0.01 |
| वर्ष के दौरान जमा | | | |
| **31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि** | | **0.01** | **0.01** |
| **31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि** | **0.87** | **0.13** | **1.00** |

## टिप्पणी–7: उच्च गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| सरकारी प्राधिकरणों में शेष | 4.90 |
| **कुल** | **4.90** |

## टिप्पणी–8: देयताएं

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| **व्यापार देयताएं** | |
| (i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया कुल देयताएं। | 0.56 |
| (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की बकाया देयता है। | |
| **कुल** | **0.56** |

नोटः ऐसा कोई भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी की बकाया राशि वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया हो। ऐसी सूचना, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता हो, आपूतिकर्ता की स्थिति के बाऱे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की किसी भी पार्टी के भुगतान करने के लिए कोई भी ब्याज बकाया नहीं है। सांविधिक लेखा–परीक्षा शुल्क के प्रावधान के सूक्ष्म, और लघु उद्यम के बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि लेखा फर्म के एक सूक्ष्म उद्यम हैं, तथापि, कोई भी बकाया देय नहीं है चूंकि वास्तविक भुगतान लेखा परीक्षा को पूरा होने पर चालान जारी करने पर देय हो जाएगा।

## टिप्पणी–9: अन्य वित्तीय देनदारियां

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| सांविधिक बकाया देय | 1.61 |
| **कुल** | **1.61** |

## टिप्पणी–10: वर्तमान कर देयताएं (कुल)

(लाख रू. में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|---|
| आय कर के प्रावधान | 2.78 | |
| कमः आय कर का भुगतान | 0.83 | 1.95 |
| **कुल** | | **1.95** |

## टिप्पणी–11: इक्विटी शेयर कैपीटल

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| **(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी** | |
| रू. 100 प्रति का 10,000,000 इक्विटी शेयर | 1000.00 |
| **कुल** | **1000.00** |
| **(ख) जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की गई शेयर पूंजी** | |
| रू. 100 प्रति का 6,00,000 इक्विटी शेयर | 600.00 |
| **कुल** | **600.00** |

(ग) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलानः

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | |
|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि |
| **वर्ष के आरंभ में शेष राशि** | | |
| जोड़/(कम) : वर्ष के दौरान जारी | 600000 | 600.00 |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **600000** | **600.00** |

(घ) कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रत्येक शेयरधारके के पास 5 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं और धारित इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है।

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति | |
|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपीटल प्रतिशत |
| राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) | * | 1 |
| **कुल** | | |

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(ङ) होल्डिंग कंपनी दवारा रखे गए शेयरों की संख्या

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) | 600000* |
| **कुल** | **600000*** |

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(च) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिभारः

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसमें प्रतिशेयर 100 रू. का है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयर धारक एक वोट का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

**बोनस शेयरः**

स्थापना के बाद से काई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया है।

## टिप्पणी–12: अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| संचित हानि | 1.1 |
| **कुल** | . |

**संचित हानि**

**संचित हानि रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनी की संचित हानि को दर्शाती है।**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| **आरंभिक शेष** | |
| वर्ष के दौरान हानि | 61.10 |
| **अंतिम शेष** | **–61.10** |

## टिप्पणी–13: अन्य आय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|
| बैंक में रखे गए सावधि जमा पर अर्जित ब्याज | 11.06 |
| **कुल** | **11.06** |

## टिप्पणी–14: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|
| **इन पर मूल्यह्रास** | |
| मोबाइल | 0.01 |
| कम्प्यूटर/लैपटाप और प्रोसेसिंग यूनिट्स | 0.00 |
| **कुल** | **0.01** |

## टिप्पणी–15: अन्य व्यय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|
| विज्ञापन और प्रचार # | 26.03 |
| जनशक्ति समर्थन लागत # | 15.94 |
| भर्ती व्यय | 14.84 |
| कंपनी के निगमन पर भुगतान किए गए शुल्क और कर # | 10.83 |
| यात्रा, वाहन और वाहन प्रभार # | 0.57 |
| लेखा परीक्षकों को भुगतान – सांविधिक लेखा परीक्षा व्यय * | 0.50 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय # | 0.29 |
| वेबसाइट और वेब पोर्टल पर व्यय | 0.12 |
| जलपान # | 0.10 |
| किराया भुगतान # | 0.07 |
| विधिक और व्यावसायिक शुल्क | 0.06 |
| विविध व्यय | 0.02 |
| **कुल** | **69.37** |

* सांविधिक लेखा परीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षा के अलावा कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया है।

# नोट–21 का संदर्भ लें

## टिप्पणी–16: कर व्यय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|
| **वर्तमान कर** | |
| इस अवधि की कर योग्य राशि पर वर्तमान कर | 2.78 |
| **कुल वर्तमान कर** | **2.78** |
| **आस्थिगत कर व्यय** | |
| अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण | |
| **कुल आस्थिगत व्यय** | - |
| **कुल कर व्यय** | **2.78** |

आयकर में वर्तमान कर और आस्थिगत कर शामिल है। वर्तमान कर को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए देय आय के संबंध में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है और यदि को अधिकता अथवा कमी होती है तो, उसे परिसंपत्तियों को अतिम रूप देते समय समायोजित कर लिया जाता है। देशी कंपनियों को कम कर्पोरेट कर दर का लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115 बीएए को जोड़ा गया है। धारा 115 बीएए में कहा गया है कि देशी कंपनियों के पास विकल्प है कि वे वित्त वर्ष 2019–20 (मूल्याकंन वर्ष 2020–21) से 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकती हैं यदि ये देशी कंपनियों इसमें निर्देशित कुछ निश्चित शर्तों का पालन करती हैं कंपनी ने चालू अवधि के लिए इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया है और खाता वहीं में तदनुसार कर प्रावधान किए गए हैं।

## टिप्पणी–16.1: प्रभावी कर दर का समाधान

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|
| कर से पहले हानि | 58.32 |
| भारत में कंपनियों पर लागू होने वाली अधिनिगमित आय कर दर | 25.168% |
| परिकलित कर व्यय | 2.78 |
| लागू कर | |
| कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य व्यय | 0.00 |
| कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती न करने योग्य व्यय | 69.38 |
| चालू कर प्रावधान | 2.78 |
| वृद्धिशीलता आस्थिगत कर परिसंपित्तियां (देयता) | 0.00 |
| लाभ और हानि विवरण में निर्धारित कर व्यय | 2.78 |
| **प्रभावी कर दर** | **25.168%** |

## टिप्पणी–17: प्रतिशेयर आय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|
| (क) इक्विटी शेयर धारको के कारण शुद्धनाम/(हानि) | 61.10 |
| (ख) प्रति शेयर मूल कमाई के लिए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या | 600000 |
| **तनुकृत की प्रभाव** | |
| (ग) तनुकृत आय प्रति शेयर के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 600000 |
| प्रति शेयर आय (मूल) (रू.) (ए/बी) | 10.18 |
| प्रति शेयर आय (तनुकृत) (रू.) (ए/सी) | 10.18 |

## टिप्पणी– 18 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी को वित्तीय और निवेश गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है और वर्तमान में एक ही व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

## टिप्पणी– 19 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(क) 31 मार्च 2021 को यथास्थिति कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

(ख) भविष्य की अवधि के लिए विधि सलाहकार व्यय के प्रति प्रतिबद्धताएं आईएनआर 229.07 लाख है।

## टिप्पणी– 20 रिपोर्टिंग तिथि के बाद के कार्य

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसी कोई कार्य नहीं किया गया जिसके लिए इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

## टिप्पणी– 21 संबंधित पार्टियों का विवरण

### (क) संबंधित पार्टियों के नाम और उनसे संबंधों की प्रकृतिः

| संबंध का विवरण | संबंधित पार्टी का नाम |
|---|---|
| होल्डिंग कंपनी | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| | |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) | श्री विजयेंद्र (अध्यक्ष) |
| | श्री गौरांग दीक्षित (निदेशक) |
| | श्रीमती निष्ठा गोयल (कंपनी सचिव) |

### (ख) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के नाम और लेनदेन की प्रकृतिः

(लाख रू. में)

| संबंधित पार्टी का नाम | लेन–देन की प्रकृति | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|---|
| होल्डिंग कंपनी | प्राप्त इक्विटी आय | 600.00 |
| | कंपनी की ओर से संबंधित पार्टी द्वारा किए गए व्यय के किए की गई प्रतिपूर्ति | |
| | – जनशक्ति समर्थन लागत | 15.94 |
| | – भुगतान किया गया किराया | 0.07 |
| | – विज्ञापन और प्रचार | 13.67 |
| | – कंपनी निगमन पर भुगतान किया गया कर व ड्यूटी | 10.83 |
| | – अन्य व्यय (अर्थात मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और जलपान) | 0.82 |
| | लिया गया अग्रिम | 1.00 |
| | चुकाया गया अग्रिम | 1.00 |

(ग) संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए बकाया राशि का विवरण:

(लाख रू. में)

| संबंधित पार्टी का नाम | लेन–देन की प्रकृति | 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि |
|---|---|---|
| होल्डिंग कंपनी | इक्विटी योगदान | 600.00 |

**(घ) संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर किया जाता है जो सामान्यतः लेनदेन में प्रचलित होते हैं। उपरोक्त सभी मूल्य (टिप्पणी संख्या 21 (ख) जहां लागू हो, जीएसटी के बिना हैं।**

## टिप्पणी– 22 पट्टे

भारतीय लेखांकन मानक– 116 के अनुसार, पट्टों के अनुसार, अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के मामले में मानक में निर्धारित मुख्य सिद्धांतों को लागू करना वैकल्पिक है। चूंकि कंपनी का एकमात्र पट्टा अनुबंध 12 महीने से कम की अवधि के लिए है और महत्वहीन मूल्य का है, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक– 116 में बताए अनुसार मुख्य सिद्धांतों को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है।

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान, लाभ और हानि के विवरण में रु.0.07 लाख के परिचालन पट्टे की प्रकृति में पट्टा किराए को मान्यता दी गई है। 11 महीने के कार्यकाल के बाद कोई अनुबंध पट्टा भुगतान प्रतिबद्धता नहीं है।

## टिप्पणी– 23 वित्तीय विलेख – उचित मूल्य

### I. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण जारी इक्विटी पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल किए जाते हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर पूंजी की सुरक्षा और रक्षा और शेयरधारक के धन में वृद्धि करना। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करती है। समय–समय पर, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी पर वापसी के लिए पूंजी संरचना की समीक्षा करती है। 31 मार्च 2021 की यथास्थिति के अनुसार कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

### II. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य है कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके परिचालनों में सहयोग हेतु गारंटी प्रदान करना। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में नकदी और नकदी समकक्ष, अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम का सामना करती है। विदेशों में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों पर प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है और वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन किया जाता है और वरिष्ठ प्रबंधन निर्णयों और नितियों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है।

#### क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम शामिल हैं। इक्विटी मूल्य जोखिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के पास कोई उधार और विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं है, इसलिए ब्याज जोखिम के साथ ही मुद्रा जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा।

#### ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत यदि कोई भी कंपनी वित्तीय साधनों और ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगी, तो उसे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य) से क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है, वर्तमान में कंपनी में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है। कंपनी ने किसी भी क्रेडिट खराब करने वाली संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया। किसी भी वित्तीय संपत्ति में कोई संशोधन नहीं है।

#### ग) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

कंपनी बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्रोत है।

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुसार है। यह राशि सकल राशि है और बिना रियायत के भुगतान की गई है

(लाख रू. में)

| वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2021 | 1 वर्ष या उससे कम | 1–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|
| उधारी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| व्यापार देयताएं | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |

**टिप्पणी:** यह संचालन का पहला वर्ष है इसलिए पिछले वर्ष के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं।

**क. वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण**

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम में शामिल उनके स्तर की वहन राशि और उचित मूल्य को दर्शाया गया है। यदि वहन राशि उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसे उचित मूल्य पर मापा नहीं गया है, इसमें वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है।

(लाख रू. में)

| 31 मार्च, 2021 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं | टिप्पणी सं. | वहन राशि | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य | अन्य व्यापक के माध्यम से उचित मूल्य | उचित कुल | |
| वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| नकदी और नकदी समकक्ष | 3 | | | 10.50 | 10.50 |
| नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष | 4 | | | 500.00 | 500.00 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 5 | | | 9.69 | 9.69 |
| वित्तीय देयताएं | | | | | |
| देय | | | | | |
| व्यापार देयताएं | 8 | | | 0.56 | 0.56 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 9 | | | 1.61 | 1.61 |

(लाख रू. में)

| 31 मार्च, 2021 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं | टिप्पणी सं. | उचित मूल्य | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्तर –1 | स्तर –2 | स्तर –3 | |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| नकदी और नकदी समकक्ष | 3 | | | 10.50 | 10.50 |
| नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष | 4 | | | 500.00 | 500.00 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 5 | | | 9.69 | 9.69 |
| वित्तीय देयताएं | | | | | |
| देय | | | | | |
| व्यापार देयताएं | 8 | | | 0.56 | 0.56 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 9 | | | 1.61 | 1.61 |

**ख. उचित मूल्य पदानुक्रम**

कंपनी निम्नलिखित उचित मूल्य पदानुक्रम का उपयोग करके उचित मूल्य को मापती है, जो माप बनाने में उपयोग किए गए इनपुट के महत्व को दर्शाती है।

**स्तर –1 :** इनपुट जिनमें समान संपत्ति या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में बाजार मूल्य (असमायोजित) उद्धृत किए जाते हैं।

**स्तर –2 :** उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम किया जाता है, जैसे कि सक्रिय बाजारों में समान संपत्ति और देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, काफी हद तक वित्तीय साधन की पूरी अवधि के लिए होते हैं लेकिन स्तर 1 इनपुट के रूप में योग्य नहीं है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

**स्तर –3 :** यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल किए जाते हैं। इस लिए , जोखिम के बारे में बाजार सहभागियों की धारणाएं और उस जोखिम को सहन करने के लिए बाजार सहभागियों द्वारा आवश्यक जोखिम प्रीमियम स्तर 3 इनपुट में शामिल किए जाते हैं। कंपनी परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर स्तर 3 इनपुट विकसित करती है।

**ग. वहनीय मूल्य पर वित्तीय विलेखों का मूल्य वहन**

अन्य चालू बैंक शेष, अन्य प्राप्य और व्यापार और अन्य देय सहित अन्य वित्तीय देनदारियों सहित नकद समकक्ष की अग्रणी राशि को उनके, वर्तमान और इस तरह के शेष की कम समय अवधि की प्रकृति के कारण इन्हें उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

## टिप्पणी –24 कोविड –19 महामारी का प्रभाव

नोवल कोरोना वायरस कोविड –19 महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड –19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, कोविड –19 ने न केवल मानव जीवन, बल्कि व्यापार और वित्तीय बाजारों पर भी अपना प्रभाव डाला है, जिसकी सीमा वर्तमान में अनिश्चित है। विभिन्न सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं।

कोविड –19 महामारी के दौरान अनिश्चितता के कारण, हमें यह ज्ञात नहीं है कि यह कंपनी के व्यवसाय और उसके परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगा और यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी, जिसका कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव हो सकता है।

## टिप्पणी –25 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

भारतीय लेखांकन मानक –105 के अनुसार कोई भी परिसम्पत्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई हैं।

## टिप्पणी –26 हालिया लेखा घोषणा

24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची एम में संशोधन किया। अनुसूची III के डिवीजन I, II और III को संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाली रिपोर्टिंग अवधि से लागू हैं और इसलिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय इन विचार नहीं किया गया है।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
**डी के जैन**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या : 083417**
**यूडीआईएन : 21083417एएएएडीएच8998**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष**
**{डीआईएन नं०: 03165567}**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**{डीआईएन नं०: 08535482}**

ह./–
**राजेश मदान**
**विशेष कार्य अधिकारी**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**{सदस्यता संख्याः ए22768}**

# एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020

(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

**28.08.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में नकदी प्रवाह का विवरण**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| **प्रचालन कार्यों से प्राप्त नकदी प्रवाह** | |
| टैक्स से पहले हानि | 58.32 |
| **टैक्स समायोजन से पहले हानि** | |
| मूल्यह्रास | 0.01 |
| आवधिक जमा पर अर्जित ब्याज | 11.06 |
| **कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व परिचालन हानि** | **–69.37** |
| **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन** | |
| अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | 4.90 |
| व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी | 0.56 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | 1.61 |
| **परिचालनों से प्राप्त नकदी** | **–72.10** |
| भुगतान किया गया आयकर | 0.83 |
| **प्रचालन कार्यों में उपयोग किया गया कुल नकदीकरण (क)** | **–72.93** |
| | |
| **निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह** | |
| संपत्ति, संयत्र और उपकरण की खरीद | 1.01 |
| विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर व्यय | 16.93 |
| सावधि जमा में निवेश–90 दिनों से अधिक में परिपक्वता परंतु माह 370 दिनों से अधिक न हो। | 500.00 |
| सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज | 1.37 |
| **निवेश कार्यों में उपयोग की गई कुल नकदी (ख)** | **–516.57** |
| | |
| **वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह** | |
| शेयर जारी करने से आय | 600.00 |
| **वित्तीय कार्यकलापों से कुल नकदी (ग)** | **600.00** |
| | |
| **नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)** | **10.50** |
| **अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य** | **–** |
| **अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य** | **10.50** |

उपरोक्त विवरण भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित 'इनडारेक्ट मैथड' करके तैयार किया गया है।

नोट 3 में नकदी और नकदी समतुल्य घटकों का खुलासा किया गया है।

**वित्तीय विवरणों में हिस्सा बनने वाली अन्य संलग्न नोट देखें**

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
**देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
**डी के जैन**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या : 083417**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

ह./–
अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष
{डीआईएन नं०: 03165567}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक (वित्त)
{डीआईएन नं०: 08535482}

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता संख्याः ए22768}

# एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020

(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

**28.08.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण**

**क. इक्विटी शेयर कैपीटल**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति |
|---|---|
| रू. 100/–का अंकित मूल्य वाले शेयर | |
| **अवधि के शुरूआत में शेयर** | |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर में परिवर्तन | . |
| **अवधि के अंत में शेष** | . |

**ख. अन्य इक्विटी**

(लाख रू. में)

| विवरण | प्रतिधारित आय | अन्य व्यापक आय | जोड़ |
|---|---|---|---|
| **अवधि के आरम्भ में शेष** | | | |
| अवधि के लिए लाभ/(हानि) | 1.1 | | 1.1 |
| अवधि के लिए व्यापक आय | | | |
| **31 मार्च, 2021 को यथास्थिति** | . | | . |

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
**देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
**डी के जैन**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या : 083417**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

ह./–
**अलका नांगिया अरोड़ा**
**अध्यक्ष**
**{डीआईएन नं०: 03165567}**

ह./–
**गौरांग दीक्षित**
**निदेशक (वित्त)**
**{डीआईएन नं०: 08535482}**

ह./–
**राजेश मदान**
**विशेष कार्य अधिकारी**

ह./–
**निष्ठा गोयल**
**कंपनी सचिव**
**{सदस्यता संख्याः ए22768}**

# 28 अगस्त, 2020 से 31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियम के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 28 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनकी दिनांक 23.09.2021 की सांवाधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि ऐसा कर दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** के दिनांक 28 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

**ह./–**
**(विधु सूद)**
प्रधान निदेशक के लेखापरीक्षा
(उद्योग और कार्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2021

# एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

**(एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)**
**सीआईएनः यू65990डीएल2020जीओआई368828**
**एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट**
**नई दिल्ली–110020**
**वेबसाइटः**

## सूचना

यह सूचित किया जाता है कि **एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड** ((एनवीसीएफएल या "कंपनी") की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट नई दिल्ली– 110020 में 26 नवंबर, 2021 को 11.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यवसाय के प्रबंधन पर चर्चा होगीः

### सामान्य व्यवसाय

1) निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और साथ ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ–साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, अनुमोदन करना और उसे अपनाना।

2) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करनाः

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय और निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है।"

### विशेष व्यवसाय

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और उचित पाए जाने पर, इन्हें पारित करनाः

3) कंपनी के निदेशक के रूप में अपर निदेशक, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (डीआईएन– 03165567) का नियमितीकरण

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के प्रावधानों और अन्य लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (डीआईएन– 03,165,567) जिन्हें 23 सितंबर, 2021 को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को अब एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
**ह/–**
**(निष्ठा गोयल)**
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
**दिनांक :** 23 नवंबर, 2021

**टिप्पणियाँः**

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण जिसमें संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 के तहत व्यवसाय से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित किया गया है, इसके साथ संलग्न है।

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य, स्वयं के स्थान पर, यदि कोई हो, मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।

2. इस बैठक के व्यवसाय के किसी भी मद (वस्तुओं) के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रश्न भेजें, ताकि बैठक के समय आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बनाए गए सांविधिक रजिस्टर, कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक स्थल पर उपलब्ध होंगे।

4. इसके साथ खाली प्रॉक्सी फॉर्म भेजा जाता है।

5. प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले लिखत दस्तावेज, विधिवत भरकर, मुहर लगाकर पूरा करके और हस्ताक्षर कर, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण को आम बैठकों के सचिवीय मानक (एसएस–2) के साथ पढ़ा जाए

**मद संख्या 3**

यह सूचित किया जाता है कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड (अर्थात एनवीसीएफएल की पहली योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अध्यक्ष के रूप में सीएमडी एनएसआईसी के साथ कंपनी का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा। तदनुसार, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1)के प्रावधानों और इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल पर लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार 23 सितंबर, 2021 को एनवीसीएफएल के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, इस एजीएम में शेयरधारकों द्वारा सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

एनएसआईसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के नामिती के रूप में उनके पास 100/–रुपये का 1 इक्विटी शेयर है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है।

सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक इस संकल्प में रुचि रखती हैं।

सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार, इस नोटिस की मद संख्या 3 पर निर्धारित उक्त संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्य किसी प्रकार से हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं।

सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उक्त मद से संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों/समय पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

# राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110020, भारत

: :

| क्र. सं. | एनएसआईसी कार्यालय | पता | फोन/फैक्स | ई मेल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **पंजीकृत कार्यालय** | एनएसआईसी भवन<br>ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट<br>नई दिल्ली–110020 | 11 , | info nsic.co.in,<br>dpu nsic.co.in |
| | **नार्थ–I**<br>**जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>सी–41 सेक्टर–58<br>नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) | 1 1 , 1 | mnorth1 nsic.co.in |
| | **नोएडा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>III–बी/118 सैक्टर–18, शोपिंग काम्पलैक्स,<br>नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) | 1 to ,<br>11<br>फैक्स 1 , | onoida nsic.co.in |
| | **देहरादून** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>निरंजनपुर सब्जीमंडी के पास, सहारनपुर रोड़,<br>देहरादून –248001 (उत्तराखण्ड) | 1 1<br>ax 1 | odehradun nsic.co.in |
| | **आगरा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>307/टी–6, तीसरी मंजिल, मारूित प्लाजा,<br>(संजय टाकीज के पीछे) संजय पैलेस,<br>आगरा–282002 (उत्तर प्रदेश) | ,<br>फैक्स | oa ra nsic.co.in |
| | **कानपुर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>112/1, दूसरी मंजिल बेनाझाबर रोड़,<br>कानपुर–208002 | 1 ,<br>फैक्स 1 1 | o an nsic.co.in |
| | **नैनी** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>इंडस्ट्रियल एस्टेट, पी.ओ–उद्योग नगर, नैनी,<br>इलाहाबाद–211 009 (उत्तर प्रदेश) | 1 , ,<br>फैक्स 1 | oallaha ad nsic.co.in |
| | **गोरखपुर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा कार्यालय<br>डीआईसी कैम्पस, गोरखनाथ, इंडस्ट्रीयल एस्टेट,<br>गोरखपुर–273015 (उत्तर प्रदेश) | 1 1 | rishishu la nsic.co.in |
| | **वाराणसी** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा कार्यालय<br>मानसरोवर कॉम्पलेक्स, सी–30/35–बी,<br>द्वितीय तल मालदहिया,<br>वाराणसी–221001 (उत्तर प्रदेश) | फैक्स | ovaranasi nsic.co.in |
| 10 | **नार्थ–II**<br>**जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>गुरू गोबिंद सिंह टावर,नियर ढोलेवाल चौक,<br>जी टी रोड़ लुधियाना–141003 (पंजाब) | 1 1 1 , ,<br>फैक्स 1 1 1 | mnorth nsic.co.in |
| 11 | **लुधियाना** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>गुरू गोबिंद सिंह टावर, नियर ढोलेवाल चौक,<br>जी टी रोड़ लुधियाना–141003 (पंजाब) | 1 1 1 , ,<br>फैक्स 1 1 1 | oludh nsic.co.in |
| 1 | **चंडीगढ़** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>भूतल, बीएसएनएल प्रशासन, सेक्टर 34–ए,<br>चंडीगढ़ (यूटी)–160022 | 1 , 1<br>फैक्स 1 | ochd nsic.co.in |
| 1 | **जालंधर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>प्रथम तल, 55 एक्रेड बी–1–823/4, टांडा रोड़<br>केएमवी कॉलेज के सामने,<br>जलांधर – 144004 (पंजाब) | 1 1 , ,<br>फैक्स 1 1 | o al nsic.co.in |

| क्र. सं. | एनएसआईसी कार्यालय | पता | फोन/फैक्स | ई मेल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **एनसीआर जोन<br>जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>एनटीएससी कैम्पस गोविंद पुरी मेट्रो स्टेशन के पास,<br>ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,<br>नई दिल्ली–110020 | 11<br>फैक्स 11 | mncr nsic.co.in |
| 1 | **दिल्ली** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>एनटीएससी कैम्पस गोविंद पुरी मेट्रो स्टेशन के पास,<br>ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,<br>नई दिल्ली–110020 | 11 ,<br>1 1<br>फैक्स 11 ,<br>1 1 | delhinsic nsic.co.in |
| 1 | **गुड़गांव** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>प्लाट नं. 69, प्रथम तल आई.डी.सी. सेक्टर–16,<br>एम.जी. रोड गुरूग्राम–122001 (हरियाणा) | 1 1 | o ur nsic.co.in |
| 1 | **फरीदाबाद** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>प्लाट नं. 107, निशान हट, एनएच–5, रेलवे रोड,<br>फरीदाबाद–121 001 (हरियाणा) | 1 11<br>फैक्स 1 11 | ofarida ad nsic.co.in |
| 1 | **नारायणा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>सीबी–326, द्वितीय तल, रिंग रोड, नारायणा,<br>नई दिल्ली–110 028 | 11 11 ,<br>फैक्स 11 1 | onaraina nsic.co.in |
| 1 | **दक्षिण–1<br>जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>नं. 6 एण्ड 7 आईएसआईसीओएस बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ<br>चोर्ड रोड, राजाजीनगर इंडस्ट्रीयल एस्टेट,<br>बैंगलुरू, कर्नाटका–560010 | 1 , 1,<br>1<br>फैक्स | msouth1 nsic.co.in |
| | **बेंगलुरू** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>नं. 25 फर्स्ट मेन रोड़ केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल<br>एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर,<br>बेंगलुरू–560058 | 1 , 1,<br>1 | o an nsic.co.in |
| 1 | **बेलगांव** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>प्लाट नं. 60 अनुजय बिल्डिंग, 5वां क्रास,<br>सुभाश चन्द्रा नगर ,फाउन्ड्री कलस्टर बिल्डिंग,<br>नियर उत्सव होटल,<br>बेलगांव–590006 | 1 | el aum nsic.co.in |
| | **पीनिया** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>सी– 424, पीनिया, फर्स्ट स्टेज,<br>पीनिया पुलिस स्टेशन के पीछे,<br>बेंगलुरू–560058 | , ,<br>फैक्स | opeen a nsic.co.in |
| | **कोचीन** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>एस–67 जीसीडीए काम्पलेक्स,<br>मरीन ड्राइव इरनाकुलम, कोच्ची,<br>कोचीन – 682031 (केरला) | 1 1<br>फैक्स 1 | ococh nsic.co.in |
| 24 | **दक्षिण–II<br>जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी<br>क्रोस रोड़, हैदराबाद–500020 (तेलगांना) | 1 1,<br>फैक्स 1 | msouth nsic.co.in |
| | **हैदराबाद** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़,<br>हैदराबाद–500020(तेलगांना) | 1 , 1 1,<br>फैक्स 1 | oh d nsic.co.in |
| | **बालानगर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>डोर नं. 6–3–144 एण्ड 144/1, जहांनारा करीम<br>कॉम्पलेक्स, तृतीय तल बाला नगर<br>हैदराबाद–500037, (आन्ध्र प्रदेश) | , | o alana ar nsic.co.in |

| क्र. सं | एनएसआईसी कार्यालय | पता | फोन/फैक्स | ई मेल |
|---|---|---|---|---|
| | **विजयवाड़ा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>डोर नं. 59ए–8/8–6बी/1, तृतीय तल,<br>मेन रोड़ गुरू नानक कालोनी, कृष्णा जिला<br>विजयवाड़ा – 520008 | 1<br>फैक्स | ovi a a ada nsic.co.in |
| | **विशाखापट्नम** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>6–67–27/2/3 पुलिस स्टेशन के सामने,<br>गजुवाका, विशाखापट्नम–530026 | 1 , | visa hapatnam nsic.co.in |
| | **साउथ–III<br>जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>न्यू नं. 422 (ओल्ड नं. 615) अन्ना सलाई,<br>चैन्नई–600006 (तमिलनाडु) | 1 ,<br>1<br>फैक्स 1 | msouth nsic.co.in |
| | **चैन्नई** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>422, अन्ना सलाई<br>चैन्नई–600006 | , 1<br>फैक्स 1, | ochen nsic.co.in |
| 1 | **अम्बाटूर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>309 एसआईडीसीओ–एआईएमए टावर्स,<br>फर्स्ट मेन रोड़, अम्बाटूर इंडस्ट्रीयल एस्टेट,<br>चैन्नई–600058 | , 1<br>फैक्स | oam attur nsic.co.in |
| | **पुडुचेरी** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इंडस्ट्रीयल एस्टेट,<br>थट्टानचावड़े पुडुचेरी–605009 | 1 ,<br>फैक्स 1 | opon nsic.co.in |
| | **कोयम्बतूर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>1055/10 गौथाम सेंटर, अविनाशी रोड़,<br>कोयम्बतूर–641018 (तमिलनाडु) | 1 ,<br>फैक्स | ocom nsic.co.in |
| | **मदुरै** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>74, एडीआर टावर प्रथम तल, पी. पी. चावडी,<br>कलवासी थेणी मेन रोड़,<br>मदुरै – 625016 | , ,<br>फैक्स | omadu nsic.co.in |
| | **पूर्व–I<br>जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>20–बी, सातवां तल, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, सांतवा तल<br>कोलकाता– 700 069 (पश्चिम बंगाल) | 1<br>फैक्स | meast nsic.co.in |
| | **कोलकाता** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>20–बी, सातवां तल, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, सांतवा तल<br>कोलकाता– 700 069 (पश्चिम बंगाल) | 1<br>फैक्स | ocal nsic.co.in |
| | **कोलकाता<br>(साल्ट लेक)** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>प्लाट नं– 7/7 एण्ड 7/8, ब्लॉक–सीपी, साल्ट लेक<br>सेक्टर– कोलकाता– 700 091 (पश्चिम बंगाल) | 1 1, 1 ,<br>1 | osaltla nsic.co.in |
| | **पटना** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>104, प्रथम तल मन्ना–श्रुति काम्पलेक्स,<br>डाक्टर्स कालोनी कनकरबाग,<br>पटना–800020 (बिहार) | 1 , 1<br>फैक्स 1 | opatna nsic.co.in |
| | **कोलकाता एल एण्ड आर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>लीगल एण्ड रिकवरी सेल कमरा नं– 2/1<br>द्वितीय तल, हुडको टावर, न्यू मार्केट, 15 एन, नेली<br>सेनगुप्ता सरनी, लिंडसवे स्ट्रीट<br>कोलकाता–700 0087 | | lrcell ol nsic.co.in |

| क्र. सं. | एनएसआईसी कार्यालय | पता | फोन/फैक्स | ई मेल |
|---|---|---|---|---|
| | **पूर्व–।। जोन जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>प्रथम तल, डीआईसी कैम्पस<br>रसुलगढ़ इंडस्ट्रीयल एस्टेट,<br>भुवनेश्वर– 751010 | , 1 1<br>फैक्स | meast nsic.co.in |
| 1 | **भुवनेश्वर (शाखा कार्यालय)** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>प्रथम तल, डीआईसी कैम्पस<br>रसुलगढ़ इंडस्ट्रीयल एस्टेट,<br>भुवनेश्वर– 751010 | , 1 | o hu anes ar nsic.co.in |
| | **राउरकेला** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>प्लाट नं. जेजेजे–16, सिविल टाउनशिप<br>राउरकेला–769004 | 1<br>फैक्स 1 | rour ela nsic.co.in |
| | **जमशेदपुर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>फ्लैट नं. ए2/1, द्वितीय तल, निरोड अपार्टमेंट,<br>एल–रोड़,पी.ओ. एण्ड पी.एस. बिस्तुपुर<br>जमशेदपुर–831001 (झारखण्ड) | 1, | o ms nsic.co.in |
| | **रांची** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>उद्योग भवन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र<br>रांची–834001 (झारखण्ड) | 1 1 | nsshoranchi nsic.co.in |
| | **बोकारो** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा प्लॉट नं. 7018 खाता नं. 566, नियर वैभव होटल, बाय पास रोड़, चौस बोकारो–834001 (झारखण्ड) | 1 1 | o am nsic.co.in |
| | **आईएमडीसी भुवनेश्वर** | आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक डी, मचेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर –751010 | | imdc sr nsic.co.in |
| 47 | **नार्थ ईस्ट जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>बाय लेन नं– 3, इंडस्ट्रीयल एस्टेट बामूनीमैडम,<br>गुवाहाटी–781021 | 1 , 1<br>फैक्स 1 | mne nsic.co.in |
| | **गुवाहाटी** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>(प्रशिक्षण केंद्र सहित)<br>बाय लेन नं. 3 इंडस्ट्रीयल स्टेट, बामुनीमैडम,<br>गुवाहाटी– 781021 | 1<br>फैक्स 1 | o h nsic.co.in |
| | **इम्फाल** | उप शाखा उरीपोक अचोम लेकाई,<br>इम्फाल (मणिपुर)– 795001 | 1 | li etom idevi nsic.co.in |
| | **पश्चिम जोन जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>505 पांचवा तल, मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग,<br>विंग–बी, गांव मरोल, कार्यालय एम.वी. रोड़,<br>अंधेरी (ई) मुम्बई–400059 | फैक्स | m est nsic.co.in |
| 1 | **नवी मुम्बई** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>पी–104, एमआईडीसी खरैना, टीटीसी इंड. एरिया,<br>कोपरखरानै, नवी मुम्बई–400710 | ,<br>11<br>फैक्स 1 | omum nsic.co.in |
| | **अंधेरी मुम्बई** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>3ए, तृतीय तल ए–विंग गंडेचा आनक्लेव खैराने रोड़,<br>साकीनाका अंधेरी (ई),<br>मुम्बई–400072 | 1 1<br>फैक्स 1 | oandheri nsic.co.in |
| | **नागपुर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>न्यू सचिवालय बिल्डिंग प्रथम तल, पूर्व विंग,<br>वीसीए स्टेडियम के सामने नियर उरसुला स्कूल सिविल लाइनस, नागपुर–440001 | 1 ,<br>फैक्स 1 | ona pur nsic.co.in |

| क्र. सं. | एनएसआईसी कार्यालय | पता | फोन/फैक्स | ई मेल |
|---|---|---|---|---|
| | **पुणे** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>211/212, द्वितीय तल, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग<br>पुणे–सतारा रोड़, नियर साईबाबा मंदिर,<br>पुणे–411037 (महाराष्ट्र) | फैक्स | opune nsic.co.n |
| | **औरांगाबाद** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>पी–15, मासई, मोर चौक एमआईडीसी, वलुज,<br>औरांगाबाद–431136 (महाराष्ट्र) | फैक्स | oauran a ad nsic.co.in |
| | **रायपुर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>204, द्वितीय तल ब्लाक–ए क्रिस्टल अक्रेड नियर<br>लोधीपारा चौक, शंकर नगर,<br>रायपुर– 492007 (छत्तीसगढ़) | 1 , | oraipur nsic.co.in |
| | **नासिक** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>गली नं. 13 तृतीय तल, उद्योग भवन, एमआईडीसी<br>सतपुर, नासिक – 422007 | फैक्स 1 | onasi nsic.co.in |
| | **गोवा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाख कार्यालय<br>श्रीजी कॉम्पलेक्स चतुर्थ तल, नियर मनोशांति होटल,<br>डॉ. दादा वैदया रोड़, पानाजी–403001 | | o oa nsic.co.in |
| | **सेंट्रल जोन<br>जोनल कार्यालय** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड<br>202, 203 समृद्धि बिल्डिंग, गुजरात हाईकोर्ट के सामने,<br>अहमदाबाद–380014 (गुजरात) | , ,<br>फैक्स 1 | mcentral nsic.co.in |
| | **अहमदाबाद** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>202, 203 समृद्धि बिल्डिंग,गुजरात हाईकोर्ट के सामने,<br>अहमदाबाद–380014 (गुजरात) | , ,<br>फैक्स 1 | oamd nsic.co.in |
| 1 | **इंदौर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>10, पोलोग्राउंड इंडस्ट्रीयल एस्टेट,<br>इंदौर (मध्य प्रदेश) – 452015 | 1 , ,<br>फैक्स 1 1 | oindore nsic.co.in |
| | **भोपाल** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>110, मालवीय नगर, प्रथम तल,<br>भोपाल–462003 (मध्य प्रदेश) | , 1 ,<br>फैक्स 1 | o pl nsic.co.in |
| | **जयपुर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>एनएफ/0/2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड,<br>जयपुर–302015 | 1 1 1 1, 1,<br>,<br>ax 1 1 1 , | o ai nsic.co.in |
| | **वीकेआईए जयपुर** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय<br>513, अलंकार प्लाजा, सेंट्रल स्पाइन, सेक्टर–02<br>विद्याधर नगर जयपुर–302039 | 1 1 1 , 1<br>फैक्स 1 1 1 | ov i aipur nsic.co.in |
| | **कोटा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा<br>एसएसआई एसोसिएशन पुरुसारथ भवन, आईपीआईए,<br>रोड़ नं. 5 कोटा–324005 | 1 | so ota nsic.co.in |
| | **वड़ौदरा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा (जिंक<br>प्रोडेक्ट) सी/ओ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन,<br>नियर रानोली फलाईओवर, ब्रिज काराचाइया,<br>वड़ौदरा–391350 | 1 | inti afalam nsic.co.in |

## एनटीएससी

| क्र. सं. | एनएसआईसी कार्यालय | पता | फोन/फैक्स | ई मेल |
|---|---|---|---|---|
| 67 | **चैन्नई** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र (एलबीआई शामिल) सेक्टर–बी–24 गिन्डी औद्योगिक क्षेत्र इक्कादुथुंगल चैन्नई–600032 | फैक्स | ntscche nsic.co.in |
| | **हावड़ा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, जापानी गेट, बालटिकुरी हावड़ा–711113 | , , फैक्स 1 1 | ntscho nsic.co.in |
| | **ओखला** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली–110020 | 11 1, , फैक्स 11 | ntsco nsic.co.in |
| | **हैदराबाद** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, कुशाईगुडा, कमलानगर ईसीआईएल, हैदराबाद–500062 | 1 1 , 1 , 1 , 1 फैक्स 1 | ntsch nsic.co.in |
| 1 | **राजकोट** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एलबीआई शामिल) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, भाव नगर रोड, अजी औद्योगिक क्षेत्र, राजकोट–360003 | 1 फैक्स 1 | ntscra nsic.co.in |
| | **राजपुरा** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, डी–82/83, फोकल प्वाइंट, ओल्ड क्यूएमई बिल्डिंग, राजपुरा–140401 | 1 फैक्स 1 | ntsec.r p nsic.co.in |
| | **अलीगढ़** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अलीगढ़–202001 | 1 | ntsecali nsic.co.in |
| | **नीमका** | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एलबीआई शामिल) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, टीगांव रोड, नीमका, फरीदाबाद–121004 | 1 11 1 | ntscneem a nsic.co.in |
| | **मनडी (टीसी)** | 210/12, रामनगर (पालघाट) मनडी–175001 | 1 1 | nsic.mandi mail.com |
| | **देवरिया (एलबीआई)** | प्लॉट नं. 18, सोंडा मोजा, नियर मंडी समिति, देवरिया–274001 | 11 | ticdeoria nsic.co.in |
| | **काशीपुर (एलबीआई)** | एनएसआईसी ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर बी–5 इंडस्ट्रीयल एरिया, बाजपुर रोड़ काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट–उद्यम सिंह नगर– 244713 | | punit umar nsic.co.in |
| | **नवादा (एलबीआई)** | प्लॉट नं. 1619, गुरूदेव नगर नियर सरकारी आईटीआई, गोनावा रोड़ नवादा, बिहार–805130 | | l ina ada nsic.co.in |
| | **नैनी–एलबीआई** | एलबीआई–नैनी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, उद्योग नगर, नैनी इलाहाबाद | 1 , | onaini nsic.co.in |

## राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब कार्यालय (एनएसएसएचओएस)

| क्र. सं. | एनएसआईसी कार्यालय | पता | फोन/फैक्स | ई मेल |
|---|---|---|---|---|
| 80 | **सूरत** | राष्ट्रीय एससी–एसटी हब शाखा कार्यालय 306, तीसरा तल राजहंस बिल्डिंग जे.के. टॉवर के सामने रिंग रोड सूरत–395002 | 1 , | nsshosurat nsic.co.in |
| 1 | **आगरा** | यूनिट नं. 202, दूसरा तल सेक्टर–12 ए, पदम बिजनेस पार्क आवास विकास सिकन्दरा योजना आगरा–282007 उत्तर प्रदेश | 1 1 | nsshoa ra nsic.co.in |
| | **भुवनेश्वर** | इंटिग्रेटेड मार्केटिंग डेवलपमेंट सेन्टर (आईएमडीसी) बिल्डिंग, धर्मपदा भवन, तृतीय तल आईडीसीओ प्लॉट नं. 6, तीसरा तल ब्लॉक–डी मनचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर–751010 | , | nssho hu nsic.co.in |
| | **बंगलुरू** | नं. 6 एवं 7, इस्कोस बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ चार्ड रोड, राजाजीनगर औद्योगिक टॉउन बंगलुरू – 560044 | 1 1, | nssho an nsic.co.in |
| | **चैन्नई** | एमएसएमई–डीआई, कैम्पस नं. 65/1 जी.एस.टी रोड, गिन्डी, चैन्नई तमिलनाडु–600032 | 1 | nsshochen nsic.co.in |
| | **गुवाहाटी** | औद्योगिक क्षेत्र, बाई लेन नं. 3, बमुनीमेडम गुवाहाटी–781021 | 1 | nssho h nsic.co.in |
| | **हैदराबाद** | एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, कमलानगर हैदराबाद–50062 | 1 | nsshoh d nsic.co.in |
| | **कोलकाता** | प्लॉट नं. 7/7 एवं 7/8, ब्लॉक सीपी सेक्टर –5, सॉल्ट लेक, कोलाकाता (पश्चिम बंगाल) –700091 | 1, 1 | nssho ol nsic.co.in |
| | **लखनऊ** | 503, श्रीराम टॉवर, 5वां तल 13 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 | , | nssholuc no nsic.co.in |
| | **लुधियाना** | पहला तल, फ्रंटियर टॉवर, जीटी रोड मिल्लर गंज (फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास) लुधियाना–141003 | 1 1 1 | nssholudh nsic.co.in |
| | **मुम्बई** | ऑफिस नं. 505, पांचवा तल, बी विंग मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, गांव मरोल, एम.वी. रोड़, मरोल नका, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400059 | 1 , | nsshomum nsic.co.in |
| 1 | **पुणे** | 213, दूसरा तल, पुणे–सतारा रोड, नियर साईबाबा मंदिर, स्वारगेट पुणे–411037 | | nsshopune nsic.co.in |
| | **शिलोंग** | डीआईसी कॉम्पलेक्स, शार्ट राउंड रोड़, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, शिलोंग–793001 | 1 1 1 | hupendas nsic.co.in |
| | **हैदराबाद (ईएमडीबीपी)** | मोडुल न. 207, कमलानगर ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद–500062 | 1 1 , 1 | emd ph d nsic.co.in |
| | **एसटीबीपी चैन्नई** | बी–24, गुंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एकाडूतंगल, चैन्नई–600032 | , फैक्स | stpchennai nsic.co.in |

# टिप्पणी

# टिप्पणी

# विज़न

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के विकास को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रमुख संगठन बनना।

# मिशन

विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सेवाओं वाली एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देना और उसकी सहायता करना।

एन एस आई सी
N S I C

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110 020

फोन : 011-26926275, वेबसाइट : www.nsic.co.in